अध्याय–15
सड़क एवं रेल
Road and Train

सड़क व रेल किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वाधीनता के पश्चात भी कई दशकों तक उत्तराखण्ड में सड़क व रेल की पर्याप्त प्रगति नहीं हो पायी, किन्तु पिछले एक दशक में उत्तराखण्ड में पर्यटन व तीर्थाटन की प्रगति को देखते हुए योजनाबद्ध तथा समयबद्धता से महत्वपूर्ण सड़कों व रेलमार्गों का निर्माण तथा संचालन प्रारम्भ किया गया। निकट भविष्य में यह दोनों परियोजनाए भी राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

15.1 सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2023 तक 33196 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कों (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही हैं। वर्ष 2023–24 हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में ₹ 2830.59 करोड़ का प्राविधान किया गया। वर्ष 2023–24 के भौतिक लक्ष्य एवं नवम्बर 2023 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.1 में दर्शाया गया है–

तालिका 15.1

सं0 क्र0	मद	इकाई	लक्ष्य 2022-23	वर्ष 2022-23 की उपलब्धियां (माह मार्च 2023तक)	लक्ष्य 2023-24	31.12.2023 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2024 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	वाहन चलने योग्य सड़क	किमी0	552.77	586.54	269.01	199.28/269.01
	जल निकास	किमी0	552.77	586.54	269.01	199.28/269.01
	पक्की तथा विरालित सड़कें	किमी0	967.93	1083.29	724.08	741.07
	जीप चलने योग्य सड़क	किमी0	-	-	-	-
	पुल	सं0	28	28	28	12/28
	गाँव जुडे	सं0	65	93	58	55/58

स्रोत: लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.2 उत्तराखण्ड में दिनांक 31.12.2023 तक 13684 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा चार्ट संख्या 15.1 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 15.1

स्रोत: लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.2

तालिका – राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0 में)

क्र0 सं0	मार्ग का श्रेणी	2000	2010	31 मार्च 2023 तक	2023–24 के लक्ष्य	31.12.2023 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03. 2024 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	7	8
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	526	1345	2095	-	-
2	प्रादेशिक राजमार्ग	1233	3665	5653	-	-
3	मुख्य जिला मार्ग	1270	3040	3494	-	-
4	ग्रामीण मार्ग	5051	8954	14688	724	741
5	हल्का वाहन मार्ग	-	96	90	-	-
कुल योग		8080	17100	26020	724	741

स्रोत: लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.3 राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

प्रदेश में वर्तमान तक 3608 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमे शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2095 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2023–24 में भी जारी रहे। दिसम्बर 2023 तक ₹ 237.66 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नवत है:–

1. ऑल वैदर रोड:– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 9971 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष कार्यों का दायित्व निम्न विभागों के पास है:–

- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- पी.आई.यू.मोर्थ (Project implementation Unit Ministry of Road Transport and Highway)
- बी.आर.ओ. (Border Road Organisation)
- एन.एच.आई.डी.सी.एल.(National Highway and Infrastructure Development Corporation)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गो का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत 15 दीर्घ सेतुओं, 02 सुरंग मार्गों (चम्बा एवं राडी टॉप) एवं 03 एलिवेटेड मार्ग (सोनप्रयाग–लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव– लम्बाई 575मी0 एवं मनेरी–लम्बाई 400मी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2023 तक 24 कार्य, लम्बाई 372 किमी0, लागत ₹ 3801 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं 17 कार्य, लम्बाई 299 किमी0, लागत ₹ 4984 करोड़ के प्रगति पर है। परियोजना की पूर्णता की अवधि वर्ष 2023–24 तक लक्षित है।

2. सेतु भारतम योजना:– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु आर.ओ.बी. के निर्माण का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में निम्न रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनको वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण किया जाना लक्षित है:–

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 पर काशीपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 76.52 करोड़।

3. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्वार कार्य:–

सी.एस.आर.(Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में लागत ₹ 329.75 करोड़ के कुल 47 कार्य स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 6 कार्य, लागत ₹ 10.44 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। 20 कार्य, लागत ₹ 226.38 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें सितम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 21 कार्य, लागत ₹ 92.93 करोड़ पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

4. श्री बद्रीनाथ धाम के कार्य:– सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 32 कार्य, लागत

₹ 399.69 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 2 कार्य, लागत ₹ 24.16 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 25 कार्य, लागत ₹ 294.37 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 5 कार्य, लागत ₹ 81.16 करोड़ पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

5. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य:–

• मानसखण्ड मंदिर माला मिशन परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चिन्हित 16 मंदिरों को जोड़ने वाले कुल मार्गों में से 12 मार्गों को 01 लेन से 02 लेन में परिवर्तन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 14 कार्य प्रथम चरण के अन्तर्गत लम्बाई 416.48 किमी0, लागत ₹ 4.02 करोड़ की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी की गयी है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष लगभग ₹ 127 करोड़ भूमि अधिग्रहण, भवन प्रतिकर एवं वनभूमि हस्तान्तरण तथा निर्माण कार्य हेतु लगभग ₹ 1142 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी।

• जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, कार्य भौतिक रूप से 36.15 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹40.44 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि माह जुलाई 2024 है।

केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (Central Road Infrastructure Fund) योजना के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 161 कार्य, लागत ₹ 1743 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान तक 140 कार्य, लागत ₹ 1163 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। अवशेष 21 कार्यों में से 17 कार्य, लागत ₹ 568 करोड़ के प्रगति पर है।

• G-20 Summit के आयोजन हेतु कुल 22 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से लोक निर्माण विभाग को आवंटित कुल 17 कार्य, लम्बाई 63.10 किमी0, लागत ₹ 40.20 करोड़ के तय समय पर सफलतापूर्वक सम्पादित किये गये।

15.1 केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि

सेतु बन्धन के अन्तर्गत कुल 06 आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण के कार्य, लागत ₹ 193.92 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डी.पी.आर. गठन का कार्य गतिमान है।

15.2 रेल यातायात

उत्तराखण्ड के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों सरल परिवहन हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बनवाया इसमें ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलमार्ग का कार्य बहुत तेजी से गतिमान है।

125 किमी0 लंबी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लिंक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किमी0 नई ब्रॉड गेज (बीजी) रेलवे लाईन राज्य में एक महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजना है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लिंक प्रदान करने का उद्देश्य राज्य में स्थित तीर्थस्थलों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ नए व्यापार केंद्रों को जोड़ना तथा क्षेत्र में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। उम्मीद है कि इस तरह के लिंक से यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी। यह रेल लिंक क्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं कुटीर उद्योग के अवसर खोलेगा, राज्य में अर्थव्यवस्था और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित रेलवे लाइन 5 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के माध्यम से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी।

मुख्य विशेषताएं

तालिका 15.2.1

1	Total Length of Project	125.20 (Km)
2	No. of MainTunnels	16(Nos.)
3	No. of Escape Tunnels	12(Nos.)
4	No. of Adits/Shaft	08/01(Nos.)
5	Total Length of Main Tunnels	104.00 (Km)
6	Total Length of Escape Tunnels	97.72(Km)
7	Total Length of Adits/Shafts	4.82(Km)
8	Total Length of Cross-passages	7.05(Km)
9	Total Length of Tunnelinginvolved	213.57 (Km)
10	Max Length of theTunnel	14.58(Km)
11	Percentage of route Tunnel length	83.07%
12	No. of Important/Major Rail Bridges	05/14 (Nos.)
13	Total Length of Important and Major Rail Bridges	3076.025(m)
14	Max Height of Imp/Major Rail Bridge(Gauchar Br-15)	46.99(m)
15	Max Length of Rail Bridge(Srinagar Br-09)	489.00 (m)
16	Longest Spanin Rail Bridge(Devprayag Br-06)	125(m)
17	Percentage of Imp/Major Rail Bridge Length	2.21%
18	No. of Road Bridges	06(Nos.)
19	No. of Road Over Bridges	02(Nos.)
20	No. of Road Under Bridges/LHS	03/01 (Nos.)
21	No. of Minor Bridge	38(Nos.)
22	Total No. of New Stations	12(Nos.)
23	Length of Open Cutting/Embankment	18.43(Km)
24	Percentage of OpenCutting/Embankment (%)	14.72%

रेल विकास निगम लि० (आरवीएनएल) को रेल मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2011 में इस प्रतिष्ठित परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया था। पहले के अध्ययनों के आधार पर, रेलवे मंत्रालय द्वारा 2010–11 में 4295.3 करोड़ रूपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लाईन को मंजूरी दी गई थी। योजना का विस्तृत अनुमान के अनुसार नवम्बर 2016 में बोर्ड द्वारा 16216.31 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है।

सुरंगों और पुलों की योजना और डिजाइनिंग के साथ–साथ साइट तक पहुंच के लिए वास्तविक सुरंग निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निम्नलिखित सक्षम कार्य शुरू किए गए और पूर्ण किए गए:-

- संपूर्ण परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

(1:5000 स्केल) और भू–भौतिकीय अध्ययन (भूकंपीय और प्रतिरोधकता सर्वेक्षण) पूरा हो गया।

• पूरे प्रोजेक्ट के लिए भू–तकनीकी जॉच (जीटीआई) 164 बोर होल और 15.6 किमी रॉक ड्रिलिंग (800 मी0 तक गहराई तक) पूर्ण की गई।

• सभी प्रमुख पुलों के लिए हाईड्रोलॉजिकल अध्ययन (राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान) और साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन और एमएएसडब्ल्यू अध्ययन (आईआईटी रूडकी) पूर्ण की गई।

• विभिन्न कार्य स्थलों तक एप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

• वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश के बीच 5.7 कि0 लम्बाई का पहला ब्लॉक खंड चालू किया गया है, जिसमें वीरभद्र स्टेशन पर सुविधाओं का उन्नयन और ऋषिकेश में विश्व स्तरीय हरित रेलवे स्टेशन का निर्माण सम्मिलत है।

• मौजूदा वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (पीके–1ए) के बीच 5.7 किमी का पहला ब्लॉक खंड मार्च 2020 में चालू किया गया है। इसमें ऋषिकेश तक बाईपास रोड पर एक आरयूबी और देहरादून की महत्वपूर्ण सडक पर एक आरओबी का निर्माण भी शमिल था, जिससे दो लेवल क्रॉसिंग खत्म हो गई।

• योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर ट्रेन रखरखाव की सुविधाएं भी विकसित की जा रही है।

सुरंग कार्य

• वीरभद्र स्टेशन से 6 किमी से आगे का संरेखण सुरंगों में है। सुरंग निर्माण कार्य में 44 ड्राइव बनाने वाले 8 एडिट के साथ 16 सुरंगें शमिल है और जंबो ड्रिल जैसी सबसे परिष्कृत आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके प्रति माह 05 किमी की औसत प्रगति पर सभी सुरंगों (77 चेहरों के साथ सुरंग ड्राईव) में प्राथमिक लाइनिंग के साथ भूमिगत खुदाई जारी है। तेज उत्खनन के लिए कम स्पंदन तकनीक वाली शॉटक्रीट मशीनें और निरंतर लोडर कार्य कर रही हैं। कुल सुरंग उत्खनन की प्रगति (मुख्य सुरंग, एस्केप टनल, एडिट और क्रॉस पैसेज सहित) 67 प्रतिशत है जो 213 किमी (एमटी 104, किमी0 , ईटी 97.7 किमी, एडिट 4.8 किमी और सीपी 7) के कुल दायरे के मुकाबले 145 किमी पूरी हो चुकी है।

• 44 ड्राइव में से 11 ब्रेकथ्रू टी2, टी 7, टी 9, टी 11, टी 12 और टी 13 पूरे हो चुके है, जिसकी कुल लंबाई 27 किमी है, जिससे अंतिम लाइनिंग कार्य शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, ताकि बीएलटी कार्य शुरू किया जा सके और 14 किमी फाइनल लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

रेलवे पुल

• तीन महत्वपूर्ण / प्रमुख रेल पुलों में से ऋषिकेश में चंद्रभागा जो नदी पर तथा एक महत्वपूर्ण रेल पुल सभी तरह से ट्रैक बिछाने के साथ पूरा हो गया है। और अन्य दो लछमोली और श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

• ऋषिकेश में एनएच / एसएच पर एक आरओबी और एक आरयूबी का कार्य पूरा हो चुका है।

• श्रीनगर, गौचर और सिवाई में कार्य स्थलों तक पहुंच के लिए प्रमुख सडक पुल पूर्ण हो गए है।

• सुरंग कार्यों के साथ साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों (16 संख्या) पर कार्य प्रगति पर है।

• 12 नं छोटे पुलों का समावेश 1 एसएचएस पूरा हो गया है।

• लंबी सुरंगों को जल्दी पूरा करने और इस प्रकार परियोजना को जल्दी पूरा करने की सुविधा के लिए सुरंग खुदाई के अतिरिक्त कार्य चेहरे

बनाने के लिए जहां भी संभव हो, विभिन्न सुरंगों में आठ एडिट की पहचान की गई। 8 में से 8 एडिट (4.822 किमी) का काम पूरा हो चुका है। जिससे मुख्य सुरंग निर्माण में आसानी होगी। प्रमुख पुलः ब्रिज–2 और ब्रिज–3 अतिरिक्त 15 किमी सुरंग खुदाई, अतिरिक्त 7 किमी सुरंग अंतिम लाइनिंग, एस्केप टनल ब्रेकथ्रू के 03 ड्राइव (टी 3, टी 11 और टी 15) सम्बन्धी कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिये जायेगें।

प्राविधानित धनराशि के अधीन परियोजना को दिसम्बर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। देश में दो बार आई कोविड लहरों के कारण देरी हुई, जिससे देश के भीतर जनशक्ति और सामग्री की उपलब्धता और परिवहन प्रभावित हुआ और साथ ही देश के बाहर से आयातित आधुनिक मशीनरी भी प्रभावित हुई।

अध्याय–16
उद्योग
Industry

16.1 देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने में हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने की दिशा में समुचित नीतियों के क्रियान्वयन, उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सतत् विकास से विशेष सफलता अर्जित की है।

एमएसएमई क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ये राष्ट्रीय आय और आय के अधिक समान वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में सहायता करते हैं। यह क्षेत्र लगभग 8000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत के योगदान देने के साथ ही देश के सकल घरेलु उत्पाद में भी लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है।

राज्य गठन के समय 14163 इकाईयां स्थापित थीं, जो वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक) में बढ़कर 83946 हो गई हैं। इन वर्षों में इनमें 5 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 20 गुना तथा रोजगार में 8 गुना की वृद्धि हुई है। राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) में सेकेन्ड्री सैक्टर का योगदान वर्ष 1999–2000 में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में लगभग 49 प्रतिशत हो गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 37 प्रतिशत है।

चार्ट–16.1.1

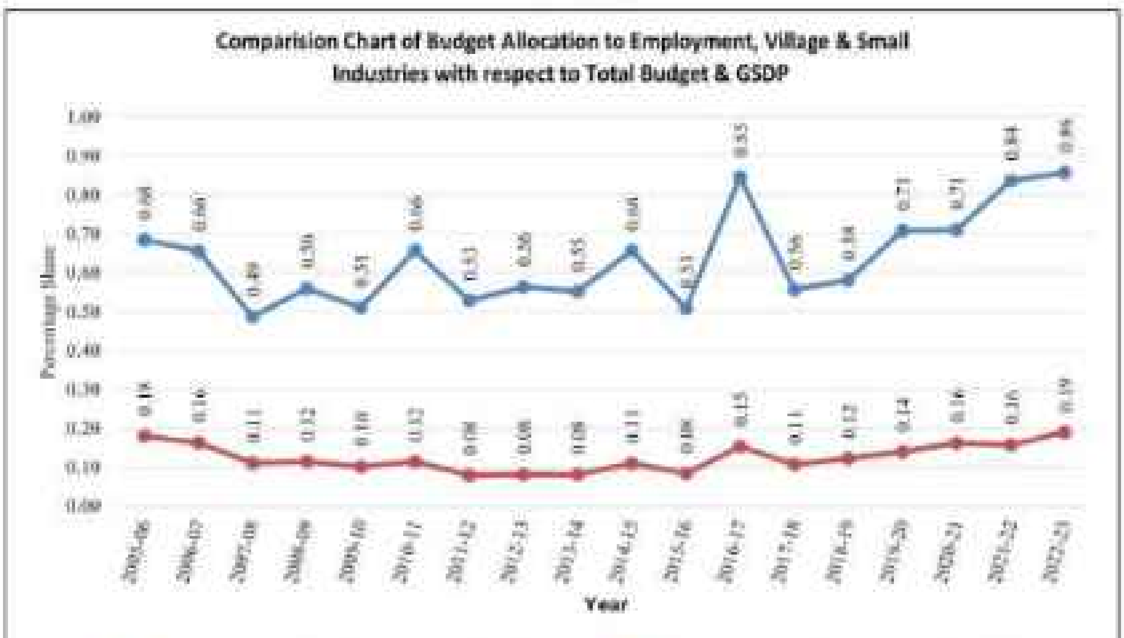

Source: (Directorate of economics and statistics)

चार्ट–16.2

Share of Industry (₹ in Crore)

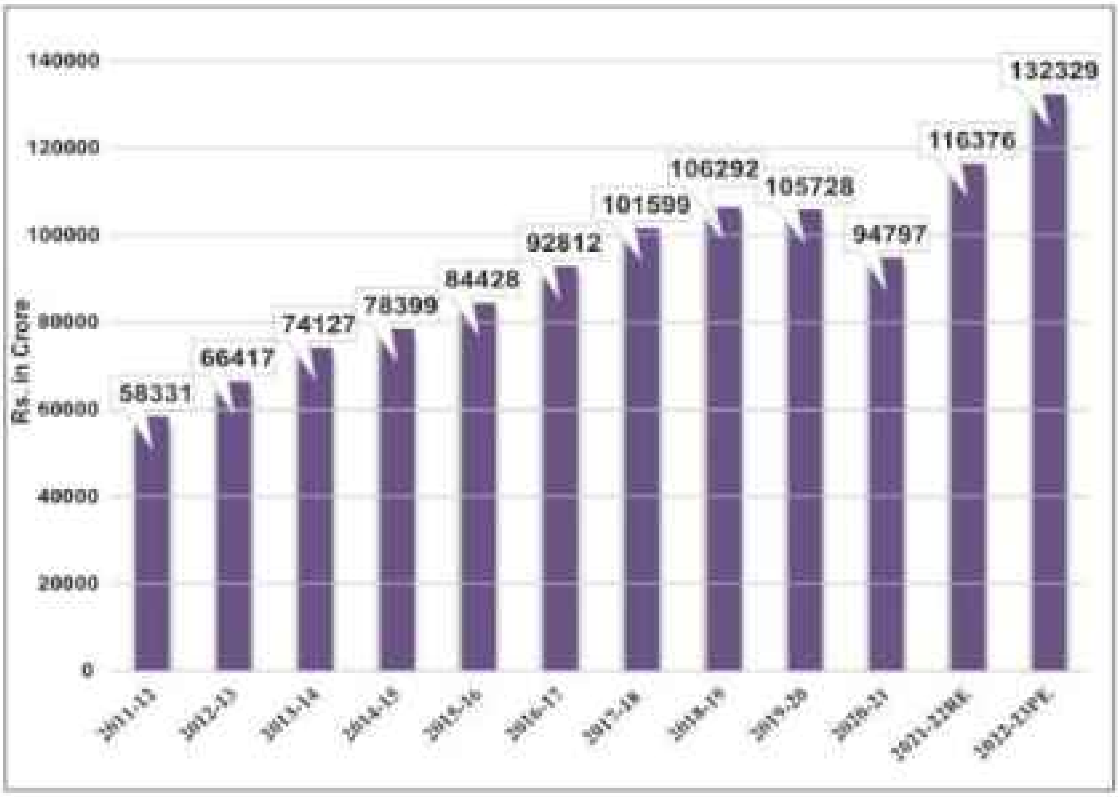

Source: (Directorate of economics and statistics)

16.2 प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2, उद्योग आधार ज्ञापन तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या 83646 है, जिनमें ₹ 18486.48 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 423883 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

तालिका 16.1

उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार (संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2019–20	28	35	501	3595	4131	1731.15	28700
2020–21	2	29	250	3990	4271	909.48	22387
2021–22	0	106	252	4715	5073	871.50	35990
2022–23	0	1	32	5451	5484	646.13	22507
2023–24 (माह दिसम्बर, 2023 तक)	0	0	23	4478	4501	505.79	18835

तालिका 16.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)		सृजित रोजगार	
	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत
पूर्ववर्ती राज्य से दिनांक 8–11–2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां	14163	39	700.29	8369.78	38509	29197
9–11–2000 से माह दिसम्बर, 2023 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	69783	290	15786.19	29588.16	385354	82254
योगः–	**83946**	**329**	**16486.48**	**37957.94**	**423863**	**111451**

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.3 उत्तराखण्ड से निर्यात की स्थितिः– अगस्त 2020 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी **एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2020 रिपोर्ट में, उत्तराखण्ड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है।** यह बुनियादी निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं एवं अनुकूल व्यापार और निर्यात वातावरण के साथ साथ राज्य द्वारा अच्छे निर्यात प्रदर्शन की उपस्थिति से सम्भव हुआ है।

राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 15 दिसम्बर, 2021 से निर्यात नीति लागू है। लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाते हुये राज्य की पृथक लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। पंतनगर और काशीपुर में 02 आईसीडी (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) तथा पंतनगर में 01 मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक संपदा विकसित की है। बनबसा चम्पावत में 01 लैण्ड कस्टम स्टेशन को लैण्ड पोर्ट अथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा एक एकीकृत चैक पोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में इनलेण्ड कन्टेनर डिपो एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेटस रैंकिंग में उत्तराखण्ड राज्य एचीवर्स श्रेणी में शामिल है।**

तालिका–16.3
राज्य से निर्यात विवरण

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ ₹ में)
2018–19	16285
2019–20	16971
2020–21	15915
2021–22	14414
2022–23	14311
2023–24 (माह अक्टूबर, 2023 तक)	9424

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.4

Uttarakhand Export Figures for FY 2023- Oct, 2023				
S.No	HS Codes	Commodity Section	Value In INR (In Crore)	% of Total Exports
1	01-05	Animals And Animals Products	119.47	1.27
2	06-14	Vegitable Products	202.43	2.15
3	15	Animals Or Vegitables Fats	2.93	0.03
4	16-24	Prepared Foodstuffs	268.89	2.85
5	25-27	Mineral Products	65.31	0.69
6	28-38	Chemical Products	2112.44	22.42
7	39-40	Plastics & Rubber	721.14	7.65
8	41-43	Hides & Skins	7.16	0.08
9	44-46	Wood & Wood Products	21.66	0.23
10	47-49	Wood Pulp Products	232.15	2.46
11	50-63	Textiles & Textile Articles	206.67	2.19
12	64-67	Footwear, Headgear	23.50	0.25
13	68-70	Articles Of Stone, Plaster, Cement, Asbestos	74.83	0.79
14	71	Pearls, Precious Or Semi-Precious Stones, Metals	108.46	1.15
15	72-83	Base Metals & Articles Thereof	1265.20	13.43
16	84-85	Machinery & Mechanical Appliances	831.34	8.82
17	86-89	Transportation Equipment	2379.77	25.25
18	90-92	Instruments - Measuring, Musical	660.78	7.01
19	93	Arms & Ammunition	32.16	0.34
20	94-96	Miscellaneous	85.69	0.91
21	97-98	Works Of Art	1.56	0.02
22	99	Others	0.00	0.00
Grand Total			**9423.55**	**100.00**

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.4 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति–शक्ति मास्टर प्लान:–पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान परियोजना निष्पादन में समय बचाने, पुर्नकार्य/पूंजीगत निवेश को कम करने और राज्य/केन्द्र सरकार के निवेश को अनुकूलित करने के लिए एंड–टू–एंड परिप्रेक्ष्य से एक मंच के तहत सभी विभागों को एकीकृत करने के लिए एक बहुमॉडल कार्यक्रम है।

डेटा लेयर्स अपलोड करना:–

- पीएम गति शक्ति उत्तराखंड एकीकृत मास्टर प्लान पर 27 अनिवार्य लेयर्स अपलोड की गई है, (सीआरजेड उत्तराखंड के लिए लागू नहीं है)। हालांकि, 4 अक्टूबर 2022 को अनिवार्य लेयर्स (पिट्रोल/डीजल आउटलेट और गांव बसावट) में दो अतिरिक्त लेयर जोड़े गए हैं, जिनमें से एक लेयर (पिट्रोल/डीजल आउटलेट) पहले ही बीआईएसएजी–एन के साथ साझा की जा चुकी है।
- राज्य मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कुल मिलाकर 260 लेयर्स बीआईएसएजी–एन के साथ साझा की गई हैं।

• कई हितधारकों के साथ समन्वित तरीके से परियोजनाओं की पहचान और योजना बनाने के लिए राज्य द्वारा एक क्यूजीआईएस आधारित योजना मंच बनाया गया है।

• राज्य और जिला स्तर पर पीएम गति शक्ति डाटा सेन्टर बनाए जा रहे हैं। ये डेटा सेन्टर राज्य के विभागों को जिला स्तर पर पोर्टल में डेटा बनाने और अपलोड करने में सहायता करेंगे। लेयर्स की पहचान और निर्माण के लिए विभागों को जिला स्तरीय केन्द्र हैंडहोल्डिंग प्रदान करेंगे। ये केंद्र अंतर पहचान के आधार पर परियोजनाओं की पहचान और योजना / विकास के लिए विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह प्रक्रिया सूचना के प्रसार और जमीनी स्तर पर विभागों की क्षमता को मजबूत करने में सहायता करेगी।

16.5 उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023:– एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2023 घोषित की गयी है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों को उनकी भौगोलिक परिस्थिति तथा उनके औद्योगिक विकास के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

तालिका 16.5

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
	जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
	जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
श्रेणी–सी	जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
	जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
	जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका राम नगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

अनुमन्य गतिविधियां– नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित गतिविधियां अनुमन्य हैं–

(i) निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम।

(ii) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता

(i) **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता** – सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से मनोनीत सलाहकारों के द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, व्यय शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त देय होगी।

(ii) **स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति** – नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निम्नवत् प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात्, देय होगी–

तालिका 16.6

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

(iii) **पूंजीगत उपादान** – नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगी–

तालिका 16.7

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश			
	₹ 01 करोड़ तक	₹ 01 करोड़ से अधिक, ₹ 05 करोड़ तक	₹05 करोड़ से अधिक, ₹ 10 करोड़ तक	₹10 करोड़ से अधिक, ₹ 50 करोड़ तक
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम		मध्यम उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 50 लाख)	₹50 लाख + ₹ 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹1.50 करोड़)	₹1.50 करोड़ + ₹ 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का/20 प्रतिशत (अधिकतम ₹. 2.50 करोड़)	₹ 2.50 करोड़ + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 3.75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 करोड़)

श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)	₹ 40 लाख + ₹ 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)	₹ 1.20 करोड़ + ₹ 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 16 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 02 करोड़)	₹ 02 करोड़ + ₹10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 2.50 प्रतिशत (अधिकतम ₹03 करोड़)
श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)	₹ 30 लाख + ₹01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 12.50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 80 लाख)	₹ 80 लाख + ₹05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)	₹1.20 करोड़ +₹10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 02 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 02 करोड़)
श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 20 लाख)	₹20 लाख + ₹01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 60 लाख)	₹ 60 लाख + ₹ 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 06 प्रतिशत (अधिकतम ₹90 लाख)	₹90 लाख + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का / 1.50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

(iv) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान – विशिष्ट श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्नवत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा–

तालिका 16.8

उद्यम का स्वरूप	अतिरिक्त पूंजीगत उपादान मात्रा/सीमा			
	संयत्र व मशीनरी में स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत	इकाई श्रेणी/अधिकतम सीमा (₹)		
		सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
अति–प्राथमिकता श्रेणी उद्यम (श्रेणी ए व बी के जनपद/क्षेत्र में)	10 प्रतिशत	10 लाख	15 लाख	20 लाख
अति–प्राथमिकता श्रेणी उद्यम (श्रेणी सी व डी के जनपद/क्षेत्र में)	5 प्रतिशत	5 लाख	10 लाख	15 लाख
प्राथमिकता श्रेणी उद्यम	5 प्रतिशत	5 लाख	10 लाख	15 लाख
एंकर एवं सहायक (Anchor & Ancilliary इकाई	5 प्रतिशत	5 लाख	10 लाख	15 लाख
अनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिला/ दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व की इकाईयां	5 प्रतिशत	5 लाख	10 लाख	15 लाख

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

1. टॉप–अप सहायता– ऐसे उद्यम जिन्हें पीएमईजीपी / पीएमएफएमई / एमएसवाई योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता अनुमन्य है और वे उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 की चिन्हित गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, को पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्यता अनुसार टॉप–अप के रूप में देय होगा। बैंक द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट में कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर मद के लिये स्वीकृत / सवितरित सावधि ऋण (Term Loan) के सापेक्ष सम्बंधित योजनान्तर्गत अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 में पात्रता अनुसार आंगणित कुल पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता में से घटाकर, अवशेष धनराशि (उपादान) टॉप–अप सहायता के रूप में इकाई को देय होगी।

2. पूंजीगत उपादान सहायता / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दावा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–

तालिका–16.9

जनपद / क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा / सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रतिवर्ष,प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत(अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

(vi) विद्युत ड्यूटी पर छूट – ऐसे नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 तक हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट देय होगी।

(vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./ बी.आई.एस. /पेटेंट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेडमार्क/ कॉपीराईट/एफ.एस.एस.ए.आई./ प्रदूषण नियंत्रण/जेड–Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।

(viii) मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत देय होगी–

तालिका–16.10

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी
श्रेणी–ए	50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

(ix) जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार – जेड योजनान्तर्गत गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र तथा निम्नवत् धनराशि प्रदान की जायेगी–

तालिका–16.11

जेड प्रमाण पत्र श्रेणी	पुरस्कार धनराशि
गोल्ड श्रेणी	₹ 75000 प्रति इकाई
सिल्वर श्रेणी	₹ 50000 प्रति इकाई
ब्रांज श्रेणी	₹ 25000 प्रति इकाई

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

(i) क्लस्टर विकास – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना की तर्ज पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की क्लस्टर के रूप में स्थापना हेतु **योजना अवधि में प्रदेश में 50 क्लस्टर** विकसित किये जायेंगे। प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिकतम ₹ 05 करोड़ तक की सहायता भूमि एवं भूमि विकास, अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, मशीनरी एवं उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की उपलब्धता हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में देय होगी।

निषेध सूची

I. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत

आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।

ii. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

iii. उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02. 2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।

iv. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।

v. आरा मिल।

vi. पटाखों का विनिर्माण।

vii. खनन तथा स्टोन क्रेशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)।

viii. थर्मल पॉवर प्लाण्ट।

ix. स्टील एवं स्टील इंगट विनिर्माण।

x. भट्ठी (Furnace) का उपयोग करने वाली समस्त इकाईयां।

xi. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

xii. भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

xiii. पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां।

प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम

1. नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्यम।

2. 'एक जनपद दो उत्पाद' योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण उद्यम।

3. राज्य के 'जी आई टैग' प्राप्त उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम।

4. विनिर्माणक क्षेत्र के स्टार्टप्स।

5. जैव–प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद।

6. सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद विनिर्माणक उद्यम।

अति–प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्यम।

2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यम।

3. फ्रूट आधारित वायनरी।

4. पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माणक उद्यम।

5. औषधीय हर्ब्स एवं सगन्ध पौध पर आधारित विनिर्माणक उद्यम।

16.6 ZED (Zero Defect Zero Effect) का संचालन व अद्यतन स्थिति:– भारत सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरूआत की गई।

एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) सर्टिफिकेशन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जेडईडी प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। जेड प्रमाणन के माध्यम से, एमएसएमई इकाईयां अपने नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं और उत्पादकता तथा पर्यावरण चेतना बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं। जेड योजना में एमएसएमई को कार्य संस्कृति, उत्पादों के मानकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इस योजना में राज्य की प्रगति निम्नानुसार है:-

तालिका-16.12

श्रेणी	जेड प्रमाणन संख्या
गोल्ड	05
सिल्वर	06
ब्रॉंज	295
योगः-	**306**

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.7 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्थाः- "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" ऑनलाईन एक संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) विकसित किया गया है। "निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र" के माध्यम से विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं विधियों के अधीन प्राप्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुज्ञापनों/अनुज्ञप्तियों/ अनुमतियों में शिथिलीकरण करते हुये सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त तीन वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक-2022 पारित किया गया है।

तालिका-16.13

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April-2019 to March-2020	MSME	1562	4350.05	35735
	LARGE	56	7656.65	8448
April-2020 to March, 2021	MSME	1495	2776	26412
	LARGE	41	1888.46	4417
April-2021 to March, 2022	MSME	1791	4740.56	32901
	LARGE	63	4088.38	13911

April-2022 to March, 2023	MSME	2014	8193.93	37939
	LARGE	17	3172.5	3849
April-2023 to December, 2024	MSME	1380	6528.58	27347
	LARGE	17	14313.05	6121
GRAND TOTAL FO R MSME UNITS		**8242**	**26589.12**	**160334**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**194**	**31119.04**	**36746**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**8436**	**57708.16**	**197080**

स्रोत: उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

16.8 जी–20 समूह की बैठक:– वर्ष 2022–23 में जी–20 समूह के अन्तर्गत भारत की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में अलग–अलग अन्तर्विभागीय बैठकें आयोजित की गईं। राज्य में गढ़वाल मण्डल में 02 बैठकें एवं कुमांऊ मण्डल में 01 बैठक आयोजित की गई। राज्य में एन्टी करप्शन वर्किंग ग्रुप एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकें माह मई एवं जून, 2023 में टिहरी जनपद में आयोजित बैठक में प्रौद्योगिकी, इन्फ्राटेक और डिजिटलीकरण की भूमिका की खोज के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन से लेकर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन और तेज शहरीकरण और समावेशन पर चर्चा हुई। इससे पूर्व माह मार्च, 2023 में रामनगर (नैनीताल) में चीफ साईन्स एडवाईजर राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेस आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभाग द्वारा परम्परागत प्रमुख हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित करते हुये विदेशी प्रतिभागियों को राज्य की संस्कृति एवं विरासत से रूबरू कराया गया।

16.9 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023:–उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें किसी भी आकार, मोटाई माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैण्डल के साथ अथवा बिना हैण्डल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग, थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिसपोजेबल कटलरी या प्लास्टिक के उत्पादन, क्रय–विक्रय, आयात, भण्डारण, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित की गयी है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भण्डारण, विनिर्माण, क्रय–विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से राज्य में इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न इकाईयों में उत्पादन कार्य बन्द हो गया है और सृजित रोजगार भी इससे प्रभावित हुआ है। इसके दृष्टिगत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) के विकल्प (Alternatives) के रूप में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त टॉप–अप सहायता के रूप में प्रोत्साहन देय होंगे।

प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रभावित इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के

प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति प्रख्यापित की गई है। नीति में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त निम्नानुसार अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान किया गया है:–

I- निवेश प्रोत्साहन सहायता:– उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर एमएसएमई नीति में वर्गीकृत श्रेणियों में अनुमन्य निवेश प्रोत्साहन सहायता के अतिरिक्त टॉप–अप के रूप में तालिका में निम्नानुसार स्तम्भ–4 में प्राविधानानुसार अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी:

तालिका–16.14

क्र. सं.	**जनपद/क्षेत्र का वर्गीकरण**	**एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम सीमा/मात्रा**	**प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली नई/विस्तारीकरण की एमएसएमई इकाईयों को टॉप–अप सहायता के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा**
1	**2**	**3**	**4**
(1)	**श्रेणी– ए**	40 प्रतिशत (अधिकतम ₹40 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
(2)	**श्रेणी– बी व बी+**	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹35 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
(3)	**श्रेणी– सी**	30 प्रतिशत (अधिकतम ₹30 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
(4)	**श्रेणी– डी**	15 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)

ब्याज उपादान:– उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से लिए गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज उपादान के अतिरिक्त टॉप–अप के रूप में निम्नानुसार अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी:–

क्र. सं.	**श्रेणी**	**एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा**	**प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली नई/विस्तारीकरण की एमएसएमई इकाईयों को टॉप–अप सहायता के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा**
1-	श्रेणी– ए	10 प्रतिशत अधिकतम ₹. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	–
2-	श्रेणी–बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹. 06 लाख/ प्रतिवर्ष /इकाई)	–
3-	श्रेणी– सी	06 प्रतिशत (अधिकतम ₹. 04 लाख/ प्रतिवर्ष /इकाई)	एमएसएमई नीति–2015 (यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम रू. 01 लाख/ प्रतिवर्ष / प्रति इकाई।

4-	श्रेणी– डी	05 प्रतिशत (अधिकतम ₹. 03 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	एमएसएमई नीति–2015 (यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम ₹ 02 लाख/ प्रतिवर्ष / प्रति इकाई।
एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति : प्रभावित इकाईयों को वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु विद्यमान उद्यम के विविधीकरण अथवा नये उद्यम की स्थापना हेतु क्रय किये गये नये प्लाण्ट व मशीनरी पर प्रभार्य एसजीएसटी में से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कुल सकल एसजीएसटी (आईटीसी के समायोजन के उपरान्त) का 20 प्रतिशत, प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जायेगी।			
उक्त सभी सुविधाओं का लाभ मात्र उन इकाईयों को उपलब्ध होगा, जो केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिबन्ध आदेश के कारण प्रभावित अथवा बन्द हो गयी है।			

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

नीति आयोग द्वारा 'प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी' में परिभाषित उद्यम–

तालिका–16.15

उत्पाद, जिनमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है	पॉलीमर	सामान्य बायोमास स्रोत	सामान्य उपयोगों के उदाहरण
कपास	सेल्यूलोज	कपास का पौधा (गॉसिपयम एसपी.)	वस्त्र, अन्य कपड़े
हैम्प	सेल्यूलोज	हैम्प (कैनेबिस सेटीवा)	वस्त्र, अन्य कपड़े
फ्लैक्स/लिनेन	सेल्यूलोज	फ्लैक्स/लिन्सीड (लिनम यूसीटेटीसिमम)	वस्त्र, अन्य कपड़े
जूट	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	(कॉरकोरस एसपी.)	बोरे, कालीन, कपड़े, रस्सी, अन्य कपड़े
कॉयर फाइबर	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	नारियल (बाहरी खोल)	चटाई, ब्रश, बोरी, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल
रैमे	सेल्यूलोज	चाइना घास (बोहमेरिया नीविया)	वस्त्र, अन्य कपड़े, औद्योगिक सिलाई धागा
अबाका/मनीला हैम्प	सेल्यूलोज, लिग्निन एवं पेक्टिन	केला (मूसा टेक्सटीलिस, अबाका)	टी बैग, बैंकनोट, चटाई, रस्सी
पिना	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	अनानास का पत्ता (अनानास कोमोसस)	वस्त्र, अन्य कपड़े
सिसल		(अगावे सिसलाना)	कपड़ा, बैग, रस्सी, सुतली

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

अन्य वैकल्पिक उत्पाद:

1. जैव–प्लास्टिक्स।
2. बायो–डिग्रेडेबल प्लास्टिक।
3. कम्पोस्टेबल प्लास्टिक।
4. ऑक्सो–डिग्रेडेबल/ऑक्सी–डिग्रेडेबल /ऑक्सी– बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स।

5. कृषि अवशेषों, गत्ते और कागज से बनी कटलरी।

6. राम बांस से बनी वस्तुएं।

7. प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तुएं।

8. केले की पत्तियों से बनी वस्तुएं।

16.10 निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023:–

• वर्ष 2008 में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति –2008 में पर्वतीय क्षेत्रों में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना तथा प्राथमिक अवस्थापना सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कें, नालियां, प्रकाश व्यवस्था आदि पर किये गये कुल व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 50 लाख तक का उपादान दिये जाने का प्राविधान किया गया। इस प्राविधान को एम.एस.एम.ई. नीति 2015 में भी सम्मिलित किया गया।

• भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज समाप्त होने तथा सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में नई नीति प्रख्यापित की गयी है। नीति के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैः

1. निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होनी आवश्यक है।

2. निजी क्षेत्र में आईटी पार्क/ बायोटैक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।

3. इस नीति के तहत विनिर्माणक उद्योगों के साथ–साथ सैक्टर विशेष के उद्योगों, जैसे परिधान/वस्त्र उद्योग पार्क, फूड पार्क, अरोमा पार्क, ऑटोमोबाइल एंसिलरी उद्योग पार्क, आईटी/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क, नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी/क्षेत्र, मेडिसिटी, एजुसिटी आदि के विकास के लिए औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. निवेशक/प्रवर्तक अपने श्रोतों से स्वयं भूमि की व्यवस्था करेगा। यदि निवेशक सिडकुल से भूमि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भूमि की आवश्यकता के लिए सिडकुल को प्रस्ताव देना होगा, ताकि सिडकुल बोर्ड प्रस्ताव पर नियम व शर्तों के साथ निर्णय ले सके।

5. सीडा के मानदण्डों का पालन करना आवश्यक होगा।

6. सीडा/यूनीफाइड बिल्डिंग बॉय–लॉज का पालन करना होगा और सीडा नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

7. औद्योगिक आस्थनों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आन्तरिक सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सामान्य सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व आस्थान की प्रवर्तक संस्था/कम्पनी/स्वामी की होगी।

8. मैदानी क्षेत्र के बृहत औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 10 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयां तथा पर्वतीय क्षेत्र के मिनी औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 05 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयो की

स्थापना के लिए भूमि दी जानी आवश्यक होगी।

9. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/विनियमन की प्रक्रिया दो चरणों की होगी। प्रथम चरण में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जायेगी। दूसरे चरण में आस्थान के लिए अर्जित भूमि पर सीडा द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

10. आवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये रू. 100 करोड़ की निधि से आवस्थापना विकास कोष बनाया जायेगा। इस कोष का संचालन सिडकुल द्वारा किया जायेगा। कोष में रखी गई उक्त निधि में से औद्योगिक आस्थान में किये जा रहे कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष 2 प्रतिशत धनराशि आस्थान के बाहर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु दिया जायेगा।

11. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए आवेदकों को औद्योगिक आस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास पर रू. 10 लाख प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत उपादान भी दिया जायेगा। कुल स्वीकृत पूंजीगत उपादान में से 10 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि के अर्जन, स्थल विकास/ले-आउट की स्वीकृति का कार्य पूर्ण होने पर अवमुक्त की जाएगी। तत्पश्चात 25 प्रतिशत धनराशि, अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण होने पर, 40 प्रतिशत धनराशि, कुल बिक्री योग्य भूखण्डों में से 60 प्रतिशत भूखण्डों की बिक्री होने तथा 25 प्रतिशत धनराशि, औद्योगिक आस्थान के पूर्ण रूप से संचालन तथा 50 प्रतिशत उद्योगों की स्थापना होने पर देय होगी।

12. निजी औद्योगिक आस्थानों में सीईटीपी की स्थापना पर भी सीईटीपी संयंत्र पर किये गये अचल पूजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम रू. 01 करोड़ तक का उपादान दिया जायेगा।

13. स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों का संवितरण सिडकुल द्वारा बनाए गए एस्क्रो एकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

14. प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

16.11 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):– भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन पात्र लाभार्थियों को बैंको के माध्यम से मार्जिन मनी संवितरित किया जाता है। वर्षवार प्रगति निम्नवत् है:–

तालिका–16.16
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ ₹)	सृजित रोजगार
2018–19	2168	40.83	17344
2019–20	1815	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17576
2021–22	1832	39.60	14656
2022–23	1803	46.32	14424
2022–23 (माह दिसम्बर, 2023 तक)	979	31.16	7832
योग–	**10834**	**237.04**	**87252**

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका–16.17

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति का जनपदवार विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य		बैंकों द्वारा स्वीकृत		बैंकों द्वारा वितरित	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)	संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)
1	अल्मोड़ा	137	395.00	160	439.59	67	192.97
2	बागेश्वर	137	395.00	39	73.22	45	74.35
3	चमोली	137	395.00	88	192.63	90	195.50
4	चम्पावत	137	395.00	145	451.26	78	224.55
5	देहरादून	146	419.00	129	387.26	75	250.50
6	हरिद्वार	143	413.00	175	664.12	67	277.88
7	नैनीताल	143	413.00	163	488.09	127	385.00
8	पौड़ी	135	395.00	102	241.23	58	151.07
9	पिथौरागढ	133	389.00	122	284.28	82	142.05
10	रूद्रप्रयाग	133	389.00	99	229.34	55	124.34
11	टिहरी	131	383.00	108	301.58	82	200.24
12	ऊधमसिंहनगर	145	419.00	110	938.30	98	782.38
13	उत्तरकाशी	126	368.00	112	257.37	55	114.81
	योग–	**1783**	**5168.00**	**1552**	**4948.27**	**979**	**3115.64**

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2023–24 मे दिसम्बर तक

16.12 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः– राज्य में "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" में विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता दी जायेगी। योजना में विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय के संचालन के लिए सभी व्यवहार्य गतिविधियां पात्र हैं। यद्यपि सीधे कृषि कार्य (फसल उगाना) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि (Agriculture allied activities & Protected Agriculture), जैसे मशरूम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, पॉली हाऊस में साग–सब्जियों, हर्बल और सगन्ध पौध की खेती, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, भेड़–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन (Dairy) आदि इस योजना में पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं।

तालिका–16.18

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) की जनपदवार प्रगति

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य (संख्या में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	बैंकों द्वारा वितरित (संख्या में)
1	अल्मोड़ा	600	440	327
2	बागेश्वर	450	445	371
3	चम्पावत	500	490	424
4	चमोली	700	860	757
5	देहरादून	650	588	438
6	हरिद्वार	600	787	437
7	नैनीताल	700	693	576
8	पौड़ी	700	1045	840
9	पिथौरागढ़	700	742	651
10	रूद्रप्रयाग	450	551	344
11	टिहरी	650	725	483
12	ऊधमसिंह नगर	600	594	465
13	उत्तरकाशी	700	869	494
	योग:–	8000	8829	6607

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिसम्बर तक

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम:–

- उत्तराखण्ड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना अक्टूबर, 2021 में लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 50 हजार तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

- परियोजना लागत में न्यूनतम 20 प्रतिशत आवेदक का भी मार्जिन मनी होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला तथा दिव्यांगजन के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन) के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 10,000 का बैंक ऋण स्वीकृत किये जाने पर मार्जिन मनी की कुल राशि ₹ 1000 से अधिक नहीं होगी।

- अनुदान/ग्रान्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विकसित पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा किया जायेगा।

तालिका–16.19

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम की जनपदवार प्रगति

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य (संख्या में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	बैंकों द्वारा वितरित (संख्या में)
1	अल्मोड़ा	400	228	80
2	बागेश्वर	300	117	89
3	चम्पावत	300	156	114
4	चमोली	400	88	69
5	देहरादून	450	86	37
6	हरिद्वार	450	167	3
7	नैनीताल	450	234	152
8	पौड़ी	450	50	26
9	पिथौरागढ़	350	30	26
10	रुद्रप्रयाग	300	159	26
11	टिहरी	350	6	2
12	उधम सिंह नगर	450	167	18
13	उत्तरकाशी	350	293	141
	योग:–	**5000**	**1781**	**783**

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिसम्बर तक

16.14 राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रय वरीयता:–सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एवं स्टार्टअप्स सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं के शासकीय उपापन (Public Procurement) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु क्रय वरीयता नीति–2019 लागू की गयी है।

यह नीति उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से लघु उद्योग स्थायी पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 (MSMED Act-2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप कौंउसिल से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता मिली हो।

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान, पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा।

क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्टार्टअप्स सहित) को प्रदेश के मध्यम व बृहत उद्यमों और प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें, न्यूनतम दर (L1) से अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत हो। परन्तु राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में

स्थापित सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

निविदा में प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित), जिसने L1+10 प्रतिशत (श्रेणी ए व बी के वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिये L1+15 प्रतिशत) मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है और ऐसी परिस्थिति में जहां प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त L1 दरें किसी अन्य इकाई की हों, वहां प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म व लघु उद्यमों की मूल्य की दरें L1 मूल्य के स्तर पर लाकर उन्हें आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। ऐसे एक से अधिक प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

सामग्री/सेवाओं के उत्पादन के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय के लिये प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा–हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) से न्यूनतम 25 प्रतिशत उपापन करना आज्ञापक (Mandatory) होगा। सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अन्दर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से खरीद के लिये 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

संव्यवहार लागत में कमी– संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को निशुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु निश्चित अग्रिम राशि (EMD) में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी।

राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर, विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre-qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेशन्स और उपकरण जहाँ पर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो, सालाना टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

तालिका–16.20
क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों की जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत इकाईयाँ
1	देहरादून	28
2	हरिद्वार	3
3	ऊधमसिंहनगर	5
4	टिहरी	1
5	नैनीताल	13
6	अल्मोड़ा	3
7	बागे"वर	2
8	पिथौरागढ़	1
9	रूद्रप्रयाग	1
10	पौढ़ी गढ़वाल	1
	योग:–	58

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.15 एमएसएमई टैक्नोलॉजी सेन्टर:– एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राज्य में इलेक्ट्रानिक टूल रूम कानिया, रामनगर, नैनीताल व रिडकुल सितारगंज में 20 एकड़ में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना की गयी है।

16.16 सितारगंज में प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टी0सी0एस0पी0) की स्थापना:– टैक्नोलॉजी सेन्टर मुख्य रूप से देश में उद्यमों विशेषतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्न रूप से सहयोग देते हैं:–

- अति उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराना
- स्कूल छोड़ने वालों से लेकर स्नातक इंजीनियरों तक विभिन्न स्तरों पर युवाओं के तकनीकी कौशल का विकास/विस्तार करने के लिये अवसर प्रदान करके श्रम शक्ति को कुशल बनाना।
- एमएसएमई और उद्यमियों को तकनीकी और व्यावसायिक परामर्श उपलब्ध कराना।

16.17 विश्व बैंक सहायतित रैम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Productivity Programme):- रैम्प योजना एमएसएमई के सुधार हेतु सेन्ट्रल सैक्टर योजना के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2022–23 में लागू की गई।

योजना के प्रमुख उद्देश्य:–

- बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार।
- केन्द्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना।
- केन्द्र राज्य सम्बन्धों और साझेदारियों को बेहतर करना।
- एमएसएमई द्वारा विलम्बित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मुद्दों को सुलझाना।

योजना के घटक:–

- RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan) तैयार करना है। जिसमें सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु मंत्रालय को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निर्धारित समयावधि में दिया जाना होगा। भारत सरकार द्वारा SIP तैयार करने में ₹ 5.00 करोड़ तक का अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान 20 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों में प्राप्त होगा।
- SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर–कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है।
- RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित MSME मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।

योजना के लाभ:–

- MSME क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान
- RAMP कार्यक्रम प्रतिस्पर्द्धा के मामले में मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि कर MSME क्षेत्र की सामान्य एवं कोविड से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा।
- MSME में अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

• यह कार्यक्रम अन्य बातों के अलावा क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और मार्केटिंग प्रमोशन जैसे अपर्याप्त रूप से संबोधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा।

रोजगार सृजनः–

• यह कार्यक्रम राज्यों के साथ अधिक सहयोग के माध्यम से एक रोजगार सृजक, बाजार प्रमोटर और वित्त सुविधाकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा।

औपचारिकरण की शुरुआतः–

• उन राज्यों में जहाँ MSME की उपस्थिति कम है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर की गई योजनाओं के उच्च प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यापक औपचारिकरण की शुरुआत होगी।

• इन राज्यों द्वारा विकसित SIPs एक बेहतर MSME क्षेत्र के विकास के लिये रोडमैप के रूप में कार्य करेंगे।

'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का पूरकः–

• यह कार्यक्रम उच्च उद्योग मानकों, उद्योग प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दे कर तथा MSME को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान कर 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' का पूरक होगा।

16.18 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टरः– परंपरागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समूचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरष्कार" योजना संचालित की जा रही है। शिल्प रत्न पुरष्कार योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरष्कार प्रदान किये गये। वर्ष 2023–24 के 314 सिद्धहस्त शिल्पियों को पुरष्कार दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे है को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में विभाग द्वारा शिल्पियों हेतु "शिल्पी पेंशन योजना" प्रारंभ की गयी है। थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं को रोजगार से जोड़े जाने हेतु विभिन्न शिल्पों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु "थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ की गई है, जिसमें उन्हें दो माह का विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने शिल्प के संवर्द्धन एवं विपणन करते हुये आर्थिक स्तर में वृद्धि कर सकें। अब तक 20 महिला समूहों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है।

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा ग्राम मटेना जनपद अल्मोड़ा में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शोध इत्यादि के कार्यों के लिए "नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैण्डलूम एण्ड नेचुरल फाईबर" की स्थापना की गई है। जिसका संचालन हंस फाउण्डेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं पर्यटन के साथ शिल्पों के विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को "हिमाद्रि" ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। है। कोविड काल में बुनकर/शिल्पियों को ऑनलाईन विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पोर्टल अमेजन पर भी राज्य के शिल्प उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट के साथ भी अनुबन्ध किया जा चुका है।

राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन, ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इण्डिकेशन (जी0आई0) प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में नेटल(बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैण्डल, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति के जी0आई0 प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतांक(जी0आई0) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।

16.19 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2023:– 14 नवम्बर, 2023 से दिनांक 27 नवम्बर, 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 35 बुनकरों द्वारा अपने उत्पादों सहित प्रतिभाग किया गया। प्रदर्शनी के दौरान उत्तराखण्ड दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी में शिल्पियों द्वारा कुल ₹ 58,63,790/–बिक्री की गयी।

16.20 उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड:–

• दिनांक 8–9 दिसम्बर, 2023 को देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, विर्निमाण, पर्यटन, रियल एस्टेट, वेलनेस–आयुष, स्वास्थ्य आदि में लगभग ₹ 3.5 लाख करोड़ की धनराशि के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये।

• वित्तीय वर्ष 2023–24 में मेगा इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी, 2015 एवं मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत निवेश करने वाली 09 औद्योगिक इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा ₹ 26.90 करोड़ की धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई।

• निजी क्षेत्रों के औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निवेशकों को आर्कषित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी" प्रख्यापित की गई है।

• 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं हेतु "कस्टमाईस्ड पैकेज पॉलिसी" लागू की गई है।

• सिडकुल द्वारा एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में एरोमा पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 28 इकाईयों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है।

• सिडकुल द्वारा भारत सरकार की "प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना" के अंतर्गत एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज–2, जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 27 इकाईयों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।

• काशीपुर में विकसित किये जा रहे इलैक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, में मै0 समृद्धि ऑटोमेशन प्रा0 लि0 को एन्कर यूनिट के रूप में भूमि आवंटित की गई है जिसमें उनके द्वारा लगभग ₹ 175 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

• भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/ सिडकुल द्वारा खुरपिया फार्म में प्रस्तावित 1002 एकड़ भूमि की मास्टर प्लानिंग की गई है। इस परियोजना से सम्बन्धित सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं।

• पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान

(NMP) में उत्तराखण्ड की परियोजनाओं को समय–समय पर चिन्हित किये जाने का कार्य गतिमान है, इससे राज्य को लाभ प्राप्त होगा।

• ओवर ऑल लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में सिडकुल को लैण्ड बैंक बनाने के लिये सिडकुल द्वारा कई लैण्ड बैंकों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे उद्योग स्थापित किये जा सकें एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें।

16.21 उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड:–

• उत्तराखण्ड में भेड़ पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गयी जिसमें

भेड़ की ऊन का न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष निर्धारित कराया जाता है। ऊन को क्रय एवं प्रोसेसिंग करने हेतु उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चम्बा, अल्मोड़ा व श्रीनगर में तीन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनके अधीन 20 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से खादी के अन्तर्गत ऊन की कताई व बुनाई का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

• खादी की गतिविधियों को कलस्टर की चेन के रूप में विकसित किया गया है। जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय प्रतिभा का अधिकतम् उपयोग किया जा सके। कारीगरों के कौशल विकास, उत्पादन के चिन्हीकरण, प्राप्त होने वाले स्थानीय संसाधनों का अधिकतम् उपयोग एवं बाजार की व्यवस्था को सुदृढ़ करना किया जा रहा है। खादी को बढ़ावा दिये जाने हेतु वर्तमान बाजार माँग के अनुसार खादी के वस्त्रों पर नये–नये डिजायनों का समावेश करने हेतु डिजायनरों का सहयोग लिया जा रहा है।

• ऊनी गतिविधियों के साथ–साथ सूती वस्त्रों के निर्माण हेतु आधुनिक डिजायन के जैकार्ड लूम स्थापित कर स्थानीय बुनकरों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

16.22 उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 :– देश की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को दोगुना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सशक्त उत्तराखण्ड मिशन आरंभ किया गया है। इसी क्रम में निजी निवेश बढ़ाने हेतु द्वितीय निवेशक सम्मेलन उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023– डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड दिनांक 08–09 दिसम्बर, 2023 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया।

मुख्य आयोजन से पूर्व 5 राष्ट्रीय एवं 3 अंतर्राष्ट्रीय रोड़ शो क्रमशः नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलूरू, अहमदाबाद एवं मुम्बई तथा लंदन, बर्मिंघन, दुबई एवं आबूधाबी में आयोजित किये गये। इन आयोजनों के द्वारा विभिन्न विभागों के साथ निजी निवेशकों ने ₹ 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किये।

इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टरों में निजी निवेश आकर्षित करने के लिये निवेशक अनुकूल नीतियों का प्रख्यापन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा इन नीतियों में अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक सुंदरता को सुरक्षित रखते हुये विकास का मार्ग चुना जिसमें इकोनोमी विद इकोलॉजी को चरितार्थ करने हेतु एमएसएमई नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, पर्यटन नीति 2023, सेवा क्षेत्र नीति 2023, पीएलआई टॉपअप नीति 2023, लॉजिस्टिक्स नीति 2023, कस्टमाईज्ड पैकेज नीति 2023, नीजि क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति 2023, सोलर नीति 2023, पम्प स्टोरेज नीति 2023 प्रमुख नीतियों को तैयार किया गया है।

तालिका–16.21
Department Wise-List of MoUs

S. No	Department	Number of MoUs	MoU Amount (incr.)
1	Uttarakhand Renewable Enery Development Agency	157	103,459
2	Directorate of Industries	658	78,448
3	Tourism Department	437	47,646
4	Uttarakhand Housing & Urban Development Authority	62	41,947
5	Department of Medical Health and Family Welfare	39	25,785
6	Directorate of Horticulture and Food Processing	175	19,260
7	Department of Ayush and Wellness	77	17,058
8	Higher Education Department	28	6675
9	Department of Ayush and Wellness	31	2921
10	Transport Department	22	3513
11	ITDA	34	2924
12	Forest Department	11	2029
13	DIPR	8	1770
14	Department of Geoloay and Mining	13	1455
15	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority	2	1000
16	Skill Development & Employment Department	11	731
17	Department of sports	7	623
18	Dairy Development Department	7	449
Grand Total		**1779**	**356,889**

स्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.23 भूतत्व एवं खनिकर्म:– उत्तराखण्ड एक राज्य में जहाँ मुख्य खनिज एवं उपखनिज का भण्डार प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। मुख्य खनिज के रूप में मैग्नेसाइट, लाईमस्टोन, बेसमैटल (सोना, चांदी, लेड आदि) इत्यादि तथा उपखनिज में स्वस्थाने चट्टानें किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट आदि तथा नदी तल उपखनिज के रूप में बालू, बजरी, बोल्डर आदि उपलब्ध है। वन क्षेत्रान्तर्गत नदी तल खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा राजस्व नदी क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा तथा निजी नाप भूमि क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों के द्वारा खनन कार्य किया जाता है।

राज्य में मैग्नेसाइट की 04 खदानें, लाईमस्टोन की 03 खदानें, खनिज सोपस्टोन की 142 खदानें, खनिज सिलिका सैण्ड की 02 खदानें, आर०बी०एम० की 114 खदानें वर्तमान में स्वीकृत है, तथा ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत चिन्हित कुल 105 उपखनिज क्षेत्रों के सापेक्ष 81 उपखनिज क्षेत्रों को ई–नीलामी के माध्यम से

सफल घोषित किये जाने के उपरान्त 60 उपखनिज क्षेत्रों में आशय पत्र जारी किये जा चुके है, तथा शेष उपखनिज क्षेत्रों में आशय पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, तथा 51 नवीन चिन्हित उपखनिज क्षेत्रों में निविदा आमंत्रित की गयी है। उपखनिज सोपस्टोन पर आधारित कुल 23 पल्वराईजर प्लांट्स तथा उपखनिज आर०बी०एम० पर आधारित कुल 434 स्टोनक्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित है। भारत सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में लाईमस्टोन ब्लॉकों (चौरा–08 वर्ग कि०मी० एवं गंगकोट–09 वर्ग कि०मी०) को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है, जिसकी ई–नीलामी की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2022–23 मे खनिजों से कुल ₹ 472.32 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 875 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन कुल ₹ 381.21 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु मुख्य खनिज के पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने का प्राविधान है जिसमें माह दिसम्बर, 2023 तक उक्त कोष मे ₹ 5,62,000.00 की धनराशि जमा हो चुकी है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के अनुसार खनिज अन्वेषण कार्यों में किया जाता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–15 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा उपखनिज की खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 का प्रख्यापन व उक्त अधिनियम की धारा–23 'C' के अन्तर्गत प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण) 2021 प्रख्यापित है।

प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) भारत सरकार के उपक्रम आई०टी०आई० लि० के माध्यम से विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन dgmappl.uk.gov.in से राज्य क्षेत्रान्तर्गत खनिजों के परिवहन में लाये जा रहे ई–रवन्ना प्रपत्रों का सत्यापन हेतु eRawanna check application विकसित किया गया है। खनन प्रशासन कार्य कलापों के अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 हेतु विजन तथा रणनीति का विवरण:–वर्ष 2026–27 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 1500 करोड़ होने का अनुमान है तथा खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यों एवं अवैध खनन भण्डारण, परिवहन के 6000 प्रकरणों के निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–9 बी के अन्तर्गत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित है, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) भी सम्मिलित हैं। राज्य के प्रत्येक जनपदों में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की स्थापना की गयी है जिसमें उपखनिजो की रॉयल्टी का 15 प्रतिशत, मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में जमा कराया जाता है जो जनपदों मे खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में उपयोग में लायी जाती है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान के रूप में माह नवम्बर, 2023 तक ₹ 384.08 करोड़ जमा हुआ है। जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 1882 योजनायें स्वीकृत की गई हैं और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग ₹ 26.64 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

अध्याय–17
श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास
Labour-Employment and Skill Development

17.1 सामान्य विवरण–श्रमः– सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.1.1 रोजगार की संरचनाः–जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है, जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करने हेतु विभागीय प्रयासों के सोपान में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तालिका 17.1
राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	386.00
2		अर्द्धकुशल	409.00
3		कुशल	431.00
4		अतिकुशल	470.00
5	कृषि नियोजन	अकुशल	302.00
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	409.00
7		अर्द्धकुशल	449.00
8		कुशल	499.00
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वालेस्थापन)	अकुशल	429.00
10		अर्द्धकुशल	472.00
11		कुशल	515.00

17.1.2 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) :– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) प्रारम्भ की गई है। असंगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजनों एवं कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹ 15,000/– है, अपना नामांकन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष हो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। श्रमिक द्वारा न्यूनतम ₹ 55 से अधिकतम ₹ 200 का मासिक नियमित

योगदान करने पर अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण होने के उपरांत न्यूनतम धनराशि रू0 3,000/–की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। इसमें पति एवं पत्नी दोनों द्वारा नामांकन कराया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी (पति/पत्नी) द्वारा नियमित योगदान करने पर योजना को जारी रखा जा सकता है।

17.1.3 ई–श्रम योजना:– ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ₹ 2 लाख की दुर्घटना सहायता राशि का प्रावधान है। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में इस डेटाबेस का उपयोग विभिन्न प्रकार की सहायता दिए जाने के लिए किया जा सकता है।

तालिका 17.2

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन एवं ई–श्रम योजना में पंजीकृत श्रमिकों का विवरण

जनपद	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन	ई–श्रम योजना में पंजीकृत कामगार
अल्मोड़ा	2486	197584
बागेश्वर	879	87382
चमोली	1899	124613
चम्पावत	2911	89652
देहरादून	6601	399412
हरिद्वार	6032	520355
नैनीताल	4545	278741
पौड़ी गढ़वाल	2694	175462
पिथौरागढ़	2941	129996
रूद्रप्रयाग	1066	79051
टिहरी गढ़वाल	2887	225720
ऊधमसिंह नगर	3528	575130
उत्तरकाशी	1097	121054
योग	**39,566**	**3004154**

17.1.4 औद्योगिक सम्बन्ध :– औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रदेश में श्रम विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान तथा समन्वय हेतु कार्यरत है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

श्रम बल

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून :–राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961,वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृका हितलाभ अधिनियम 1961तथा उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

17.1.5 विभागीय उपलब्धियां–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्य ऑनलाईन किये गए है।

- राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक माह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रैण्डम आधार किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 48 घण्टो के अन्तर्गत पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्राविधान है।

- संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत स्थापनों/ठेकेदारों में 20 से अधिक कर्मकारों के नियोजित होने पर पंजीयन एवं लाईसेंस की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए, उक्त संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार वाले स्थापनों/ठेकेदारों हेतु पंजीयन एवं लाईसेंस की बाध्यता समाप्त हो गयी है, जिससे व्यापार में सुगमता आयी है।

- राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

- प्रदेश में 3673 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 7.06 लाख श्रमिक नियोजित है।

- ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों का 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर 2023 तक 84 यूनियनों का पंजीकरण किया गया है।

- विभागीय वेबसाईट को "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल तथा भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

17.1.6 बिजनेस रिर्फाम एक्शन प्लान/ईज ऑफ डूईंग बिजनेस :–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों/वाणिज्यिक स्थापनों के निरीक्षण प्रतिमाह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रैंडम आधार पर सम्पादित किये जा रहे है।

- Ease of Doing Business (व्यापार के सरलीकरण) हेतु औचक निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाईन निरीक्षण व्यवस्था प्रचलित की गयी है।

- कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत

कारखानों में महिलाओं को राज्य में रात्रि–पाली (रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक) में कार्य करने की छूट प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाएं रोकने हेतु प्रावधान भी किए गए हैं, साथ ही साथ उन्हें आवागमन सुविधा, सुरक्षा गार्ड, के छोटे बच्चों हेतु क्रेच आदि की अनिवार्यता की गई है।

• सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागीय सेवाओं हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

• दुकानों/अधिष्ठानों को अनिवार्य साप्ताहिक बन्दी के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

• **उत्तराखंड में श्रम बल की स्थिति**

• भारत सरकार की PLFS रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में श्रम बल प्रतिभाग दर (LFPR) में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो वर्ष 2021-22 में 55.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 60.1 प्रतिशत हो गई।

• राज्य की महिलाओं में श्रम बल प्रतिभाग दर में सुधार देखा गया, जो वर्ष 2021-22 में 34.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 41.1 प्रतिशत हो गई। इस दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की श्रम बल प्रतिभाग दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि होकर 49 प्रतिशत तक पहुँच गई। वहीं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की श्रम बल प्रतिभाग दर पिछले वर्ष की तुलना में 3.1 प्रतिशत घटकर 18.2 प्रतिशत रही।

• शिक्षा – राज्य के गैर – शिक्षित वर्ग के 43.9 प्रतिशत व्यक्ति श्रम बल का हिस्सा हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 61.1 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 56.7 प्रतिशत गैर – शिक्षित व्यक्ति श्रम बल का हिस्सा हैं। प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तराखंड में लगभग 64.8 प्रतिशत व्यक्ति श्रम बल में हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 65.4 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 85.3 प्रतिशत है। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तराखंड में लगभग 62.5 प्रतिशत व्यक्ति श्रम बल मे है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 64.5 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 79.3 प्रतिशत स्नातक व्यक्ति हैं।

17.2 सेवायोजन (Employment):– रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारों के प्रतिशत को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय की सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 890338 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक 131 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जिनमें कुल 12351 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा इन मेलों के माध्यम से 2161 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.2.1 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (Employment Market Information Programme):- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की संख्या की संख्या 203810 है, वहीं निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 118799 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों की संख्या 3090 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 928 है।

17.2.2 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक 426 कैरियर वार्तायें आयोजित की गयी। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 22230 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

17.2.3 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive

Examinations) :- इस वर्ष 602 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

17.2.4 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services):- सेवायोजन विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं शैक्षिक योग्यता अपडेट किये जाने सम्बंधी सेवायें "अपणि सरकार" पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस आनलाइन पंजीयन कार्य से दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को Common Service Centre से विभागीय सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध है।

17.2.5 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन/स्वतः नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment):- सेवायोजन कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बेहतर रोजगार चुनने हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है।

17.2.6 योजनाओं की वित्तीय स्थिति:–

1–रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):- वर्ष 2023–24 में मतदेय मद में सेवायोजन कार्यालयों हेतु के सापेक्ष ₹ 810.86 लाख की धनराशि दिसम्बर, 2023 तक व्यय की गयी है।

2–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):– समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 08 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है। वर्ष 2023–24 में ₹ 72.71 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2023 तक व्यय की गयी है।

3–कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों में परामर्श कार्य:- उत्तराखण्ड के समस्त 22 सेवायोजन कार्यालयों/विश्वविद्यालय एवं मंत्रणा केन्द्रों को रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से विकसित कर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में ₹ 2.80 लाख की धनराशि दिसम्बर, 2023 तक व्यय की गयी है।

4–निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था:- इस योजना के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, हरिद्वार हेतु प्रतिभाशाली युवाओं को बैंक एसएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिये वर्ष 2023–24 में मतदेय पक्ष में ₹ 04.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

PLFS 2022-23

- राज्य की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की तुलना में 8.4 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई जो कि राज्य में बढ़ते रोजगार के अवसरों का सूचक है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी दर में कमी देखी गयी जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 में 9.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 4.6 प्रतिशत हो गई है.। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं की बेरोजगारी दर में थोड़ी वृद्धि देखी गयी जो पिछले वर्ष 3.1 प्रतिशत से इस वर्ष 4 प्रतिशत पहुँच गई। राज्य के शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों की बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 में 9.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 6.2 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 की तुलना में 16.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 10. 3 प्रतिशत हो गई।

ग्राफ 17.1

राज्य में श्रम बल की स्थिति

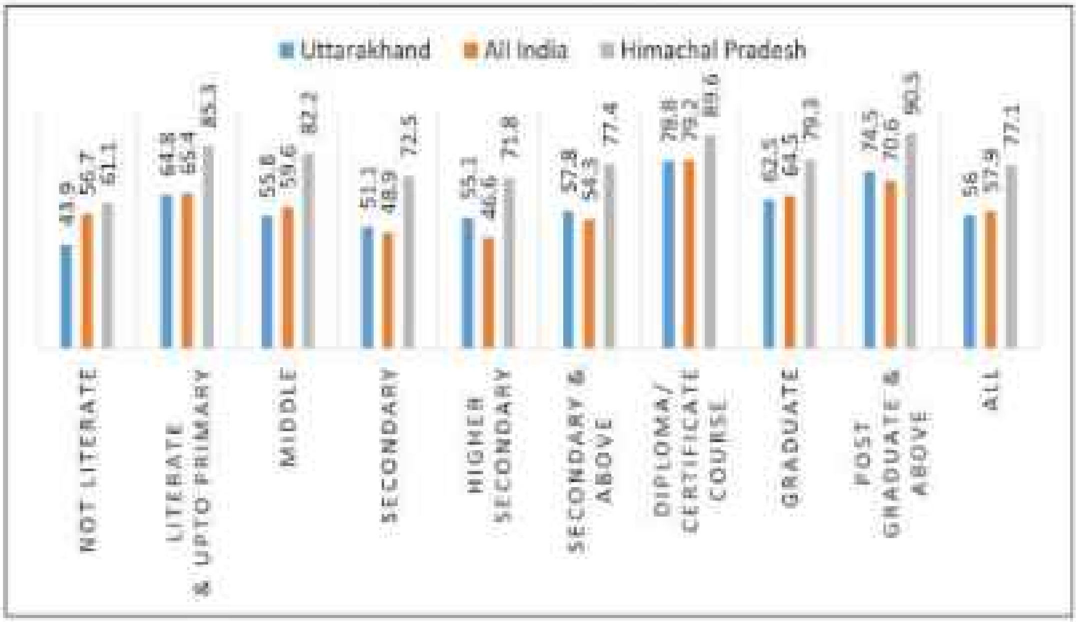

स्रोत: PLFS रिपोर्ट 2022-23 भारत सरकार

- शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के सन्दर्भ में PLFS रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शिक्षित वर्ग में अधिक बेरोजगारी देखी गयी (ग्राफ 17.2)। सभी शिक्षा वर्गों में परास्नातक और स्नातक व्यक्तियों के बाद डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र धारकों में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गयी।

ग्राफ 17.2

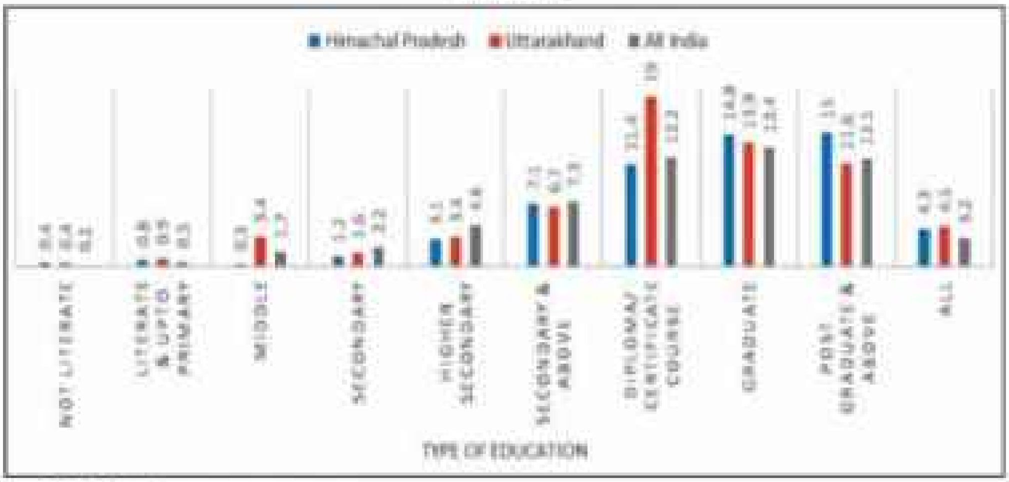

स्रोत: PLFS रिपोर्ट 2022-23 भारत सरकार

विशेष पहल

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, सहसपुर :– राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़े जाने के उद्देश्य से "विदेश रोजगार प्रकोष्ठ" सहसपुर में संचालित है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को विदेशों में भी उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु "भारत–जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम" के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु प्रथम बैच का जापानी भाषा में 33 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें से 15 युवाओं द्वारा जापानी भाषा (N4) दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है, जिनमें से 02 अभ्यर्थियों को जापान के वीबा प्रांत में नियोजक से जॉब इंटरव्यू के बाद इंटर्न के रूप में प्रतिमाह 2,00,000 येन जापानी मुद्रा का जॉब कॉन्ट्रेक्ट तीन वर्ष के लिये प्राप्त हुआ है। उक्त 02 अभ्यर्थियों का माह फरवरी, 2024 में जापान जाना प्रस्तावित है। शेष 13 अभ्यर्थियों का जॉब इंटरव्यू माह जनवरी, 2024 में होना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत नर्सिंग प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु जर्मनी एवं यू0के0 में रजिस्टर्ड नर्स/असिस्टेंट नर्स हेतु जर्मनी, की Genrise Global Staffing Private Limited एवं यू0के0 के लिए Envertiz Consultancy, 21, Twin Spires Business Park, कम्पनीयों के साथ एम0ओ0यू0 हुआ है।

5– रोजगार प्रयाग पोर्टल:– राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्थानीय निकायों/ स्वायत्तशासी संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करने किये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से आउटसोर्सिंग पोर्टल "रोजगार प्रयाग पोर्टल" विकसित किया गया है, जिसमें अद्यतिथि तक कुल 6770 युवाओं द्वारा अपना पंजीकरण किया गया है।

6–जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालय कालसी:- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है। वर्ष 2023–24 में ₹ 26.82 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2023 तक व्यय की जा चुकी है।

17.3 कौशल विकास एवं सेवायोजन (प्रशिक्षण प्रखण्ड):–

17.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission)

पलायन को रोकने मे कौशल विकास की अति महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभागों को सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 2018 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन किया गया। युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में, स्वरोजगार के अवसर सृजित कर राज्य के आर्थिक सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में मिशन द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पूरक के रूप में राज्य सरकार पोषित रोजगार एवं कौशल विकास योजना तथा विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपदवार चार्ट निम्नवत् है:–

चार्ट संख्या 17.3

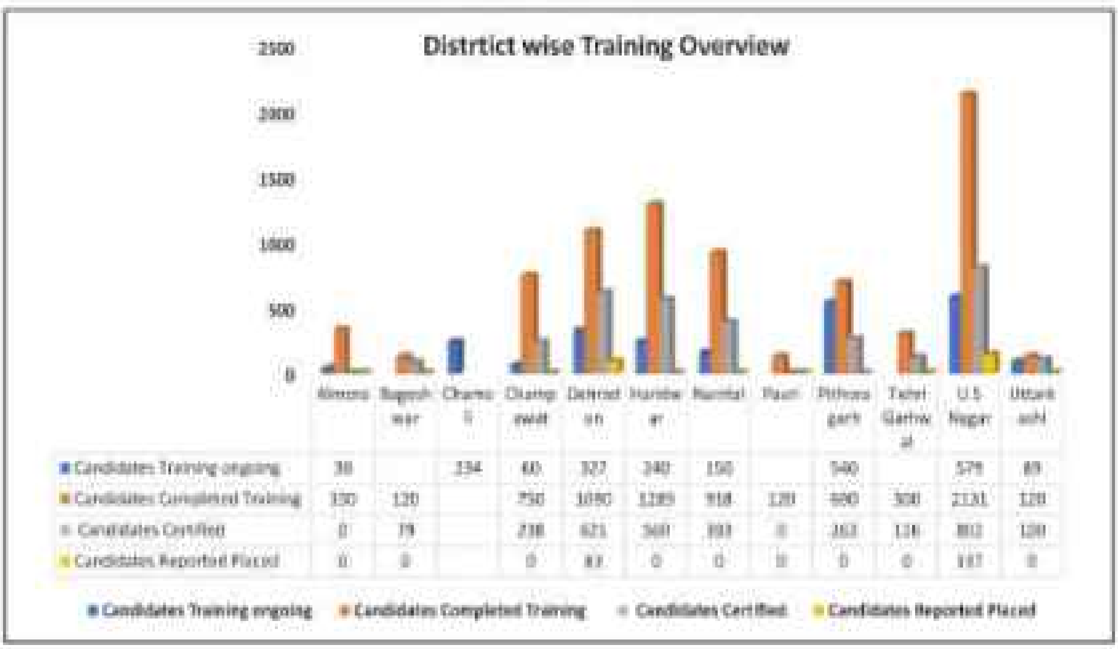

17.3.2 विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2020 से प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत मार्च 2023 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु कोविड महामारी के दृष्टिगत परियोजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 36,868 अभ्यर्थियों को

17.3.2 विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2020 से प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत मार्च 2023 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु कोविड महामारी के दृष्टिगत परियोजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 36,868 अभ्यर्थियों को विभिन्न जॉबरोल में पंजीकृत किया जा चुका है, पंजीकृत युवाओं के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 32,494 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है। उक्त में से 8306 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा शेष प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में 3,670 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

17.3.3 राज्य पोषित मुख्यमंत्री रोजागर एवं कौशल विकास योजना :–राज्य के युवाओं को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगारपरक जॉबरोल्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने हेतु रोजगार एवं कौशल विकास योजना जैसी

चार्ट संख्या 17.4

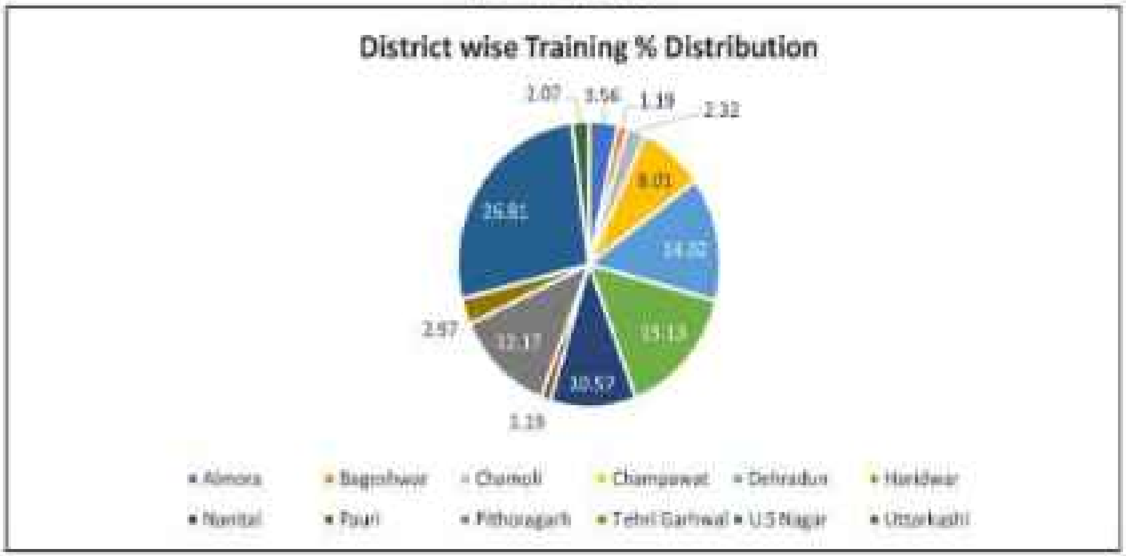

Domain Expert के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण रोजगार/स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण तथा उत्तराखण्ड की विशेषता तथा मूल क्षमता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो का उन्मुखीकरण करते हुए जैविक कृषि, पर्यटन (होम स्टे) से जुड़े विभिन्न विषय, औद्योनिकी पशुपालन, सोलर एनर्जी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। योजना के अन्तर्गत मिशन द्वारा निविदा के माध्यम से सैक्टर स्पेसिफिक इण्डस्ट्री एवं डोमेन एक्सपर्ट ऑन बोर्ड कर उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये। योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक 468 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित कर दिया गया है। वर्तमान में 770 युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। प्रमाणित युवाओं को सेवायोजित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

17.3.4 स्किल प्रतियोगिता:- उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से स्किल प्रतियोगिता- इण्डिया स्किल्स 2024 के अर्न्तगत विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिशन द्वारा 16 फरवरी 2023 को 6 ट्रेडों (सी0एन0सी0 टर्निंग, सी0एन0सी0 मिलिंग, रेस्तरा सर्विस, होटल रिसेप्शन, बेकरी, कुकिंग) के लिए भौतिक/तकनीकी मूल्यांकन का पहला दौर सफलतपूर्वक सम्पन्न कराया गया। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न जिलों से कुल 288 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 42 को तकनीकी दौर के लिए चयनित हुए। इन उम्मीदवारों को पहले चरण में चयन हेतु उनके सम्बन्धित ट्रेडो के लिए ऑनलाइन एम0सी0क्यू0 के माध्यम से जांचा गया था। इसके बाद प्रतिष्ठित शैक्षणिक और तकनीकी भागीदारों के सहयोग से क्वालीफायर को तकनीकी/भौतिक दौर में लाया गया। प्रत्येक ट्रेड से शीर्ष दो प्रदर्शनकर्ताओं को राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हेतु चयनित किया गया।

यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में जिला स्तर पर आयोजित की गई जिसके विजेताओं द्वारा देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण

युवाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री की बातचीत

17.3.5 युवा एवं रोजगार सम्मेलन का उद्देश्य :- दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को उत्तराखण्ड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम को परेड ग्राउण्ड, देहरादून किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है तथा सार्वजनिक सत्र, सैक्टोरल सत्र, प्रदर्शनी का आयोजन कर राज्य में युवाओं हेतु विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जा रही रोजगार एवं स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी पहुँचाना तथा युवाओं द्वारा अपनी अभिरुची एवं योग्यता के आधार पर योजनाओं का चयन कर टूरिज्म, नर्सिंग, आई0टी0, कृषि एवं औद्योनिकी, आई0टी0 आई0/पॉलिटेक्निक/अप्रेन्टिशिप, एवं विभिन्न स्वरोजगार से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ/संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाता को आमंत्रित कर वर्कशॉप आयोजित की गई। सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को इन क्षेत्रों से जुडी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर इच्छुक युवाओं द्वारा योजनाओं हेतु पंजीयन भी कराया गया।

ग्रामीण एवं शहरीविकास

अध्याय–18
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र व राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, रिवर्स पलायन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:–

18.1 केन्द्र पोषित योजनायें

18.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर उन्हें सतत आजीविका संवर्द्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिर्भर बनाना है।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 65358 स्वयं सहायता समूह की 505012 गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 6744 ग्राम संगठन तथा 417 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 50240 समूहों को अब तक कुल ₹ 5903. 27 लाख परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 61831 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 32589 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में ₹ 20470.25 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए ₹129.69 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 30000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है तथा कुल ₹ 300 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष **दिसम्बर, 2023** तक कुल 19853 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 211.35 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत दिसम्बर 2023 तक जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से है:–

तालिका–18.1
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाख में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	2400	1120	2400	1165
बागेश्वर	1100	806	1100	1101
चमोली	2300	1525	2300	1472
चम्पावत	1600	973	1600	961
देहरादून	2100	1685	2100	2370

हरिद्वार	*2700*	1043	2700	1298
नैनीताल	*2400*	1556	2400	1735
पौड़ी	*3700*	2173	3700	2269
पिथौरागढ़	*2100*	1752	2100	1783
रूद्रप्रयाग	*1150*	957	1150	780
टिहरी	*2150*	2192	2150	2207
ऊधमसिंह नगर	*4200*	2414	4200	1972
उत्तरकाशी	*2100*	1657	2100	2022
कुल योग	**30000**	**19853**	**30000**	**21135**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक लक्ष्य के सापेक्ष 66.2 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 70.5 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है।

18.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– भारत सरकार की इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2024 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। माह दिसम्बर, 2023 तक 20649 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर 15765 अभ्यर्थियों को रोजगार में स्थापित किया गया तथा 10556 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह या उससे अधिक का रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

18.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

योजना अन्तर्गत राज्य हेतु द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से 2023–24 में 58456 का लक्ष्य प्राप्त है एवं आवास प्लस सूची में 57481 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56750 आवासों को स्वीकृत करते हुए 31232 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु माह अगस्त, 2023 में 24227 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष राज्य में आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध 23368 के सापेक्ष 22637 आवासों को आवास आवंटित करते हुए 20167 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है तथा 301 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल उपलब्ध धनराशि 32919.45 लाख में से 24963.97 लाख का व्यय माह दिसम्बर, 2023 तक किया गया है।

अभिनव प्रयास

- पीएम–जनमन के तहत पात्र पाये गये पीवीटीजी (राजी एवं बुक्सा) को पीएमएवाई–जी के तहत बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत किचन सामग्री/बर्तन आदि की खरीद हेतु रू0 6000/– की अतिरिक्त सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

पीवीटीजी (Particularly vulnerable Tribal Groups)

18.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MGNREGA):–ग्रामीणों को

स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 399.03 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में ₹ 29.85 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष ₹ 423.08 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 6506 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 139.48 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 10.37 लाख परिवारों को **जॉब कार्ड** जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 7.94 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022–23 में माह मार्च, 2023 तक प्रति परिवार औसत लगभग 41.2 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

ग्राफ 18.1
मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार सृजित मानव दिवस का विवरण

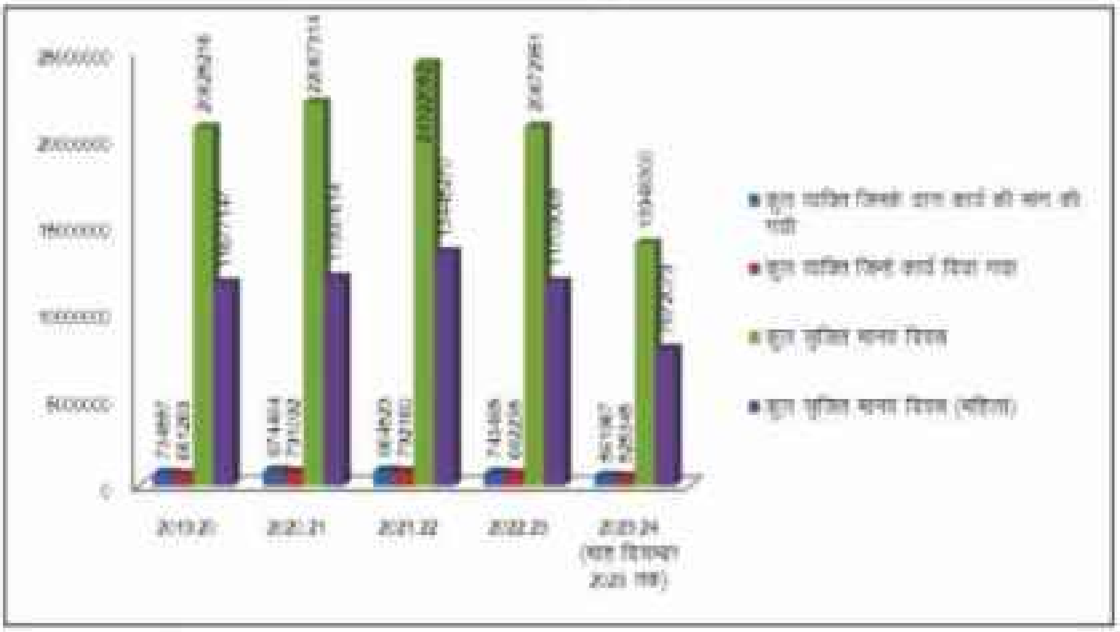

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त ग्राफ 18.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 माह दिसम्बर, 2023 में कुल 4753785 व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया का प्रतिशत क्रमशः 90 प्रतिशत, 90.46 प्रतिशत, 91.63 प्रतिशत, 91.76 प्रतिशत तथा 90.27 प्रतिशत रहा। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्ष 2019–20 से माह दिसम्बर, 2023 तक 55 प्रतिशत से अधिक रहा जो सराहनीय है।

तालिका 18.2
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्रम संख्या	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार	बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिंचाई कार्य		
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019-20	1524	1882.82	3808	6541.69	8725	17290.54	3694	6000.80
2	2020-21	1207	3030.59	2345	6445.65	7437	19193.56	3042	6174.70
3	2021-22	1907	2997.51	2490	5858.97	9003	20467.77	2844	6252.14
4	2022-23	4115	3311.49	6261	8675.02	25527	29398.22	8367	8071.02
5	2023-24 माह दिसम्बर, 2023 तक	3007	2371.60	2833	4449.72	14343	15396.92	3977	4807.31

क्रम संख्या	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतों का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2019-20	770	975.85	3280	6583.59	1899	619.46
2	2020-21	589	865.10	3336	8302.64	1049	360.34
3	2021-22	509	845.22	3755	8609.55	1130	289.95
4	2022-23	1306	1676.76	9277	13615.35	1472	248.45
5	2023-24 माह दिसम्बर, 2023 तक	584	964.99	4839	7270.87	644	107.92

क्रम संख्या	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतों का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2019-20	4534	7344.93	17263	5693.17	42	18.96
2	2020-21	4648	8837.79	8041	4597.48	11	7.83
3	2021-22	5709	8018.77	8898	7212.33	246	1539.67
4	2022-23	12422	13052.67	33897	11485.99	661	2427.19
5	2023-24 माह दिसम्बर, 2023 तक	6384	6548.03	22991	8401.99	490	1398.81

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका–18.2 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में क्रमशः 45539, 31705, 36291 एवं 103305 कार्य पूर्ण किये गये तथा 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में क्रमशः 52951.8 लाख, ₹57815.68 लाख, ₹ 62091.88 लाख एवं ₹ 91964.16 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2023–24 दिसम्बर, 2023 तक 60092 कार्य पूर्ण किये गये तथा ₹ 51718.16 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अभिनव प्रयोग

अमृत सरोवर : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जल संरक्षण के साथ–साथ जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से पूरे देश में प्रत्येक जनपद हेतु 75 सरोवर के निर्माण / पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कुल लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1983 अमृत सरोवर स्थल चिह्नित किये गये। माह दिसम्बर 2023 तक चिह्नित स्थलों में से 1380 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 1282 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं। इन सरोवरों में 5743.11 लाख लीटर जल संग्रह किया जा रहा है। इन सरोवरों का निर्माण ग्राम्य विकास, वन विभाग और अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। राज्य द्वारा अभिनव पहल करते हुए जल संरक्षण के साथ इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने हेतु 370 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन से जोड़ने हेतु मत्स्य पालक ग्रुप बनाये गए हैं।

18.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंयोजित गांवों को बारहमासी रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर, 2023 तक कुल 3940 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

ग्राफ–18.2
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय धनराशि का विवरण

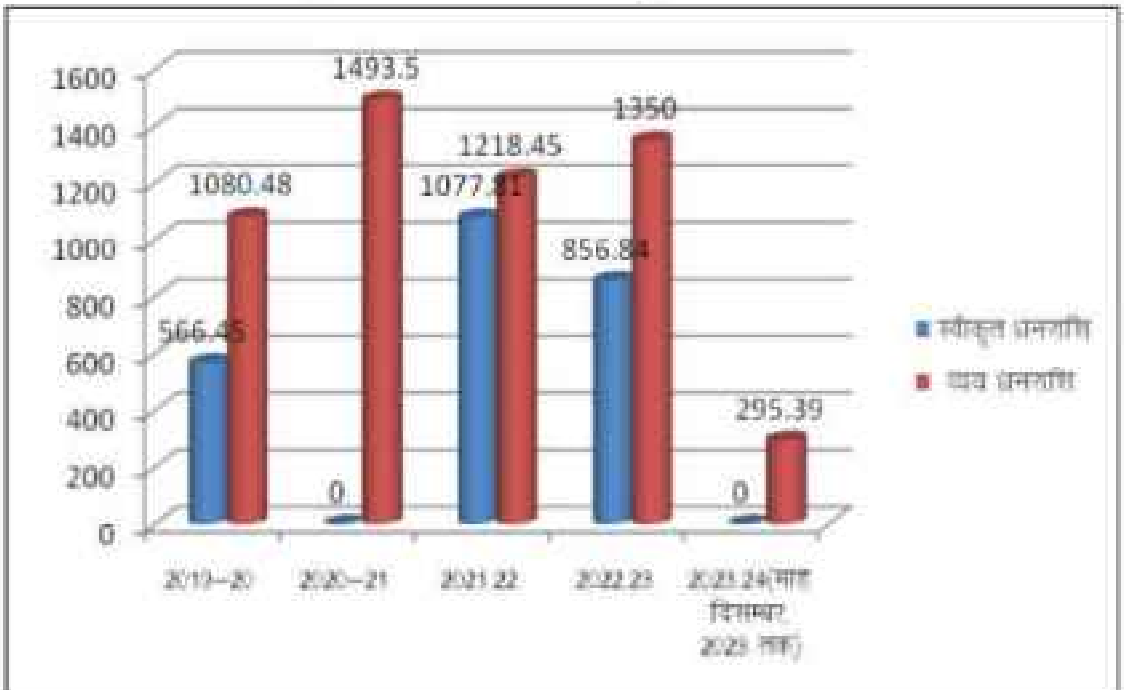

नोट– व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है।

ग्राफ–18.3
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वर्षवार जोड़े गये बसावटों की संख्या

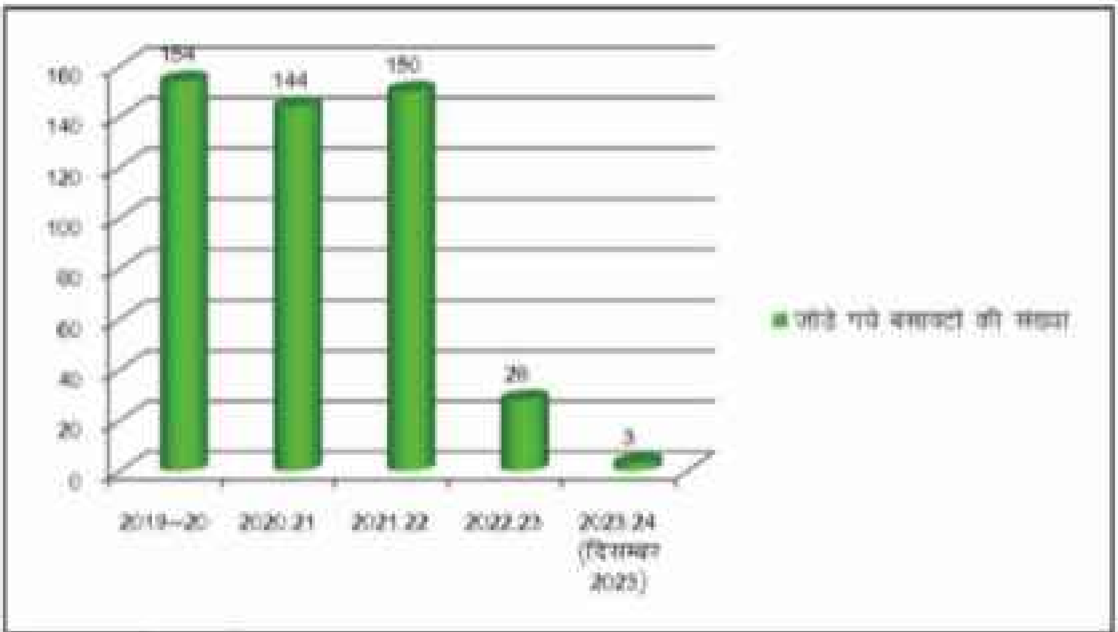

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना–

ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से विभिन्न चरणों में ग्राम पंचायत का चयन किया है, जिसका विवरण तालिका 18.3 में दिया गया है–

तालिका 18.3
माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं0	मा0 सांसद का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
चरण– 4 (वर्ष 2019–20)					
1.	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	जंगलियागाँव	भीमताल	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	सिरतोली	थलीसैंण	पौड़ी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सुनौली	ताकुला	अल्मोड़ा
4	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	क्यारा	रायपुर	देहरादून

5	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	औरंगाबाद	हरिद्वार	हरिद्वार
चरण– 5 (वर्ष 2020–21)					
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	देवीधुरा	भीमताल	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बेराई	फकोट	टिहरी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोशनी	पाटी	चम्पावत
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	दौलतपुर	रूड़की	हरिद्वार
चरण– 6 (वर्ष 2021–22)					
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	विजयपुर	हल्द्वानी	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	स्यूर बांगर	जखोली	रूद्रप्रयाग
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोगना	विण	पिथौरागढ़
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खदरीखड़कमाफ	डोईवाला	देहरादून
चरण– 7 (वर्ष 2022–23)					
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बड़ागांव	जोशीमठ	चमोली
2	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	मजकोट	गरूड़	बागेश्वर
3	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	मारखमग्राण्ट	डोईवाला	देहरादून
4	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	विजयनगर	गदरपुर	ऊधमसिंह नगर
5	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	जीवनवाला	डोईवाला	देहरादून
6	डॉ0 कल्पना सैनी	राज्य सभा	दल्लावाला	खानपुर	हरिद्वार
चरण– 8 (वर्ष 2023–24)					
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	मल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	तल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
3	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	पटेरी	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
4	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	हरिपुरकला	डोईवाला	देहरादून

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.7 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–

देश की उत्तरी सीमा (भारत–चीन) में अवस्थित सीमावर्ती गावों को विकसित जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट मे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड के उत्तरी सीमावर्ती गांव शामिल किये गये हैं, जिनमें जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ के कुल 51 गावों का चयन किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	वी0वी0पी0 गावों की संख्या
1	पिथौरागढ	मुन्स्यारी,	8
		धारचूला	17
		कनालीछीना	2
		पिथौरागढ – कुल गांव	**27**
2	चमोली	जोशीमठ	14
3	उत्तरकाशी	भटवाडी	10
कुल वी0वी0पी0 गांव			**51**

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत वी0वी0पी0 एम0आई0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव, गृहमंत्रालय, भारत सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं।

House of Himalayas Brand

दिनांक 08 दिसम्बर 2023 को आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग /पैकेजिंग /ब्राडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रान्ड के रूप में House of Himalayas का लोकापर्ण किया गया। लोकापर्ण के पश्चात् राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा House of Himalayas से जुडने हेतु उत्साह दिखाया है।

प्रथम चरण में मिलेटस, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमैटिक एण्ड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपण, पिछौड़ा को shortlist किया गया है। राज्य के सभी जी0आई0 प्रोडक्टस को हाउस ऑफ हिमालया ब्रान्ड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। Implementation & Marketing तथा Wordmark & Device Trademark पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में स्थापित प्रोसेसिंग / ग्रोथ सेन्टर का गुणवत्ता मूल्यांकन करने के उपरान्त प्रथम चरण में House of Himalayas के एक–एक प्रोसेसिंग /ग्रोथ सेन्टर गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही। House of Himalayas की वेबसाइट तैयार की जा रही है।

18.2 राज्य पोषित योजनायें

18.2.1 मेरा गांव मेरी सडक योजना –

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 3614.76 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 3168.38 लाख व्यय किया गया तथा ₹ 446.38 लाख की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास को वापिस कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1217.98 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 1045.20 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 157 सड़कों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 70 सड़कें लम्बाई 66.5 कि०मी० निर्मित की गई एवं 80 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है तथा 7 सड़कों का कार्य अभी अनारम्भ है।

18.2.2 इन्दिरा अम्मा भोजनालय– राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 68.60 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 49.73 लाख व्यय किया गया। 775338 व्यक्तियों द्वारा इन्दिरा अम्मा भोजनालयों में भोजन किया गया।

18.2.3 आइफैड द्वारा वित्त पोषित "ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)" के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के अन्तर्गत क्रमशः 50,000 SHGs एवं 10,000 उत्पादक समूहों अर्थात कुल 60,000 समूहों तथा 601 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्धि करने का उद्देश्य है।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत गठित 157 आजीविका संघ को बिजनेस सहयोग हेतु ₹ 3.17 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।
- कृषि क्षेत्र में महिला कार्य बोझ कम करने हेतु आधुनिक कृषि उपकरण (फार्म मशीनरी बैंक) 67 CLF स्तर पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत दिलाये गये जिसमें ₹ 5.36 करोड़ भारत सरकार से अनुदान तथा ₹ 1 करोड़ की धनराशि रीप परियोजना अंतर्गत प्रदान की गई।
- 6053 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 5803 परिवारों के एकीकृत आजीविका सुधार योजना तैयार करवाकर ₹ 35,000.00 प्रति परिवार की दर से बिना ब्याज के ऋण के रूप में ₹ 20.31 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।
- परियोजना क्षेत्र हेतु 25 Value Chains को चिन्हित किया गया है। जिसमें से 6 Value Chains (1. मिलेट वैल्यू चैन 2. अदरक वैल्यू चैन 3. आलू वैल्यू चैन 4. मटर वैल्यू चैन 5. दालों की वैल्यू चैन 6. Red Rice Value Chain) का Detailed Survey व Analysis किया जा चुका है। उक्त 6 Value Chains के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार स्तर से शासनादेश निर्गत किए गए हैं।
- परियोजना अंतर्गत 54514 परिवारों को चिन्हित कर शेयर धनराशि ₹ 500 प्रति परिवार की दर शेयर अंश के रूप में ₹ 5.45 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।
- परियोजना अन्तर्गत 1102 व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापित किये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त किये जा चुके हैं।

योजनान्तर्गत व्यय– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 471.20 करोड़ की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक रू0 227.69 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, अवशेष धनराशि शीघ्र ही व्यय की जायेगी।

18.2.4 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं

21–22 हेतु स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष जनपदों को क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ एवं ₹ 20.07 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ एवं ₹ 15.76 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये 116 एवं 84 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह, दिसम्बर, 2023 तक ₹ 12.01 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 55 कार्य पूर्ण किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 20.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

18.2.5 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारपरक/ कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदों हेतु ₹ 25.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष जनपदों को ₹ 25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष ₹ 12.25 करोड़ व्यय कर कुल 428 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 25.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

18.2.6 रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर– योजना का क्रियान्वयन राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 से किया जा रहा है। राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करने तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना साथ ही राज्य के निवासियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भ से अंत तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक 9142 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 2140 अभ्यर्थियों को चयन कर इन्क्यूबेशन हेतु onboard करते हुये 2000 से अधिक इन्क्यूबेटीज को व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 45 मेंटर्स तथा 55 बिजनेस पार्टनर्स चिन्हित किये गये है। हब तथा स्पोक मॉडल के तहत राज्य के सभी जनपदों (जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा को छोड़कर) में आर0बी0आई0 के स्पोक स्थापित किये गये हैं।

> राज्य मे वर्ष 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाये जाने लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 68569 लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं

मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरणः–

- योजनान्तर्गत श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण न ही अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है और न ही कार्मिकों को समय पर मानदेय दिया जा रहा है और न ही सामग्री मद का भुगतान समय पर हो रहा है जिस कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- योजनान्तर्गत अधिकांश क्रियाकलाप यथा– मस्टररोल जारी करना, National Mobile Monitoring System, जियोटैगिंग आदि नेटवर्क आधारित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के विकास खण्ड क्रमशः स्याल्दे, दुगड्डा, कालसी, मोरी, कपकोट एवं धारचूला को आकांक्षी विकास खण्ड चयनित किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित आकांक्षी विकास खण्ड जनपद चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, एवं रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड क्रमशः चम्पावत, धौलादेवी, ओखलकांडा, जाखणीधार, बीरोंखाल एवं अगस्त्यमुनी हैं।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु एक रिपोर्ट अगस्त, 2023 को प्रकाशित की गई है। उक्त रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं।

- राज्य के सभी जनपदों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन का प्रभाव अधिक है। राज्य में स्थायी पलायन का सबसे कम प्रभाव जनपद ऊधमसिंह नगर में हुआ है जबकि अस्थायी पलायन में जनपद आठवें स्थान पर है।

- जनपद ऊधमसिंह नगर की कुल 191 ग्राम पंचायतों में 19,583 व्यक्तियों द्वारा विगत 4.5 सालों में अस्थायी पलायन किया गया, जिसमें सबसे अधिक विकास खण्ड खटीमा की 49 ग्राम पंचायतों में 5,192 व्यक्तियों तथा सबसे कम जसपुर विकास खण्ड के मात्र 18 ग्राम पंचायतों में 419 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पलायन किया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से नजदीकी कस्बों/शहरों की ओर रोजगार एवं मजदूरी हेतु अस्थायी पलायन का द्योतक है।

- जनपद ऊधमसिंह नगर में मात्र 02 ग्राम पंचायतों में 82 व्यक्तियों द्वारा विगत 4.5 सालों में स्थायी पलायन किया गया, जिसमें सबसे अधिक विकास खण्ड रूद्रपुर की 01 ग्राम पंचायत में 70 व्यक्तियों तथा सबसे कम विकास खण्ड काशीपुर के मात्र 01 ग्राम पंचायत मे 12 व्यक्तियों द्वारा स्थायी पलायन किया गया।

- जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से नजदीकी कस्बों/शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था में अभाव के कारण स्थायी पलायन किया जा रहा है।

- पलायन के गंतव्य वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य ग्राम पंचायतों से हो रहे अस्थायी पलायन के गंतव्य वार विश्लेषण कर सामने आये आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि जनपद के ग्राम पंचायतों से सबसे अधिक पलायन लगभग 38.27 प्रतिशत नजदीकी कस्बों एवं 23.34 प्रतिशत जनपद मुख्यालय में हुआ है।

- जनपद में पलायन की दिशा जनपद मुख्यालय एवं देश से बाहर अधिक है जबकि प्रथम सर्वेक्षण की अपेक्षा द्वितीय सर्वेक्षण हेतु पलायन के गन्तव्यों में नजदीकी कस्बों तथा जनपद मुख्यालय के पलायन में क्रमशः 10.79 प्रतिशत तथा 14.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात जनपद में लगभग 62 प्रतिशत पलायन जनपद के भीतर ही हुआ।

पंचायती राज

ग्राम सभा भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी द्वारा संचालित होता रहा है। वर्तमान में पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। इस प्रकार राज्य में पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

18.3 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

18.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान– इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। वर्ष 2022–23 में शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित इस योजना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में पुनर्गठित करते हुए प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित मदों को 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायतीराज से सम्बन्धित योजनाओं को शत–प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

- योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ऑनलाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यमों से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, पंचायतों में लागू योजनाओं, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सतत् प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹244.96 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 71.85 करोड़ आवंटित हुआ है। मदवार स्वीकृत धनराशि का विवरण तालिका 18.5 में दर्शित है।

तालिका 18.5

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत मदवार आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में) का विवरण

क्रम सं0	मद	आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	169-69
2	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	0-84
3	SATCOM या IP आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की सुविधा	2-43
4	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए(PI)	49-00
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई(PMU)	6-22
6	पंचायतों की ई–सक्षमता/स्वायत्ता	2-50
7	अन्य अवयव	6-00
8	आईईसी (Information Education and Communication) (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4-73
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3-55

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹ 244.96 करोड़ के सापेक्ष रू0 प्रथम किश्त के रूप में ₹ 71.85 करोड़ आवंटित हुआ है। उक्त आवंटन के सापेक्ष कुल ₹ 21.00 करोड़ का व्यय/उपभोग किया गया है।
- वर्ष 2023–24 के सापेक्ष जनपद, विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर "सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण" एवं "ग्राम पंचायत विकास योजना/क्षेत्र पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना निर्माण" विषयों पर दो दिवसीय ऑफ लाईन/भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है।
- उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत् जनपद स्तर पर "सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण" एवं "ग्राम पंचायत विकास योजना/क्षेत्र पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना निर्माण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण किया जा चुका है।
- विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चम्पावत व टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर में D.P.R.C. निर्मित किये जा चुके हैं, **राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC)**– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है ।

- विकास खण्डों में ब्लॉक कॉर्डिनेटर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की गयी है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाने हेतु राज्य के 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है, वर्तमान में 74 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा चुकी है।

18.3.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं।।

ग्राफ 18.4

वर्ष 2023–24 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु आवंटित धनराशि (₹ लाख में) का वितरण

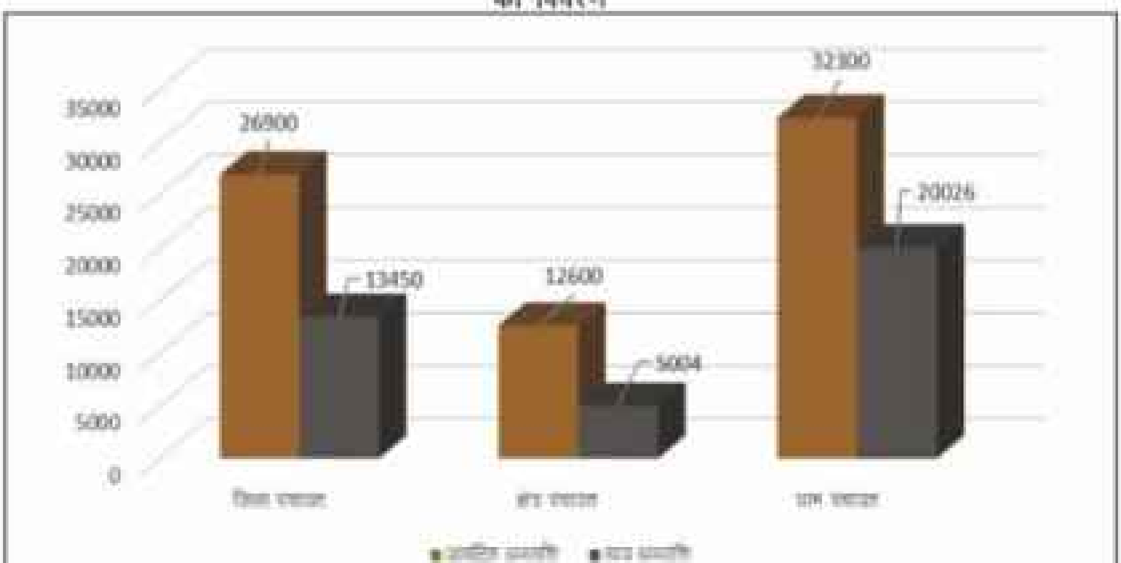

स्रोत: पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

18.3.3 15वाँ वित्त आयोग:– (वर्ष 2020–21 से 2025–26)

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए ₹ 445.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 222.05 करोड़ कि धनराशि आवंटित की गयी है

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (40 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान (टाईड फण्ड) (60 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **मूल अनुदान (Untied Fund)**– मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।

आबद्ध अनुदान (Tied Fund)– टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने तथा (2) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेंगे।

18.3.4 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठकें आहूत करते हुए योजनाएँ प्लान प्लस पर अपलोड कर दी गयी है।

18.3.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता, तकनीकी का उपयोग एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं।

➢ **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल– इस पोर्टल के अन्तर्गत निम्न 03 एप्लीकेशन्स को सम्मिलित किया गया है**

1. **प्रिया साफ्ट:**– ई–पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स एकॉउण्टिग सॉफ्टवेयर्स विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का आवंटन एवं भुगतान करना है।

2. **प्लान प्लस:**– इसका उद्देश्य नियोजन का विकेन्द्रीकरण करना तथा जिला स्तर पर सैक्टर वार योजनाओं के निर्माण को सरल बनाना है।

3. **एक्शन–सॉफ्ट:**– इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों व लाईन विभागों द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अन्तर्गत करवाएं जा रहे कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आंकड़े रखे जाते है तथा इनका अनुश्रवण किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न एप्लीकेशन्स लागू हैं:

➢ **एल.जी.डी.:**– लोकल गर्वनमैन्ट डायरेक्टरी का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतो की राजस्व प्राप्तियों को आनलाईन करना है।

➢ **एरिया प्रोफाईलर:**– इसका उद्देश्य स्थानीय शासन को जनसांख्यिकीय लोक अवस्थापना, निर्वाचन एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूचना को व्यवस्थित करना है।

➢ **नैशनल एसेट डायरेक्टरी:**– इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित/संग्रहित/अनुरक्षित सम्पत्तियों का ब्यौरा रखना है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर पालिका आदि की परिसम्पत्तियों का भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्यौरा संरक्षित किया जाता है।

➢ **सर्विस प्लस:**– इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक ही पोर्टल में संग्रहित करना है। इस पोर्टल पर व्यापार अनुज्ञापत्र, निर्माण

कार्य, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य उपभोक्ता उपयोगी सेवाएं अवस्थित है, जिनका उपयोग साधारण जनमानस द्वारा किया जा सकता है।

➢ **सोशल ऑडिट एण्ड मीटिंग मैनेजमेण्ट:–** सामाजिक लेखा परीक्षा एवं अधिवेशन प्रबन्ध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का सामाजिक ऑडिट करना है।

➢ **नेशनल पंचायत पोर्टल:–** राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल समस्त पंचायत वेबसाइट के समूह का नाम है जिसका कार्य सम्पूर्ण भारत की पंचायतों जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्यों के पंचायती राज विभागों हेतु वेबसाइट/आंकड़े बनाना है।

➢ **ट्रैनिंग मैनेजमेण्ट पोर्टल:–** इस पोर्टल का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मंच उपलब्ध करवाना है।

➢ **जी. आई. एस. :–** इसके अर्न्तगत उपरोक्त समस्त सॉफ्टवेयर्स में संग्रहित/संरक्षित डाटा/सूचनाओं को एक लेयर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विकसित किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में राज्य वित्त की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

18.3.6 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

संविधान का अनुच्छेद 243जी में राज्यों को अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे ताकि कि वे ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्वसंस्थानों के रूप में कार्य कर सकें।

पंचायत स्कीम का प्रोत्साहन संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है। इस योजना के तहत, विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों / विषयों के तहत उनके कार्य–निष्पादन को पहचान देने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य–निष्पादन करने वाली पंचायतों को 'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार' दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आम तौर पर 24 अप्रैल को दिया जाता है, इस दिन को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 9 विषयों (पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित) के तहत ब्लॉक, जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बहु–स्तरीय पिरामिड प्रतियोगिता होगी। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (अप) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी गांव। इन विषयों के तहत पंचायतो को सतत विकास लक्ष्यो की प्राप्ति में उनके कार्य–निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2024 के लिए, ग्राम पंचायतों का चयन पंचायत विकास सूचकांक (पी0डी0आई0) संकेतकों के आधार पर किया जाएगा और पुरस्कारों के लिए आवेदन और मूल्यांकन के लिए कोई अलग प्रश्नावलियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इनमें से कुछ

संकेतकों के लिए डाटा केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न डैशबोर्ड/पोर्टल/एम0आई0एस0 से ऑनलाइन माध्यम से पी डी आई पोर्टल पर स्वतः स्थानान्तरित (Auto Port) हो जाएगा और शेष संकेतकों के लिए डेटा को पी0डी0आई0 पोर्टल (http://pdi.gov.in) पर ग्राम पंचायतों द्वारा मैनूअल रूप से दर्ज करना होगा। पी डी आई पोर्टल से यह डाटा पुरस्कार चयन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर स्वतः पोर्ट हो जाएगा। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

पंचायत विकास सूचकांक

ग्राम पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य से पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) तैयार किये गये हैं, जिसमें राज्यों के साथ बेसलाईन रिपोर्ट तैयार करने और विकास सूचकांक की समुचित गणना के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 09 थीम्स, 144 स्थानीय लक्ष्यों तथा 688 डाटा बिन्दुओं के आधार पर 577 स्थानीय संकेतक सुझाये गये हैं। इन संकेतकों के आधार पर भविष्य में पंचायतीराज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत दिये गये अधिदेशानुसार समस्त विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की रैंकिंग भी की जानी है। इस प्रकार यह सूचकांक भविष्य में पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद की विकासात्मक रैंकिंग का आधार बनेगा।

अध्याय–19
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

19.1 सामान्य विवरण : राज्य सरकार द्वारा "सतत विकास लक्ष्य 2030" के अर्न्तगत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्कों की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

वर्तमान में राज्य के स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 19.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2023/ वर्तमान
1	शहरी स्थानीय निकाय	63	72	102
1.1	नगर निगम	01	06	09
1.2	नगर पालिका परिषद	31	28	44
1.3	नगर पंचायत	31	38	49
1.4	छावनी परिषद	09	09	09
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	36.30
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	अन्य आवास एवं विकास परिषद् आदि की संख्या	01	01	01

तालिका 19.2

स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	जनसंख्या	स्थानीय निकाय तथा सेंसस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)
2018 (जनगणना 2001 के अनुसार)	21.79 लाख (25.70%)	91
2022 (जनगणना 2011 के अनुसार)	36.30 लाख (34.19%)	102

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रूझान है।

शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ता दबाव

- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार गत 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों से पलायन कर कुल 17.10 लाख व्यक्ति राज्य के शहरी क्षेत्रों में आये। इतनी अधिक जनसंख्या के प्रवाह को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में केन्द्रपोषित, राज्यपोषित एवं वाह्य सहायतित योजनायें गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत डेवलपमेन्ट ऑफ स्मार्ट अरबन क्लैस्टर प्रोजेक्ट (DSUCP) को तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 44 नगर पालिका परिषद और 49 नगर पंचायतों सहित कुल 102 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 914.22 करोड़ धनराशि का प्राविधान किया गया है और दिसम्बर, 2023 तक इनके सापेक्ष ₹ 557.63 करोड़ का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 19.3
स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्त्रोत से	राज्य/ केन्द्र से प्राप्त	
1	2019-20	13,994.60	89,440.00	72,198.00
2	2020-21	13,600.00	1,31,785.10	73,802.40
3	2021-22	13,165.64	1,11,593.79	1,26,612.35
4	2022-23	16,717.98	1,12,601.99	1,10,192.01
5	2023-24 (प्रस्तावित)	17,553.88	1,30,593.00	1,25,924.85

चार्ट 19.1
स्थानीय निकायों के आय का वर्गीकरण

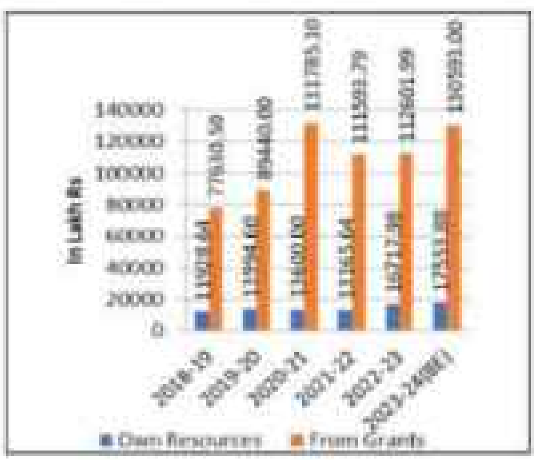

तालिका 19.3 एवं चार्ट 19.1 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय नाम मात्र है (वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 हेतु क्रमशः 10%, 15% एवं 14%)।
- गत 10 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक वृद्धि हुई है साथ ही राज्य / केन्द्र से प्राप्त धनराशि में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 तक स्वयं के स्रोतों से आय में गत वर्षों से अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में कोविड–19 के कारण निकायो की स्वयं के श्रोतों की आय में कमी दर्ज की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोविड–19 में सुधार के दृष्टिगत निकायों के स्वयं के श्रोतों से प्राप्त आय में वृद्धि होने की अपेक्षा है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2021–22 में कुल आय (राजस्व एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मिलित) के सापेक्ष कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय सम्मिलित) का प्रतिशत 67.32 है। चार्ट 19.2 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

चार्ट 19.2

वर्ष 2020–21 में नगरीय निकायों का कुल प्राप्ति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

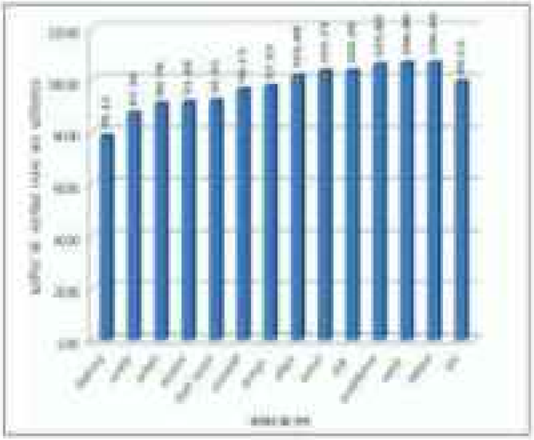

चार्ट से स्पष्ट है कि जनपद नैनीताल मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 106.45 है जो कि सबसे अधिक है तथा जनपद पिथौरागढ़ मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 78.12 है जो कि सबसे कम है। गत वर्ष का अवशेष अधिक होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत है।

चार्ट 19.3 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2021–22 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूँजी निर्माण पर ₹ 44184.66 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

चार्ट 19.3

नगरीय स्थानीय निकायों पर वर्ष 2021–22 में सकल पुंजी निर्माण पर व्यय (लाख ₹ में)

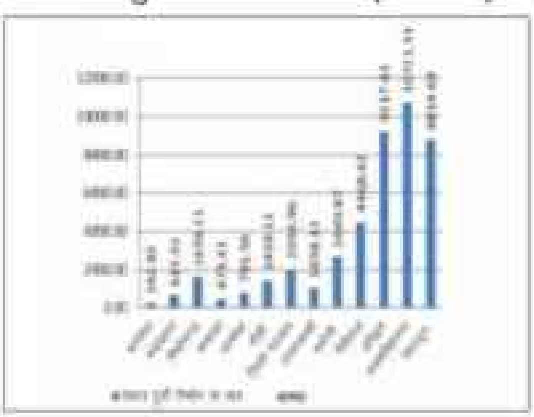

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद बागेश्वर में पूँजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद देहरादून में सबसे अधिक है।

शहरी विकास विभाग की उपलब्धियां

दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन– शहरी विकास अर्न्तगत दीन दयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0)के अर्न्तगत आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में Spark Ranking में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूरे भारत में **तृतीय** स्थान प्राप्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के अर्न्तगत देवप्रयाग नगर पंचायत में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अर्न्तगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली निकायों में नगर पंचायत श्रेणी में **तृतीय** स्थान प्राप्त किया।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)– योजनान्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून को 01 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में एवं नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती को 01 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा Clean City पुरूस्कार से सम्मानित किया गया।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023.24 में ₹ 65195.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसके

सापेक्ष दिसम्बर 2023 तक ₹ 40469.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसमें से ₹ 17988.00 लाख का उपयोग माह दिसम्बर, 2023 तक कर लिया गया है।

केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

19.2– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM) योजना का उद्देश्य :-

• शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

• शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।

• शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

• सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 750 लक्ष्य के सापेक्ष 527 महिला स्वयं सहायता समूहों व 23 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 22.60 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी तथा 5112 महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन किया गया।

• स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 750 लक्ष्य के सापेक्ष 660 लाभार्थियों को ₹ 937.96 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।

• शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 20885 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरुप 20885 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।

• प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फेरी व्यवसायियों के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 42573 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैंको द्वारा 32576 आवेदन पत्रों को ₹ 45.56 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है।

• कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 308 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष 180 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

• वर्ष 2023–24 में ₹ 1,000.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2023 तक ₹ 222.22 लाख का व्यय हुआ है।

19.3–स्वच्छ भारत मिशन

• "खुले में शौच" की प्रवृत्ति का उन्मूलन।

• मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।

• आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।

• स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।

• स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:-

• व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।

• सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों एवं यूरिनल का निर्माण।

• वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।

• सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता।

• निकायों का क्षमता सम्वर्द्धन।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि:– भारत सरकार द्वारा रु0 10,800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् रु0 1,200.00 कुल रु0 12,000.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (रु0 में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39,200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹ 58,800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान दिया जाता है।

1–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 27640 शौचालय के फोटो पोर्टल पर अद्यतन किये गये है।

2–सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2798 के सापेक्ष 2424 सीट के सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित किये गये हैं।

3–सार्वजनिक मूत्रालय के कुल लक्ष्य 1000 के सापेक्ष 725 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित किये गये हैं।

4–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

• Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid – Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।

• कुल 1152 वार्डों में से 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ तथा 1052 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

• ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 33,324.21 लाख की डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 89 निकायों हेतु गठित 62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी0पी0आर0 भारत सरकार से स्वीकृत व धनराशि प्राप्त।

• नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रूड़की कलस्टर जिस में मंगलौर, भगवानपुर, झबरेडा, पिरान कलियर निकाय सम्मिलित है के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।

• वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत ₹ 5,121.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष दिसम्बर 2023 तक ₹ 1,343.31 लाख अवमुक्त हुआ हैं, जिसका व्यय कर लिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 54. 72 करोड़ के सापेक्ष ₹ 33.16 करोड़ अवमुक्त हुए जिसमें से रु0 26.54 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है।

19.4–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Reduvenation and Urban Transformation, AMRUT 1.0):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर

पालिका परिषद् (नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थिति:-

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित जल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की मव्यता में वृद्धि करना।
- अमृत योजना 1.0 की कुल लागत ₹ 593.02 करोड़ के सापेक्ष कुल 151 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 591.02 करोड़ केंद्रांश व राज्यांश अवमुक्त किया जा चुका है तथा वर्तमान तक कुल 126 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रगति पर है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 2617 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 2,296.27 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसे व्यय कर लिया गया है। योजना प्रारम्भ से दिसम्बर 2023 तक अमृत योजना में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 59,102.00 लाख(केन्द्रांश एवं राज्यांश) के सापेक्ष ₹ 50649.00 लाख व्यय किया गया।
- योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 34 पूर्ण एवं 13 योजनायें पर कार्य प्रगति पर है।
- सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 39 योजनायें पूर्ण एवं 5 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 14 योजनायें पूर्ण एवं 2 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- Green Space में पार्क की कुल 44 योजनाओं के सापेक्ष 41 पूर्ण एवं 3 योजनाओं पर योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- अमृत उपयोजना के अंतर्गत 7 अमृत नगरों का जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.67 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.07 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0.71 करोड़ धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

अमृत 2.0— योजनान्तर्गत कुल ₹ 650.00 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की धनराशि प्राविधानित है है। ट्रेन्च-1 के अन्तर्गत 19 योजनाओं की स्वीकृत धनराशि ₹ 233.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 42.07 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश तथा ₹ 4.68 करोड़ राज्यांश इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 46.75 करोड़ की प्रथम किस्त (20 प्रतिशत) अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के सापेक्ष ₹ 22.44 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 तक व्यय कर दिये गए है। प्रथम किस्त 46.75 करोड़ के सापेक्ष 75 प्रतिशत व्यय होने पर ₹ 84.00 करोड़ की द्वितीय किस्त भारत सरकार से अवमुक्त की जायेगी।

जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 10 शहर तथा श्रेणी 03 के 13 शहर चयनित किये गये है। जिसके क्रम में प्रथम चरण हेतु ₹ 8.12 करोड़ अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 मे भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त हेतु (20 प्रतिशत) ₹ 1.60 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

19.5– प्रधानमंत्री आवास योजनाः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 दिसम्बर तक आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है–

1. निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन–सिटू पुनर्विकास– प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।

2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी Credit Linked Subsidy के माध्यम से EWS (30 वर्ग मी० आवास) तथा LIG (60 वर्ग मी० आवास) हेतु किफायती आवास के अर्न्तगत ₹ 6.00 लाख तक के ऋण पर 15 वर्षो तक 6.5 की दर से ब्याज अनुदान दिया जाना है।

3. निजी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership) प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहाँ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो। भागीदारी में किफायती आवास घटक अन्तर्गत 20 परियोजनायें 15960 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। जिनमें से 1344 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये है व शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

4. योजना अन्तर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अन्तर्गत EWS श्रेणी के लाभार्थियों को ₹ 1.50 लाख केन्द्रांश तथा ₹ 0.50 लाख राज्यांश के रूप में आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में घटक अन्तर्गत 316 परियोजनायें स्वीकृत है, जिसमें में 25760 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 8105 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 7640 आवास पूर्ण कर लिए गये है।

6. वर्ष 2023–24 में ₹ 19400.00 लाख का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2023 तक ₹ 4200.00 लाख का व्यय किया गया है।

19.6–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर के चयनित वार्डों के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1,000.00 करोड़ प्राविधानित हैं, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान मे परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्मार्ट स्कूल, वाटर ए०टी०एम०, स्मार्ट टायलेट, पेयजल आपूर्ति संवर्धन, परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्वार, पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट पोल, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, इलैक्ट्रिक बस, क्रैच बिल्डिंग कार्य पूर्ण कर लिए गए है। इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम,इंटीग्रेटेड सीवेरज,स्मार्ट रोड के कार्य संचालन गतिमान है जो कि 30 मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिए जाएगें। एक अन्य परियोजना ग्रीन बिल्डिंग का कार्य प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 73 सरकारी विभागों को स्थान्तरित किया जा रहा है एंव आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजना प्रारम्भ से जून 2024 तक कुल ₹ 1,000.00 करोड़ का बजट में प्रावधान है, जिसमें से ₹ 884.75 करोड स्मार्ट सीटी को अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 749.26 करोड़ (84.68 %) की धनराशि स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में खर्च कर दी गयी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 206.00 करोड़ का बजट प्राविधान है जिसमें से ₹ 147.00 करोड़ स्मार्ट

सिटी को अवमुक्त हुआ तथा ₹ 147.00 करोड़ का स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में व्यय किया गया।

स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अन्तर्गत फुटपाथों का निर्माण, रेलिंग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। CITIIS परियोजना का कार्य का 2 फेज में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्यालयों की संख्या 46 है एवं फेज–2 के अन्तर्गत 74 विद्यालयों को चयनित किया गया है। फेज–1 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फेज–2 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 23.00 करोड़ का बजट प्राविधान है

बाह्य सहायतित योजना

19.7– नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) का गठन वर्ष 2008 में शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया। संस्था के अन्तर्गत विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय अवस्थापना विकास कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विगत एक वर्ष में UUSDA द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत कुल ₹ 8469 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

- Uttarakhand Integrated & Resilient Urban Development Project (UIRUDP) एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित परियोजना को दिसम्बर 2021 में प्रारम्भ किया गया। जिसके माध्यम से देहरादून तथा नैनीताल नगर में ₹ 860.64 करोड़ की लागत से पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। परियोजना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 20,800.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 8,175.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं स्वीकृति के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 7,652.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना में ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 ऋण 4148-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 25346.68 लाख के प्रतिपूर्ति दावे ए0डी0बी0 को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसमें से ₹ 24840.96 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को दी जा चुकी है एवं शेष ₹ 505.72 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।
- UIRUDP परियोजना के द्वितीय चरण (UIRUDP-Additional Financing ऋण 4407-IND हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग ₹ 2,000 करोड़ की लागत से हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित है। DEA भारत सरकार, ए0डी0बी0 एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध दिनांक 13.12.2023 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में 05 सब प्रोजेक्ट्स में 04 सब प्रोजेक्टस हेतु पेयजल, सीवरेज , ड्रेनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य की निविदा आबन्टन किये जा चुके हैं। शीघ्र ही उक्त कार्यों को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 ₹ 16900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 374.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। तथा

स्वीकृति के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 369.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है जिसमें ठेकेदारों को (LOA) जारी किया जा चुका है एवं अनुबन्ध उपरान्त अनुबन्ध में उल्लिखित प्राविधान के अनुरूप 10% मोबिलाईजेशन एडवांस हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष ₹ 14900.00 लाख की मांग शासन से की गई है।

- Uttarakhand Livability Improvement Project- ULIP परियोजना हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग लगभग ₹ 2000 करोड़ की लागत से हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में पेयजल, बहुउद्देशीय भवन निर्माण, बरसाती जल प्रबन्धन एवं सड़क यातायात प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित है। उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध वर्ष 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स में 01 सब प्रोजेक्ट कोटद्वार पेयजल परियोजना हेतु कार्य आवंटन किया जा चुका है एवं 03 सब प्रोजेक्ट्स हेतु निविदा मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 10500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें ठेकेदारों को (LOA) जारी किया जा चुका है एवं अनुबन्ध उपरान्त अनुबन्ध में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप 10 प्रतिशत मोबिलाईजेशन एडवांस हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष ₹ 9000.00 लाख की मांग शासन से की गई है।

- Integrated Urban Infrastructure Development in Rishikesh (IUIDH) परियोजना हेतु लगभग ₹ 1445 करोड़ (फेज–1 ₹ 595 करोड़ एवं फेज–2 ₹ 850 करोड़) की लागत के अन्तर्गत यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफोर्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ऋषिकेश नगर परिक्षेत्र में उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एवं KFW के मध्य फेज–1 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2022 एवं फेज–2 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2023 किया गया है। उक्त परियोजना हेतु कंसल्टेंसी सर्विसेज (PMDSC) की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 में ₹ 1400.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

परियोजना के उद्देश्य व लाभ :-

आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई इन परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत अच्छे आमजन के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार, उचित कार्यों की स्थापना व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने, लैंगिक समानता को लागू करने, सतत शहरों और समुदायों को संगठित करने, व्यवस्थित जलवायु कार्यों, जल जैविकी को विकसित करने, भूमि पर जीवन विकास, गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2023–24 में ₹ 8543.40 लाख ₹ धनराशि प्राविधानित की गई है दिसम्बर, 2023 तक ₹ 1,355.90 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण:–

19.8–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 200.00 लाख का बजट के प्राविधान के क्रम में उक्त धनराशि देहरादून, रूड़की, ऋषिकेश, मुनिकीरेती–ढालवाला, नरेन्द्रनगर, डोईवाला, नन्दप्रयाग, सुल्तानपुर पट्टी तथा मूलरभोज को अवमुक्त की गयी है।

19.9–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development) - इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2023–24 में ₹ 5000.00 लाख का बजट में प्रावधान है, उक्त के क्रम में दिसम्बर, 2023 तक ₹ 525.936 लाख 08 नगर निकायों क्रमशः दिनेशपुर, बाजपुर, चम्पावत, खटीमा, केलाखेड़ा, बनबसा, गैरसैण तथा झबरेड़ा को अवमुक्त की गयी है।

19.10–श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस चार नगर निकायों देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित है तथा काशीपुर और रुद्रपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नगर निगम रुड़की, न0पा0 अल्मोड़ा में निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। वर्ष 2023–24 मे ₹ 300.00 लाख का बजट मे प्रावधान है, ₹ 5.06 लाख नगर निगम काशीपुर, रूद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार एवं नगर पालिका परिषद, विकासनगर को अवमुक्त किया गया। योजनान्तर्गत आतिथि तक कुल 64795 श्वान पशुओं का बध्याकरण कर लिया गया है।

19.11–रैन बसेरों का निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2023–24 में ₹ 100.00 लाख का बजट मे प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 निकायों क्रमशः कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार को प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जायेगी।

19.12–नगर पालिकाओं में पार्कों की स्थापना योजना के अन्तर्गत नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्कों के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्कों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 500.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 02 निकायों क्रमशः दिनेशपुर तथा कर्णप्रयाग को कुल ₹ 81.634 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

19.13–सड़क पर रेढ़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेढ़ी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 10.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है।

19.14–हाईटेक शौचालयों का निर्माण– यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 6.744 लाख की धनराशि नगर पंचायत, पोखरी को स्वीकृत हुआ है।

19.15–सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जांच आदि कराना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

19.16–सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोच्च योगदान देने पर पुरस्कृत किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 20.00 लाख का बजट प्राविधान है।

आवास

वर्ष 2023–24 में प्राधिकरण की उपलब्धियॉं

• वर्ष 2022–23 मे जी–20 समिट की मेजबानी के अन्तर्गत प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिस क्रम में ऋषिकेश स्वर्गाश्रम व नरेन्द्र नगर में कार्यक्रम स्थल व यात्रामार्ग के फसाड/सौन्दर्यीकरण एवं हॉर्टीकल्चर से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। आगन्तुको के स्वागत हेतु देहरादून एयरपोर्ट के लैण्डस्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किया गया।

• प्रदेश के विकास को गति प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर माह में ग्लोबल इनवेस्टर सम्मिट का आयोजन किया गया, जिस क्रम में देहरादून शहर के मुख्य मार्गों के फसाड/सौन्दर्यीकरण एवं लैण्डस्केपिंग का कार्य मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा किया गया।

• हरिद्वार जनपद में खेल स्थापना के विकास की दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा मायपुर मे मल्ला कालेज के नजदीक पूर्व से निर्मित सिटी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के जीर्णोद्वार के साथ–साथ उसका विस्तारी करण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 05 बैण्डमिन्टन कोर्ट, 03 क्रिकेट अभ्यास पिच, 02 लॉन टेनिस कोर्ट तथा स्क्वाश कोर्ट, जिम व फुट सैल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त कुल कार्यों की लागत ₹ 758.00 लाख है।

19.17–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवासहीन परिवारों को आवास :

• उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 20 आवासीय परियोजनाओं में 15960 आवासों का निर्माण किया जाना है।

• वर्तमान में 18 आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 02 परियोजना पूर्ण हो चुकी है, अवशेष परियोजनायें माह दिसम्बर, 2024 तक कार्य पूर्ण कर ली जायेगी।

• मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में 02 परियोजना ट्रांसपोर्ट नगर एवं आमवाला तल्ला के अन्तर्गत 464 (EWS) आवासों को लाभार्थीयों को आवंटन किया जा चुका है तथा धौलास आवास परियोजना के अन्तर्गत 240 आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

• हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 01 परियोजना अन्तर्गत 528 (EWS) आवासों का निर्माण कार्य गतिमान है तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंहनगर की 01 परियोजना में 1872 (EWS) आवासों का कार्य गतिमान है।

• उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की 15 योजनाओं में 12856 (EWS) आवासों का निर्माण किया जाना है, निर्माणाधीन आवासीय परियोजना में 6463 लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया जा चुका है एंव शेष आवासों का निर्माण कार्य गतिमान है। जिनमें महिला लाभार्थियों की संख्या 4750 है।

19.18 वाहन पार्किंग परियोजनायें :–

• राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु आवास विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण गतिमान है। राज्य के 165 स्थानों पर सरफेस पार्किंग की 54, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 91, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं, जिसमें 100 स्थानों हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है, जिसमें 72 परियोजनाओं में ₹ 17334.89 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वाहन पार्किंग परियोजनाओं के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 08, चमोली में 25, चम्पावत में 10, देहरादून में 04, हरिद्वार में 05, नैनीताल में 13, पौड़ी में 20, पिथौरागढ़ में 15, रूद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 17, उत्तरकाशी में 18 तथा ऊधमसिंह नगर में 02 पार्किंग परियोजनायें चिन्हित हैं। राज्य में 12 पार्किंग परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी है।

• राज्य में प्रथम बार टनल/केविटी पार्किंग की परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसमें बागेश्वर में 01, नैनीताल में 02, पौड़ी में 01, टिहरी में 03, रूद्रप्रयाग में 02 तथा उत्तरकाशी में 02 स्थानों को टनल/केविटी पार्किंग हेतु चिन्हित किया गया है। जिनमें रूद्रप्रयाग में 02, उत्तरकाशी में 02 तथा पौड़ी में 01 में टनल पार्किंग की डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य गतिमान है, बागेश्वर में 01, नैनीताल में 02 तथा टिहरी में 02 परियोजना की तकनीकी व्यवहारिकता का कार्य गतिमान है, तथा टिहरी के कैम्पटी टनल पार्किंग निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त में निविदा किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

ऑटोमेटेड कार पार्किंग की सुविधाओं को भी विकसित किये जाने हेतु राज्य में 09 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें चमोली में 02, हरिद्वार में 05, नैनीताल में 01 तथा पिथौरागढ़ में 01 स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिनमें चमोली में 02 ऑटोमेटेड कार पार्किंग की डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य गतिमान है, पिथौरागढ़ में 01 परियोजना की तकनीकी व्यवहारिकता का कार्य गतिमान है, नैनीताल में 01 ऑटोमेटेड कार पार्किंग की डी0पी0आर0 स्वीकृति की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है तथा हरिद्वार में 05 ऑटोमेटेड

कार पार्किंग निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है उक्त में निविदा आमन्त्रित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

मेट्रो रेल परियोजना :-

देहरादून में विकसित किये जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जायेगा। यह टीयर 2/3 के शहरों के लिए उपयुक्त होता है। दून मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे जिसमें पहला आई0एस0बी0टी0 से गाँधी पार्क तथा दूसरा कॉरिडोर एफ0आर0आई0 से रायपुर तक होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 22.50 किमी0 होगी तथा 25 स्टेशन होंगे. परियोजना की कुल लागत ₹ 1850 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान में परियोजना भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। हरिद्वार–ऋषिकेश मेट्रो नियो रेल परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है तथा दून परियोजना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इस परियोजना पर अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

सैद्धान्तिक रूप से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है:-

1–हरिद्वार में पी0आर0टी0 (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) इस परियोजना को "हरिद्वार दर्शन" के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में सीतापुर से भारत माता मंदिर तथा सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक के कॉरिडोर हैं जिनकी कुल लम्बाई 21 किमी0 तथा इसमें 21 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत ₹ 1664 करोड़ की लागत प्रस्तावित है।

2– हर–की–पैडी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना पी0पी0पी0 मोड पर तैयार की जाने वाली यह परियोजना की कुल लंम्बाई 2.3 किमी एवं कुल लागत ₹ 150 करोड़ है जिसमे कुल 02 स्टेशन एवं 13 टावर है।

3– ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

यह परियोजना की कुल लम्बाई 6.5 किमी0 तथा 4 स्टेशन एवं 36 टावर पर तैयार की जायेगी। परियोजना का संचालन पी0पी0पी0 मोड पर किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा मेट्रो परियोजना की संचालन हेतु वर्ष 2023–24 के बजट में ₹ 11060.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 960.00 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2023 तक ₹ 602.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

अध्याय–20
शिक्षा
Education

20 विद्यालयी शिक्षा (School Education)

राज्य में विद्यालयी शिक्षा के संचालन/क्रियान्वयन के लिए तीन पृथक–पृथक निदेशालय बनाये गये हैं तथा तदनुसार अधीनस्थ स्तर पर भी समृद्ध ढाँचा बनाया गया है। राज्य स्तर से प्रत्येक निदेशालय द्वारा वर्ष 2023–24 में निम्नानुसार कार्य किये गये हैं–

20.1 प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education)

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य प्रारम्भिक विद्यालयों की व्यवस्था, उनका संचालन, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है। प्रदेश में 13923 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 472662 विद्यार्थी नामांकित है तथा 30927 शिक्षक कार्यरत है, जबकि निजी/प्राइवेट विद्यालय 3971 हैं, जिनमें 434346 विद्यार्थी नामांकित है तथा 29888 शिक्षक कार्यरत है।

तालिका 20.1

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय विद्यालय	13923	233309	239353	472662	16424	14503	30927
निजी/प्राइवेट विद्यालय	3971	241848	192498	434346	7744	22144	29888

स्रोत: UDISE 2022 - 23

20.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करना तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप करना एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है। राज्य में 1406 राजकीय इण्टर कालेज, 340 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 907 राजकीय हाईस्कूल, 63 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 1169 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3885 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा–9–12) में कुल 896742 छात्र नामांकित हैं। माध्यमिक स्तर पर शालात्यागी दर (Dropout Rate) 8.44 तथा जेण्डर पेरिटी दर (GPI) 0.90 है।

तालिका 20.2

जातिवार तथा कक्षावार छात्र नामांकन (समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय)

श्रेणी	कक्षा–9	कक्षा–10	कक्षा–11	कक्षा–12	कुल योग
सामान्य	93758	95236	82289	94780	**366063**
अनु0जाति	40422	41472	27998	38202	**148094**
अनु0जनजाति	4930	5153	3717	5232	**19032**
अ0पि0 वर्ग	45711	45223	32443	40176	**163553**
योग	**184821**	**187084**	**146447**	**178390**	**696742**

20.2.1 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना— प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों के समतुल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। इस मद में 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अधिष्ठान संबन्धी व्यय निहित हैं। वर्ष 2023–24 में राजस्व मद में ₹ 3246.91 लाख धनराशि प्राविधानित है।

20.2.2 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय— प्रदेश के दुर्गम एवं दुरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश में निम्न 04 जनपदों (बेतालघाट–नैनीताल, बेरीनाग–पिथौरागढ, जोशीमठ–चमोली एवं जयहरीखाल–पौड़ी) में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु राजस्व मद में ₹ 106.10 लाख एवं पूंजीगत मद में ₹ 65.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, इसमें से राजस्व मद में 106.10 लाख स्वीकृति के सापेक्ष 94.99 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

20.2.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः— विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा–01 से कक्षा–12 तक CBSE पाठ्यक्रम एन.सी.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तके सभी विद्यालयों में लागू की गयी है। विगत वर्ष तक माध्यमिक स्तर पर कक्षा–09 से 12 तक मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती रही है। प्रदेश में प्रथम बार शैक्षिक सत्र वर्ष 2023–24 में कक्षा–09 से कक्षा–12 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 319623 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्रओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें प्रदान की जायेंगी।

20.2.4 साईकिल योजना— माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना) का शुभारम्भ दिनांक 04 अप्रैल, 2013 में किया गया, इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 08 उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में मैदानी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को साईकिल खरीद पर अधिकतम रू0 2850 की प्रतिपूर्ति व पर्वतीय क्षेत्रों में बालिकाओं के नाम पर समतुल्य धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में

सावधि जमा की जाती है। वर्ष 2023–24 में कक्षा–9 में अध्ययनरत् 49130 छात्राओं को लाभान्वित किया गया, जिस हेतु ₹ 15.00 करोड़ की धनराशि जनपदों हेतु स्वीकृत की गयी।

20.2.5 कमला नेहरू पुरस्कार– प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2023–24 में उक्त योजनान्तर्गत 15000 छात्र–छात्राओं की माताओं को लाभान्वित किया गया। जिस हेतु ₹ 150.00 लाख की धनराशि जनपदों हेतु स्वीकृत की गयी।

20.2.6 छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न छात्रवृति योजनाएं– होनहार एवं उत्कृष्ट छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहनार्थ वर्तमान में निम्नांकित छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्ष 2023–24 में आर.आई.एम.सी. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 10, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 02, श्री देव सुमन योग्यता छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 712 एवं डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 108 छात्र–छात्रायें लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

20.2.7 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहे है।

20.2.8 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना– उत्तराखण्ड के छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना" संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य के 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में राजस्व मद में ₹ 810.40 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसमें से ₹ 810.41 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण (Academic Research & Training)

20.1.1 विद्यालयों में संसाधनों की स्थिति (तृतीय पक्ष सर्वेक्षण)

राष्ट्रीय स्तर पर ASER Centre द्वारा स्वयं के संसाधनों से विभिन्न राज्यों में प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति की जानकारी के लिए सर्वेक्षण किया जाता है तथा इसी क्रम में ASER 2022 Report (Rural) प्रकाशित की गयी है। ASER 2022 Report के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित कुछ संकेतकों में स्थिति इस प्रकार प्रदर्शित की गयी है–

तालिका–20.3

Performance of schools w.r.t. Right to Education Indicators (2014, 2018 and 2022

Level	% of Schools Complying with Pupil Teacher Ratio-PTR			% of Schools Complying with Classroom Teacher Ratio-PTR			% of Schools Complying with Playground		
	2014	2018	2022	2014	2018	2022	2014	2018	2022
Uttarakhand State average	24.6	31.3	23.4	86.1	81.8	86.7	68.1	68.6	73.3

स्रोत: असर–2022

तालिका–20.4

Performance of schools w.r.t. Right to Education Indicators (2014, 2018 and 2022)

Level	% of Schools with Toilet			% of Schools with Boundary wall			% of Schools Drinking water		
	2014	2018	2022	2014	2018	2022	2014	2018	2022
Uttarakhand State average	56.6	58.3	71.3	56.6	58.3	71.3	69.2	75.6	84.4

स्रोत: असर–2022

तालिका–20.5

Performance of schools w.r.t. Right to Education Indicators (2014, 2018 and 2022)

Level	% of Schools having Library Books			% of Schools with Computer			Average Teacher attendance (%)		
	2014	2018	2022	2014	2018	2022	2014	2018	2022
Uttarakhand State average	49.0	58.6	33.7	6.8	9.1	32.1	81.0	86.2	89.1

स्रोत: असर–2022

सामान्यतः राज्य के विद्यालयों में मूलभूत संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि हुयी है तथा राज्य में विभिन्न संकेतकों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अच्छी है।

20.1.2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण):– पी0एम0 पोषण योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाला एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय विद्यालय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा

कक्षा–कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2023–24 में अद्यतन प्रत्येक विद्यालय को कुकिंग कास्ट की धनराशि तथा खाद्यान्न के रूप में मानकानुसार चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में कुल 16692 विद्यालयों में 678529 बच्चे नामांकित है विद्यालयों में भोजन पकाये जाने हेतु वर्तमान में कुल 24430 भोजन मातायें कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023–24 के लिये भारत सरकार के द्वारा कुल 10662.75 मी0टन खाद्यान आवंटित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 143.74 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया गया है जिसमें केन्द्रांश के रूप में ₹ 130.75 करोड़ तथा राज्यांश के लिये ₹ 13.00 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया गया है।

राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ एवं गतिविधियाँ संचालित की जाती रही है, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में स्कूली शिक्षा की सार्वभौम पहुँच में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुये हैं तथा अद्यतन प्राथमिक स्तर पर 97.5%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 98.4% एवं माध्यमिक (कक्षा 10 तक) स्तर पर 91 % बस्तियों में शिक्षा की पहुँच निर्धारित मानकों के अन्तर्गत उपलब्ध है।

20.3 समग्र शिक्षा योजना

भारत सरकार द्वारा संसाधनों के सुनियोजित उपयोग, बच्चों को विद्यालयी शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके, विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत संसाधनों पर व्यय कम किया जा सके आदि के दृष्टिगत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक–शिक्षा का एकीकरण करते हुये समग्र शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। समग्र शिक्षा के तीन घटक – प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में निर्धारित की गयी है। योजना के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के 'सीखने के प्रतिफल' (Learning Outcomes) सुनिश्चित करना, विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक एवं लैंगिक भेद समाप्त करना, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशन (Inclusion) एवं समता (Equity) सुनिश्चित करना आदि हैं।

20.3.1 शैक्षिक सूचकांकः–

तालिका 20.6

Gross Enrollment Ratio- 2022-23

Sr. No.	Districts	Primary			Upper Primary			Elementary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	ALMORA	103.73	100.45	102.13	99.57	92.91	96.25	102.00	97.25	99.66
2	BAGESHWAR	100.10	101.06	100.55	99.73	99.81	99.77	99.95	100.56	100.24
3	CHAMOLI	102.47	100.62	101.59	94.85	93.43	94.17	99.40	97.72	98.60
4	CHAMPAWAT	102.55	103.01	102.77	97.81	97.09	97.47	100.65	100.64	100.64
5	DEHRADUN	100.10	100.23	100.16	98.08	97.89	97.99	99.33	99.34	99.34
6	HARDWAR	100.76	100.10	100.45	98.47	97.99	98.24	100.00	99.38	99.71
7	NAINITAL	98.34	98.64	98.48	97.47	88.44	93.02	98.01	94.46	96.32
8	PAURI	100.77	98.28	99.59	97.11	96.73	96.93	99.29	97.65	98.51
9	PITHORAGARH	100.89	100.90	100.90	97.68	96.18	96.98	99.58	99.00	99.31
10	RUDRAPRAYAG	97.59	98.87	98.20	97.95	97.02	97.50	97.73	98.13	97.92
11	TEHRI GARHWAL	101.60	103.80	102.64	97.64	98.43	98.01	100.05	101.66	100.81
12	US NAGAR	101.09	101.66	101.36	98.28	97.22	97.78	100.09	100.04	100.07
13	UTTARKASHI	101.15	100.51	100.84	97.59	99.27	98.38	99.77	100.04	99.90
	Total	**100.64**	**100.51**	**100.58**	**98.01**	**96.30**	**97.19**	99.66	98.92	99.31

चार्ट–20.1

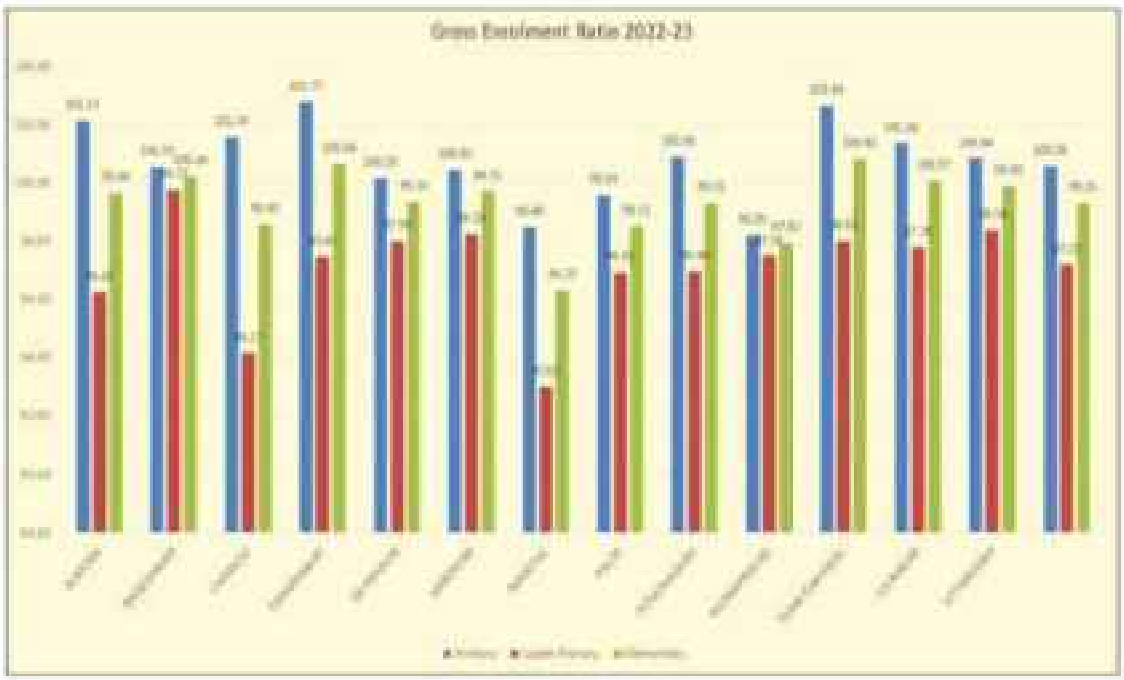

तालिका 20.7

Net Enrollment Ratio - 2022-23

Sr. No.	Districts	Primary			Upper Primary			Elementary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	ALMORA	84.00	81.10	82.58	64.95	58.27	61.61	90.82	86.08	88.48
2	BAGESHWAR	81.22	80.50	80.88	64.26	63.59	63.95	88.62	88.28	88.46
3	CHAMOLI	79.11	76.93	78.07	56.41	55.34	55.90	85.45	83.58	84.55
4	CHAMPAWAT	83.76	82.41	83.12	65.82	63.59	64.76	89.61	88.27	88.98
5	DEHRADUN	84.04	83.94	83.99	71.63	71.46	71.55	89.97	89.61	89.81
6	HARDWAR	79.63	80.31	79.95	66.51	65.97	66.25	87.64	87.21	87.44
7	NAINITAL	80.93	80.82	80.88	67.56	60.57	64.11	87.86	84.18	86.11
8	PAURI	81.54	79.52	80.58	63.80	62.99	63.41	87.80	86.43	87.15
9	PITHORAGARH	82.56	82.10	82.34	63.59	62.13	62.92	88.92	87.93	88.46
10	RUDRAPRAYAG	76.10	76.01	76.06	59.80	59.35	59.59	84.57	84.40	84.49
11	TEHRI GARHWAL	81.10	82.02	81.53	66.33	65.81	66.09	87.60	88.77	88.16
12	US NAGAR	81.67	81.99	81.82	69.57	68.40	69.01	88.64	88.08	88.38
13	UTTARKASHI	81.31	78.80	80.10	67.50	69.07	68.24	87.97	86.73	87.38
	Total	**81.52**	**81.34**	**81.44**	**67.38**	**65.70**	**66.58**	**88.44**	**87.41**	**87.95**

चार्ट–20.2

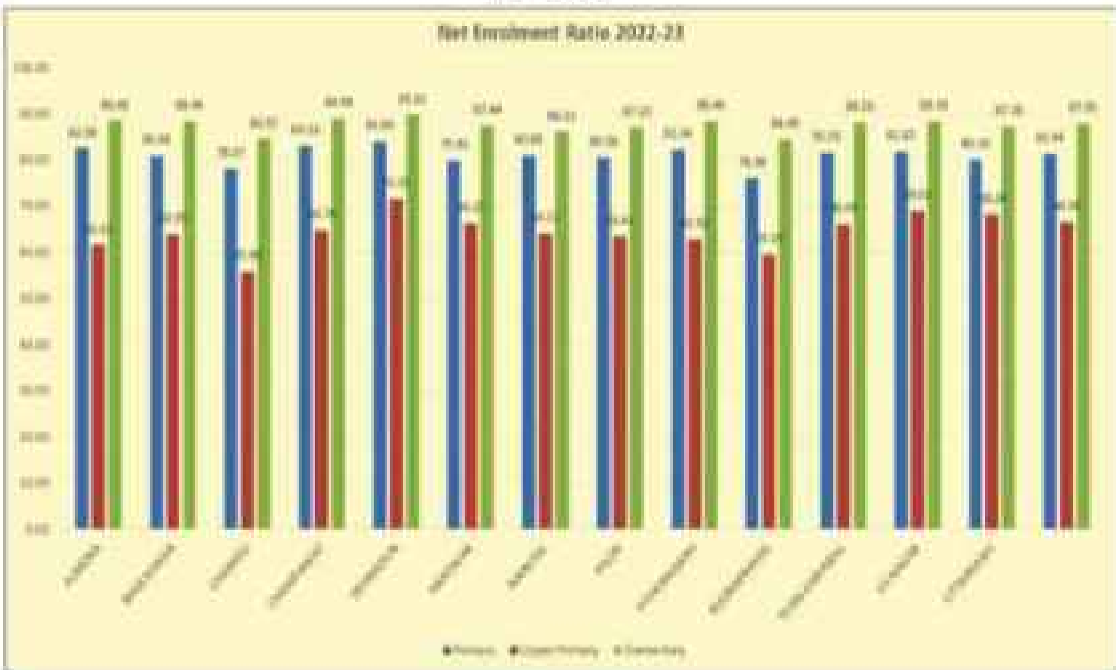

20.3.2 Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education - while indeed an essential goal in its own right - is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. The education system must aim to benefit all of India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background.

चार्ट–20.3

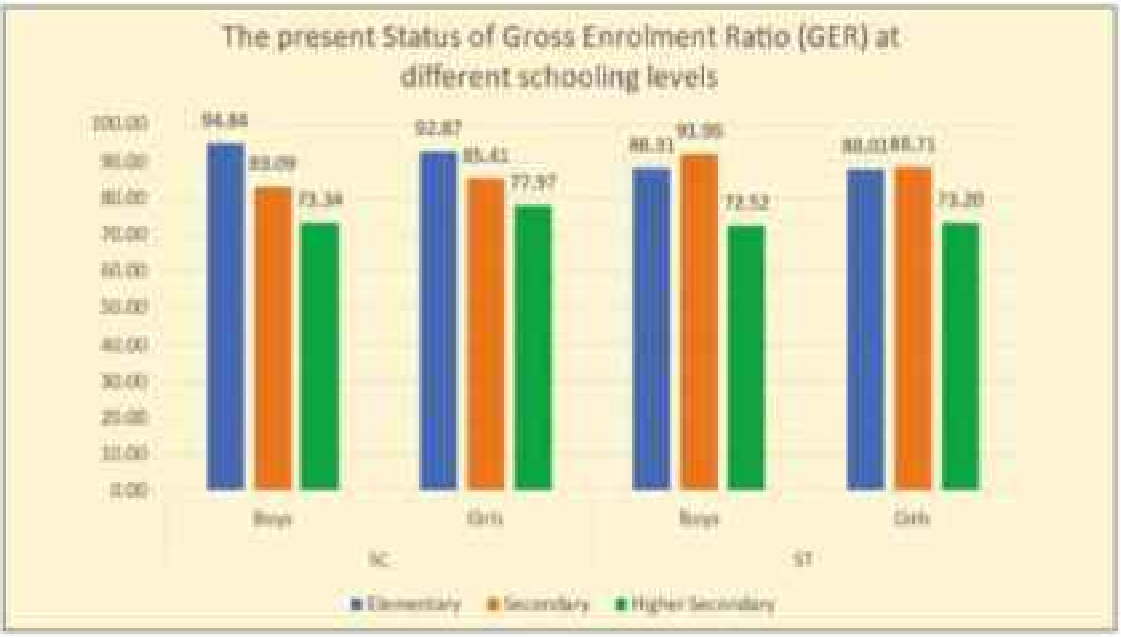

चार्ट–20.4

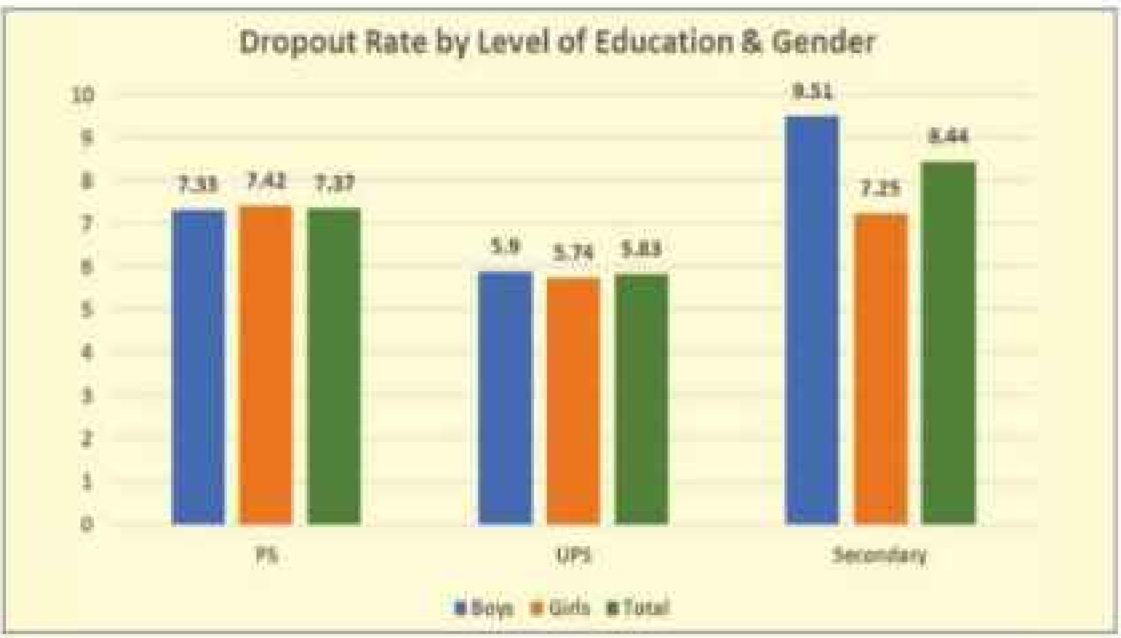

20.3.3 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्य– समग्र शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु नवीन विद्यालय, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बालक/बालिका शौचालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चाहरदीवारी, रैम्प–रैलिंग, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, किचन गार्डन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, विद्युतीकरण, वृहद मरम्मत, आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

निर्माण कार्य प्रगति – वर्ष 2023–24

(31 दिसम्बर, 2023 तक)

क्र0 सं0	निर्माण कार्य		2023-24			
			लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण	अनारम्भ
1	पुनर्निर्माण		47	32	0	15
2	वृहद मरम्मत		216	198	5	13
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष		130	102	3	25
4	बालिका शौचालय		99	90	4	5
5	शौचालय		114	104	4	6
6	रैम्प		0	0	0	0
7	भवनहीन विद्यालय		7	5	0	2
8	सी.डब्लूएसएन.शौचालय		20	0	0	20
9	विद्युतीकरण		16	0	0	16
10	प्रयोगशाला		181	178	0	3
11	कम्प्यूटर कक्ष		21	18	0	3
योग			**851**	**727**	**16**	**108**

20.3.4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम– शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि–

तालिका 20.8

क्र0 सं0	वर्ष	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या	प्रतिपूर्ति की धनराशि (रू0 लाख में)
1	2017-18	100473	5000.00
2	2018-19	104147	6000.00
3	2019-20	104732	16240.98
4	2020-21	97772	20065.61
5	2021-22	83302	10946.47
6	2022-23	87714	13690.77
योग			**71943.83**

चार्ट–20.5

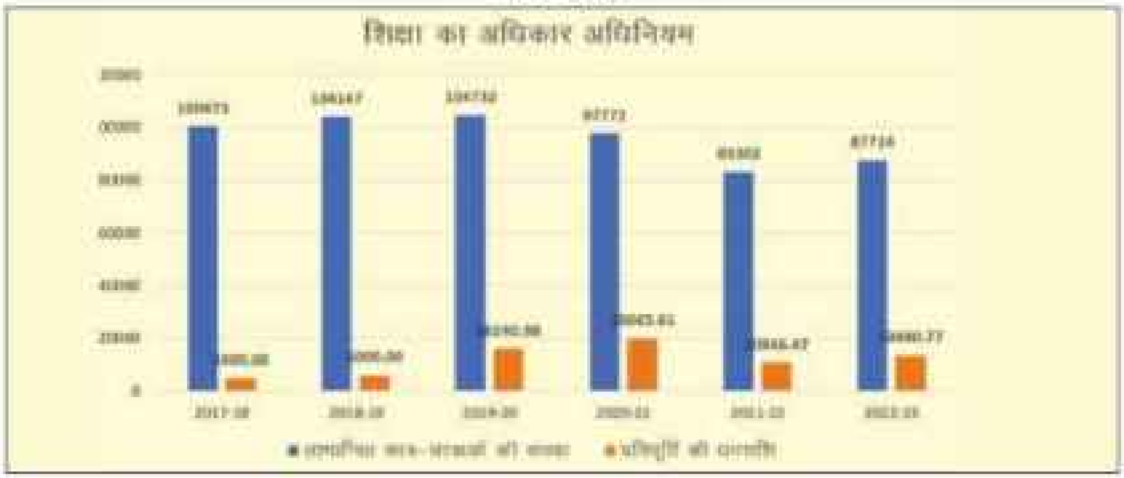

20.3.5 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास/आवासीय छात्रावास– कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 40 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। वर्ष 2023–24 हेतु के0जी0बी0वी0 में 3724 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है।

20.3.6 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम– विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 1992 बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

20.3.7 एस्कॉर्ट सुविधा– जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले 5350 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

राज्य के बहुमुखी विकास में योगदान देने वाली योजनाओं–रणनीतियों, नवाचारों, नवप्रवर्तनों तथ्यों उच्चानुभावों, बेस्ट प्रैक्टिसेज, शोध परिणाम एवं अध्ययन:–

- डिजिटल लर्निंग के प्रचार–प्रसार हेतु 500 माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएँ एवं 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ संचालित है।

- राज्य में माध्यमिक स्तर पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् 26538 बच्चों को व्यावसायिक/वाणिज्यिक पाठ्यक्रम से जोड़ने तथा उनके विद्यालयों में ठहराव को सुनिश्चित किये जाने हेतु 200 विद्यालयों में 08 ट्रेड (कृषि, आटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वैलनेस, पर्यटन, इलैक्ट्रानिक एण्ड हार्डवेयर, रीटेल, आई0टी0, प्लम्बर) संचालित हैं।

- राज्य में वर्तमान में कुल 14947 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 5868 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। माह जुलाई 2023 से कुल 5868 आंगनवाड़ी केन्द्रों जो कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, में बालवाटिका प्रारम्भ की गयी हैं। बालवाटिका संचालन से सम्बन्धित शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों के लिए तीन गतिविधि पुस्तिकाएँ– स्वास्थ्य, सृजन एवं संवाद विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। बालवाटिका से सम्बन्धित अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया गया है।

20.3.8 विद्या समीक्षा केन्द्र

- विद्या समीक्षा केन्द्र एक संस्थागत सेटअप है जो अकादमिक और गैर–अकादमिक गतिविधियों के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा डेटा–आधारित निर्णय लेने और क्रियान्वयन के लिए एकीकृत और साझा करने में सक्षम बनायेगा और इस प्रकार सहयोग से सीखने के परिणामों में सुधार हो सकेगा। वर्तमान में राज्य में कोई भी प्रभावी अनुश्रवण एवं ऑनलाइन रियल टाइम आधारित आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली नहीं थी इसलिए राज्य में स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत ऑनलाइन रियल टाइम आंकड़ों के लिए इस योजना को क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी तथा मार्च 2023 में विद्या समीक्षा केन्द्र में भौतिक संसाधन स्थापित करते हुए इसे कार्य रूप में परिणित किया गया।

योजना के उद्देश्य–

- ऑनलाइन रियल टाइम आधारित आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली विकसित करना।

- विभागीय स्तर से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के एकत्रित आंकड़ों से क्रियान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि को "देखने" में सक्षम होना।

- केंद्र और राज्य स्तर पर क्षेत्र स्तर की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को भी सशक्त बनाना।

- छात्र रजिस्ट्री की मदद से, नामांकित छात्रों, घर पर सीखने, बाल श्रम एवं ड्रॉप–आउट पर जानकारी, स्कूल से बाहर के बच्चों, पाठ्यपुस्तक और गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति, भत्ते, स्कूल–आधारित मूल्यांकन, शिक्षकों द्वारा आवश्यक समर्थन और स्कूल, पुरस्कार, मान्यता, आदि का अपडेट डेटा संकलन करना।

- छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना और स्कूलों में शिक्षकों को सशक्त बनाना और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।

- निर्णय लेने और कार्यक्रम अंतराल के लिए सुधार क्षेत्रों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- स्कूलों के प्रदर्शन एवं संकेतकों पर निरंतर और अद्यतन डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत और स्थानीयकृत डैशबोर्ड विकसित करना।

- विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के सूचना सम्बन्धी कार्यों को कम करते हुए शिक्षण के लिए उपलब्ध समय को अधिक करना जिससे बच्चे अधिक सुनियोजित शिक्षण कर सकें।

परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई (2021–22)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई, 2021–22 की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड को 35वां स्थान था। वर्ष 2022–23 में उत्तराखण्ड ने इस इंडेक्स में देश के **कुल 36 राज्यों में से 23 वां स्थान** प्राप्त किया। उत्तराखण्ड द्वारा 6 कार्यक्षेत्रों में 518 अंकों के साथ **आकांक्षी–2** श्रेणी प्राप्त की गयी।

उक्त के दृष्टिगत् स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा के स्तर को उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ाए जाने हेतु और अधिक प्रयासरत रहने की आवश्यकता है, जिससे कि अगले परफॉरमेंस ग्रेडिंग इन्डेक्स में सुधार परिलक्षित हो सके व राज्य प्रथम स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके।

20.4 उच्च शिक्षा

वर्तमान में राज्य में 119 राजकीय महाविद्यालय संचालित है जिनमें से अधिकांश महाविद्यालय पिछड़े एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं साथ ही प्रदेश में 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी संचालित हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 05 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में कुल अधिकारी/शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के

4821 पद सृजित है जिसके सापेक्ष कुल 3460 नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की तैनाती की गयी है। उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कुल संचालित 140 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कुल 2250 नियमित शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 1267 पुरुष शिक्षक एवं 983 महिला शिक्षक कार्यरत हैं। वर्ष 2023–24 में 11 स्नातकोत्तर प्राचार्यों एवं 07 स्नातक स्तर में प्राचार्यों की तैनाती की गयी है।

20.4.1 उच्च शिक्षा हेतु लागू छात्रवृत्ति योजनाएँ– वर्ष 2023–24 हेतु महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे वितरित की जा रही हैं। उत्तराखण्ड में स्थायी निवास करने वाले छात्रों का चयन एन0डी0ए0/आई0एम0ए0/ओ0टी0ए0/इण्डियन नेवल एकेडमी/इण्डियन एयर फोर्स में होने के फलस्वरूप पुरस्कार राशि हेतु ₹ 75.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष ₹ 28.0 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सम्बन्धित को वितरित किया जा चुका है तथा संघ लोक सेवा आयोग/ उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं (NDA, CDS, OTA, Indian Navel Academy, Indian Air Force Academy etc) की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र–छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता योजना हेतु ₹ 73 लाख का वार्षिक प्राविधान के सापेक्ष ₹ 37.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सम्बन्धित को वितरित किया जा चुका है।

20.4.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) :– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य के योग्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषण प्रदान करना है। रूसा की परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने दिसंबर 2014 में उत्तराखण्ड हेतु 90:10 के आधार पर रूसा प्रथम चरण में ₹ 158.46 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश ₹ 142.614 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 15.846 करोड़ स्वीकृत किया गया है तथा द्वितीय चरण में ₹ 137.00 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश ₹ 123.30 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 13.70 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अभी तक अनुमोदित एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका 20.9

रूसा फेज–1

(करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	मदें/परियोजना	परियो0 की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	अभी तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगित धनराशि	उपयोग प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1.	विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान	4	70.98	63.882	63.432	8.0048302	71.4368302	71.4357302	98
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	1	10.29	9.261	9.261	1.2118	10.4728	10.4728	100.00
3.	वर्तमान कॉलेज का मॉडल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण	4	12.86	11.574	11.574	1.286	12.86	12.86	100.00
4.	महाविद्यालयों के संरचनात्मक अनुदान	31	61.84	55.656	54.306	6.2872	60.5932	60.5634498	100.00
5.	संकाय सुधार	1	2.49	2.241	2.241	0.2506	2.4916	2.4916	100.00
कुल		41	158.46	142.614	140.814	17.0404302	157.8544302	157.82358	

स्रोत– उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 20.10

रूसा फेज–1

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	मदें / परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	अभी तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगित धनराशि	उपयोग प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1.	विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान	2	40.00	36.00	0	0	0	0	0
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	2	24.00	21.60	21.60	2.40	24.00	24.00	100.00
3.	वर्तमान कॉलेज का मॉडल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण	2	8.00	7.20	7.20	0.80	8.00	8.00	100.00
4.	न्यू प्रोफेशनल कॉलेज	1	26.00	23.40	23.40	2.60	26.00	26.00	100.00
5.	महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान	17	34.00	30.60	30.60	3.4371	34.0371	34.0371	100.00
6.	समता हेतु पहल	2	5.00	4.50	3.375	0.375	3.75	3.75	75.00
कुल		26	**137.00**	**123.30**	**86.175**	**9.6121**	**95.7871**	**95.7871**	

स्रोत– उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

क0सं0	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं	योजना का लाभ	पात्रता / लाभार्थी
1	2	3	4
1	राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	50,000 / – प्रति अभ्यर्थी	राज्य लोक सेवा आयोग, समूह ''क'', एवं ''ख'', संघ लोक सेवा आयोग समूह ''क'' एवं ''ख'', एवं आर्म्ड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को कोचिंग हेतु योजना। शासनादेश संख्या 782 दिनांक 10.08.2021 एवं शासनादेश संख्या 1334 दिनांक 10.12.2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। **ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है।**
2	एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000 / – प्रति अभ्यर्थी	जिन अभ्यर्थियों का चयन एन0 डी0ए0, आई0 एम0 ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में हुआ हो एवं वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो। शासनादेश संख्या 2198 दिनांक 12.12.2011 एवं शासनदेश संख्या 693 दिनांक 04.09.2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। **ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है।**

3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी क्रमशः 50,000/–, 30,000/– 15,000/– एवं स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 75,000/–,60,000/–, 30,000/–	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित छात्र–छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना। शासनादेश संख्या 686 दिनांक 15.12.2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित।
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रत्येक वर्ष क्रमशः ₹ 3,000/–, 2,000/– एवं 15,00/– तथा स्नातकोत्तर स्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः ₹ 5,000/–, 3,000/– एवं 2,000/– की प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हेतु संचालित योजना। शासनादेश संख्या 149416 दिनांक 25.08.2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित। ऑन लाईन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है।
5	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रशिक्षण योजना।	उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के एक–एक महाविद्यालयों को अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रशिक्षण प्रदान करना।	महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राएँ।
6	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा ₹ 15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल ₹ 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गयी है। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संस्थागत रुप से अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है।
7	भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजना	₹ 50000/– (₹ पचास हजार मात्र) की पुरस्कार धनराशि तथा	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहित करने एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजना संचालित है। यह पुरस्कार पांच विभिन्न विषय क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रदान किया जाता है।

8	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहयोग करना।	51,000/- प्रति अभ्यर्थी	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत 50 निर्धन छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति **उत्तराखण्ड सरकार एवं ऋषि एवं मिलान खोसला फाऊण्डेशन नोएडा उत्तर के समझौता ज्ञापन (MOU) के** क्रम में संचालित। www.vidyasaarathi.co.in
9	प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब स्थापित किया	अमृता विश्वविद्यालय केरल के सहयोग द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब की स्थापना से ऑन लाईन के माध्यम से पाठ्य सामग्री विशेषतः प्रयोगात्मक विषयों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र – छात्राऐं। उत्तराखण्ड सरकार एवं Amrita University Kerla के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।
10	देवभूमि उद्यमिता योजना।	ई०डी०आई०आई० अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं। उत्तराखण्ड सरकार एवं EDII अहमदाबाद के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में शासनादेश संख्या 152753 दिनांक 11.09.2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित।
11	प्रदेश के महाविद्यालयों में SKILL BUILT COURSE संचालित किये जाने की योजना।	उत्तराखण्ड के महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं के लिए "Job Readiness Bootcamp" का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं। उत्तराखण्ड सरकार एवं Edunet Foundation के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।
12	प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने	महिन्द्रा प्राईड क्लास रूम, नान्दी फाऊंडेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं। उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundation के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।
13	प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु कला एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा को पढ़ने एवं जानने हेतु। की योजना।	प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में रूट्स 2 रूट्स के अंतर्गत सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाना।	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं। उत्तराखण्ड सरकार एवं रूट्स टू रूट्स गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित।

वर्ष 2023–24 में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत नये तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरण:–

• राज्य में NEP 2020 को पूर्ण रूप से समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना।

• नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में प्रथम बार समस्त राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे (IEC) महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित किये गये। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या 68000 से अधिक दर्ज की गयी है।

• Community Participation के माध्यम से महाविद्यालयों में छात्र–छात्रा नामांकन अनुपात को सुदृढ करना।

• जनपद के राजकीय महाविद्यालय में महिला छात्रावास का निर्माण कर छात्राओं की अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करना।

• वर्ष 2023–24 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में उद्यमिता एवं कौशल विकास बढ़ाये जाने हेतु ई0डी0आई0ई0आई0 अहमदाबाद से MoU के क्रम में उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु कुल 7.11 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

महाविद्यालयों का अवस्थापना विकास– वर्ष 2023–24 में Special Assistance to State for Capital Investment के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान:–

• राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग, सोमेश्वर, टनकपुर, थत्यूड़, स्याल्दे एवं कपकोट में पी0जी0 ब्लाक निर्माण हेतु ₹ 30.62 करोड़ की धनराशि प्राविधानित।

• 20 राजकीय महाविद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने के क्रम में छात्रावास एवं आई0टी0 लैब हेतु ₹ 128 करोड़ की धनराशि प्राविधानित।

• वर्ष 2023–24 में महिन्द्रा प्राईड क्लास रूम, नान्दी फाउंडेशन, हैदराबाद के द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों सतपुली, काण्डा, नैनबाग, गरूड़, लोहाघाट, रानीखेत, महिला हल्द्वानी एवं रायपुर में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित किये एवं कुल 5432 छात्र–छात्राओं का पंजीकरण एवं प्रशिक्षण के उपरान्त प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

• वर्ष 2023–24 में एडुनेट फाउन्डेशन गुड़गॉव के द्वारा जॉब रेडीनेन्स बूट कैम्प का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसमें छात्र–छात्राओं को व्यक्तित्व विकास एवं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों यथा रामनगर, काशीपुर, रायपुर, डोईवाला, देहरादून शहर के कुल 1500 छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुए। वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से कुल 283 छात्र/ छात्रायें IBM Skill Course का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

• प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु कला एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा को पढ़ने एवं जानने हेतु रूट्स 2 रूट्स के अंतर्गत सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष 2023–24 में विभिन्न महाविद्यालयों से पंजीकृत 600 से अधिक छात्र/छात्राओं द्वारा कला, संस्कृति और नृत्य के विभिन्न आयामों की कक्षायें प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

- प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का ई–ग्रंथालय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। जिससे छात्र छात्राओं को सभी विषयों की पुस्तकों की जानकारियाँ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं।
- उच्च शिक्षा विभागन्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य को ऑनलाइन करने हेतु गतिशक्ति पोर्टल पर अपडेट किया गया है।
- वर्ष 2023–24 में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समूह 'ग' के 43 कनिष्ठ सहायक के पदों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार मा0 श्री पुष्कर सिंह धामीजी द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री कार्यालय, देहरादून में चयनित उक्त 43 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये।
- NEP 2020 हेतु आवश्यक Academic Bank of Credit, National Depository System, DigiLocker इत्यादि जैसी सुविधायें उपलब्ध कराया जाना।
- समर्थ ई–गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से समस्त कार्मिकों की सूचनाएँ ऑन लाईन उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- नेशनल अप्रैन्टिस प्रमोशन स्कीम (NAPS) द्वारा प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत/अध्ययन प्राप्त कर चुके छात्र–छात्राओं को शिशिक्षु प्रशिक्षण लाभों के बारे में प्रचारित करने हेतु जागरुकता अभियान एवं कार्यशालाओं का आयोजन महाविद्यालयों में किया जा रहा है। रोजगार मेला भी आयोजित किया जा रहा है।

20.5 प्राविधिक / तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा कुशल जन शक्ति का सृजन कर, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता मे सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी शिक्षा मे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आंतरिक सज्जा, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी इत्यादि के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

नवगठित उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा विभाग की स्थापना श्रीनगर(पौड़ी गढ़वाल) में की गई।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्रों को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक संगठनों से अन्तंसम्बंध बनाने, राज्य में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं समय–समय पर उनका निरीक्षण, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं एवं अध्ययन–अध्यापन, प्रशिक्षण आदि सूचनाओं को संकलित कर डाटाबेस तैयार करना, राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना, उनका सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिये समस्त शैक्षिक सदस्यों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे–एन0आई0टी0टी0टी0आर0 चन्डीगढ़, ए0टी0आई0 नैनीताल, आई0आई0टी0 रुड़की एवं आई0आर0 डी0टी0 देहरादून में प्रशिक्षण प्रदान कराना एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना तथा अनुश्रवण करना है।

20.5 प्राविधिक / तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा कुशल जन शक्ति का सृजन कर, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आंतरिक सज्जा, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी इत्यादि के

राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे राजकीय पालीटेक्निक, सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक एवं निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में कुल संचालित राजकीय / सहा0प्राप्त संस्थान	जनपद में कुल संचालित निजी संस्थान
1	पौड़ी	07	00
2	चमोली	06	00
3	रूद्रप्रयाग	03	00
4	उत्तरकाशी	04	01
5	टिहरी गढ़वाल	08	01
6	देहरादून	08	25
7	हरिद्वार	03*	32
8	ऊधमसिंहनगर	05	20
9	अल्मोड़ा	09	00
10	बागेश्वर	03	00
11	नैनीताल	05	09
12	पिथौरागढ़	08	00
13	चम्पावत	03	02
	कुल योग	72	90

*जनपद हरिद्वार में एक सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक सम्मिलित है।
स्रोत :- प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रम और छात्र/छात्राओं के रोजगार की स्थिति

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 29 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 09 इमेरजिंग टेक्नोलॉजी में रोजगार परक नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न पालीटेक्निक संस्थाओं में कुल 33 पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थाओं के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों तथा निदेशालय के प्रयास से विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं को कैम्पस साक्षात्कार/रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा आनलाईन ट्रेनिंग–प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से छात्रों को आनलाईन प्लेसमेन्ट/कैम्पस साक्षात्कार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

विगत 05 सत्रों में 33 पाठ्यक्रमों में रोजगार का औसत 56.53 प्रतिशत रहा।

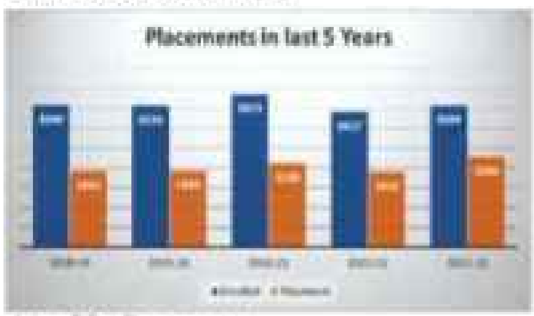

स्रोत :- प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

विभाग द्वारा शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किये गये कार्य

- आई0आर0डी0टी0 की स्थापना क्रमांक 1016/XLI-I/20111.92/10 के माध्यम से की गई थी। जो पूरे शैक्षणिक वर्ष में स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार स्टाफ प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- आईआरडीटी देहरादून में एसएएस के माध्यम से ₹ 2543.93 लाख की लागत से एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर निर्माणाधीन है।
- विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पालीटेक्निक संस्थानों में लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही है।
- 71 पॉलिटेक्निक संस्थानों में से 58 को ई-लर्निंग / स्मार्ट लर्निंग उपकरण से सुसज्जित किया गया है।
- सभी संस्थानों में वर्चुअल लैब का संचालन किया जा रहा है।
- ऑनलाइन शिक्षण के लिए टैलीविजन / ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
- ऑनलाइन शिक्षण के लिए आईआरडीटी देहरादून में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किया गया।
- बीएसएनएल की मदद से सभी कार्यालयों और संस्थानों को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य के 14 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ई-लर्निंग सेंटर स्थापित किये गये हैं।

20.6 चिकित्सा शिक्षा

20.6.1 चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 में किये गये महत्वपूर्ण कार्य:-

• राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के 339 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए 171 असिस्टेन्ट प्रोफेसरों को नियुक्ति प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

• राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत 'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र' की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र के Human Organ Translation Act के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन उपरांत नेत्र प्रत्यारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

• भारत सरकार की सहायता से राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून एवं हल्द्वानी में स्किल लैब की स्थापना की जा जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में स्किल लैब की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

• राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में Life Style Clinic का क्रियान्वयन किया जा चुका है।

• यू0डी0आर0एफ0 की सहायता से राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी / श्रीनगर / अल्मोड़ा में नवीन एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसकी Installation का कार्य गतिमान है।

• राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में 100 एम0बी0बी0एस0 सीटों से 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों की बढ़ोतरी की गयी है।

• राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून एवं श्रीनगर गढ़वाल में कैथ लैब (Cath Lab) की स्थापना की जा रही है। कार्डियोलॉजी विभाग हेतु

Colour Doppler Echo Machine की स्थापना की जा चुकी है।

• दून चिकित्सालय देहरादून में ओ0टी0 एवं इमरजेन्सी भवन प्रारम्भ हो चुका है।

• समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंस उपकरण की स्थापना।

• राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में 750 सीटर हाईटेक ऑडिटोरियम का निर्माण।

• राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित रूप से कार्यरत 28 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

• राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात संकाय सदस्यों को Medical Techears Deficiency Compensatory Scheme के अन्तर्गत अनुमन्य 50% भत्ता लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

• उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सालयों में क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ को सुदृढ बनाये जाने के उद्देश्य से एन0पी0सी0सी0 (नर्सेज प्रेक्टिस क्रिटिकल केयर) कार्यक्रम को राज्य में राजकीय नर्सिंग कॉलेज में 20 सीटों हेतु प्रारम्भ किया जाना।

• राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चम्पावत में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया गया है। जिसमें 33 अभ्यर्थियो द्वारा हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की कौंसिल के माध्यम से उक्त संस्थान में प्रवेश लिया गया है।

• उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 13 असिस्टेंट प्रोफेसर 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 40 नर्सिंग ट्यूटर को संकाय सदस्यों के रूप में विभिन्न राजकीय नर्सिंग संस्थानों में तैनाती दी गयी है।

• चम्पावत तथा बाजपुर के राजकीय नर्सिंग संस्थानों में टीचिंग तथा नॉन टीचिंग के क्रमशः 38 तथा 70 पदों को सृजीकरण किया गया है।

20.7 संस्कृत शिक्षा

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, इसका साहित्य अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है, इसका महत्व भाषा के रूप में नहीं अपितु इसमें वर्णित तथ्यात्मक ज्ञान से है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह एक ऐसी समृद्ध भाषा है, जिसके ज्ञान से विश्व की किसी भी भाषा का ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसी शुभसंकल्प एवं उदात्त भावना से देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायताप्राप्त/मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्याल, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित है। राज्य में प्रथमा से आचार्य स्तर तक की एकीकृत संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रबन्धन संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

20.7.1 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषदः– राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की सुचिता, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी है।

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् देहरादून
परीक्षा वर्ष 2021 से 2022 का (विगत 03 वर्षों का) तुलनात्मक परीक्षाफल

वर्ष	परीक्षा का नाम	कुल पंजीकृत परीक्षार्थी	सम्मिलित परीक्षार्थी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
2021	पूर्व मध्यमा द्वितीय खण्ड	1027	1027	1021	99.41
	उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड	873	873	873	100 .00
2022	पूर्व मध्यमा द्वितीय खण्ड	702	702	619	88.17
	उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड	844	829	793	95 .65
2023	पूर्व मध्यमा द्वितीय खण्ड	634	634	568	89.58
	उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड	945	943	824	87 .38

स्रोत :- संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।

20.7.3 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार:-

20.7.3.1 केन्द्रीय पुस्तकालय/ई-लाईब्रेरी पुस्तकालय का संचालन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। पुस्तकालय में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, शिक्षाशास्त्र, प्राच्य विद्या, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिन्दी व अंग्रेजी से सम्बन्धित पुस्तकों का विशाल संग्रह है। पुस्तकालय में विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली पाण्डुलिपियों, शोध पत्रिकाओं और शोधग्रन्थों की व्यवस्था भी है।

20.7.3.2 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0 एस0) छात्रों के सम्पूर्ण विकास के लिये विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन स्नातक, परास्नातक तथा शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा 05 गांव गोद लिये गये हैं जिसमें डिजिटाइजेशन एवं स्वच्छता कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है।

20.7.3.3 कम्प्यूटर प्रयोगशाला छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक उपयोग के लिये सभी प्रकार के साफ्टवेयर का संग्रह है तथा इसमें इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

20.7.3.4 छात्रावास छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में छात्रों हेतु 126 क्षमता के छात्रावास का निर्माण किया गया है।

20.7.3.5 शोध (पीएच.डी.) छात्रावास शोध छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में शोध छात्रों हेतु 40 कक्षों के छात्रावास का निर्माण किया गया है।

20.7.3.6 परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ निरन्तर छात्रों को साक्षात्कार एवं रोजगार से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को समय-समय उपलब्ध कराता है।

20.7.3.7 शोध छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रवृत्ति यू0जी0सी0 द्वारा संचालित नेट अथवा जे0आर0एफ0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यू0जी0सी0 के दिशानिर्देश के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधकर्त्ता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली की छात्रवृत्तियों के लिये भी आवेदन कर सकता है।

अन्य विशेष गतिविधियां

1. विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रज्ञा नाम से शोध पत्रिका का अर्द्धवार्षिक प्रकाशन किया जा रहा है।

2. विश्वविद्यालय में कम्यूनिटी रेडियो की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

3. विश्वविद्यालय में संस्कृत चैनल की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

4. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय तथा अकादमी के साथ–साथ डिजिटल ई–लाईब्रेरी की स्थापना कराये जाने संबंधी प्रकरण गतिमान है।

5. संस्कृत के ग्रन्थों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कराये जाने हेतु डिजिटाइजेशन के कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है।

6. विश्वविद्यालय कैम्पस को वाई–फाई किया जाना प्रस्तावित है।

7. यू0जी0सी0 द्वारा विश्वविद्यालय को 12–बी0की मान्यता की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

8. यू0जी0सी0एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान ₹ –499.24 लाख की लागत से विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

9. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान ₹–1846.42 लाख की लागत से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, सर्विसेज एवं एकेडमिक फेकल्टी ब्लॉक तथा सैन्ट्रल लाईब्रेरी के अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है।

अध्याय–21
स्वास्थ्य
Health

21.1 **राज्य में लोगों को प्रभावी एवं सुगम** चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। चिकित्सा अवस्थापनाओं को निम्न तालिका 21.1 पर प्रदर्शित किया गया है– जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 21.1
आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित की गयी समस्त चिकित्सा इकाईयों की जनपदवार संख्या

S. No.	District	Sub Centres	PHC (Type-A)	PHC (Type-B)	CHC	Sub-District/ Sub-Divisional Hospitals				District Hospitals			Other Health Units
						31–50 बैड	51–100 बैड	100 बैड	300 बैड	100 बैड	200 बैड	300 बैड	
1	हरिद्वार	160	27	2	8	0	1	1	0	1	0	0	1
2	देहरादून	184	44	3	5	2	1	1	0	0	0	1	8
3	टिहरी	212	49	5	11	1	0	0	0	1	0	0	1
4	उत्तरकाशी	86	30	3	4	0	0	0	0	0	1	0	1
5	पौड़ी	243	84	9	13	0	1	0	1	0	1	0	1
6	चमोली	112	34	5	6	1	0	0	0	1	0	0	2
7	रूद्रप्रयाग	75	37	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1
8	ऊधमसिंह नगर	164	33	1	5	1	2	0	0	0	1	0	1
9	नैनीताल	148	40	5	10	0	1	0	1	0	1	0	5
10	अल्मोड़ा	204	58	7	10	1	1	0	1	0	1	0	1
11	बागेश्वर	80	26	3	3	0	0	0	0	1	0	0	1
12	पिथौरागढ़	163	46	7	4	1	0	0	0	0	1	0	1
13	चम्पावत	68	17	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1
	महायोग	**1898**	**526**	**52**	**80**	**9**	**7**	**2**	**3**	**6**	**6**	**1**	**25**

21.1.2 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य का बजट निरन्तर बढ़ाया है। वर्ष 2023–24 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान ₹ 353046.01 लाख है, जिसमें से माह दिसम्बर तक ₹ 226530.65 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अवमुक्त बजट का राज्य के कुल बजट व कुल सकल घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक विवरण निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

चार्ट–21.1

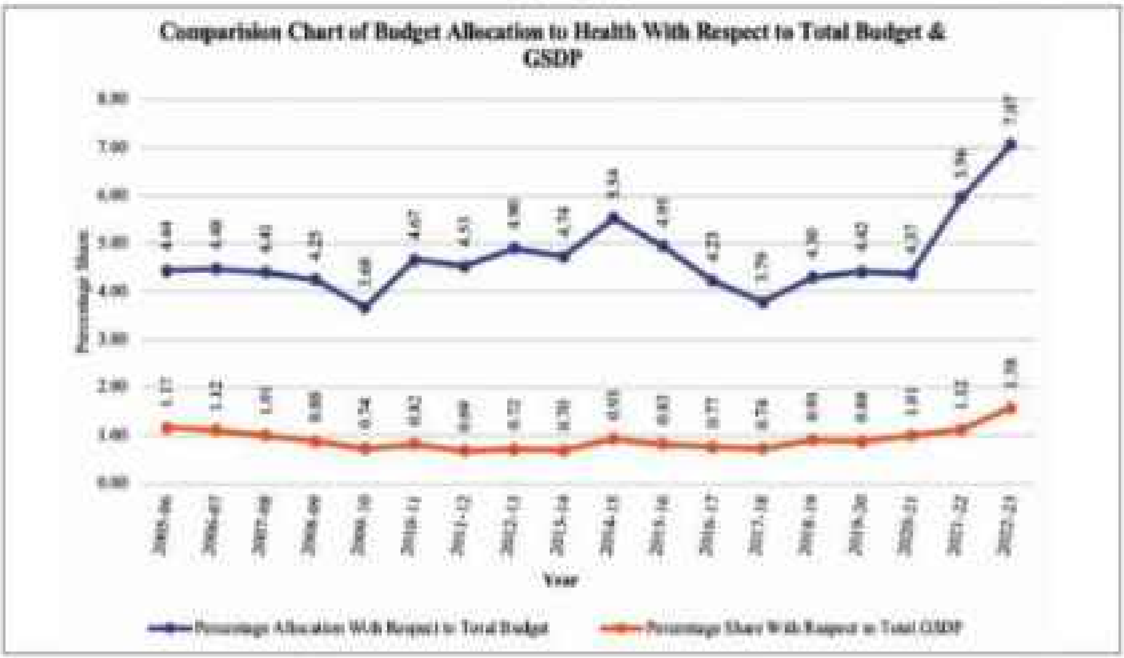

21.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ;National Health Mission, NHM):–वर्ष 2023–24 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य मे विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

21.2.1 राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम:– वर्ष 2023–24 में 30 नवम्बर 2023 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 672433 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि मे कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस वर्ष मलेरिया के 24 केस रिपोर्ट हुये हैं।

21.2.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर दिसम्बर, 2023 में 0.26 प्रति हजार रह गई है। वर्ष 2023–24 (माह दिसंबर 2023) तक कुल 235 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 223 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 302 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

21.2.3 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम:– कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र, 95 टी0बी0यूनिट, 154 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र और 131 NAAT Machine कार्यरत हैं। वर्ष 2023 में 26468 क्षय रोगियों को नोटिफाई किया गया है। राज्य के सभी जनपदों मे कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2023 में अधिसूचना लक्ष्य दर 231 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष 219 प्रति लाख प्राप्त हुई है।

21.2.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर 2023 तक 2911 बन्ध्याकरण, 19870 लूप निवेशन तथा 24391 ओ.सी.पी व 22241 सी.सी. प्रयोगकर्ता हैं।

21.2.5 टीकाकरण कार्यक्रम:–वर्ष 2023–24 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका–21.2 में प्रदर्शित है:–

तालिका 21.2

वर्ष 2023–2024

क्र.सं.	मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह दिसंबर, 2023 तक	प्रतिशत
1	टी0टी0 (गर्भवती मातायें)	143688	135217	94
2	पोलियो (O.P.V.)	144174	124568	86
3	पेंटावेलेंट	144174	123652	85
4	बी0सी0जी0	144174	125250	87
5	हैपाटाइटस–बी	92149	83456	90
6	मीजिल्स रूबेला	144174	131246	91

Source: HMIS माह दिसंबर, 2023 तक 94 प्रतिशत किया गया है।

21.2.6 रक्त सुरक्षा कार्यक्रम:–प्रदेश में 59 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 19 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। दिसंबर 2023 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 160971 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 94.35 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 1093 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

21.2.7. कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवंस्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) :– कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर तक 25047 मधुमेह, 58383 उच्च रक्त चाप रोग से पीड़ित रोगी पाये गये। जिनको उपचार, परामर्श एवं संदर्भण की सुविधा प्रदान की गयी।

21.2.8. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन एन0सी0डी0 (गैर संचारी रोग):–राज्य के समस्त 13 जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है। जनपदों में समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्य कर्त्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात उन्हें स्क्रीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर लाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर तक आशा कार्यकत्रियो द्वारा 4422611 व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये है जिनकी MLHP द्वारा गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्क्रीनिंग में 58383 उच्च रक्तचाप, 25047 मधुमेह, 77 कैंसर के रोग से ग्रसित व्यक्ति पाये गये, जिन्हें उपचार हेतु उच्च चिकित्सा ईकाई पर संदर्भित किया गया।

21.2.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) :– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward तक की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में (अप्रैल से सितम्बर 2023 तक) त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जिरिएटिक क्लीनिक में 46439 वृद्ध नागरिको को ओ0पी0डी0 तथा 11273 वृद्ध नागरिकों को आई0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गई।

21.2.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम

(NOHP) :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में (अप्रैल से सितम्बर 2023 तक) त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार 37128 मरीजों के मुख से सम्बन्धित रोगों की जांच की गई तथा 754 मरीजों को उपचार हेतु उच्च चिकित्सा इकाई में संदर्भित किया गया। कुल 59 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से रोगियों के मुख से सम्बन्धित रोगों की जांच की गयी।

21.2.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):– राज्य के समस्त 13 जनपदों से कुल–33 चिकित्सकों को NIMHANS, Banglore के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2023–24 में 9328 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी है जबकि 7274 का फॉलोअप किया गया।

21.2.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD)–वित्तीय वर्ष 2023–24 में 9382 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 176 व्यक्तियों के बधिरता हेतु सर्जरी की गयी।

21.2.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):–वर्ष 2023–24 में नवम्बर 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की समस्त चिकित्सा ईकाईयों तथा अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से कुल 42799 मोतियाबिन्द आपरेशन किये गये। निःशुल्क चश्मे वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 3543 व वृद्ध नागरिकों को 3490 चश्मे वितरित किये गये हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम– वित्तीय वर्ष 2023–24 (अप्रैल से सितम्बर 2023 तक) की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार COTPA 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 25609 व्यक्तियों का चालान किया गया, जिसमें धनराशि ₹ 15,62,864.00 अर्थदण्ड के रूप में वसूली गयी। कुल 11075 व्यक्तियों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति परामर्श प्रदान किया गया, जिसमें से 1264 व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया। कुल 734 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा 37588 छात्र–छात्राओं को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

21.2.15 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमः–राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2023–24 में दून चिकित्सालय, देहरादून, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, ट्रामा सेंटर, कर्णप्रयाग, संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की, जी0बी0पंत चिकित्सालय, नैनीताल, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, जिला चिकित्सालय, चंपावत, जिला चिकित्सालय, पौडी गढ़वाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ में कुल 19 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर एवं उप जिला चिकित्सालय, धारचुला में भी कुल 02 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना का कार्य गतिमान है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में कुल 942 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 60,301 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

21.16. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Health and Wellness Center) :- भारत सरकार की

कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 मे राज्य के 13 जनपदों में कुल 2024 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1607 मे से 1310 उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में वर्ष 2023-24 में उच्चीकृत किया गया है। शेष उपकेन्द्रों में इस वित्तीय वर्ष 2023–24 मे उच्चीकृत कर लिया जायेगा। माह 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 1310 मिड लेवल हैल्थ प्रोवाईडर (CHO- Community Health Officer) कार्यरत है तथा शेष 297 रिक्त पदों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में भर लिया जायेगा। वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 12 सर्विसेज प्रदान की जा रही है।

21.2.17 आशा कार्यक्रम :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 11994 कार्यरत है। वर्तमान में 11456 आशा कार्यकत्रियों के द्वारा नेशनल इन्स्टीटूयट आफ ओपन स्कूल के द्वारा आयोजित करायी गयी आशा सर्टिफिकेशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। आशा सपोर्ट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है। आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आशा कार्यकत्रियों व आशा फैसिलेटरों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गये है जिससे कि आशा के द्वारा आशा संगिनी ऐप में अपने कार्यों को अंकित किया जा सके व समुदाय को लोगों को ई–संजीवनी के द्वारा घर पर ही ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

21.2.18 वी0एच0एस0एन0सी0:– राज्य के अन्तर्गत 14915 वी0एच0एस0एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं तथा समुदाय एवं जरूरत मंद लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है। समिति का मुख्य उददेश्य समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण पर जानकारी प्रदान करना व कार्यवाही करना होता है।

21.2.18 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम:– राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत हिमालयन हॉस्पीटल ट्रस्ट जौलीग्रान्ट, एम्स चिकित्सालय ऋषिकेश, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली, दून चिकित्सालय देहरादून, मैडिटरीना चिकित्सालय, देहरादून, श्री सत्य सांय संजीवनी चिकित्सालय पलवल हरियाणा, ग्रफिक एरा चिकित्सालय देहरादून, मिशन स्माइल एवं स्माइल ट्रेन देहरादून, क्योर इंडिया देहरादून/हल्द्वानी में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह नवम्बर तक 48 बच्चों के दिल का आपरेशन, 23 बच्चों का न्यूरल टयूब डिफेक्ट, 9 बच्चों का कॉकलियर इम्प्लान्ट 39 बच्चों को कानों की मशीन, 13 बच्चें को आंखों में मोतियाबिंद, 32 बच्चों को कटे होठ एवं तालु, 53 टेढे पैर वाले बच्चों को special shoes देकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

तालिका 21.3

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाडियों में पंजीकृत बच्चों की स्क्रीनिंग की प्रगति वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से नवम्बर 2023)

संस्था	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1085918	589703	54
आंगनबाडी	1457812	684028	47

21.2.19 टेलीमेडिसिन.

उत्तराखण्ड में ई-संजीवनी के अन्तर्गत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के मरीजों को अब AIIM ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, 13 जिला Hub, UPHC Hub, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श प्राप्त हो रहा है, जिसके अनुसार मरीज संबंधित चिकित्सालयों से उपचार ले रहे है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन पोर्टल के लिए भारत सरकार द्वारा मोबाइल ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि मरीज घर बैठकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करते हुए उपचार ले सकते है। टेलीमेडिसिन सेवा के लिए यह पोर्टल सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक क्रियाशील रहता है। टेलीकन्सलटेशन की सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 10 चिकित्सकों (10 Dedicated Doctors) की तैनाती की गई है। आतिथि तक टेलीमेडिसिन योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। दिनांक 4 जनवरी, 2024 तक कुल 11,58,419 हजार टेलीकन्सलटेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है।

21.3 लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण:-

डायलिसिस यूनिट :-

21.3.1 निजी लोक सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) :- राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है-

उत्तराखण्ड राज्य में नैफ्रो डायलिसिस यूनिट पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून व एक यूनिट बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं एच0आई0वी0 रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है।

21.3.2 जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून :-

नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस ₹ 1290/- (All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 23 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

21.3.3 बेस चिकित्सालय हल्द्वानी :-

नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया

गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस ₹ 1290/–(All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 25 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है। इसके अन्तर्गत 1 मार्च 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 69151 रोगियों को लाभ उपलब्ध कराया गया है।

कार्डियक केयर यूनिट:–

21.3.4 पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :–

इनवेजिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नवीन संस्था M/S Meditrina Hospital Pvt. Ltd,Keral का चयन किया गया है एवं विभाग एवं चयनित संस्था के मध्य दिनांक 16/03/2022 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबन्ध के तहत नवीन चयनित संस्था द्वारा राज्य के बी0पी0एल0 जनमानस को सी0जी0एस0एस0 की दर पर 12 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाना है।

तालिका 21.4

दिनांक 08 मार्च 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक				
ओ0पी0डी0	ई0सी0जी0	ई0को0	टी0एम0टी0	सर्जरी (10 अक्टूबर 2022 से)
36226	12628	12628	820	249

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड

21.6.5 एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर में :–

हृदय रोगियों के लिय हृदय सम्बन्धित चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर मे लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत नॉन इनवेजिव कार्डियक केयर यूनिट का संचालन किये जाने हेतु प्रति माह धनराशि ₹ 6,95,000/– की दर से मै0 जीवन रेखा, चिकित्सालय के साथ अनुबन्ध किया गया है।

21.6.6 – 108 आपातकालीन सेवा :–

राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत नवीन कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के माध्यम से वर्तमान में राज्य में कुल 272 (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01 बोट एम्बुलैन्स) एम्बुलैन्स का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह नवम्बर 2023 तक कुल 104295 लाभार्थियों द्वारा एम्बुलैन्स सेवा प्राप्त की गई जिसमें 28694 गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 480 बच्चों का जन्म इन एम्बुलेन्सों में हुआ। सडक दुर्घटना के 7526 केस हुए है।

•

तालिका 21.5
संस्था द्वारा संचालित एम्बुलेन्सों की जनपदवार सूचना

क्र0सं0	जनपद	बी0एल0एस0	ए0एल0एस0
1.	देहरादून	25	07
2.	हरिद्वार	23	06
3.	चमोली	18	04
4.	टिहरी गढ़वाल	18	04
5.	पौड़ी गढ़वाल	23	05
6.	उत्तरकाशी	14	05
7.	रूद्रप्रयाग	09	03
8.	नैनीताल	19	04
9.	अल्मोड़ा	19	03
10.	चम्पावत	07	03
11.	बागेश्वर	07	03
12.	ऊधमसिंह नगर	22	03
13.	पिथौरागढ़	14	04
	कुल योग	218	54

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 21.6
108 Emergency Services Monthly Progress Report (01 April 2023 to 31 Dec 2023)

S.No.	Category	2022 - 2023	2023 - 2024 (Dec 2023)
1.	Pregnancy Cases	48656	32362
a.	Birth In Ambulance	765	541
2.	Sick Infants (0 -1 year)	3782	2600
3.	Injury		
a.	Road Traffic Accidents	13628	9276
b.	Other Injuries	10444	7275
4.	Acute Abdomen	14536	10101
5.	Respiratory	12467	8352
6.	Cardiac	6629	4937
7.	Stroke	1602	1247
8.	Others	49786	39058
	Total	162295	115749

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड

21.4 उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना:- उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (₹ 638 करोड़) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

भौतिक प्रगति

घटक–1

प्रदेश के पर्वतीय तथा असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना– इस उपघटक में चिन्हित जनपदों में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत जनपद के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय को एक समूह के रूप में संचालित किया जायेगा जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों को संदर्भण हेतु मोबाईल हैल्थ वैन भी समूह का एक हिस्सा होगी।

21.4.1 टिहरी क्लस्टर– जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय एवं 03 सचल चिकित्सा वाहन के संचालन हेतु निविदा के आधार पर चयनित हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रान्ट के सहयोग से मार्च 2019 से 07 जून 2023 तक संचालित किया गया। अनुबंधावधि पूर्ण होने के उपरान्त जिला चिकित्सालय बौराड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर तथा 03 सचल चिकित्सा वाहन का संचालन दिनांक 08.06.2023 से महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जा रहा है।

21.4.2 रामनगर क्लस्टर– रामनगर क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में शुभम सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 को चयनित किया गया।

1. उक्त क्लस्टर के अन्तर्गत राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर को माह जुलाई 2020 से क्रियाशील किया जा चुका है। इस क्रम में आर0डी0 जोशी, सयुक्त चिकित्सालय के पी0पी0पी0 मोड में आने से जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 तक 1256 शल्य चिकित्सा तथा संस्थागत प्रसव में जुलाई 2022 से जून 2023 में 874 एवं जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 तक 421 सामान्य प्रसव, जून 2023 में 318 एवं जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 तक 150 सीजेरियन प्रसव किये गये हैं।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैण में जनवरी 2021 से नवम्बर 2023 तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 68681 ओ0पी0डी0, 1954 आई0पी0डी0, 252 मेजर तथा 502 माइनर सर्जरी, 406 सामान्य प्रसव, 87 सीजेरियन प्रसव, 8247 एक्स–रे तथा 101255 लैब जांच की जा चुकी हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल का संचालन माह नवम्बर 2023 तक 36583 ओ0पी0डी0, 992 आई0पी0डी0, 8097 एक्स–रे एवं 97793 लैब जांच एवं प्रथम बार मार्च 2021 से नवम्बर 2023 तक 1582 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

21.4.3 पौड़ी क्लस्टर– पौड़ी क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में श्री गुरू राम राय चिकित्सा संस्थान को चयनित किया गया है। उक्त क्लस्टर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र पाबौ का संचालन लोक निजी सहभागिता के आधार पर 01 फरवरी 2021 से तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र घण्डियाल का संचालन दिनांक 05 फरवरी 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. जिला चिकित्सालय पौड़ी में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2023 तक 264088 ओ0पी0डी0, 9207 आई0पी0डी0, 1226 मेजर तथा 2339 माईनर सर्जरी, 1395 सामान्य प्रसव, 231 सीजेरियन प्रसव, 39468 एक्स–रे तथा 449525 लैब जांच, 21212 अल्ट्रासाउन्ड तथा 1230 सी0टी0 स्कैन किये जा चुके है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबौ में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2023 तक 60533 ओ0पी0डी0, 1859 आई0पी0डी0, 701 सामान्य प्रसव, एवं नवम्बर 2023 तक 10 सिजेरियन प्रसव, 7475 एक्स–रे तथा 30409 लैब जांच एवं पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2023 तक 1210 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घण्डियाल में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2023 तक 27983 ओ0पी0डी0, 710 आई0पी0डी0, 20182 लैब जांच तथा 888 ई0सी0जी0 एवं 7211 एक्स–रे एवं पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2023 तक 732 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

घटक 2

21.4.4 स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण– इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की परिचारक क्षमता बढ़ाने हेतु शासकीय संस्थागत ढांचों में एन0ए0बी0एच0 गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा राज्य के मानव संसाधन की क्षमता के विकास को बढ़ाने पर केन्द्रित होगा ताकि आवश्यक कौशल क्षमताओं की राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धता हो सकें। इसके अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन तंत्र, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा अन्य सहायक शोध, साक्ष्य उत्पत्ति तथा तद्नुसार रणनीतिक नियोजन हेतु साक्ष्य के उपयोग, डाटा जनरेशन और आवश्यक प्रबन्धन आदि भी उक्त उपघटक का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

1. जिला चिकित्सालयों मे गुणवत्ता सम्वर्धन (NABH Accreditation) -इस घटक के अन्तर्गत चयनित पॉच जनपदीय चिकित्सालयों को (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये Gap Assessments आधार पर डी0पी0आर0 का अनुमोदन शासन द्वारा प्राप्त कर प्रोक्योरमेंट हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

- चिकित्सालयों की Gap Assessment
- NABH Accreditation कार्य योजना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)
- Project Interim Report
- Project Draft Report

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation पहुँचाने के लिये Turn Key Basis पर चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। इस क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 स्टाफ नर्स, 2 लैब टैक्नीशियन, 1 एक्स–रे टैक्नीशियन एवं 1 मात्रिका (मैट्रन) तैनात किये जाने का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक तैनात किए जा चुके मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ का विवरण निम्नवत है।

1.जिला चिकित्सालय– अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय – बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ जिला महिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय –गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय–रूद्रप्रयाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 23 पदों

पर विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत है। इसी प्रकार मैट्रन 05/05 एवं एक्स–रे टेक्नीशियन के स्वीकृत सभी 05/05 पदों के सापेक्ष कार्मिकों की पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। स्टाफ नर्स के स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। लैब टेक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पदो पर पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। इन समस्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही भौतिक सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सालय गुणवत्ता के उच्चतम मानक NABH प्रमाणन को प्राप्त कर सके। उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों का एन0ए0बी0एच0 मानकानुसार विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, तथा एन0ए0बी0एच0 एसेसर्स द्वारा जिला चिकित्सालय– अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय –बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय– पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय –गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय– रूद्रप्रयाग का प्री एसेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसकी CAPA (Corrective Action & Preventive Action) report का कार्य गतिमान है। स्वास्थ्य गुणवत्ता संर्वधन के क्रम में एन0ए0बी0एच0 मानकों की पहुंच हेतु चयनित चिकित्सालयों का में लघु सिविल कार्य एवं उपकरण संर्वधन यथा सी0टी0 स्कैन, माड्यूलर ओ0टी0, एस0टी0पी0, सी0एस0एस0डी0, फायर फाईटिंग उपकरण इत्यादि का कार्य चयनित एजेन्सी द्वारा Turn Key Basis पर गतिमान है।

2. प्रशिक्षण– ट्रेनिंग आवश्यकता आकलन के आधार पर स्वास्थ्य तन्त्र के सभी कैडर की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में ट्रेनिंग एजेन्सी का चयन पूर्ण कर लिया गया है, उक्त प्रशिक्षण लगभग 19 करोड रूपये की लागत से 2024 तक पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2022 से आतिथि राज्य के 10 जनपदों के विभिन्न कैडर के हैल्थ केयर स्टाफ (19500) को 7 प्रकार की श्रेणी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन है।

3. शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण – स्वास्थ्य विभाग के पशासनिक पदों (CMO, CMS, ACMO आदि) के प्रबंधन कौशल संवर्धन हेतु शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान IIHMR Jaipur तथा ASCI Hyderabad के माध्यम से 52 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4. कम्यूनिकेशन कार्य योजना – कम्यूनिकेशन कार्य योजना चयनित संस्था के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

5. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान– डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान चयनित एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

6 प्राईवेट लैब द्वारा कोविड–19 जांच की प्रतिपूर्ति उक्त के क्रम में DGHS द्वारा चयनित/ईम्पैनल्ड पॉच लैब के साथ अनुबन्ध कर प्राईवेट लैब में RT PCR टेस्टिंग प्रतिपूर्ति का कार्य जारी है। इस क्रम में फेज 01 में 05 प्राईवेट लैबों के साथ अनुबन्ध के सापेक्ष 68856 टेस्ट कर लगभग 10,90,32,630/– का भुगतान किया जा चुका है।

विश्व बैंक तथा प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित ₹ 20.24 करोड़ के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार की अनुशंसा पर 2 निजी प्रयोगशालाओं के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 जांच किये जाने के सापेक्ष ₹ 11 करोड़ मूल्य के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। उक्त के सापेक्ष लगभग ₹ 4.74 करोड़ के बिल प्राप्त हुये हैं जिनका भुगतान कर दिया गया है।

7 गहन चिकित्सा इकाई (ICU) की स्थापना –विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मैडिकल कॉलेजो में कुल 60 करोड रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोपरान्त HLL द्वारा कुल 10 स्थानों पर कुल 170 शैयाऐं ICU को विकसित किया जा रहा है,

जिसमें 10 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

21.6 उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति :–

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में Estimated Adult HIV Prevalence (15–49 Year) संक्रमण दर 0.13 (Source- Technical Report-2022, NACO) प्रतिशत है। कार्यक्रम का उद्देश्य एच0आई0वी0 / एड्स के प्रति शत–प्रतिशत जागरूकता स्तर प्राप्त करना, एच0आई0वी0 संक्रमण दर को स्थिर एवं ऋणात्मक दिशा प्रदान करना तथा एच.आई.वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा–उपचार की व्यवस्था करना इत्यादि है। वर्ष 2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023) में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति का विरण है–

1. एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द :– एच. आईवी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 43 केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023) में उक्त केन्द्रों में कुल 2,52,903 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सुविधा प्रदान की गयी जिसमें से 997 व्यक्ति एच. आई.वी. संक्रमित पाये गये। उत्तराखण्ड में एक मोबाईल वैन भी कार्यरत है।

2 यौन रोग नियंत्रण क्लीनिक :– प्रदेश में एस. टी.आई. / आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संक्रमण / प्रजनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 29 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है, जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। 2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023) में उक्त केन्द्रों में कुल 45,000 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

3 रक्त सुरक्षा कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकोषों का सुदृढ़ीकरण एवं स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है, जिस हेतु राज्य के समस्त जिलों में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में

60 रक्तकोष (ब्लड बैंक) स्थापित एवं कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023) में राज्य में स्थापित रक्तकोषों में कुल 1,60,971 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 74 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किये गये तथा कुल 1093 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

4 एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम :– प्रदेश में 09 ए.आर.टी. सेन्टर (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है। जहां एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में केन्द्रों में 6289 व्यक्ति दवा प्राप्त कर रहे है।

5 लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रम :– उत्तराखण्ड में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 35 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रहा है। इसके अन्तर्गत एच0आई0वी0 / एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सशक्त रूप से संघर्षरत है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत उच्च जोखिम समूहों के मध्य कार्य किया जा रहा है जहां संक्रमण की अधिक संवेदनशीलता है, जिसके अन्तर्गत महिला यौनकर्मी, इन्जेक्टिंग ड्रग यूजर्स, समलिंगी (एम.एस.एम.) एवं ब्रिज पापुलेशन के अन्तर्गत ट्रक ड्राईवर एवं माइग्रेंट्स के मध्य

कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

6 प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम :– उत्तराखण्ड में एच0आई0वी/एड्स के नियन्त्रण, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) की अहम भूमिका है। एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, फोक मीडिया के सहयोग से प्रचार किया जाता है। राज्य में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रेड रिबन क्लबों का गठन किया गया है। विभिन्न विभागो यथा शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

तालिका 21.7

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष : 2023–24 (अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023)

क्र.स.	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यक्रम	172 निःशुल्क एच.आई.वी परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील		
	(क) एचआईवी. जांच किये गये व्यक्ति	172	1,80,000	2,52,903
	(ख) एचआईवी. अनुकूल पाये गये व्यक्ति	172	—	997
2.	यौन रोग नियंत्रण (सुरक्षा क्लीनिक)	29	66,000	45,000
3.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	60	1,34,000	1,60,971
4.	एंटी रेट्रोवायरलदवा एवं उपचार कार्यक्रम	09	6,500	6,289
5.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाए	35	1,85,000	1,40,000

21.7 होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित हैं। जनपद स्तर पर 13 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं :–

1. सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में कुल 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

3. केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित 05 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सालय (आर0सी0एच0 विंग) संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2023–24 में आतिथि तक कुल 22152 रोगियों का उपचार किया गया।

4. केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित कुल 04 त्वचा विज्ञान केन्द्र संचालित है जिसमें कई चर्म रोग जैसे–एक्जिमा,

वार्टस,कार्न, स्केबीज, आर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस एवं अन्य चर्म रोगों के कुल 14235 रोगियों को लाभान्वित किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में आतिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सामान्य बीमारियों, तीव्रगति से फैलने वाले रोग, असाध्य, गम्भीर बीमारियों, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कारगर है, में मुख्यतः निम्नलिखित बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया:–

तालिका 21.8

क्र0सं0	रोग का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	स्वास रोग संक्रमण	47222
2	पेट से सम्बन्धित बीमारियां	35125
3	गुर्दे की पथरी एवं रोग	9878
4	महिलाओं से सम्बन्धित बीमारियां (गाईनोक्लोजिकल डिजीजेस)	51598

1 राष्ट्रीय आयुष मिशन:– राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं वर्तमान में संचालित कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपदों में डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 794 आउटरीच शिविर लगाये गये जिसमें लगभग 80,393 आमजनमानस का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं रोगों से बचाव हेतु परामर्श के साथ–साथ निशुल्क होम्योपैथिक औषधि वितरित्त की गयी।

3 वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से (दिसम्बर, 2023 तक) 9,37,356 रोगियों का उपचार किया गया।

4 **Super Specialist Clinic** – आगामी वित्तीय वर्ष हेतु **केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी** की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश भर में आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 463 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 24668 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना– उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

तालिका 21.8

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण:–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्साधिकारी	111	83	28
02	भेषजिक	111	109	02
03	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	132	90	42

स्रोत: होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड

दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर, 2023 को जनपद देहरादून के एफ0आर0आई0 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में होम्योपैथिक विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें होम्योपैथिक के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के दृष्टिगत चार निवेशकों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये।

21.8 आयुर्वेदिक चिकित्सा:–

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सीजनल आयुर्वैदिक चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगो में) सेवा प्रदान की जा रही है।

21.8.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापना :–सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.8.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापना :–जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग संचालित है।

21.8.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापना :–भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.8.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन :–केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154–पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय (सरस मार्केट हल्द्वानी) में स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में चिकित्सालय संचालित हो रहा है।

विशेष प्रयास

- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा आयुष नीति–2023 का प्रख्यापन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों के निवेश पर टॉप–अप के रूप में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की सब्सिडी अतिरिक्त रूप से प्रदान की जा रही है।
- राज्य पर्यटन नीति, 2023 के माध्यम से वेलनेस रिसोर्ट / आयुर्वेद / योग / नेचुरोपैथी रिसोर्ट को 50 प्रतिषत तक की पूंजीगत सहायता तथा श्रेणी बी और श्रेणी सी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वेलनेस केन्द्र / आयुर्वेद / योग / नेचुरोपैथी रिसोर्ट को 5 प्रतिषत की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता प्रदान की जा रही है।
- आयुष नीति के अन्तर्गत औषधीय पादपों के विक्रेताओं (कृषकों), स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं) तथा क्रेताओं (औषध–निर्माताओं) को एक मंच पर लाये जाने हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म की स्थापना की गयी है।
- औषधीय पादपों के लिये 'एश्योर्ड बाय–बैक' योजना की व्यवस्था की गयी है।
- नवीनतम एम0एस0एम0ई0 नीति, आयुष विनिर्माण इकाइयों पर भी लागू तथा सभी आयुष विनिर्माण इकाइयों के लिये 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजीगत सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

21.8.5 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत ए0एच0डब्ल्यू0सी0 की स्थापना :–वित्तीय वर्ष 2023–24 में 273 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों के रूप में स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 241 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पूर्ण रूप से संचालित हैं तथा 32 में MO/CHO की नियुक्ति होने पर संचालित हो जायेगें।

21.8.6 100 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों :– 150 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को NABH प्रत्यायित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है जिसके अन्तर्गत 20 चिकित्सालयों को NABH प्रत्यायन हो चुका है। तथा शेष में NABH द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया गतिमान है।

जनपद–टिहरी के ग्राम–जलेम, पट्टी जाखणीधार, में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद–चम्पावत के टनकपुर में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना नवीन कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को आगणन की धनराशि 1503.91 लाख के सापेक्ष 200.00 कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका है। भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार में किये जाने हेतु 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आगणन ₹ 1758.01 लाख के सापेक्ष 100.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद हरिद्वार के पथरी में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को आगणन की धनराशि ₹ 692.500 लाख के सापेक्ष ₹ 200.00 लाख

अवमुक्त किया जा चुका है। भवन निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद नैनीताल के भीमताल में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आगणन ₹ 635.14 लाख का आगणन के सापेक्ष ₹ 100.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

21.8.7 यूनानी चिकित्सा पद्धति :–राज्य मे मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरानकलियर, जनपद–हरिद्वार में 50 शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एव निर्माण निगम के द्वारा रू0 1575.60 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है एवं स्थल चयन समिति की रिपोर्ट की कार्यवाही गतिमान है।

21.8.8 राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निमार्णशालाओं की स्थिति :– राज्य मे कुल 240 आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालायें स्थापित हैं। हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के द्वारा राज्य बजट से जनपदों की माँग के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है एवं राज्य के समस्त जनपदों मे संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, आयुष विंग (एलोपैथिक चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालयों) के रोगियों को रोग के अनुसार वितरित की जाती है।

21.8.9 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला :– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

21.8.10 आयुष नीति–2023 का प्रख्यापन :– उत्तराखण्ड सरकार के आयुष और आयुष शिक्षा विभाग ने सरकारी आदेश संख्या–1938/XL-1/2023-39/2018 दिनांक–25 अक्टूबर 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड आयुष नीति 2023 प्रख्यापित की गयी है। यह नीति 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। यह राज्य में आयुष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति है, आयुष नीति 2023 औषधीय पौधों की खेती, आयुष विनिर्माण, स्वास्थ्य, वैलनेस तथा आयुष शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देगी। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आयुष वैलनेस हब के रूप में स्थापित करना है।

21.8.11 आयुष क्षेत्र में विशिष्ट गतिविधियाँ एवं नवाचार :– आयुष क्षेत्र की विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत स्कूली छात्रों को आयुर्वेद की जानकारी दिये जाने हेतु स्कूलों मे आयुर्विद्या कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है तथा आयुर्वेद के माध्यम से गर्भिणी परिचर्या प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में आयुर्विद्या कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 3179 शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें 158760 स्कूली छात्र लाभन्वित हुये हैं। साथ ही नवाचार के अन्तर्गत देश की प्रथम योग नीति के आलेखन का कार्य प्रचलन में है।

21.8.12 आयुष क्षेत्र में चिकित्सालय भवनों का निर्माण :– आयुष क्षेत्र को और अधिक व्यापक व समृद्ध करने की दृष्टि से राज्य योजना अन्तर्गत वर्तमान में 08 आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन है, जिनमें से 02 नैनीताल, 02 रूद्रप्रयाग, 02 पौड़ी, 01 अल्मोड़ा और 01 उत्तरकाशी में निर्माणाधीन है।

तालिका 21.9
आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक	758	505 (477 नियमित, 28 संविदा)	253
2	चिकित्साधिकारी यूनानी	05	03	02
3	चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य MOCH	90	61 संविदा	29
4	चिकित्साधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	01	0	01
5	चीफ फार्मेसिस्ट	77	72	05
6	फार्मेसिस्ट (आयुर्वेदिक)	692	671	21
7	फार्मेसिस्ट (यूनानी)	05	04	01
8	सिस्टर	01	0	01
9	स्टाफनर्स / सिस्टर	19	19	0
10	पंचकर्म सहायक	76	76	0
11	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक	13	13	0

स्रोत: आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 21.10
स्वास्थ क्षेत्र के मुख्य संकेतांक

Sl No	Indicators	2016-17	2020-21	अद्युनान्त स्थिति
1	IMR	38 per 1000	27 per 1000	24 SRS-2020
2	MMR	201 per 1,00,000 Live birth	99 per 1,00,000 Live birth	103 SRS-2018-19
3	Institutional Delivery	69%	83.20%	91% (HMIS Data) 83.2% NFHS -5 (2019-21)
4	Children (12-23 Month) fully vaccinated	71%	88.60%	88.6% NFHS-5 (2019-21)
5	4 ANC Visits	30.90%	61.80%	85% HMIS April to Nov (2022-23)
6	All women age 15-49 Years anemic	46.40%	40.90%	42.6% NFHS -5 (2019-21)
7	Sex Ratio (children)	888	984	984 NFHS -5 (2019-20)

Source: Sample Registration System (SRS) Bulletin 2021.

अध्याय–22
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
Women Empowerment & Child Development

22.1 सामान्य विवरण:– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गई। वर्ष 1978–79 में उत्तराखण्ड के तीन विकासखण्डों चकराता, कीर्तिनगर एवं धारचूला में बाल विकास परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें से 14947 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 5120 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। विभाग का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती व धात्री माताओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार कराते हुए कुपोषण, मृत्यु दर और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।

महिलाओं, बालक व बालिकाओं को सुरक्षित समाजतथा आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में कई योजनायें संचालित की गयी है। महिला उत्पीड़न को समाप्त करने पर भी प्रदेश द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के **विजन 2030** के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे हैं।

22.1.1 अवस्थापना सुविधायें:– वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20067 आंगनबाडी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18818 केन्द्र संचालित है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

तालिका 22.1

क्र० सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	मिनी आंगनबाड़ी (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1190	670	1820	1161
2	बागेश्वर	9	558	276	813	543
3	चमोली	9	724	354	1050	713
4	चंपावत	7	397	284	660	383
5	देहरादून	15	1657	250	1863	1585
6	हरिद्वार	3	3056	123	3044	2721
7	नैनीताल	11	1032	384	1384	1004
8	पौड़ी	11	1082	771	1781	1052
9	पिथौरागढ़	3	656	455	1068	629
10	रुद्रप्रयाग	9	460	232	677	448
11	टिहरी	10	1278	739	1957	1230
12	उ०सि०नगर	6	2191	196	2302	2031

13	उत्तरकाशी	4	666	366	1023	622
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**14947**	**5120**	**19432**	**13481**

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका–22.1 के अनुसार राज्य में 20067 आंगनबाड़ी/मिनी केन्द्रों में कुल 33085 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्व प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है। तत्पश्चात 3–4 माह की गर्भवती महिला का Mother & Child Protection Card (MCP) तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराया जाता है।

तालिका–22.2
राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2018–19	83943	90730
2019–20	80919	93341
2020–21	88989	93149
2021–22	73155	83570
2022–23	68456	67447
2023–24	59517	56210

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2 के अनुसार दिसम्बर 2023 तक कुल 75330 गर्भवती व 56210 धात्री महिलायें को लाभान्वित किया गया है।

तालिका–22.3
राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24
कुपोषित बच्चे	11409	8856	7658	6499	4233
अतिकुपोषित बच्चे	1370	1129	1119	952	992

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.1.2 कुपोषण की स्थिति– तालिका 22.3 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2023–24 में 992 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है। बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2023–24 में प्राविधानित ₹1635.39 करोड के सापेक्ष ₹1045.43 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹721.30 करोड व्यय किया गया है, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण

निम्नानुसार है–

22.1.3 केन्द्र पोषित योजनायें

1. अनुपूरक पोषाहार– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. कुक्ड फूड:– इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (Hot Cooked Meal) प्रदान किया जा रहा है।

राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों का वर्षवार विवरण:–

तालिका–22.4

वर्ष	लाभान्वित	
	06 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2018–19	427291	171141
2019–20	437155	169677
2020–21	444690	238025
2021–22	392264	213527
2022–23	248062	145597
2023–24	388850	234670

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

3. टेक होम राशन:– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह में कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित– Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है।

4. स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण:– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु ₹1500/– एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु ₹750/– का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है।

5. वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाऐं:– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलेट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध है।

6. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा:– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है।

7. स्कूल पूर्व शिक्षा:– इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष में एक बार ₹3000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र /मिनी केन्द्र एवं ₹1000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिवर्ष प्री–स्कूल किट/एक्टीविटी बुक दिये जाने का भारत सरकार द्वारा प्राविधान निर्धारित किया गया है।

8. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90%के0सहा0) PMMVY:– मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने और द्वितीय प्रसव केवल बालिका के जन्म पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वयं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा। योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का

टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में (प्रथम किश्त ₹1000, द्वितीय किश्त ₹2000, तृतीय किश्त ₹2000) कुल ₹5000/– की धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर तक कुल 29200 लाभार्थियों को ₹11.29 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

9. राष्ट्रीय पोषण मिशन 'पोषण अभियान' :– यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु Poshan Tracker के अन्तर्गत 20067 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये है। पोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, युवा कल्याण, स्वच्छता एवं पेयजल, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित ₹40.43 करोड के सापेक्ष ₹10.46 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹10.46 करोड व्यय किया गया है।

10. स्कीम फॉर एडोलसैन्ट गर्ल्स– भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ जनवरी 2019 को किया गया। यह योजना राज्य के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत किशोरियों को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर तक 68409 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास तथा बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है तथा समस्त जनपदों द्वारा वृहद् स्तर पर जागरूता एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

12. वन स्टॉप सेन्टर:– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहे हैं।

तालिका–22.5

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्पलाईन (181)	
	पंजीकृत	निस्तारित	पंजीकृत	निस्तारित
2018–19	287	–	1835	–
2019–20	1763	1065	2993	2957
2020–21	3413	2909	4436	4425
2021–22	5397	5010	5939	5938
2022–23	5900	5102	6683	6682
2023–24	6925	6019	7422	7422

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/अपराध के पंजीकृत मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

13. आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण– आई०सी०डी०एस० सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन व्यवस्था के लिए वर्ष 2023–24 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु युगपतिकरण के माध्यम से ₹5.00 लाख, केन्द्रीय योजना से ₹2.00 लाख एवं राज्य योजना से ₹0.50 लाख कुल ₹6.50 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2023–24 में 3940 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

22.1.4 राज्य सेक्टर की योजनायें–

1. उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना:– उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाया जाना है जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित कर सकें। योजना के अन्तर्गत महिला विकास परक अभिनव परियोजना गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक आव यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को सम्पोषित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:–

तालिका–22.6

क्र	वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह	महिला लाभार्थी
1	2017–18	50	3201
2	2018–19	–	–
3	2019–20	141	1092
4	2020–21	–	–
5	2021–22	18	253
6	2022–23	30	590
7	2023–24	03	66

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

2. राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना:– उत्ततराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है। योजनान्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षणोपरान्त ₹50,000/- तक सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण अवधि में ₹1000/- की छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 08 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसमें कुल 1500 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड यथा:–डेरी मैनेजमैन्ट, मधुमक्खी पालन, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कताई बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जड़ी बूटी उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान तक 3159 किशोरी/महिलाऐं लाभान्वित की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर तक ₹614 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

3. कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्यवस्था:– इस योजना के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

4. नन्दा गौरा योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर ''नन्दा गौरा योजना'' संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किश्त में ₹11000 की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में ₹51000 की धनराशि प्रदान करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹178.52 करोड़ रूपये की धनराशि शासन द्वारा जारी की गयी है, योजनान्तर्गत लाभार्थियों का का वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

तालिका–22.7

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2018–19	43384
2019–20	44083
2020–21	32210
2021–22	15669
2022–23	82601
2023–24	79518

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

5. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना– इस योजना के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम / द्वितीय एवं जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत **"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना"** अन्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा जारी ₹19.95 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹10.60 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

तालिका–22.8

वर्ष	लाभार्थियों	लाभान्वित
2021–22	75000	75000
2022–23	24171	10035
2022–23	64405	41451

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

6. किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था– किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 में धनराशि 6/–की सब्सडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) उपलब्ध करवाये जा रहे है। वर्तमान मे कुल 10.50 लाख सैनेटरी नैपकीन पैकेट समस्त जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर तक ₹10.14 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

7. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण):– राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोडेड टेबलेट/स्मार्ट फोन पुरूस्कार स्वरूप वितरित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक 1385 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद' के माध्यम से मलिन बस्तियों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 210 किशोर एवं किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹1.00 करोड़ कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है। जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

8. –"मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना"– "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक 1,93,987 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा जारी ₹7.53 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹3.87 करोड़

रूपये का व्यय किया गया।

9. –मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना" – योजनान्तर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला/खजूर दिया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक 1,64,574 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा जारी ₹20.00 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹14.48 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

10. –मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान– बाल पोषण–योजना के अर्न्तगत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों मे पंजीकृत 03–06 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केला/केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है, योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक 2,24,237 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा जारी ₹17.72 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹17.22 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

11. –आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष – योजनान्तर्गत मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती /सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम ₹30000 अधिकतम ₹54000 तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1160 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया गया है।

विभागीय प्रयास

- **तीलू रौतेली पुरस्कार–** मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 14 किशोरी/महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **आंगनबाडी कार्यकत्री पुरस्कार–** मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत 35 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **पोषण अभियान–** पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों मे जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेसटिंग हेतु जागरुक किया गया। 1315 आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थीयों हेतु पोषण वटिका स्थापित की गई। पोषण माह, 2023 दौरान आमजन को पोषण के प्रति जागरुक करने हेतु पोषण रैली, पोषण मेला, नुक्कड नाटक, स्वास्थ्य शिविर एवं अन्य गतिविधियों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। पोषण अभियान के अर्न्तगत प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह सी0बी0ई0 एवं वी0एच0एस0एन0डी0 गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पोषण सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन कर लाभार्थीयों को पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जाता है। राज्य के समस्त 20067 आंगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर के माध्यम से समस्त लाभार्थीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।
- **डिजिटल पैरेंटस मार्गदर्शिका प्रोग्राम –** कोरोना महामारी के दौरान आंगनवाडी केन्द्र के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया से जुडे रहने के दृष्टिगत नई पहल के रुप में इस कार्यक्रम को लागू किया गया इस कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक मानासिक विकास एवं

अभिभावकों को उनके देखभाल से सम्बन्धित सूक्ष्म वीडियो क्लिप के माध्यम से जोड़ते हुए प्रतिदिन के आधार पर उनको गतिविधियाँ दी जाती है। इस कार्यक्रम में भेजे गये वीडियो क्लिप की दर्शक संख्या के आधार पर इस कार्यक्रम का फीडबैक प्राप्त किया जाता है। विभाग के सहयोगी के रूप में 'मिराकी फाउन्डेशन' कार्यरत है।

- **पोषण वाटिका** – राज्य के 1315 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है।
- **सोलर कुकर** – राज्य के 120 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सोलर कुकर स्थापित किया गया है।
- **सरकारी वाहन** – राज्य के 11 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों हेतु 11 सरकारी वाहन क्रय किये गये हैं।
- **महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय** – खटीमा एवं परियोजना – चम्पावत अंतर्गत 01 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परियोजना – सोमेश्वर अंतर्गत 01 आंगनवाड़ी केन्द्र में सोलर पैनल स्थापित किये जा रहे हैं।

22.1.6 प्रस्तावित कार्य योजना

- **वेन्डिंग मशीन** – प्रस्तावित कार्य योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों में वेन्डिंग मशीन लगाई जा रही है।
- **सोलर पैनल** – प्रस्तावित योजनानुसार राज्य के समस्त विभागीय निर्मित भवनों जैसे – जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगें।
- 20067 आंगनबाड़ी कार्यकत्री के लिये प्रस्तावित कार्य योजना के अन्तर्गत स्मार्ट फोन क्रय किये जायेगें।
- "नंदा देवी हमारी कन्या हमारा अभियान" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 35088 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–2023 के 44430 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- प्रस्तावित कार्य योजनानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 1 सेट (साड़ी, सूट) पोशाक क्रय किया जायेगा।

22.1.7 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना – यह एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एक महिला, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो तथा आर्थिक रूप से कमजोर हो, को लाभान्वित किया जायेगा।

योजना का उद्देश्य: योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

अध्याय–23
सतत् विकास लक्ष्य

सतत् विकास लक्ष्य का विजन एक ऐसा विश्व बनाना है जो गरीबी, भुखमरी, बीमारियों आदि से मुक्त हो एवं जहां सभी व्यक्तियों के लिए प्रगति की उच्चतम सीमाओं को छूने के लिए अवसर प्राप्त हो। सतत विकास लक्ष्य भयमुक्त एवं हिंसा मुक्त विश्व की संकल्पना करते हैं। सार्वभौमिक साक्षरता, एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तक सभी की पहुंच, सतत विकास लक्ष्यों के बहुत से उददेश्यों में से एक है। सतत विकास लक्ष्य 6 जहां एक ओर ऐसे विश्व की संकल्पना करता है जिसमें सुरक्षित जल एवं स्वच्छता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार हो, वहीं सतत विकास लक्ष्य 2 सभी के लिए पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता को प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। सतत विकास लक्ष्य 11 एवं 7 क्रमशः एक ऐसे विश्व की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जहां बस्तियां एवं शहर सुरक्षित एवं संवहनीय तथा विश्वसनीय हों, तथा जिनमें ऊर्जा के स्त्रोत स्वच्छ एवं किफायती हो। सतत विकास लक्ष्य 5, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं विश्व की सभी महिलाएं एवं जेण्डर के लोगों की जेण्डर समानता के लिए उच्चतम मानक स्थापित करने की वकालत करता है। सतत विकास लक्ष्य महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण एवं उनके लिये बाधक सभी सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों व प्रक्रियाओं को समाप्त करने की बात करते हैं तथा यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं कि पूरे विश्व में बच्चों की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त किया जाय, ताकि वे जीवन के अधिकतम उंचाईयों को छू सकें। सतत विकास लक्ष्य 10 एक ऐसे विश्व की बात करता है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रों के मध्य की असमानताओं को दूर किया गया हो। सतत विकास लक्ष्यों का मूल उददेश्य एक ऐसा विश्व जिसमें धरती एवं प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाएं समावेशी एवं संवहनीय आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके तथा सम्मानजनक कार्य व रोजगार सभी के लिए उपलब्ध हो तथा अन्त में एक ऐसा विश्व जहां विकास की दौड़ में कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।

सतत् विकास लक्ष्यों का यह महत्वकांक्षी विजन सिर्फ कोई आकांक्षा नहीं है, अपितु यह एक 17 सतत् विकास लक्ष्यों एवं 169 टारगेट का विस्तृत विकास का मॉडल है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अंगीकृत किया है एवं इस एजेण्डे को 2030 तक प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है।

23.1 उत्तराखण्ड में एस.डी.जी. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सतत विकास लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य द्वारा 2020 में State Indicator Framework एवं District Indicator Framework बनाया, जिसे राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य ने 2020 से ही सतत् विकास लक्ष्यों की जनपदों की प्रगति का अनुश्रवण कार्य शुरू कर दिया था और 2021 में SDG Index Compendium 2015–16 से 2020–21 प्रकाशित किया। SDG Index Compendium राज्य के लिये एस.डी.जी. बेसलाइन का कार्य कर रहा है और उत्तरोत्तर वर्षों में राज्य पिछले वर्षों की तुलना में अपनी प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा है। राज्य के जनपदों द्वारा 2019–20 से 2022–23 तक की प्रगति का ब्यौरा **तालिका–1** में दिया गया है।

Centre for Public Policy and Good Governance, 2021 से SDG सूचकांक प्रकाशित

कर रहा है, CPPGG ने पहला SDG Index 2020–21 में प्रकाशित किया था, जिसमें 2015–16 से 2020–21 तक के SDG सूचकांक शामिल थे। पिछले वर्षों में, उत्तराखंड एसडीजी सूचकांकों ने अपने स्पेक्ट्रम का विस्तार किया और एसडीजी लक्ष्य और संकेतक जोड़ना जारी रखा। एसडीजी सूचकांक 2015–16 से 2020–21 तक 12 एस0डी0जी0 और 36 लक्ष्यों पर आधारित थे। एसडीजी सूचकांक 2021–22 में, कुल एसडीजी वही (12) रहे लेकिन छह और लक्ष्य जोड़े गए। 2022–23 सूचकांक में 2 एसडीजी (एसडीजी 10 और 12) और 4 लक्ष्य जोड़े गए। एसडीजी सूचकांक 2022–23, 14 एसडीजी और 46 लक्ष्यों पर आधारित है। एसडीजी सूचकांक के स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाने का मुख्य उद्देश्य 2030 से पहले सभी एसडीजी और अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

एसडीजी सूचकांक उत्तराखंड के जिलों को अपनी प्रगति को प्रतिबिंबित करने और ट्रैक करने का अवसर दे रहा है। यह एसडीजी हासिल करने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है। एसडीजी सूचकांक 2022–23 की गणना के लिए नीति आयोग की पद्धति को अपनाया गया। एसडीजी सूचकांक 2022–23 के उद्देश्यों का सारांश निम्नलिखित है–

- एसडीजी में जिलों की प्रगति को मैप करना और पिछले वर्षों के प्रदर्शन के साथ इसकी तुलना करना।
- एसडीजी प्राप्त करने में जिलों के गैप का विश्लेषण करना और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में उनकी मदद करना जिन पर वह पिछड़ गये है।
- उन संकेतकों की पहचान करना जिनमें जिलों का प्रदर्शन पिछले वर्षों से नीचे चला गया है ताकि जिले अपने कार्यक्रमों का विश्लेषण कर सके और इन संकेतकों पर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें
- प्रत्येक एसडीजी में उनके प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर जिलों को रैंक देना।
- एसडीजी प्राप्त करने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिये।

समय–समय पर उत्तराखंड एसडीजी जिला संकेतकों में संशोधन किये जाते रहे हैं, वर्तमान में राज्य में एसडीजी के 144 संकेतक है। जनपदवार एस0डी0जी0 सूचकांक का विवरण **तालिका–23. 1** में दिया गया है।

तालिका–23.1

Uttarakhand Composite Index: District Scores and Ranks Across the Years 2019-20 to 2023-23

	2019 -20		2020 -21		2021-22		2022 -23	
	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank
Uttarakhand	64		65		69		73	
Almora	64	5	66	3	67	7	68	10
Bageshwar	67	3	69	1	68	6	75	3
Champawat	63	6	67	2	71	3	73	7
Chamoli	66	4	66	3	69	5	74	5
Dehradun	70	1	67	2	73	2	75	2
Haridwar	62	7	53	9	59	10	64	12

Nainital	68	**2**	65	**4**	74	**1**	77	**1**
Pauri Garhwal	61	**8**	67	**2**	64	**9**	73	**6**
Pithoragarh	58	**9**	63	**6**	66	**8**	67	**11**
Rudraprayag	63	**6**	65	**4**	71	**3**	72	**8**
Tehri Garhwal	58	**9**	59	**7**	64	**9**	72	**9**
Udham Singh Nagar	54	**10**	58	**8**	54	**11**	60	**13**
Uttarkashi	63	**6**	64	**5**	70	**4**	74	**4**

स्रोत : सी. पी. पी.जी. जी. उत्तराखण्ड

वर्ष 2022–23 में जिलों के एसडीजी–वार सूचकांक स्कोर और Composite स्कोर का विवरण निम्नवत है।

तालिका–23.2

Uttarakhand SDG Scores 2022-23

Districts	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 15	SDG 16	Overall Composite Score
Uttarakhand	71	71	66	66	76	59	64	85	76	78	76	78	100	50	73
Almora	64	58	34	72	87	50	60	76	93	62	65	74	100	54	68
Bageshwar	74	65	52	63	77	73	57	63	100	90	71	82	100	78	75
Champawat	66	78	37	58	80	65	74	82	89	70	63	83	100	74	73
Chamoli	73	55	52	46	75	74	60	75	92	80	89	92	100	74	74
Dehradun	80	78	69	78	62	90	70	94	67	67	74	66	100	60	75
Haridwar	55	64	71	52	58	54	52	56	100	80	69	80	74	31	64
Nainital	69	82	68	81	81	49	73	91	89	69	76	96	100	56	77
Pauri Garhwal	66	48	43	80	80	55	72	76	100	58	75	95	100	70	73
Pithoragarh	73	70	29	65	72	61	73	51	69	82	71	70	89	68	67
Rudraprayag	68	58	52	54	72	65	68	74	84	75	79	82	100	79	72
Tehri Garhwal	75	58	42	53	74	52	59	83	100	71	93	85	100	68	72
Udham Singh Nagar	58	61	81	26	72	35	50	72	100	74	62	67	50	34	60
Uttarkashi	76	53	57	62	68	63	76	81	75	75	87	98	100	67	74

स्रोत : सी. पी. पी.जी. जी. उत्तराखण्ड

23.2 नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी सूचकांक में उत्तराखण्ड की स्थिति का विश्लेषण

नीति आयोग द्वारा हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। उपरोक्त सूचकांक NFHS 2015–16 एवं 2019–21 के आकड़ों पर आधारित है। उपरोक्त सूचकांक के अनुसार उत्तराखण्ड में बहुआयामी गरीबी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का 2015–16 में राज्य की कुल जनसंख्या का 17.67% था, जो 2019–21 में घटकर 9.67% रह गया है। इन पांच साल के अन्तराल में राज्य के कुल 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले है। यही नही राज्य में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता 2015–16 में 44.35% थी जो 2019–21 में घटकर 41.99% रह गई है।

उपरोक्त बहुआयामी सूचकांक के अनुसार जनपदों का विश्लेषण भी किया गया है। राज्य में 2015–16 से 2019–21 के अंतराल में सर्वाधिक, अल्मोड़ा जनपद में 16.18% (प्रथम स्थान), उत्तरकाशी जनपद में 14.74% (द्वितीय स्थान) तथा चम्पावत जनपद में 12.82% (तृतीय स्थान) लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले है।

राज्य में बहुआयामी गरीबी के अन्तर्गत (2019–21 में) सबसे कम लोगों का प्रतिशत (3.02%) जनपद देहरादून में है, इसके बाद दूसरे स्थान पर जनपद रूद्रप्रयाग (5.14%) तथा तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ (6.48%) है।

राज्य में बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोगों का प्रतिशत एवं बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों का प्रतिशत का जनपदवार विवरण **तालिका–23.3** में दिया गया है।

तालिका–23.3

बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जनपदवार उत्तराखण्ड की स्थिति

जनपद	2015 -16 में बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोगों का प्रतिशत	2019 -21 में बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाले लोगों का प्रतिशत		बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले लोगों का प्रतिशत	
		प्रतिशत	रैंक	प्रतिशत	रैंक
उत्तराखण्ड	**17.67**	**9-67**		**8**	
हरिद्वार	24.7	16.29	13	8.41	9
ऊधम सिंह नगर	22.98	11.26	12	11.72	5
नैनीताल	13.39	10.09	11	3.3 1	12
चम्पावत	22.41	9.59	10	12.82	3
उत्तरकाशी	24.28	9.54	9	14.74	2
अल्मोड़ा	25.65	9.47	8	16.18	1
पौड़ी गढ़वाल	11.93	8.91	7	3.0 1	13
टिहरी गढ़वाल	19.53	7.94	6	11. 60	6
बागेश्वर	19.99	7.5	5	12.49	4
चमोली	16.78	6.81	4	9.9 6	7
पिथौरागढ़	13.96	6.48	3	7.48	10
रूद्रप्रयाग	13.91	5.14	2	8.77	8
देहरादून	6.88	3.02	1	3.86	11

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

राज्य में 2015–16 से 2019–21 के मध्य बहुआयामी गरीबी को कम करने में अभूतपूर्व प्रगति की है, जो कि राज्य के हित में है।

23.3 एमपीआई संकेतक–वार विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यह सेंसर किए गए **हेडकाउंट अनुपात** का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है, कि प्रत्येक संकेतक में बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित व्यक्तियों का प्रतिशत। जनपदवार हेडकाउंट अनुपात का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है।

तालिका–23.4
Uttarakhand Censored Headcount Ratio

District	Dimensions and Indicators														
	Health									Education					
	Nutrition (Any child between the ages of 0 to 59 months, or woman between the ages of 15 to 49 years, or man between the ages of 15 to 54 years -for whom nutritional information is available - is found to be undernourished)			**Child Mortality** (A child/adolescent under 18 years of age has died in the family in the five-year period preceding the survey)			**Maternal Health** (Any woman in the household who has given birth in the 5 years preceding the survey, has not received at least 4 antenatal care visits for the most recent birth or has not received assistance from trained skilled medical personnel during the most recent childbirth.)			**Years of Schooling** (Not even one member of the household aged 10 years or older has completed six years of schooling)			**School Attendance** (Any school-aged child is not attending school up to the age at which he/she would complete class 8).		
	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time
Almora	23.05%	7.96%	-15.09%	1.54%	0.24%	-1.30%	18.58%	6.74%	-11.85%	3.82%	1.79%	-2.03%	0.19%	0.47%	0.29%
Bageshwar	16.55%	6.60%	-9.95%	0.97%	0.00%	-0.97%	14.96%	5.93%	-9.03%	4.72%	1.24%	-3.49%	0.51%	0.62%	0.10%
Chamoli	14.48%	5.74%	-8.74%	1.27%	0.65%	-0.62%	12.38%	5.88%	-6.50%	3.16%	0.94%	-2.21%	0.14%	0.24%	0.10%
Champawat	18.30%	8.26%	-10.04%	2.40%	0.45%	-1.95%	17.29%	7.21%	-10.08%	6.91%	2.26%	-4.65%	1.52%	0.33%	-1.19%
Dehradun	6.22%	2.89%	-3.33%	0.90%	0.14%	-0.75%	5.26%	1.20%	-4.06%	3.47%	1.33%	-2.14%	1.49%	1.45%	-0.04%
Garhwal	9.97%	7.57%	-2.41%	0.28%	0.86%	0.58%	7.27%	6.43%	-0.84%	2.50%	1.30%	-1.21%	0.22%	0.00%	-0.22%
Hardwar	19.38%	11.00%	-8.38%	3.15%	2.14%	-1.00%	19.26%	9.87%	-9.39%	13.47%	8.20%	-5.27%	7.43%	7.20%	-0.23%
Nainital	11.60%	7.68%	-3.92%	1.58%	0.59%	-0.99%	9.61%	6.72%	-2.89%	4.01%	3.99%	-0.02%	3.11%	2.49%	-0.62%
Pithoragarh	11.36%	5.57%	-5.78%	1.00%	1.05%	0.04%	9.12%	4.99%	-4.13%	3.26%	1.35%	-1.91%	0.20%	0.71%	0.51%
Rudraprayag	11.53%	4.05%	-7.48%	0.36%	0.14%	-0.22%	8.70%	3.76%	-4.94%	2.86%	1.35%	-1.51%	0.38%	0.70%	0.32%
Tehri Garhwal	16.80%	6.97%	-9.84%	1.29%	0.47%	-0.82%	14.97%	5.80%	-9.18%	4.01%	1.68%	-2.33%	0.00%	0.14%	0.14%
Udham Singh Nagar	18.54%	8.90%	-9.64%	1.86%	1.06%	-0.80%	16.40%	8.14%	-8.26%	10.28%	6.66%	-3.62%	6.26%	3.20%	-3.06%
Uttarkashi	20.10%	7.86%	-12.24%	1.40%	0.77%	-0.63%	18.16%	6.30%	-11.86%	5.11%	1.83%	-3.30%	1.42%	1.14%	-0.28%

स्रोत : स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

तालिका–23.5

District	Dimensions and Indicators											
	Standard of Living											
	Cooking Fuel (A household cooks with dung, agricultural crops, shrubs, wood, charcoal or coal).			**Sanitation** (The household has unimproved or no sanitation facility or it is improved but shared with other households).			**Drinking Water** (The household does not have access to improved drinking water or safe drinking water is at least a 30-minute walk from home (as a round trip).			**Electricity** (The household has no electricity).		
	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time	2016	2021	Change over time
Almora	23.64%	9.12%	-14.52%	13.06%	2.61%	-10.45%	9.66%	2.53%	-7.13%	1.99%	0.09%	-1.90%
Bageshwar	19.58%	6.75%	-12.84%	11.29%	2.26%	-9.03%	7.41%	2.76%	-4.66%	1.45%	0.10%	-1.35%
Chamoli	15.96%	6.35%	-9.61%	10.89%	1.87%	-9.03%	3.77%	1.30%	-2.47%	1.74%	0.22%	-1.52%
Champawat	21.63%	8.24%	-13.39%	16.03%	4.50%	-11.53%	5.89%	2.07%	-3.82%	4.08%	0.11%	-3.97%
Dehradun	4.69%	0.79%	-3.90%	4.56%	1.76%	-2.80%	0.05%	0.15%	0.10%	0.33%	0.16%	-0.18%
Garhwal	11.34%	8.33%	-3.02%	8.23%	3.92%	-4.31%	4.69%	4.12%	-0.57%	1.39%	0.43%	-0.96%
Hardwar	22.40%	12.13%	-10.26%	14.40%	9.81%	-4.59%	0.40%	0.00%	-0.40%	1.49%	0.07%	-1.42%
Nainital	11.19%	8.93%	-2.25%	7.47%	5.94%	-1.54%	1.71%	4.70%	2.99%	0.81%	0.87%	0.06%
Pithoragarh	13.21%	5.67%	-7.54%	9.83%	2.70%	-7.13%	5.63%	1.56%	-4.07%	1.34%	0.00%	-1.34%
Rudraprayag	13.47%	4.88%	-8.60%	9.68%	3.02%	-6.66%	4.98%	1.44%	-3.55%	0.64%	0.11%	-0.53%
Tehri Garhwal	19.03%	7.68%	-11.35%	12.31%	3.95%	-8.36%	10.48%	3.56%	-6.93%	1.32%	0.03%	-1.28%
Udham Singh Nagar	19.62%	6.99%	-12.63%	15.30%	5.89%	-9.42%	1.26%	0.10%	-1.16%	1.90%	0.20%	-1.70%
Uttarkashi	23.89%	9.43%	-14.46%	20.69%	6.41%	-14.27%	13.38%	1.78%	-11.60%	3.78%	0.30%	-3.48%

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

तालिका–23.6

District	Dimensions and Indicators								
	Standard of Living								
	Housing (The household has inadequate housing: the floor is made of natural materials, or the roof or wall are made of rudimentary materials).			**Assets** (The household does not own more than one of these assets: radio, TV, telephone, computer, animal cart, bicycle, motorbike, or refrigerator, and does not own a car or truck).			**Bank Account** (No household member has a bank account or a post office account).		
	2016	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**
Almora	24.87%	8.14%	-16.73%	12.18%	3.75%	-8.43%	1.95%	0.34%	-1.61%
Bageshwar	15.93%	5.55%	-10.38%	11.62%	2.79%	-8.82%	1.04%	0.39%	-0.65%
Chamoli	15.77%	3.62%	-12.15%	9.98%	2.77%	-7.21%	1.39%	0.42%	-0.96%
Champawat	20.23%	7.54%	-12.69%	12.57%	4.01%	-8.56%	2.10%	0.67%	-1.42%
Dehradun	3.29%	0.08%	-3.22%	2.19%	0.29%	-1.90%	0.47%	0.16%	-0.31%
Garhwal	9.67%	6.16%	-3.51%	5.55%	4.26%	-1.29%	2.08%	1.06%	-1.01%
Hardwar	14.39%	5.87%	-8.52%	5.66%	3.01%	-2.65%	6.13%	2.11%	-4.02%
Nainital	8.03%	7.92%	-0.11%	5.11%	5.06%	-0.05%	3.37%	2.20%	-1.17%
Pithoragarh	11.96%	3.87%	-8.09%	7.79%	1.64%	-6.15%	1.05%	0.02%	-1.02%
Rudraprayag	11.81%	3.54%	-8.27%	8.13%	1.84%	-6.29%	1.35%	0.21%	-1.14%
Tehri Garhwal	12.90%	4.65%	-8.25%	8.81%	2.92%	-5.89%	0.56%	0.32%	-0.24%
Udham Singh Nagar	16.02%	5.86%	-10.16%	4.54%	2.22%	-2.32%	6.79%	0.33%	-6.46%
Uttarkashi	19.62%	6.30%	-13.31%	16.83%	5.54%	-11.29%	1.30%	0.62%	-0.68%

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

तालिका–23.7

	Dimensions and indicators														
	Health									Education					
	Nutrition (Any child between the ages of 0 to 59 months, or woman between the ages of 15 to 49 years, or man between the ages of 15 to 54 years -for whom nutritional information is available - is found to be undernourished)			**Child Mortality** (A child/adolescent under 18 years of age has died in the family in the five-year period preceding the survey)			**Maternal Health** (Any woman in the household who has given birth in the 5 years preceding the survey, has not received at least 4 antenatal care visits for the most recent birth or has not received assistance from trained skilled medical personnel during the most recent childbirth.)			**Years of Schooling** (Not even one member of the household aged 10 years or older has completed six years of schooling)			**School Attendance** (Any school-aged child is not attending school up to the age at which he/she would complete class 8)		
District	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**
Almora	39.37%	22.82%	-16.55%	2.32%	0.74%	-1.58%	30.67%	18.79%	-11.88%	6.14%	7.01%	0.87%	0.19%	0.60%	0.41%
Bageshwar	36.18%	23.20%	-12.98%	1.64%	1.59%	-0.05%	30.70%	19.05%	-11.65%	6.44%	4.53%	-1.91%	0.51%	0.62%	0.10%
Chamoli	28.36%	20.59%	-7.78%	2.53%	2.17%	-0.36%	29.02%	21.32%	-7.70%	5.35%	3.60%	-1.75%	0.14%	0.54%	0.40%

Champawat	32.61%	22.60%	-10.02%	3.18%	1.43%	-1.75%	30.93%	23.27%	-7.66%	8.73%	5.98%	-2.75%	2.47%	1.02%	-1.45%
Dehradun	28.91%	19.47%	-9.44%	1.56%	0.95%	-0.61%	20.40%	9.84%	-10.61%	6.68%	3.23%	-3.45%	1.81%	4.45%	2.64%
Garhwal	26.03%	21.77%	-4.26%	1.18%	1.10%	-0.08%	21.19%	21.27%	0.08%	5.01%	5.69%	0.68%	0.85%	0.70%	-0.15%
Hardwar	37.94%	27.36%	-10.58%	4.30%	3.29%	-1.00%	36.49%	27.27%	-9.22%	16.51%	12.23%	-4.29%	10.20%	11.68%	1.45%
Nainital	30.91%	22.91%	-8.03%	2.32%	1.65%	-0.67%	24.09%	21.32%	-2.78%	5.76%	5.91%	0.12%	3.88%	3.32%	-0.56%
Pithoragarh	23.30%	20.06%	-3.24%	2.33%	1.95%	-0.38%	24.25%	16.04%	-8.21%	6.79%	4.03%	-2.76%	0.41%	0.83%	0.42%
Rudraprayag	23.90%	16.86%	-7.05%	0.77%	0.91%	0.14%	23.52%	18.71%	-4.81%	6.52%	4.85%	-1.67%	0.38%	1.56%	1.17%
Tehri Garhwal	35.12%	21.82%	-14.30%	2.61%	1.17%	-1.44%	29.46%	21.10%	-8.26%	8.07%	7.82%	-0.25%	0.00%	0.65%	0.65%
Udham Singh Nagar	36.49%	27.61%	-8.87%	2.88%	2.27%	-0.61%	33.53%	22.13%	-11.41%	14.50%	12.68%	-1.82%	8.89%	5.47%	-3.41%
Uttarkashi	33.03%	24.54%	-8.48%	2.80%	1.86%	-0.93%	26.45%	17.45%	-9.00%	7.06%	5.19%	-1.87%	1.72%	2.06%	0.34%

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

तालिका–23.8

	Dimensions and Indicators											
	Standard of Living											
	Cooking Fuel (A household cooks with dung, agricultural crops, shrubs, wood, charcoal or coal)			**Sanitation** (The household has unimproved or no sanitation facility or it is improved but shared with other households)			**Drinking Water** (The household does not have access to improved drinking water or safe drinking water is at least a 30-minute walk from home (as a round trip)			**Electricity** (The household has no electricity)		
District	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**
Almora	74.02%	67.18%	-6.84%	33.77%	10.54%	-23.23%	25.12%	12.11%	-13.02%	2.65%	0.12%	-2.53%
Bageshwar	80.84%	66.80%	-14.03%	31.44%	11.67%	-19.77%	21.67%	16.09%	-5.58%	2.38%	0.18%	-2.20%
Chamoli	67.63%	66.47%	-1.16%	34.99%	12.63%	-22.37%	12.31%	9.59%	-2.71%	4.22%	0.46%	-3.76%
Champawat	72.53%	60.79%	-11.75%	39.85%	17.29%	-22.55%	13.49%	9.26%	-4.22%	7.16%	0.47%	-6.69%
Dehradun	16.96%	13.15%	-3.81%	23.18%	16.96%	-6.23%	0.61%	1.54%	0.94%	0.51%	0.16%	-0.36%
Garhwal	65.05%	54.07%	-10.98%	31.30%	16.77%	-14.54%	17.64%	19.52%	1.88%	1.74%	0.60%	-1.14%
Hardwar	59.80%	44.11%	-15.69%	39.90%	31.99%	-7.91%	0.70%	0.50%	-0.20%	2.03%	0.31%	-1.72%
Nainital	40.91%	31.59%	-9.32%	26.89%	17.81%	-9.08%	4.34%	10.70%	6.36%	1.22%	0.99%	-0.23%
Pithoragarh	65.45%	57.01%	-8.45%	37.64%	15.57%	-22.07%	19.19%	13.76%	-5.43%	2.54%	0.27%	-2.27%

Rudraprayag	71.63%	67.82%	-3.82%	31.31%	13.26%	-18.05%	22.72%	14.42%	-8.30%	0.92%	0.56%	-0.36%
Tehri Garhwal	68.22%	67.37%	-0.85%	33.71%	15.37%	-18.34%	28.13%	20.21%	-7.92%	1.83%	0.10%	-1.72%
Udham Singh Nagar	51.81%	40.06%	-11.75%	39.64%	29.67%	-9.96%	2.03%	1.04%	-0.99%	3.07%	0.45%	-2.62%
Uttarkashi	75.32%	71.92%	-3.40%	53.14%	24.36%	-28.78%	29.49%	6.44%	-23.05%	6.42%	0.47%	-5.95%

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

तालिका–23.9

	Dimensions and Indicators								
	Standard of Living								
	Housing (The household has inadequate housing: the floor is made of natural materials, or the roof or wall are made of rudimentary materials)			**Assets** (The household does not own more than one of these assets: radio, TV, te lephone, computer, animal cart, bicycle, motorbike, or refrigerator, and does not own a car or truck)			**Bank Account** (No household member has a bank account or a post office account)		
District	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**	**2016**	**2021**	**Change over time**
Almora	74.57%	54.41%	-20.16%	26.50%	15.63%	-10.87%	4.59%	1.76%	-2.83%
Bageshwar	52.37%	40.13%	-12.23%	29.73%	14.72%	-15.01%	2.41%	2.54%	0.13%
Chamoli	55.68%	29.85%	-25.83%	26.52%	14.97%	-11.54%	3.27%	3.94%	0.68%
Champawat	58.32%	42.62%	-15.71%	28.89%	16.51%	-12.37%	3.93%	2.42%	-1.51%
Dehradun	11.88%	6.62%	-5.25%	5.72%	2.99%	-2.73%	2.92%	1.95%	-0.97%
Garhwal	45.24%	33.05%	-12.19%	15.31%	16.35%	1.04%	5.88%	3.89%	-1.98%
Hardwar	29.39%	16.77%	-12.62%	9.27%	6.28%	-2.99%	10.58%	5.24%	-5.34%
Nainital	25.17%	21.78%	-3.39%	12.45%	9.75%	-2.70%	9.10%	4.10%	-4.99%
Pithoragarh	51.22%	32.59%	-18.63%	23.97%	11.23%	-12.74%	3.32%	1.08%	-2.24%
Rudraprayag	45.34%	24.05%	-21.29%	20.95%	15.12%	-5.84%	3.78%	2.68%	-1.10%
Tehri Garhwal	39.70%	18.06%	-21.6 4%	21.15%	15.20%	-5.95%	1.64%	1.56%	-0.08%
Udham Singh Nagar	40.40%	28.37%	-12.02%	7.79%	5.08%	-2.72%	12.95%	1.43%	- 11.53%
Uttarkashi	51.63%	29.84%	-21.79%	34.60%	20.15%	-14.54%	3.17%	3.03%	-0.14%

स्रोत : नीति आयोग भारत सरकार

अध्याय–24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports & Youth Welfare

खेल (Sports)

"सभी के लिये खेल,

सभी के लिए स्वास्थ्य"

सभी वर्गों को स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर करने, युवाओं की मानसिक व शारीरिक तंदुरस्ती बढ़ाये जाने तथा खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल संघों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, खेल अवस्थापना विकास, खेल छात्रावासों, उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना एवं खेल विद्यालय के संचालन के कार्य खेल विभाग में प्रमुख रूप से किये जाते हैं। खेलों के प्रदर्शन में राज्य ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतायें हासिल की है। राज्य ने ओलम्पियन तक के खिलाड़ी दिये हैं तथा इसी दिशा में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिभागिता कराये जाने एवं उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा खेल नीति 2021 प्रख्यापित की गयी है। जिसमें राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के प्रदेश में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुये स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	26
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	19
4	इंडोर क्रीड़ा हॉल	17
5	तरणताल	05
6	आईस स्केटिंग रिंक	01

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

उक्त तालिका में से 03 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम (यथा–चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, देहरादून), 06 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल (यथा– पिथौरागढ़–2, देहरादून–1, हरिद्वार–1 एवं ऊधमसिंह नगर–2 तथा 03 इंडोर हॉल यथा– नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में तथा 01 एक्वेटिक सेंटर (तरणताल), नैनीताल में निर्माणाधीन है।

24.2 जिला सेक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन:– योजनान्तर्गत माह मार्च, 2023 तक 9500 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 220.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 123.48 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर 2023 तक 15992 खिलाड़ी को लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजना:– माह मार्च, 2023 तक लगभग 3600 बालक एवं

बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 375.71 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 280.23 लाख की धनराशि व्यय कर 8840 खिलाड़ी लाभान्वित किये गये हैं।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 288.02 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 162.85 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3 राज्य सैक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः– इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति–2021 के प्राविधानों के आधार पर वर्तमान वर्ष 2023 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 457.45 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 120.58 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 99 खिलाड़ियों को प्रदान की गयी है। अन्य खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं,

24.3.2 खेल किट योजनाः–राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ₹ 5000.00 तक के ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹100.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.3 खेल संघो आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः– इस योजनान्तर्गत खेल संघो, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹ 6.25 लाख की धनराशि व्यय कर प्रतियोगिता के आयोजन एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः– योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार तथा प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः–उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में 1015 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹1164.52 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक 950 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹642.79 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः– देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 380 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 795.56 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 435.28 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः– योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान तक हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, क्याकिंग एंड कैनोईंग, जूडो, मिनी गोल्फ, हैण्डबॉल, सेपकटाकरा (Sepaktakraw) खेल की विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर 306 बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया गया हैं। इस हेतु माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 13.86 लाख का उपयोग किया गया है।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 11.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 2.68 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। माह जनवरी व फरवरी, 2024 तक बेसिक स्की कोर्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 60 प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे।

24.3.9 राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना– विभाग द्वारा राज्य के 08 से 14 वर्ष के 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹1500/खिलाड़ी एवं इसके साथ ही 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों हेतु भी प्रतिमाह ₹ 2000/खिलाडी छात्रवृत्ति के साथ ही वर्ष में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु ₹10000/– की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹11.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2023 तक ₹ 507.03 लाख का व्यय किया गया है।

24.3.10 खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता– राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है–

(1) मृत्यु होने की दशा मे– ₹ 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता –

(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता– ₹ 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता– ₹ 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार– ₹ 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1.00 लाख।

(4) बीमारी/साधारण चोट– ₹50 हजार अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।

24.3.11 राज्य के खिलाड़ियों को आउट

ऑफ टर्न नियुक्ति:– राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के राज्य के खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी–2 से श्रेणी– 3 तक आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासनादेश जारी किया गया। जारी शासनादेश के अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी।

24.3.12 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजना:– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 26 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 19 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल, 17 इंडोर क्रीड़ाहॉल, 05 तरणताल तथा 01 आईस स्केटिंग रिंक स्थापित हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 15000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 3697.9 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 1400.31 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.13 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना:– राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है–

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रस्तावित 200 मी0 सिंथैटिक एथलेटिक प्रैक्टिस ट्रैक का निर्माण।
2. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इंडोर क्रीड़ाहॉल नवीनीकरण का निर्माण कार्य।
3. जनपद देहरादून के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड में इंडोर क्रीड़ाहॉल के नवीनीकरण का कार्य।
4. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के क्रिकेट मैदान में चैंजिंग रूम का निर्माण कार्य।
5. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में नवनिर्मित एथलेटिक्स सिंथैटिक ट्रैक में 3000 क्षमता का दर्शक दीर्घा का निर्माण।
6. रोशनाबाद हरिद्वार के हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य।
7. जनपद देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।
8. परेड ग्राउण्ड देहरादून में निर्मित की गई खेल अवस्थापना सुविधाओं में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की सुविधा हेतु अतिरिक्त कार्य।
9. देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउण्ड के फर्नीशिंग कार्य।
10. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के रोड इंटर कनेक्शन, बाईडनिंग एवं पार्किंग के कार्य।
11. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के बैडमिंटन हॉल के अनुरक्षण कार्य।
12. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बॉक्सिंग हॉल के उच्चीकरण के कार्य।
13. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में क्रिकेट ग्राउण्ड का अनुरक्षण।
14. राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप में 200 बैडेड का छात्रावास निर्माण कार्य।
15. स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार के बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य।
16. स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद, हरिद्वार में दर्शक दीर्घा (Spectator stand), Parking, External drainage system का निर्माण कार्य।

वर्तमान में ₹ 8209.67 लाख की लागत धनराशि से

निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं–

1. देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर एवं गदरपुर में 01–01 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल का निर्माण।
2. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एथलेटिक्स पवेलियन भवन के उच्चीकरण के कार्य।
3. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एथलेटिक पवेलियन भवन में स्टील ट्रस व कैनोपी (Canopy) एवं दर्शकों हेतु सीट का निर्माण कार्य।
4. स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में टिन शैड का निर्माण कार्य।
5. नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के अतिरिक्त निर्माण कार्य।
6. जनपद– ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में वैलोड्रम का निर्माण।
7. स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार में स्वीमिंग पूल का निर्माण।
8. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत देहरादून में मल्टीपरपज हॉल का अतिरिक्त निर्माण कार्य।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु ₹1010.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 972.80 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना:– राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकास किया जा रहा है।

24.4.2 खेलो इण्डिया योजना:– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 01–01 खेल हेतु खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं एवं राज्य में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण तथा विभाग में पूर्व निर्मित एथलेटिक्स, हॉकी एवं फुटबॉल मैदानों में एस्ट्रोटर्फ/सिंथेटिक बिछाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

मुख्य उपलब्धियां/नवाचार
(Major Achievements)

- **मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना/ प्रोत्साहन योजना–** विभाग द्वारा 08 से 14 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹1500/–प्रति खिलाड़ी छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹2000/–प्रति खिलाड़ी छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही ₹10000/– प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है जो भविष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरान्वित करेंगे।
- **खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता प्रदान करना –** खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के दौरान एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के दौरान चोटिल अथवा मृत्यु होने पर खिलाड़ी को कम से कम ₹50 हजार एवं अधिकतम ₹05.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

- **मुख्यमंत्री खेल विकास निधि**– खिलाड़ियों को योजनाओं की पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एवं गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हांकित कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिये **"मुख्यमंत्री खेल विकास निधि"** का गठन किया गया है। जिसके अनुसार परिवार, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड व तहसील स्तर से प्रतिभागी को युवा वर्ग जिसमें उनको सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन व प्रतिस्पर्धा की जानकारी है, इस निधि से विकासखण्ड, तहसील व ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश तक श्रृंखलाबद्ध ढंग से एकरूपता देखने को मिलेगी।

- **आउट आफ टर्न सेवायोजन**– अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था हेतु शासनादेश को जारी किया गया है क्योंकि जीवन पर्यन्त खिलाड़ी खेल जगत में अपना भविष्य को बनाने में व्यस्त रहते हुये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित कर अपने राज्य को गौरान्वित करता है।

- **खिलाड़ियों के दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता में वृद्धि**– खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/ भोजन भत्ता ₹175.00/– से बढ़ाकर ₹250.00 प्रतिदिन किया गया है।

- **कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि** – खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है। जिन कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को पूर्व में ₹5,000, ₹7,000, ₹10,000, ₹14,000, ₹17,000 एवं ₹20,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, उनको वर्तमान में क्रमशः ₹12,000, ₹15,000, ₹20,000, ₹25,000, ₹35,000 एवं ₹45,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

तालिका–24.2
भावी योजनाएं वर्ष 2024–25

राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।	खिलाड़ियों को उनके खेलों में उच्च स्तर की शोध कार्य आदि किये जाने हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण
राज्य के खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण	इससे खिलाड़ी खेल कोटे के आधार पर राज्याधीन सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकता है।
राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करना।	महिला खिलाड़ियों को उनके खेलों में और अधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण एवं साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों को भी बनाये रखने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण।
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	केन्द्र की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी।

38वें राष्ट्रीयखेलों का आयोजन	उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया जायेगा।
राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं	राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गूलरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल, रूद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेंगी।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।
राज्य के खिलाड़ियों को राज्य परिवहन बसों में प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के दौरान निःशुल्क यात्रा	राज्य के खिलाड़ी एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता राज्य की परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
महाविद्यालयों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किये जाने की योजना	इस योजना से राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु खेल कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर पायेंगे।

तालिका–24.3

खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदान किये गये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी / प्रशिक्षक का नाम	खेल का नाम	देय धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	प्रियांशु	एथलेटिक्स	300000.00
		आनन्द सिंह	एथलेटिक्स	75000.00
		शपथ भारद्वाज	शूटिंग	250000.00
		गौरव कुमार	रोइंग	225000.00
		भावना टाकुली	फेन्सिंग	140625.00
		मनदीप कौर	पैरा बैडमिन्टन	1125000.00
		मनोज सरकार	पैरा बैडमिन्टन	3000000.00
		चिराग बरेठा	पैरा बैडमिन्टन	1125000.00
		निर्मला देवी	पैरा बैडमिन्टन	375000.00
		प्रेमा विश्वास	पैरा बैडमिन्टन	375000.00
		नीरजा गोयल	पैरा बैडमिन्टन	375000.00
		नैना अधिकारी	क्याकिंग कैनोईंग	187500.00
		राहुल सरनालिया	एथलेटिक्स	200000.00
		कुल		**7753125.00**

स्रोत खेल विभाग उत्तराखण्ड

तालिका–24.4

खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदान किये गये राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खेल का नाम	पदक	देय धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय स्तर पर पदक	एथलेटिक्स	13	342500
		बैडमिन्टन	02	34821
		बॉक्सिंग	08	467500
		डैफ शूटिंग	02	400000
		ताइक्वांडो	25	1220000
		क्याकिंग कैनोइंग	02	800000
		रोइंग	02	330000
		पैरा खेल	22	2463122
		मास्टर्स एवं सिविल सर्विसेज	10	272500
		योग	86	6695443.00

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.5 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल Youth Welfare & PRD

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा युवाओं के कल्याणार्थ, स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

24.5.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 63.86 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष ₹ 9.08 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 678 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

24.5.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 32.23 लाख की धनराशि स्वीकृति हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 16.57 लाख धनराशि व्यय करते हुए कुल 385 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग किया गया है।

24.5.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटि एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति योजना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 2947.24 लाख की धनराशि अवमुक्त करायी गयी, जिससे स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में शासकीय कार्यों सम्पादनार्थ तैनात कर

₹ 1657.96 लाख का उपयोग करते हुए 2,95,534 मानव दिवस रोजगार सृजित किये गये।

24.5.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड– योजनान्तर्गत युवक मंगलदल/ महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 5.61 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 1.00 लाख की धनराशि व्यय करते लगभग 138 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किये गये।

24.5.5 युवा केन्द्र की स्थापना/रख–रखाव– योजनान्तर्गत खेल प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 4.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिससे युवा केन्द्रों में अनुरक्षण आदि का कार्य किया जायेगा।

24.5.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 13.64 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 0.50 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 10 व्यायामशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 41.31 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 6.06 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 81 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.5.8 युवा महोत्सव– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 40.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 5.51 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 26 दलों को योजना से लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया गया।

24.6 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.6.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा **"खेल महाकुम्भ"** का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर लगभग 2.50 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 2200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है तथा अवमुक्त के सापेक्ष माह दिसम्बर 2023–24 तक ₹ 1103.05 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.6.2 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष माह

दिसम्बर 2023 तक ₹ 325.75 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। योजनान्तर्गत उधमसिंहनगर, नैनीताल व देहरादून में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य गतिमान है।

उक्त के अतिरिक्त मिनी स्टेडियम/खेल मैदान निर्माण हेतु ₹ 1500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। वर्तमान तक कुल 85 खेल अवस्थापनाये निर्मित हैं तथा 28 मिनी स्टेडियम/खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 450.84 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 18 खेल अवस्थापनाओं हेतु धनराशि जारी की गयी है।

24.6.3 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करवाया जाता है। आयोजन के सफल निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 1000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें राज्य के लगभग 650 कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

> इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया है, जिससे युवाओं को राज्य की संस्कृति से जोड़ा जा सके। राज्य स्तर पर हुए आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सांस्कृतिक दलों/ कलाकारों के कुल 65 विजेता प्रतिभागियों को महाराष्ट्र के नासिक में 12 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने हेतु भेजा गया।

24.6.4 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में निर्मित खेल मैदानों, मिनी स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के रख–रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 02 खेल प्रशिक्षक तैनात किये जाने की योजना स्वीकृत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकासखण्ड में 01 खेल प्रशिक्षक की तैनाती की गयी है। इस हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

24.6.5 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय अर्द्धसैन्य पुर्नप्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वो, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी प्रदान कर रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष लगभग 200 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

> 1– प्रान्तीय रक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 286 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
>
> 2– शासनादेश संख्या–566/VI-4/2023–31 (पु0क0) 2003 देहरादून 30 अगस्त 2023 के द्वारा पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अपंग/ मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा मे उनके आश्रित को पी0आर0डी0 के माध्यम से पंजीकृत करते हुए रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था भी की गयी है।

24.6.6 निर्वाचन एवं कुम्भ मेला में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती– राज्य में इस वर्ष हुए चारधाम यात्रा, उप निर्वाचन में राज्य के लगभग 3221 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न चैकपोस्टों तथा निर्वाचन के दौरान अपनी ड्यूटी दी गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 565.49 लाख तथा पुलिस विभाग से प्राप्त ₹ 1483.06 लाख की धनराशि मानदेय हेतु जनपदों को उपलब्ध करायी गयी।

24.6.7 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में समस्त जनपदों में 325 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना लक्षित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 49.95 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है।

24.6.8 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अन्तंगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 35.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.9 मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना– राज्य के सभी युवा मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की गयी। विगत वर्ष योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 13531 युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के क्रियान्वयन हेतु उनके बैंक खातों में ₹ 14,268/प्रति मंगल दल की धनराशि उपलब्ध करायी गयी तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 2000 दलों को लाभान्वित करने हेतु ₹ 194.01 लाख की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है।

24.6.10 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम– योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2023–24 ₹ 499.74 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत 2400 युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (हैल्थकेयर मल्टीपरपज वर्कर), सेल्फ इम्पलॉईड टेलर (कटिंग टेलरिंग– सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण), असिस्टेन्ट इलेक्ट्रीशियन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

24.6.11 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति योजना के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ के सोसा में मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर है तथा जनपद उधमसिंहनगर में खेल मैदान निर्माण का प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

24.6.12 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं विभिन्न युवा दिवसों का आयोजन– स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को Youth as job creators

नामक थीम आवंटित की गयी है। साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं हेतु जनपद एवं राज्य स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु ₹ 20.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

24.6.13 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर

विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 60600 छात्र संख्या आवंटित है। इसके अंतर्गत सामान्य तथा विशेष शिविरों के आयोजन किये जाते हैं, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन0एस0 एस0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है।

भविष्य की योजनाएं

- ग्राम पंचायत अथवा विकासखण्ड स्तर पर युवाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त कराने हेतु एवं मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष आने वाली आपदाओं के मद्देनजर पी0आर0डी0 के युवाओं का एक आपदा राहत दल स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तक प्रथम राहतकर्ता का कार्य करेंगे तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं राहत उपकरणों से परिपूर्ण होंगे। प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक जनपद में 20–25 युवाओं की यूनिट गठित की जाएगी।
- ग्रामीण युवाओं को राज्य के विकास एवं गवर्नेंस में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उन्हें संगठित एवं चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक है, इस हेतु युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण एवं सुदृढ़ीकरण की विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है।
- वर्तमान में विभाग के कार्यों के विस्तार एवं युवाओं के विकास हेतु बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है। प्रत्येक विकास खण्ड में 01 मात्र क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी (बी0ओ0) कार्यरत है। युवा कल्याण के कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु बी0ओ0 के सहायतार्थ स्वयंसेवक/युवा मित्रों की तैनाती का भी प्रस्ताव है।
- युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु नयी युवा नीति का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- दृष्टिपत्र के अनुसार भविष्य में युवा आयोग के गठन हेतु भी प्रयास किया जायेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)

- राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के माध्यम से युवाओं को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। संस्थायें भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2023–24 में वित्त पोषण के अन्तर्गत 60600 छात्र संख्या आवंटित की गयी है। स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत 5000 छात्र संख्या 27 शिक्षण संस्थाओं को आवंटित की गयी है
- एनएसएस के अर्न्तगत राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के माध्यम से युवाओं को विभिन्न राज्यों में प्रतिभाग कराया जाता है।
- गणतंत्र दिवस परेड में प्रत्येक वर्ष 04 युवाओं को राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।
- साहसिक शिविर के माध्यम से 20 युवाओं को हिमाचल के हटकोटी में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।
- युवा महोत्सव में राज्य की ओर से 12 युवाओं को प्रतिभाग हेतु महाराष्ट्र नासिक भेजा गया है।
- वर्तमान में राज्य में 27 शिक्षण संस्थाओं में स्ववित्त पोषित इकाइयों के माध्यम से एन एस एस कार्यक्रम संचालित हैं

अध्याय–25
समाज कल्याण
Social Welfare

उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 10086292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1892516 व अनुसूचित जाति की जनसंख्या 291903 हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 19 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 03 प्रतिशत है।

समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य

समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, मानसिक रोगी एवं समाज के असहाय व्यक्तियों सहित सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्तियों एवं समूहों को विभिन्न योजनाओं से सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। आश्रित वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को हर सम्भव सहायता प्रदान करना तथा वित्तीय सहायता (पेंशन, अनुदान, छात्रवृत्ति) और सामग्री सहायता (दिव्यांगों तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिये उपकरण आदि) राज्य की लक्षित आबादी को प्रदान करना है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर वंचित वर्ग को सामान्य वर्ग के स्तर पर लाना है।

राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के अन्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं महिलाओं हेतु संचालित की जा रही है, जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्नानुसार है:–

25.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं:–

विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन एवं दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसकी दिसम्बर, 2023 तक की प्रगति चार्ट 25.1 एवं 25.2 में निम्न प्रकार है:–

चार्ट 25.1

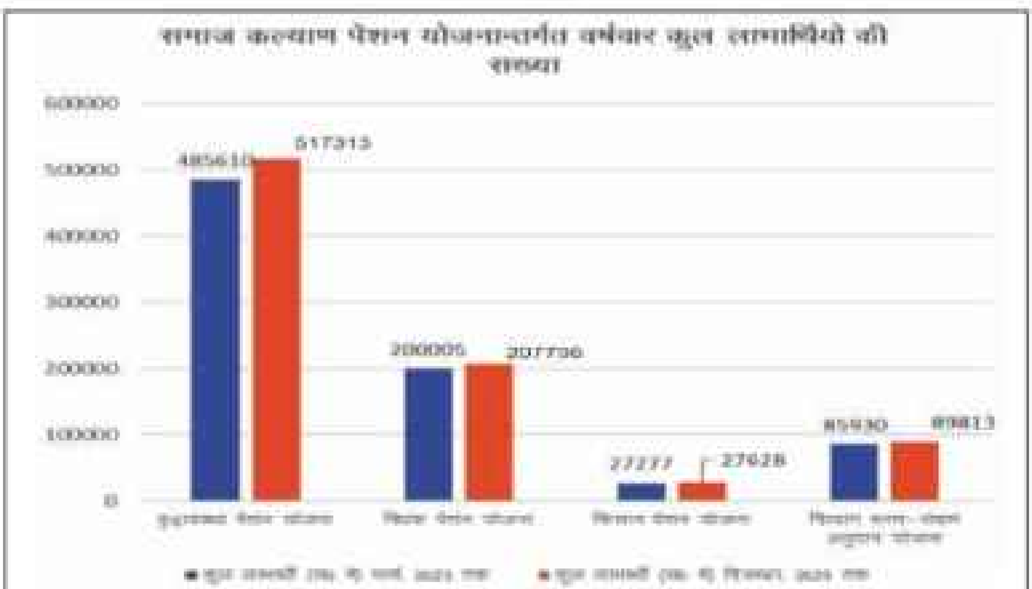

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 25.2

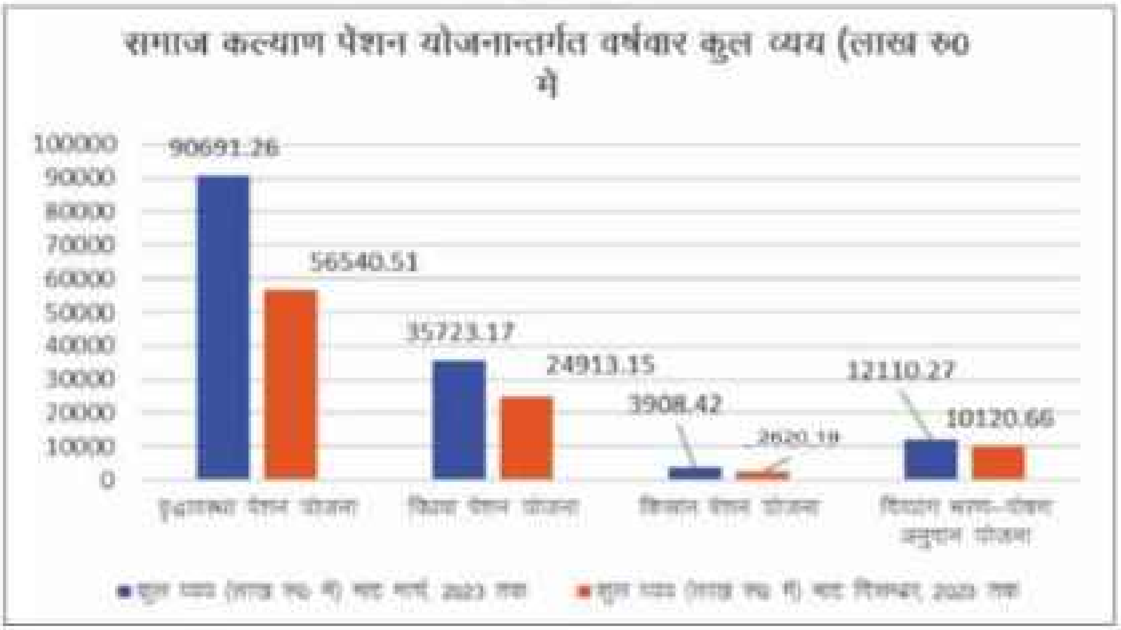

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं:–

25.2.1 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभिभावको की कोई आय सीमा नही है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल(National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक ₹41.87 लाख की धनराशि व्यय कर 5523 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.2 अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रुपये 2.50 लाख तक है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹430.53 लाख की धनराशि व्यय कर 14342 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.3 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति:– वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का प्रत्येक तीन माह में लाभार्थियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान था। जिसे मासिक भुगतान किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है

25.3 अनुसूचित जाति के लिए अन्य योजनाएं:–

25.3.1 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवास विहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत ₹171.00 लाख की धनराशि व्यय कर 285 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। **शासनादेश संख्या 1329/XVII-2/22-19(01)2019 दिनांक 18 नवम्बर 2022 के द्वारा आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹1,20,000 निर्धारित कर दी गई है तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹48,000 वार्षिक अथवा इससे कम होगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹200 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है।** वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर 2023 तक ₹ 94.70 लाख की धनराशि व्यय कर 204 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन:– शासनादेशानुसार निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में बाह्य विद्यार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना के संचालन हेतु ₹800.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है।

25.3.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदान:– वर्तमान में विभाग द्वारा 10 विद्यालय एवं 2 छात्रावास संचालित है, जिनमें 05 आवर्तक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह मार्च, 2023 तक ₹118.57 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर, 2023 तक ₹45.84 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन:– विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹610.03 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2023 तक ₹258.05 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹621.57 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। माह–दिसम्बर, 2023 तक ₹204.17 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:– विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹373.01 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह मार्च, 2023 तक ₹266.26 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियो के लिए ₹378.51 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह– दिसम्बर, 2023 तक ₹189.79 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.6 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में

अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत ₹3000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह मार्च, 2023 तक ₹2971.24 लाख की धनराशि से 183 योजनायें स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹4000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–दिसम्बर, 2023 तक ₹1008.87 लाख की धनराशि से 121 योजनायें स्वीकृत की गयी।

25.3.7 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना:– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत ₹142.11 लाख की धनराशि व्यय कर 139 बालकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत ₹106.38 लाख की धनराशि व्यय कर 139 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.8 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) — सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य हेतु 500 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्राम, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक की आबादी अनुसूचित जाति की हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सभी अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार हो। इन ग्रामों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाओं की सुविधाऐं मिलेंगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले ताकि वह अपनी संभाव्यताओं को पूरा उपयोग कर सके। इस प्रकार योजना में चयनित ग्रामों को एक "**आदर्श ग्राम**" बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें केन्द्र सरकार से अन्तर–पाटन निधि (Gap-Filling Fund) के रूप में रू0 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख प्रति ग्राम निर्धारित है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक कुल ₹ 4483.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 तक ₹ 4038.77 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वर्तमान तक राज्य में चयनित 385 ग्रामों के सापेक्ष निम्नलिखित 78 ग्रामों को ऑनलाईन "आदर्श ग्राम" घोषित किया गया है–

तालिका 25.1

क0	जनपद का नाम	अद्यतन ऑनलाईन घोषित आदर्श ग्रामों के नाम
1	नैनीताल (10 ग्राम)	चन्द्रनगर, दीनी तल्ली, दीनी मल्ली, कुरिया गांव, गॉधीनगर, ल्वेशाल, सारना, अधरिया, आनन्दनगर, बबियाड़।
2	अल्मोड़ा (8 ग्राम)	काभड़ी, नौला, रौल्यासागूठ, बगकोटा, नागाड़, झलोड़ी, बेलक, हरड़ामौलेखी।
3	पिथौरागढ़ (5 ग्राम)	चिटगल, कोटेरा, रणकोट, मैनी, ढालीसेरा।
4	बागेश्वर (4 ग्राम)	अनर्सा, रिखाड़ी, चौड़ा, चौगांवछीना।

5	चम्पावत (4 ग्राम)	हरिपुर नरसिंह डांडा, मौनकाण्डा, बिन्धा तिवारी, मंकुवा।
6	हरिद्वार (16 ग्राम)	सिकन्दरपुर, अन्नेकी हेतमपुर, पीतपुर, कुरडी, भगतोवाली माजरा, अलावलपुर, बुड्पुर जट, लाठरदेवाहुड़, नरसनखुर्द, पूरणपुर साल्हापुर, सहदेवपुर शाहबाजपुर, बुक्कनपुर, गंगनौली, महतौली, लखनौता, मुण्डेत।
7	देहरादून (7 ग्राम)	मलेथा, समाल्टा ददौली, धौरा, पपाडियान, बावनधार, मझगांव, सराड़ी।
8	उत्तरकाशी (4 ग्राम)	पौंटी, किसना, थाती, छैजुल्ला।
9	चमोली (5 ग्राम)	ढ़ालीसेरा, हेलग, चातोली, बूरा, जौरासी, मसौली।
10	टिहरी गढ़वाल (4 ग्राम)	रतौली, जखण्ड, ननगर, ककलोग, करखेडी।
11	पौड़ी गढ़वाल (1 ग्राम)	चपडेत।
12	ऊधमसिंहनगर (7 ग्राम)	खेलडिया, गदरपुरी, रतनपुरा, लखनपुर, नवलपुर, शिवराजपुर, भारतपुर।
13	रूद्रप्रयाग(3 ग्राम)	गोंटी,बोरा,भटवाड़ी।

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना (BJRCY) :– चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बालक एवं बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है–

(धनराशि ₹ लाख में)

तालिका 25.2

क्र सं.	छात्रावास का विवरण	निर्माण कार्य की कुल लागत	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून में 50 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	₹ 407.34	₹ 81.25	शासन के पत्र संख्या 442/ BJRH/ 2/ XVII-A-3/ 2023-11 (11) /2008-TC दिनांक 03 नवम्बर, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन परिषद रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाइंस नैनीताल में 100 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	₹ 567.75	₹ 162.50	
3	हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 50 बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	₹ 469.13	₹ 81.25	

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्ति योजनायें:–

25.4.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्ति:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत छात्र/छात्राओं में से कुल 4508 छात्र/छात्राओं को सत्यापित किया गया। उक्त 4508 छात्र/छात्राओं को वर्ष 2023–24 में Public Financial Management System के माध्यम से लाभान्वित जाना किया प्रस्तावित है, जिस पर कुल ₹ 35.56 लाख की धनराशि व्यय होगी।

25.4.2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त ₹ 2.33 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा उक्त खाते में पूर्व से जमा धनराशि व प्राप्त धनराशि ₹ 2.33 लाख को Public Financial Management System के माध्यम व्यय कर 1278 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शासन से प्राप्त कुल ₹. 5.99 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा उक्त खाते में पूर्व से जमा धनराशि व प्राप्त धनराशि ₹ 5.99 लाख को Public Financial Management System के माध्यम व्यय कर 3766 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

25.5 अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाएं:–

अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह मार्च, 2023 तक लाभार्थियों की संख्या तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 25.3

क्रम सं0	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	2029
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन	197
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	374
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	812

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.5.1 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 150.00 लाख का बजट प्राविधान था किन्तु जनपदों से मांग प्राप्त न हो पाने के कारण योजनान्तर्गत धनराशि व्यय नहीं हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक रू. 21.60 लाख की धनराशि व्यय कर 36 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

25.5.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500

प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत 8 कोचिंग संस्थानों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया है एवं योजनान्तर्गत 219 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित कर ₹ 53.38 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदान:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर्वतक अनुदान पर संचासित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 884.01 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा संचालित 25 प्राईमरी पाठशालाओं एवं 1 जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तो आदि का भुगतान किया गया है।

25.5.4 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन:– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल स्वीकृत छात्र/छात्राओं की क्षमता 3055 है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च, 2023 तक ₹ 2574.02 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 2029 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.5 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन:– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 250 है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह मार्च, 2023 तक कुल ₹ 193.05 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 197 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.6 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:– अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह मार्च, 2023 तक कुल ₹ 456.05 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 374 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.7 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन:– राज्य में पूर्व से संचालित तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के ग्राम महरावना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके भवन निर्माण हेतु डीपीआर गठन की कार्यवाही प्रचलित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संगठन समिति के खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जाती है एवं माह मार्च, 2023 तक 812 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास:– योजनान्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च, 2023 तक कुल ₹ 497.50 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च, 2023 तक कुल ₹ 295.86 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– योजनान्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च, 2023 तक कुल ₹ 111.36 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.12 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता:– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासन से प्राप्त कुल ₹ 306.02 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से धनराशि व्यय कर विभागीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय जनजाति छात्रावासों में Analytics Powered Virtual Classroom Project के अन्तर्गत E Learning Classroom स्थापित किये गये हैं, जिसके द्वारा विभागीय संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम/कैरियर काउन्सलिंग/कौशल विकास कार्यक्रम/अध्यापकों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये एवं अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है, जिसका नियंत्रण जनपद देहरादून में स्थापित स्टूडियो से किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजना का आरम्भ जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर, 2023) के अवसर पर किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजनान्तर्गत राज्य के 07 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल व चम्पावत) के 211 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पक्के मकान, विद्युतीकरण, पाइप से जलापूर्ति/सामुदायिक जल आपूर्ति, सम्पर्क मार्ग, छात्रावासों का निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, वनधन विकास केन्द्र की स्थापना व मोबाईल टावरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

25.6 अल्पसंख्यक कल्याण

विभाग के मूल उद्देश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक

कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़ सकें।

3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्ध है।

तालिका 25.4

पूर्वदशम छात्रवृत्ति का चार वर्षों का तुलनात्मक विवरण

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)
1.	2020-21	337	0.027
2.	2021-22	49	0.048
3.	2022-23	517	2.19
4.	2023-24		आवेदन प्रकिया गतिमान

स्रोत: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.1 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):–भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

तालिका 25.5

अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

वर्ष	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21	438	492	1.39
2021-22	438	658	1.69
2022-23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।

स्रोत: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 25.6

अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 % के सापेक्ष)

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21	3646	4604	3.35
2021-22	3646	5296	3.85
2022-23	3646	5930	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.2 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एम.एस.डी.पी) (90% के0स0) (PMJVK)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। पी.एम.जे.वि.के योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़कें, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित हैं।

तालिका 25.7 (धनराशि लाख ₹ में)

PMJVK Scheme	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
2021-22	4020.00	2365.45
2022-23	2300.00	311.53
2023-24 माह दिसम्बर 2023 तक	5700.00	27.82

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.3 अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापनाः–

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी माँग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹4.00 करोड़ की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

तालिका 25.8 (धनराशि लाख ₹ में)

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2020-21	300.00	300.00
2021-22	300.00	293.43
2022-23	500.00	456.09
2023-24 माह दिसम्बर 2023 तक	500.00	479.44

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.4 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

तालिका 25.9 (धनराशि लाख ₹ में)

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020-21	214.65	213.60	1381
2021-22	200.00	196.95	978
2022-23	300.00	183.60	1176
2023-24 माह दिसम्बर 2023 तक	300.00	151.65	850

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.5 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यों आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती है।

तालिका 25.10 (धनराशि लाख ₹ में)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य	प्राविधान	व्यय धनराशि / अवमुक्त	योजनाऐं
2020-21	500.00	494.05	85
2021-22	300.00	-	-
2022-23	1295.00	1294.93	75
2023-24 माह दिसम्बर 2023 तक	300.00	300.00	05

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.6 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः–

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकत्तम राशि ₹75000/– अनुदान तथा न्यूनतम ₹50000/– अनुदान दिये जाने जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

तालिका 25.11 (धनराशि लाख ₹ में)

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020-21	10.00	0.20	01
2021-22	10.00	0.30	01
2022-23	10.00	8.40	15
2023-24	10.00	4.95	08

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.6.7 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः– वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹60.25लाख की धनराशि जारी की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹39.07 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.6.8 वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिबुनल)

(1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन ट्रिबुनल स्थापित किया गया है।

(2) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यन्तर्गत वर्तमान में 02 वक्फ अधिकरण (गढ़वाल एवं कूमायूँ मण्डल) कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹26.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹9.03 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

25.7 विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न निदेशालय, निगम, आयोग, बोर्ड एवं समितियां

25.7.1 निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादूनः– अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है। निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹158.97 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹97.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.7.2 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादूनः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में आयोग को 80 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 33 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹124.52 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹71.92 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यः–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यॉकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों / विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
3. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।
4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

25.7.3 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादूनः– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक

उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।

- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कढ़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

25.7.4 उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादूनः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹123.33 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹42.05 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

तालिका 25.12

उत्तराखण्ड राज्य के तहतानिया/फौकानिया/आलिया (मुंशी–मौलवी) एवं आलिया (आलिम अरबी–फारसी), उच्च आलिया (कामिल, फाजिल) स्तर की मान्यता प्राप्त एवं संचालित मदरसों का जनपदवार विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	तहतानिया	फौकानिया	आलिया (मुंशी/मौलवी)	आलिया (अरबी/फारसी)	उच्च आलिया (कामिल/फाजिल)	योग
		कक्षा (1–5)	कक्षा (6–8)	कक्षा (9–10)	कक्षा (11–12)	स्नातक	
1	हरिद्वार	136	104	14	4	1	259
2	देहरादून	19	11	-	01	-	31
3	ऊधमसिंहनगर	42	42	18	7	4	113
4	नैनीताल	8	5	-	-	1	14
5	अल्मोड़ा	1	-	-	-	-	1
6	पिथौरागढ़	1	-	-	-	-	1
7	चम्पावत	1	-	-	-	-	1
	योग–	**208**	**162**	**32**	**12**	**6**	420

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.7.5 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रूड़की:– उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/स.क./02–87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने दिनांक 18, फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया।

तालिका 25.13

उत्तराखण्ड राज्य मे राज्य हज कमेटी मे वर्ष 2018 से 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण

क्र.स.	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन	हज हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2018	1220	4100	1293
2	2019	1232	3019	1555
3	2020	1278	2516	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2020 निरस्त।
4	2021	कोटा निर्धारित नहीं किया गया	710	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2021 निरस्त।
5	2022	607	742	564
6	2023	हज यात्रा 2023 हेतु आवेदन प्रक्रिया गतिमान।		

स्रोत: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

हज यात्रा 2023 माह मई–जून में प्रारम्भ होने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹101.11 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹25.17 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.7.6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल):– पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹198.18 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2023 तक ₹115.54 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.7.7 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून:– राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डो की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में माह दिसम्बर, 2023 तक ₹100.00 लाख की धनराशि वक्फ बोर्ड हेतु जारी की गयी हैं।

25.7.8 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून:– माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के

नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹17.00 लाख की धनराशि का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

25.8 दिव्यांग कल्याण

25.8.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना:– कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹10.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.8.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान:– दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान था, योजनान्तर्गत शासन के पत्रांक 106 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकतम धनराशि ₹7000 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकार चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। वर्ष 2023–24 में ₹ 88.00 लाख बजट प्राक्धान किया गया है, माह दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत ₹ 0.5 लाख की धनराशि व्यय कर 10 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

25.8.3 दिव्यांग दम्पतियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:– दिव्यांग दम्पतियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत 17.00 लाख की धनराशि व्यय कर 68 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत 1.00 लाख की धनराशि व्यय कर 04 दिव्यांग दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

25.8.4 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार:– प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, स्वतः रोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर "विश्व दिव्यांग दिवस" के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं ₹5000/– की धनराशि नकद दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹9.15 लाख की धनराशि व्यय कर 32 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत ₹8.60 लाख की धनराशि व्यय कर 65 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया।

25.8.5 सुगम्य भारत अभियान :– यह योजना मा० प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रारम्भ की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस

योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 शासकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹376.29 लाख की धनराशि व्यय कर 17 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून को दिव्यांगजनों के लिए बैरियर फ्री वातावरण बनाये जाने हेतु ₹28.645 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त 08 अन्य शासकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु द्वितीय संशोधित आगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित SIPDA योजनान्तर्गत ₹280.26 की धनराशि व्यय करते हुए गढ़वाल मण्डल विकास निगम के 44 पर्यटक विश्राम गृहों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाया गया।

25.9 महिला कल्याण

25.9.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोशण अनुदान योजनाः– परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अर्न्तगत ऐसी महिलायें आती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा पति द्वारा छोड़े जाने या लापता होने की सीमा 1 वर्ष से अधिक हो, आवेदिता द्वारा पति के लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो तथा आवेदिता बी0पी0एल0 परिवार की सदस्या हो अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे वार्षिक आय रू0 48000/– से अधिक नहीं हो। ऐसी महिलाओं को ₹1200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को 1400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक ₹960.23 लाख की धनराशि व्यय कर 5932 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक ₹ 636.80 लाख की धनराशि व्यय कर 6627 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

25.9.2 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/– से अधिक न हो। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्री ही पात्र होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि अनुदान प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत ₹439.00 लाख की धनराशि व्यय कर 878 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत ₹103.00 लाख की धनराशि व्यय कर 206 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.9.3 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी

पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/– से अधिक नही होनी चाहिए। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन सम्चालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनार्न्तगत ₹1903.50 लाख की धनराशि व्यय कर 3807 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह– दिसम्बर 2023 तक योजनार्न्तगत ₹ 525.00 लाख की धनराशि व्यय कर 1050 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.9.4 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो, जिनकी आय सीमा ₹ 15,000.00 वार्षिक हो/बी.पी.एल.श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो, की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान ₹ 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में आय सीमा ₹ 15,000.00 से बढाकर ₹ 48,000.00 वार्षिक कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च, 2023 तक ₹ 548.50 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 1097 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.10 पिछड़ी जाति कल्याण

25.10.1 पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना ऑनलाईन संचालित की जा रही है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख निर्धारित है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹162.76 लाख की धनराशि व्यय कर 10712 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.10.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति:– इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹1.50 लाख निर्धारित है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹672.73 लाख की धनराशि व्यय कर 3392 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.11 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

25.11.1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:– इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति

की मृत्यु होने पर ₹20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजनान्तर्गत ₹255.20 लाख की धनराशि व्यय कर 1276 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजना में ₹137.00 लाख की धनराशि व्यय कर 685 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.11.2 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–मार्च 2023 तक योजना में ₹158.25 लाख की धनराशि व्यय कर 101 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 से लाभार्थियो को सहायता राशि का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–दिसम्बर 2023 तक योजनान्तर्गत ₹103.86 लाख की धनराशि व्यय कर 89 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.11.3 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना:– दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 मे माह–मार्च 2023 तक ₹167.65 लाख की धनराशि व्यय कर 1076 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.11.4 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):– भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है।

25.11.5 वृद्धजनों हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य:– उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित वृद्धजनों के सामाजिक, स्वास्थ्य, रहन–सहन, खानपान एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद–उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹165.97 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को हस्तान्तरित हो चुका है। जनपद देहरादून में 50 वृद्धजनों की क्षमता का ₹499.55 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वृद्धाश्रम का संचालन वित्तीय वर्ष 2024–25 से कराया जाना प्रस्तावित है। जनपद अल्मोड़ा एवं चम्पावत में राजकीय वृद्धाश्रम निर्माण कार्य हेतु आगणन प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये गये है।

25.11.6 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID (UDID):– विभाग द्वारा प्रदेश के 100198 दिव्यांगजनों के आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत कर अद्यतन 88785

दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये गये हैं।

25.11.7 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माणः– जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम–फुलसुंगा में 50 मानसिक रोगियों की क्षमता हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹187.40 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹161.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण कर विभाग को हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

25.12 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0:–

25.12.1 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनाः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 85 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए ₹ 42.50 लाख अनुदान तथा ₹42.50 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

25.12.2 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण):– वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 तक अनुसूचित जाति के कुल 1000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹60.61 लाख की धनराशि व्यय की गई व कुल 90 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹5.40 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.12.3 शिल्पी ग्राम योजनाः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक अनुसूचित जाति के 120 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹7.62 लाख तथा अनुसूचित जनजाति में 160 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹9.90 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.12.4 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY):– उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी से प्रारम्भ हुई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई थी। जिसमें आजीविका योजना के अन्तर्गत कुल 145 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है जिसमें कुल 3522 लाभार्थी सम्मिलित है एवं कौशल विकास प्रशिक्षण योजना में कुल 52 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। जिसमें कुल 4649 लाभार्थी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कुल काल्पनिक आवंटन बजट ₹658.65 लाख का 25 प्रतिशत धनराशि ₹164.66 लाख (PM-AJAY Grant-Aid-In) में आवंटन किया गया है। जिसको व्यय करने की कार्यवाही गतिमान है।

ई–सुशासन

अध्याय–26

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

Science and Information Technology

26 सामान्य विवरण– शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु एक उपयोगी अवधारणाओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता, कार्य दक्षता एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी क्षीण किया है।

उत्तराखण्ड राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत मूल आधारभूत संरचना– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों को होरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान कर नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–गेटपास, ई–डिस्ट्रिक्ट, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन का कार्य तीव्रता से बढ़ रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक शासकीय प्रणाली के आवेदन के आलोक में जोखिमों को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। राजकीय इकाइयों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख व्यावसायिक उद्यम एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासकीय सेवाओं और डेटा की तैयारी और आदान–प्रदान का प्रावधान किया जा रहा है। आज, अधिकांश राजकीय सेवायें ई–शासन कार्यक्रमों को लागू करने के माध्यम से वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई०टी० आधारभूत संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

26.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 (Information Technology Policy) – राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

26.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security) – राज्य के आई०टी० अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा– निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशः Incident Response Mechanism

तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है। राज्य में नागरिकों को साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता के उद्देश्य से Chatbot (Cyber Doot) एवं गाँव स्तर तक जागरूकता हेतु CSC के साथ MoU (अनुबंध) की प्रक्रिया गतिमान है।

26.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, ई–डिस्ट्रिक्ट, एस०एस०डी०जी० एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी०एस०सी०), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

26.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)– वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी०एम० डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी०एस०आर० पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही हैं। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स को सुरक्षित रखने हेतु उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर हेतु डिसास्टर रिकवरी सेल की स्थापना की गयी है।

26.3.2 स्टेट डाटा सेन्टर नीति (State Data Centre Policy)–स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में 165 विभागों / संगठनों की ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है –

तालिका 26.1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	URL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]

33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]

64	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]

98	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]
111	[illegible]	[illegible]	[illegible]
112	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]
116	[illegible]	[illegible]	[illegible]
117	[illegible]	[illegible]	[illegible]
118	[illegible]	[illegible]	[illegible]
119	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
121	[illegible]	[illegible]	[illegible]
122	[illegible]	[illegible]	[illegible]
123	[illegible]		[illegible]
124	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125	[illegible]	[illegible]	[illegible]
126	[illegible]	[illegible]	[illegible]
127	[illegible]	[illegible]	[illegible]
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	[illegible]	[illegible]	[illegible]

130	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132	[illegible]	[illegible]	[illegible]
133	[illegible]	[illegible]	[illegible]
134	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140	[illegible]	[illegible]	[illegible]
141	[illegible]	[illegible]	[illegible]
142	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146	[illegible]	[illegible]	[illegible]
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]
149	[illegible]	[illegible]	[illegible]
150	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152	[illegible]	[illegible]	[illegible]
153	[illegible]	[illegible]	[illegible]
154	[illegible]	[illegible]	[illegible]
155	[illegible]	[illegible]	[illegible]
156	[illegible]	[illegible]	[illegible]
157	[illegible]	[illegible]	[illegible]
158	[illegible]	[illegible]	[illegible]
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]
160	[illegible]	[illegible]	[illegible]

341	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342	[illegible]	[illegible]	[illegible]
343	[illegible]	[illegible]	[illegible]
344	[illegible]	[illegible]	[illegible]
345	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्रोत आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.3.3 ई–जिला (E-District) 'अपणि सरकार पोर्टल'– ई–जिला परियोजना के अन्तर्गत 73 विभागों की 768 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों को Web Portal, Mobile Apps, ई–डिस्ट्रिक्ट एवं सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

- ✓ अपनी सरकार पोर्टल ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से प्रतिष्ठित **26वें राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार** प्राप्त किया।
- ✓ अपनी सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के NeSDA फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचाना गया है।
- ✓ पोर्टल को GIGW 2018 के आधार पर जाँच और मूल्यांकन किया गया है जिसमें वेबसाइट भारतीय सरकार की दिशानिर्देशों, 2018 के 86 गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- ✓ पोर्टल OWASP 2021 के शीर्ष 10 वलनरेबिलिटी से मुक्त है (सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित है)।
- ✓ सर्वर का वलनरेबिलिटी एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) मूल्यांकन CERT-in empanelled एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया है।

डी0बी0टी0 स्कीम के तहत 49 योजनाएं "अपणि सरकार" पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 23 योजनाएं आनलाईन होने की ओर अग्रसर हैं।

नागरिक योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 26.2

क्रमांक	विभाग का नाम	योजना के नाम
1	समाज कल्याण	विकलांगता पेंशन योजना (0–18 वर्ष)
2		विकलांगता पेंशन योजना (18 वर्ष+)
3		अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विवाह अनुदान
4		किसान पेंशन योजना (एससी)
5		किसान पेंशन योजना (एसटी)
6		वृद्धावस्था पेंशन योजना (एससी)
7		वृद्धावस्था पेंशन योजना (एसटी)
8		वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य)
9		विधवा पेंशन योजना (एसटी)
10		विधवा पेंशन योजना (एससी)
11		विधवा पेंशन योजना (सामान्य)
12		कक्षा 1 से 8 तक के एससी छात्रों और अईटीआई छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
13		विकलांगता पेंशन योजना(18+)
14		परित्यक्त निराश्रित अविवाहित महिलाओं और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पत्नी के लिए पेंशन
15		आश्रित विधवाओं की पुत्रियों के लिए विवाह अनुदान
16	अंतर्देशीय मत्स्य पालन	पहाड़ी क्षेत्रों में आदर्श मछली तालाब का निर्माण
17		विशेष घटक उपयोजना
18		जनजातीय उपयोजना
19		मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (एससीएसपी)
20		मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (टीएसपी)
21		राज्य मत्स्य इनपुट योजना
22	संस्कृत शिक्षा	संस्कृत पद्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण।
23		संस्कृत विद्यालयों में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति।
24	जनजातीय मामले	अनुसूचित जनसंख्या के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना

25	अल्पसंख्यक मामले	अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान
26		मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना
27	पशुपालन	भेड़ पालन योजना (एससी)
28		महिला बकरी पालन योजना (सभी)
29		गौ पालन योजना (एसटी)
30		(एससी) के लिए बकरी पालन योजना
31		गौ पालन योजना (एससी)
32		(ST) के लिए बकरी पालन योजना
33		भेड़ पालन योजना (एसटी)
34		बकरी पालन योजना (सभी)
35	डेयरी विकास	दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (अनु0 28)।
36		डेयरी विकास योजना (अनुदान 31)
37		महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 30)
38		दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (अनुदान 30)।
39		डेयरी विकास योजना (अनुदान 28)
40		महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 28)।
41		डेयरी विकास योजना (अनुदान 30)।
42		महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 31)।
43	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड	अशोक चक्र श्रृंखला (अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कृतिचक्र) के विजेताओं के लिए राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार।
44		पेंशन के लिए अनुदान और विशेष सेवा के बदले पुरस्कार।
45		राज्य सरकार द्वारा वीर चक्र विजेताओं को पूर्ण नकद पुरस्कार।
46		राज्य के सैनिकों को युद्ध से लेकर सेना पदक तक एकमुश्त राशि/वार्षिक अनुदान।
47	खेल विभाग	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार।
48		अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता
49		विशिष्ट खिलाड़ियों को पारितोषिक पुरस्कार।

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)– वर्तमान में राज्य में 24100 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 19003 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 9461 सी0एस0सी0 ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सी0एस0सी0 के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही हैं। जनपदवार सी0एस0सी0 का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 26.3

क्र0 सं0	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1.	उत्तरकाशी	1216	485
2.	चमोली	1275	529
3.	रुद्रप्रयाग	784	328
4.	टिहरी गढ़वाल	1300	712
5.	देहरादून	3237	1527
6.	पौड़ी गढ़वाल	2032	892
7.	पिथौरागढ़	1280	547
8.	बागेश्वर	817	381
9.	अल्मोड़ा	1368	676
10.	चम्पावत	624	335
11.	नैनीताल	2378	1238
12.	उधमसिंहनगर	3065	1067
13.	हरिद्वार	3323	1328
	कुल	24100	11605

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

सी0एस0सी0 के माध्यम से प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं (अपणि सरकार के अतिरिक्त) निम्नवत है–

1. State G2C Services:

A.: State Transport:

- ✓ Alteration of Motor Vehicle
- ✓ Change of Address in RC

- ✓ Duplicate
- ✓ Fitness Inspection/Certificate
- ✓ Fresh Permit.
- ✓ Hypothecation Addition
- ✓ Hypothecation Termination
- ✓ Issue of Duplicate RC
- ✓ Issue of NOC
- ✓ MV Tax
- ✓ RC Particulars Against Fee
- ✓ Renewal of Registration
- ✓ Transfer of Ownership

B. UPCL (Uttarakhand Power Corporation ltd.):

- ✓ Bill collection

C. UJS (Uttarakhand Jal Sansthan):

- ✓ Bill collection

2. Central G2C Services:

- ✓ Jeevan Pramaan Certificate
- ✓ Soil Health Card
- ✓ Public Grievances (CP GRAM)
- ✓ National Pension System
- ✓ Passport
- ✓ UTIITSL - PAN Card Service
- ✓ BBPS-Utility Bills

3. B2C Services:

- ✓ Videocon d2h: Recharge and Set Top box
- ✓ Income Tax Services
- ✓ GST Returns
- ✓ Digital Sign Certificate
- ✓ Mobile Recharge
- ✓ Mobile Bill Payments
- ✓ DTH Recharge

4. Banking:

- ✓ Bank Mitr: SBI, PNB, BOB, BOI, Axis, IDBI, UGB, & HDFC
- ✓ DIGI Pay and DIGI Lite
- ✓ Digital Financial Inclusion (Fast tag)

5. Education Related Services:

- ✓ CSC NIELIT Centre
- ✓ Tally Certification Program
- ✓ Basic Computer Course (BCC)
- ✓ NIOS Courses
- ✓ NIELIT Courses
- ✓ Sarkari Pariksha (Govt. Job Exam preparation)
- ✓ Tally Kaushal Praman Patra
- ✓ Competitive Exam ADDA 247

6. Health Services

- ✓ CSC medicine cell
- ✓ SSS (Sampoorn Swasthya Suvidha)
- ✓ Tele Medicine
- ✓ Health Homeo
- ✓ Medica Bazar

- ✓ ePashu Chikitsh
- ✓ Stree Swabhiman

7. Insurance Services:

- ✓ RAP Registration
- ✓ Life Insurance Premium Payment
- ✓ General Insurance
- ✓ Life insurance
- ✓ Pradhan Mantri Fasal beema Yojana

8. Agriculture:

- ✓ Kisan e Store
- ✓ IFFCO e bazar
- ✓ KVK (Kisan vigyan Kendra) Crop Health Care
- ✓ CSC e-Agri
- ✓ Lead Mahindra Tractor

9. Skill Development Services

- ✓ Self Paid Course

10. Training Courses

- ✓ ***Learn English:*** Certificate from British Council
- ✓ Cricket Strokes (Learn Cricket Online)

11. Travel Services:

- ✓ IRCTC
- ✓ CSC Travel (Air)
- ✓ Red Bus

12. LPG:

- ✓ LPG Sub distributor point (Indian, HP and Bharat)
- ✓ Gas booking

13. Loan Bazar:

- ✓ Different kinds of Loans from HDFC, Axis, Mahindra Finance, Piramal and PNB housing Finance.

14. National Pension Scheme for Traders and self employed persons:

- ✓ Registration of small Traders.

15. e-Store:

- ✓ Order Devices from CSC
- ✓ Distribution ship of Crompton, Tata Croma, ITel Mobile, Vivo Mobile, Oppo Mobile, Prestige Appliances, Cannon Printer, Evolis Printer, Lenovo Laptop, Patanjali Water, Cocacola and different kind local for vocal products

16. PM Kisan Samman Nidhi:

- ✓ Registration of Famers

17. PM-SYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan):

- ✓ Registration of unorganized workers

18. e- Shram

- ✓ Registration of unorganized workers

19. PM SVA Nidhi

- ✓ Registration of Street Vendors

20. PM-KYM (Pradhan Mantri Kisan Maandhan)

- ✓ Registration of Famers.

21. Tele Law

- ✓ E-Court

✓ Case Registration

22. PMJSYM (Pradhan Mantri Aarogya Yojna)

✓ Generation of Golden Card

✓ Generation of Ayushman Card

23. PDS (Public Distribution System)

✓ Automation Work

✓ CSC Conversion of PDS

24. GEM (Government e-Portal)

✓ Buyer Registration

✓ Seller Registration

25. Daak Mitra

✓ Parcel booking

26. PACS (Primary Agriculture Cooperative Societies)

✓ Conversion of PACS into CSC

27. e-Stamp

✓ CSC sub agent registration

26.3.5 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)– स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। । सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई०टी०डी०ए०) से विधान सभा व सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई०टी०डी०ए०) तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 44 विभागों की कनेक्टिविटी गतिमान है। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य के लगभग 13 जिले के 2012 कार्यालय संयोजित किये गये है, एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर ब्लॉक–तहसील स्तर तक अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क हेतु स्थापित उपकरणों को अपग्रेड कर दिया गया है।

26.3.6 डिजीलॉकर (Digi Locker)–डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 40 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके है तथा राज्य सरकार की "अपणि सरकार" सेवाओं से सम्बन्धित 31.08 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

26.3.7 वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Confrencing):– प्रथम चरण में सचिवालय, परिवहन, पुलिस व ब्लॉक स्तर तक लगभग 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना की गयी है। माह नवंबर, 2023 तक 2862 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्यॉन के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। वर्तमान में 139 केन्द्रो में वैकल्पिक आई०एस०पी० की सुविधा प्रदान की जा रही है।

26.3.8 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र (Skill Development Centre-CALC)- वर्तमान में आई०टी०डी०ए० कैल्क के अन्तर्गत 37 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आई०टी०डी०ए० द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई० डी०पी०एल०, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई०टी० स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब / डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों / बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं

प्रदान करना/ स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सकें।

आई0टी0डी0ए0 कैल्क उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा मान्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित है:–

ITDA-CALC द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने हेतु NCVET (National Council for Vocation Education and Training) जो कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, व्यावसायिक शिक्षा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मानको को डिजाइन करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, गैर–सांविधिक और नियामक निकाय है तथा प्रादेशिक स्तर पर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपने अंतिम चरणों में है।

उक्त मान्यता के पश्चात CALC के छात्रों को रोजगार प्राप्ति हेतु उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

तालिका 26.4

आई0टी0डी0ए0–कैल्क द्वारा वर्षवार अर्जित आय का विवरण

क्र0स0	वर्ष	अर्जित आय	टिप्पणी
1	2020–21	₹ 28,17,897	कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण गतिविधि प्रभावित हुई, जिसके फलस्वरूप पूर्व वर्षों की अपेक्षा अर्जित आय में कमी हुई है।
2	2021–22	₹ 31,86,524	
3	2022–23	₹ 21,73,544	
4	2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)	₹ 31,82,409	

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.4 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905'(CM Helpline '1905')–माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 452599 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 303173 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

26.8 ई–ऑफिस (E-Office)–वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "E-Office' का चयन किया गया है। इस क्रम में कर्मियों का मास्टर डाटा तैयार किया जा चुका है, 80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु गवर्नमेंट ई–मेल IDSC आई0डी0 निर्मित की जा चुकी है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया जा चुका है तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति कर सचिवालय प्रशासन को वितरित किये जा चुके हैं। ई–ऑफिस के संचालन हेतु आई0टी0डी0ए0 में सचिवालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

तालिका 26.5

Sl.No.	Item	Nos.
	ई–ऑफिस स्टैटस	
1	लाइसेंस की कुल संख्या	15000
2	लाइसेंस आवंटित	11000
3	उत्तराखंड के लिए बनाई गई ई–रसीदें	13140051
4	उत्तराखंड के लिए बनाई गई कुल ई–फाइलें	163951
A. ऑनबोर्डिंग स्टैटस		
	शामिल कुल विभागों की संख्या	418
B. ई–ऑफिस ट्रेनिंग स्टैटस		
1	सचिवालय	68
2	प्रबंध–विभाग	42
3	जिला	13
4	विभागों	41
5	एजेंसी	4
6	निगम	6
7	संगठन / बोर्ड	10
8	उप–विभागों	226
9	अन्य	8

स्रोत आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.5 स्टार्टअप हब (Start-up Hub)–आई0टी0 भवन में आई0टी0डी0ए0 द्वारा एस0टी0पी0आई0 **(Software Technolgy Park of India)** के साथ उत्तराखण्ड स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्कुबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये गये हैं एवं एक उत्कृष्ट केन्द्र "ड्रोन तकनीकी" हेतु स्थापित होगा।

वर्तमान मे 9 कंपनियां स्टार्टअप हब के तहत काम कर रही हैं ।

S.No	Name of company (PVT,LLP)	Website
1	R Based Service PVT LTD	http://www.rbasedservices.com
2	D - Town Robotic PVT LTD	http://www.dtownrobotics.com
3	Axle mechanic technologies Pvt ltd	https://www.wrencho.in
4	Acroknacks	https://www.acroknacks.com
5	CIIES DIT Dehradun ,Uttrakhand Pvt	https://personate.ai/
6	Dr. Design Pvt LTD	http://drdesignindia.com
7	Globiance Intelliweb Software Consultancy	https://omnisoftconsulting.com
8	Koders Korp LLP	https://koders.in
9	Droncharya Unmanned Aerospace Invotion (DUAI)	https://www.duai.in

स्रोत आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.6 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (Drone Application and Research Center)– ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी०ए०आर०सी०) सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी एवं नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (एन०टी०आर०ओ०) भारत सरकार की संयुक्त पहल से वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान स्थापित करना, मानव रहित प्रौद्योगिकी की उन्नति और अनुप्रयोग में उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, राज्य के अन्य क्षेत्रो जैसे वन सर्वेक्षण, कृषि इत्यादि के ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं स्थापित करना एवं अन्य विभागों द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी०ए०आर०सी०) के माध्यम से निम्नलिखित राज्य/केन्द्र सरकार विभागों के कर्मियों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों हेतु 100 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये एवं माह दिसम्बर 2023 तक 2745 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया–

- अर्द्धसैनिक बल यथा बी०एस०एफ०, सी० आर० पी० एफ०,सी० आई० एस० एफ०, आई० टी० बी० पी०।
- सिंचाई विभाग, पुलिस दूरसंचार विभाग, एस०डी०आर०एफ० विभाग, सू० प्रौ० के अन्तर्गत– स्वान इंजीनियर्स एवं ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर।
- आतंकवाद निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश।
- बजाज शिक्षण संस्थान से मूक एवं बधिर छात्रों व विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र।
- देहरादून के 30 अग्रणी किसानों जिनमें महिला किसान भी शामिल थी को, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के सम्बन्ध में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी०ए०आर०सी०) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ मिलकर हाल ही में जोशीमठ में भू–धंसाव का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया।

इस स्टेशन का उपयोग राज्य के दुर्गम एवं आपदा सम्भावित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन हेतु किया जा सकेगा। आगामी वर्षों में इस केन्द्र के माध्यम से मिशन प्लानर ऐप्लीकेशन, नगर नियोजन, वन्यजीव प्रबन्धन–वनाग्नि प्रबन्धन एवं – वन नियोजन प्रबन्धन हेतु ड्रोन तकनीकी का उपयोग एवं एकीकरण इत्यादि कार्य प्रस्तावित है।

26.7 ई–गेटपास (E-Gatepass)– आई० टी०डी०ए० द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत **https://egatepass.uk.gov.in** पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है । इस सिस्टम के माध्यम से 1.80 लाख से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं। राजभवन के लिए निमन्त्रण हेतु ई–इन्विटेशन ऐप्लिकेशन निर्माण कर क्रियान्वयन किया गया है।

26.8 आधार परियोजना–आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्य में नवंबर 2023 की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष आधार पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 26.6

S.No.	Age Group	Total Population (Projected 2023)	Total Aadhaar Generated	Saturation %
1	0-5 Yrs	887,144	552,079	62.23%
2	5-18 Yrs	2,518,509	2,690,434	106.70%
3	Above 18 Yrs	8,231,348	9,034,627	107.70%
Total		11,637,000	12,277,140	105.50%

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

26.10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही है:–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

26.10.1 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनों के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

26.10.2 राज्य सहायतित परियोजनाएं– वर्ष 2023–24 में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

26.10.3 डिजिटल डेटाबेस क्रिएशन– परियोजना का उद्देश्य जियोस्पाशियल सर्विसेज पोर्टल पर विभिन्न स्केलों पर सृजित डेटाबेस को नवीनतम सूचनाओं के साथ अपडेट करना तथा विभागीय कार्यों की समेकित रिपोर्ट तैयार कर विभिन्न रेखीय विभागों के लिए विभिन्न एप्लीकेशनों में कार्य करना है।

26.10.4 लैण्ड यूज एण्ड रूरल/अर्बन प्लानिंग– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य के टिहरी एवं उत्तरकाशी नगर क्षेत्रों का 1:4000 स्केल पर लार्ज स्केल मैपिंग करना एवं चमोली जनपद का 1:10000 स्केल पर लैण्ड यूज/लैण्ड कवर डाटाबेस तैयार करना है।

26.10.5 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट– परियोजना का उद्देश्य राज्य के अलकनंदा व पिण्डारी रीवर बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय डेटा व

मानसून वैरिएबलस एवं फील्ड सर्वेक्षण से मानचित्रीकरण एवं मूल्यांकन करना है। राज्य के टिहरी व अल्मोड़ा क्षेत्रों के सतही जलग्रहीय क्षेत्रों का मानसून पूर्व व बाद की प्री एवं पोस्ट वाटर क्वालिटी मैपिंग करना है। अल्मोड़ा क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक स्थलों के जल स्रोतों का फील्ड सर्वे कर एकत्रित डेटा एवं सूचनाओं का जी0आई0एस0 प्लेटफॉर्म में विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

26.10.6 वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन– परियोजना का उद्देश्य रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, हैजार्ड जोनेसन मैपिंग, बर्न्ट एरिया मैपिंग एवं ग्राउण्ड सर्वे द्वारा वेलिडेशन कर रिपोर्ट तैयार करना है। राज्य हित में चिन्हित औषधीय एवं आर्थिकी रूप से महत्वपूर्ण वन उपज– अमेश, बुरू, तेजपत्ता आदि का चिन्हिकरण एवं मानचित्रीकरण रिपोर्ट सृजन करना है। पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के कुछ स्थानो के लिए सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन कार्य सम्पन्न किया गया है। प्राकृतिक स्थलों/देव स्थलों की जैव विविधता/पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं के आंकलन हेतु किये गये सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उपरान्त जनपद– पिथौरागढ़ एवं चम्पावत हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

26.10.7 एग्रीकल्चर एवं हॉर्टीकल्चर– परियोजना का उद्देश्य मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग कर ऊधमसिंह नगर जिले के एक ब्लॉक में कृषि एवं उसके प्रकार का आंकलन करना साथ ही टैम्पोरल सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर चम्पावत जिले के लिए सक्रिय कृषि भूमि का आंकलन करना है। इसके अन्तर्गत कम्पोजिट उपग्रहीय डाटा से जिला– चम्पावत के लिए रबी सीजन 2021–22 में सक्रिय कृषि भूमि के आंकलन का कार्य जारी है तथा सैटेलाइट डेटा के माध्यम से उत्तरकाशी जिले के लिए लाल चावल की फसल का क्षेत्रफल आंकलन वर्ष 2023 के लिए किया गया।

26.10.8 उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS)– उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों की भूमि/परिसपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाये जाने हेतु उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेन्ट सिस्टम (UKGAMS) पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभागों एवं सरकारी परिसम्पत्तियों की पंजिका तैयार करा कर मौके की वास्तविक स्थिति का सैटेलाइट/ड्रोन/ विडियो द्वारा सत्यापन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति की जी0आई0एस0 फेन्सिंग कर यूनिक नम्बर आवंटित किया जा रहा है। उक्त हेतु यू–सैक द्वारा स्टेट डेटा सेन्टर में सर्वर स्थापित कर दिया गया है एवं पोर्टल सृजन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की अवधि वर्ष 2023–24, स्वीकृत धनराशि– ₹ 9.00 करोड़,

व्यय धनराशि– ₹ 2.5633 करोड़,

(माह दिसम्बर, 2023 तक)

26.10.9 ऐलीवे एन्क्रोचमेंट स्टडी ऑफ हरिद्वार एवं देहरादून– परियोजना का उद्देश्य हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहर के अन्तर्गत चिन्हित ब्लॉक्स में एलीवे एन्क्रोचमेंट क्षेत्रों का चिन्हिकरण कर जी0आई0एस0 आधारित सर्वेक्षण के आधार पर उक्त क्षेत्रों में अतिक्रमित क्षेत्रों का जियो डेटाबेस तैयार कर सम्बन्धित विभाग के साथ साझा करना है। हरिद्वार शहर के लिए ज्वालापुर क्षेत्र एवं ऋषिकेश शहर के लिए गंगानगर क्षेत्र का चयन कर प्रारम्भिक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

26.10.10 आईडेन्टिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डम्प साइट्स इन चार धाम यात्रा रूट एण्ड देहरादून सिटी यूजिंग हाई रेज्यूलेशन सेटेलाइट डेटा इमेजरीज– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन उपग्रहीय डेटा के उपयोग से चार धाम यात्रा मार्ग और देहरादून शहर में मौजूद ठोस अपशिष्ट कूड़ा डंपिंग क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का चिन्हांकन एवं जी0पी0एस0 आधारित फील्ड सर्वेक्षण करना तथा जी0आई0एस0 के उपयोग से बहुविषयक सूचनायें– भू–उपयोग/ भू–आवरण, रोड

नेटवर्क, भू–आकृतिक मानचित्र सृजित करना मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस (MCDA) विधियों का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्रों / डंपिंग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार करने हेतु वेब आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (SWMIS) विकसित करना है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में अवस्थित ठोस अपशिष्ट डंपिंग क्षेत्रों का फील्ड सर्वेक्षण कर सूचना एकत्रित की गयी है। सैटेलाइट इमेजरीज के माध्यम से ठोस अपशिष्ट डंपिंग क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है।

26.14 वाह्य सहायतित परियोजनायें–

26.14.1 विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु अन्तरिक्ष आधारित सूचना सहयोग (SISDP-Update Phase-II)– परियोजना का उद्देश्य राज्य स्तर पर विभिन्न जियोस्पाशियल मानचित्रों को अपडेट कर तैयार करना व उचित उपयोग हेतु रेखीय विभागों को जागरूक करना है। परियोजनाओं के उद्देश्य के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य हेतु विभिन्न थीम्स के अन्तर्गत तैयार सम्पूर्ण जियोस्पाशियल डेटाबेस (1:10000) स्केल पर एन0आर0एस0सी0 (National remote sensing Centre)– इसरो को अन्तिम रिपोर्ट प्रदान की गयी।

परियोजना की अवधि वर्ष 2020–24, स्वीकृत धनराशि ₹ 43,36,728 / –

व्यय धनराशि– ₹ 21,60,042 / –

(माह दिसम्बर, 2023 तक)

26.14.2 हिमालय के बुग्यालों का अध्ययन एवं सूचना प्रणाली नेटवर्क का सृजन परियोजना (HABC-ISN)– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना का उद्देश्य गढ़वाल मण्डल के उच्च हिमालयी बुग्याल क्षेत्रों में स्थित पादप समुदायों की स्थानिक स्थिति / पादपों की विविधता पैटर्न व संरचना का आंकलन करना व प्रजातियों एवं स्थानिक डेटाबेस पर एक वेब आधारित सूचना प्रणाली विकसित करना है।

परियोजना की अवधि वर्ष 2019–24,

स्वीकृत धनराशि ₹ 27,12,659 / –

व्यय धनराशि– ₹ 25,53,039 / –

(माह दिसम्बर, 2023 तक)

26.14.3 हिमालयन नॉलेज नेटवर्क (HKN)– परियोजना का उद्देश्य राज्य के सतत विकास हेतु दो प्रमुख विषयगत क्षेत्रों का चयन करना है। इसके अन्तर्गत दो प्रमुख विषय Responsible, Tourism Disaster Management थीम हेतु प्राप्त जानकारी व सुझावों के आधार पर थिमेटिक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।

26.14.4 पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण एवं विकास पहल (KSLCDI)– वर्ष 2021 से 2023 में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण हेतु किये गये कार्यों जैसे उच्च पादप समूह का डेटाबेस तैयार किया गया एवं पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र में स्थित होम स्टे स्थानों की स्थिति का मानचित्रण किया गया।

26.14.5 प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम, सेमिनार / वर्कशॉप–इसके अन्तर्गत राज्य के सभी रेखीय विभागों, उपयोगकर्ताओं व लाभार्थियों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि का आयोजन किया जाता है तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों / विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों / शोधार्थियों हेतु सुदूर संवेदन तकनीक एवं जी0आई0एस0 / जी0पी0एस0 से सम्बन्धित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

26.15 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद–यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड

सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

26.15.1 साइंस सिटी की स्थापना – भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से परिषद द्वारा विज्ञान धाम, झाझरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु आवंटित भूमि पर कार्य आरम्भ किया गया है। इसमें आर्किटेक्ट तथा मृदा जांच सम्बन्धित कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

26.15.2 उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र,अल्मोड़ा –उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) द्वारा अल्मोड़ा में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा छात्र–छात्रों मे विज्ञान विषयों के प्रति रूचि विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने मे मदद मिलेगी।

26.15.3 चम्पावत विज्ञान केन्द्र– चम्पावत विज्ञान केंद्र छात्र–छात्राओं मे विज्ञान विषयों के प्रति रूचि विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने मे मदद मिलेगी।

26.15.4 विज्ञान लोकव्यापीकरण– वर्ष 2023 में 50 से अधिक कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/वेबिनार का आयोजन किया गया। 17वीं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का सफल आयोजन किया गया। अब तक उत्तराखण्ड @25 के तहत 25 से अधिक लोकप्रिय व्याख्यान आयोजित किये गए हैं।

26.15.5 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस (यू0एस0एस0टी0सी0) – उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस हर साल यूकॉस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। यू0एस0एस0टी0सी0 विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और राज्य के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। विज्ञान सम्मेलन की थीम ग्रामीण आधारित प्रौद्योगिकी थी जिसमें पांच हजार युवा वैज्ञानिकों व देश के विभिन्न संस्थानों के प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

26.15.6 आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस (डब्ल्यू सी डी एम) – आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। जिसमे यूकॉस्ट द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गयी। इस दौरान 70 से अधिक देशों के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।

26.15.7 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस – राज्यभर के बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान आधारित शोध परियोजना को प्रदर्शित करने एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने के उददेश्य से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। राज्यभर के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएं इसमें प्रतिभाग करते हैं। दिसम्बर माह में इसका सफल आयोजन किया गया जिसमे जूनियर एवं सीनियर वर्ग से बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया।

26.15.8 द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव – सीमांत पर्वतीय जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को प्रदेश स्तर पर विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु एक विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। राज्य के छः सीमांत जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएँ इसमें प्रतिभाग करते हैं।

26.15.9 ज्ञानोत्कर्ष कार्यक्रम– उत्तराखण्ड के सीमान्त जिलों के विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों और संकाय को विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए ज्ञानोत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्थानों जैसे

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सीएसआईआर–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस)आईसीएआर–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून आदि का भ्रमण किया एवं नवीनतम तकनीकियों के बारे में जानकारी हासिल की।

26.15.10 प्रौद्योगिकी विकास– परिषद द्वारा कौशल विकास और क्षमता निर्माण हेतु तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए परिषद् द्वारा मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें लाभार्थियों की संख्या 250 से अधिक रही, रिंगाल–नर्सरी विकास एवं मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक लाभार्थी और मशरूम की खेती और मूल्यवर्धन के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 150 से अधिक लाभार्थी सम्मिलित रहे।

26.15.11 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन–एल0ई0डी0 बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने एवं मरम्मत हेतु प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2023–24 में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

26.15.12 प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (TRC) की स्थापना– उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के तहत प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (टी0आर0सी0) का निर्माण परिषद् के द्वारा किया जाता रहा है। टी0आर0सी0 का उद्देश्य विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किसानो की आजीविका में सुधार करने के साथ ही स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध करवाना है। राज्य के 11 जनपदों में कुल 16 टी0आर0सी0 हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के माध्यम से कुल लाभार्थियों की संख्या 14,000 से अधिक रही है।

26.16 वाह्य सहायतित परियोजनायें–

26.16.1– प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलांस प्रोग्राम (पी0एम0यू0) परियोजना– यह परियोजना भारत सरकार के उपक्रम **"जल जीवन मिशन के अन्तर्गत"** (हर घर जल) के माध्यम से देश के समस्त राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का निर्माण किया गया है। पी0एम0यू0 का मुख्य कार्य समस्त 26 प्रयोगशालाओं का प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली की देख–रेख करना है, प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित किये जा रहे सभी जल नमूनों की रिपोर्ट की पुनः जांच करने के उपरान्त उन्हें भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इस परियोजना में राज्य की समस्त 26 प्रयोगशालाओं में, कुल 18 पैरामीटर्स पर पानी की जाँच की जाती है और अब तक 5 लाख पानी के नमूनों की जाँच रिपोर्ट्स सफलतापूर्वक जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

परियोजना अवधि– वर्ष 2023–24

कुल लागत – ₹ 1.707 करोड़

अवमुक्त धनराशि– ₹ 40 लाख

26.16.2– उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत – माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड@25 "आदर्श चम्पावत" के अन्तर्गत चम्पावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा चम्पावत जनपद में कार्यरत एन0जी0ओ0, स्वयं सहायता समूहों, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जनपद को आदर्श

जनपद के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

परियोजना अवधि – वर्ष 2024–25

कुल लागत – ₹ 38 लाख

अवमुक्त धनराशि – ₹ 5 लाख

26.16.3– वाटर टैक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत– "वाटर एनर्जी फूड नैक्सस थ्रू सोलर–ग्रीन हाउस बैसद हाईड्रोफोनिक सोल्यूशन विद एन्ड्रॉइड मोबाइल ऐप्लिकेशन ऑफ वेजीटेबल मार्केट फॉर रूरल फॉरमर्स एण्ड अर्बन यूजर्स"– उक्त परियोजना उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज (नई दिल्ली), डी0ए0वी0, पी0जी0 कॉलेज (देहरादून) और जी0बी0 पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंव टेक्नोलॉजी, पंतनगर (उत्तराखण्ड) के संयुक्त तत्वाधान से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में देहरादून घाटी में सर्वेक्षण एवं प्रायोगिक डाटा के साथ वाटर एनर्जी और फूड नेक्सस (WEFN) को जोड़ना और स्मार्ट सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली का डिजाइन स्थापित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत परिषद् में सौर पैनल की स्थापना भी की गयी है। परियोजना के अंतर्गत 100 से अधिक किसानो के लिए सौर ग्रीनहाउस का रखरखाव और संचालन, हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीकें और कृषकों हेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन विषय के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परियोजना अवधि– 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 3.02 करोड़

अवमुक्त धनराशि – ₹ 2.83 करोड़

26.16.4– उन्नत भारत अभियान के अर्न्तगत शिवालिक क्षेत्र के संकुलो के सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनो का वैज्ञानिक प्रबंधन–

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजना "Scientific Management of Natural Resources for Sustainable Development in UBA Clusters of Shivalik Region" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में कुल 6 संकुलो का चयन किया गया है। इन संकुलो में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ग्रामीणों की आजीविका में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से सुधार करने के लिए इकाइयों की स्थापना करने के साथ ही लाभार्थियों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। यह परियोजना आई0आई0टी0 दिल्ली, यूकॉस्ट, देहरादून, आई0आई0टी0 रूडकी एवं शिवालिक मिशन सहारनपुर के संयुक्त तत्वाधान में क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 2.95 करोड़

अवमुक्त धनराशि – ₹ 16 लाख

26.16.5– अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु यूकॉस्ट में प्रकोष्ठ की स्थापना– परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय का मानव संसाधन विकास, क्षेत्र आधारित कौशल विकास केंद्र की स्थापना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से रिक्त स्थानों / गैप को भरने के लिए कार्यक्रमों / परियोजनाओं का सूत्रीकरण, सुदृढीकरण, समन्वय और विकास के मॉडल की रूपरेखा तैयार करना है। परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के समस्त 13 जनपदों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण किया गया। वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से समुदायों की आर्थिकी एवं आजीविका सुदृढ़ करने के लिए रूपरेखा तैयार की गयी साथ ही साथ पारम्परिक ज्ञान को संकलित करने का प्रयास किया गया।

परियोजना अवधि– 02 वर्ष (2022–23)

कुल लागत – ₹ 1.18 करोड़

अवमुक्त धनराशि– ₹ 60 लाख

26.17– उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र– यूसर्क (Uttarakhand Science Education & Research Centre-USERC) :–यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

- यूसर्क द्वारा विद्यार्थियों के मध्य वैज्ञानिक अभिरुचि, वैज्ञानिक चेतना जागृत करने तथा विज्ञान के प्रयोगिक ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 13 जनपदों के कुछ चयनित माध्यमिक विद्यालयों में 55 STEM (ScienceTechnology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

- यूसर्क द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में द्विभाषीय ई–कन्टैट को ऑफलाइन/ ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

- यूसर्क द्वारा 13 जिलों के **200** राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में **यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्र** स्थापित किये गये हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के समन्वय से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी एवं वैज्ञानिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

- यूसर्क द्वारा राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि; कौशल विकास एवं अपने–अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **'बाल युवा समागम'**, व **'महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव'** तथा **'अध्यापक विज्ञान कान्क्लेव'** का आयोजन किया गया।

- यूसर्क द्वारा **"अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस–2023"** के अन्तर्गत पर **"स्टार्टअप्स में महिलाओं की भूमिका"** विषय पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्लोगन/पेंटिंग/निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया तथा प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूसर्क द्वारा विज्ञान के सहयोग से समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाली 06 महिलाओं को द्वितीय **'विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान'** दिया गया।

- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में हरेला पीठ तथा पं0 ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कैम्पस ऋषिकेश में यूसर्क टीशु कल्चर लैब की स्थापना के साथ ही विभिन्न वैज्ञानिक जिसके अंतर्गत राज्य की परंपरागत फसलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष अध्ययन, उच्च तकनीकी युक्त नर्सरी की स्थापना व शोध कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यापक सघन वृक्षारोपण आदि विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- विश्वविद्यालयों एवं विद्यालय स्तर के अध्यापकों हेतु एडवान्स ट्रेनिंग इन मैथेमैटिक्स (ATM) स्कूल के माध्यम से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- राज्य के विद्यार्थियों में जल शिक्षा से सम्बन्धित जागरूकता एवं वैज्ञानिक चेतना के जागरण हेतु विगत वर्ष से मासिक आधार पर ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 14 विशेषज्ञ

व्याख्यानों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें राज्य के समस्त जनपदों विशेषतः सीमांत जनपदों के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया।

- यूसर्क द्वारा स्थापित 12 उद्यमिता विकास केन्द्रों के माध्यम से मशरूम स्पॉन उत्पादन हेतु मशरूम के उत्पादन का महत्व पोषण प्रदान करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं पलायन के सन्दर्भ में देखते हुये स्थायी निवासियों हेतु (महिलाओं, युवकों, छात्रों) का मशरूम उत्पादन पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन, शैक्षिक सामग्री विकसित करना एवं भविष्य के प्रशिक्षकों के लिये विद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

- वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन हेतु छात्रों एवं स्थानीय निवासियों को भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिये जैविक खेती को बढ़ावा देने व इसकी जानकारी प्रदान करने के साथ प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विद्यालय के आस–पास के क्षेत्र में खरपतवार के द्वारा वर्मीकम्पोस्ट बनाया जायेगा जो कि कृषकों द्वारा प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक में कमी लाने के अतिरिक्त फसलों की गुणवत्ता में सुधार एवं भूमि में नमी को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

- राज्य में उच्च शिक्षा के छात्रों हेतु प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के सहयोग राज्य के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत एवं शोधरत विद्यार्थियों के लिये सात–दिवसीय Hands on Training (Certificate Course) आयोजित किये गये है। यथा–

- Field Based Plant Taxonomy
- Spectroscopic Techniques and Material Structures
- High end Instrumaulation
- Water: Science & Technology
- Animal Taxonomy
- Apiculture

- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय** के संयुक्त तत्वाधान में उत्तराखण्ड के राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान विषय (Physics, Chemistry, Biology, Maths and Computer Science) के 34 शिक्षकों (यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्र) हेतु Institutional Training Program for Teachers-2023 का आयोजन किया गया है।

26.18–उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB) :–

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रदेश हित में कार्यरत उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसको प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए तथा प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित किया गया है। वर्तमान में परिषद् जैव विविधता संरक्षित करने, वर्तमान जानकारी आधार के उन्नयन, शैक्षिक, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, बायोटेक उद्यमिता एवं व्यवसाय को प्रेरित करने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, जैव सूचना प्रसारित करने, जागरूकता विकसित करने और विशाल जैव संपदा को वैज्ञानिक विधि द्वारा अनुप्रयोग में लाने आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित है। परिषद् उत्तराखण्ड में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास के नये शिखरों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

- परिषद् द्वारा वित्त–पोषित 38 परियोजनाएं प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गतिमान हैं,

जिसमें मुख्य रूप से नैनोबायोटेक्नोलॉजी, आण्विक जीव विज्ञान, मृदा रहित खेती, पादप उत्तक संवर्धन, पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सीय जैवप्रौद्योगिकी, हिमालयी सगंध, औषधीय व संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, फसल व सब्जियों के संकर प्रजातियों के विकास कार्य मुख्य हैं।

- भारत के प्रथम गांव में प्रथम बार उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा जल, मृदा, मानव स्वास्थ्य, पशुधन व पशुपोषण पर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैवप्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण, मृदा व जल गुणवत्ता परीक्षण जांच, वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन, मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान के माध्यम से सीमावर्ती गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ पलायन रोकने हेतु परिषद् की सार्थक पहल है।

- परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर तक प्रदेश के 760 युवाओं को उद्यमिता विकास में प्रशिक्षित,1380 विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगशालाओं में जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा व शोध के लिए प्रेरित, 610 विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकों में दक्ष तथा 1360 किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षित किया गया है।

- जनकल्याणकारी, स्वरोजगारपरक, कौशल विकास योजनाओं के अन्तर्गत श्री अन्न की पोषण एवं स्वास्थ्य क्षमता, विविधता, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला में परिषद् द्वारा स्टॉल लगाकर प्रतिभाग किया गया।

- मानव एस्टेम सेल पालन तकनीकों पर एक दिवसीय कार्यशाला में परिषद् के शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया।

- मेरी माटी, मेरा देश अभियान के अन्तर्गत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

- जैवप्रौद्योगिकी की संगति, किसानों की प्रगति कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

- बद्री गाय पर किये जा रहे शोध कार्यों हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगाँव, चम्पावत का भ्रमण करके डाटा संकलन का कार्य किया गया।

- परिषद् द्वारा हरेला लोकपर्व पर वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- उद्यमिता विकास के अन्तर्गत चार कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप से सम्बन्धित तकनीकी जानकारियाँ देकर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

- परिषद् द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत ऑक्सीजन लेन का निर्माण कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया।

- नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के 30 छात्र–छात्राओं द्वारा परिषद् का भ्रमण किया गया एवं बायोटेक्नोलॉजी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गयी।

- परिषद् एवं आई0सी0ए0आर0– नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज (एन0बी0 ए0जी0आर0), करनाल, सी0एस0आई0आर0 – केन्द्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान (सीमैप), भारत सरकार, केशवानंद विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, रेविटा लाइव साइंसज, स्टेम सेल रिसर्च एण्ड थैरेपी, रूद्रपुर, डी0आर0डी0ओ0–रक्षा जैवऊर्जा अनुसंधान संस्थान (डिबेर), हल्द्वानी, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बी0सी0आई0 एल0), नई दिल्ली, आई0सी0ए0आर0– केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा, स्टार्टअप

इन्क्यूबेशन एण्ड इनोवेशन सेंटर, आई0आई0टी0, कानपुर का परिषद् के साथ एम0ओ0यू0 स्थापित हुए है।

- इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फूड, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एण्ड एग्रीकल्चर साइंसेज, डूकी कैंपस, द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के निदेशक द्वारा परिषद् का भ्रमण किया किया एवं प्रयोगशालाओं की गतिविधियों से अवगत हुए।
- फ्रांस के वैज्ञानिकों व बैंकॉक के वैज्ञानिकों द्वारा परिषद का भ्रमण जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा शोध को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए किया गया।
- हिमालय दिवस के उपलक्ष्य पर परिषद् में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के प्रतिभागियों द्वारा पोस्टर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तुति दी गयी।
- क्षेत्रीय केन्द्र, पटवाडांगर में बायोटेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया एवं युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- हाईड्रोपोनिक टेक्नीक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन उत्तराखण्ड विषय पर सेमिनार व हैन्ड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- इन्डस्ट्री स्टार्टअप एकेडेमिया इंटरफेस–2023 में परिषद् द्वारा स्टॉल लगाकर प्रतिभाग किया गया एवं स्नातक एवं परास्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं को जैवप्रौद्योगिकी आधारित स्वरोजगार की जानकारी दी गयी।

अध्याय–27
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

27.1 राजस्व

किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान भूमि का केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमा कर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षपूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

27.1.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना का प्रारम्भ से वर्तमान समय तक की अद्यावधिक स्थिति का विवरण।

जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईज किये जा चुके है तथा आर0ओ0आर0 से लिंक करने के उपरान्त भू–नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunakashsa.uk.gov.in के माध्यम से पब्लिक डोमेन में व्यहृत किये जा चुके हैं।

प्रदेश की कुल 128 तहसीलों/उपतहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है अन्य में पर्याप्त स्थान/कक्ष उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य प्रगतिशील है।

सम्पूर्ण प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का सर्वे/पुनः सर्वे आधुनिक विधि से करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निविदा जारी किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश की गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रदेश की नॉन जेड0ए0 खतौनियों को जनपदवार आमजन के उपयोगार्थ ऑनलाईन किया जा चुका है।

योजनान्तर्गत प्रदेश के अवशेष 11 जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य गतिमान है जिसमें अतिथि तक 70% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने उपरान्त प्रदेश के समस्त भू–अभिलेख ऑनलाईन आमजन के उपयोगार्थ उपलब्ध रहेंगे। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 95% भू–अभिलेखों को ULPIN जनरेट किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

भारत सरकार द्वारा संचालित एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत प्रदेश की खतौनियों में अंश निर्धारण/खतौनी पुनरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है, जिसमें फील्ड स्तर पर लगभग 50% तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्णित कार्यवाही उपरान्त प्रदेश के भू–अभिलेखों में दर्ज प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार की अंश निर्धारित पृथक–पृथक खतौनी तैयार की जानी प्रस्तावित है।

27.1.2 स्वामित्व योजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

प्रदेश अन्तर्गत स्वामित्व योजना की कार्यवाही पूर्ण

की जा चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेखों में दर्ज आबादी वाले 7441 राजस्व ग्रामों में स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण किया गया। स्वामित्व योजना अन्तर्गत कार्यवाही को समयबद्ध पूर्ण किये जाने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

27.1.3 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित कार्यवाही

डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्ड:– डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्डस में खतौनियों को डिजिटाईज किया जा चुका है तथा कैडस्ट्रल मैप को डिजिटाईज किया जा रहा है, जिसे आगामी माह दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

ऑनलाईन म्यूटेशन:– निबन्धन विभाग की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्री तहसीलदार को प्राप्त होने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश में लागू है।

धारा 41 के तहत सीमांकन/डिमार्केशन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन का क्रियान्वयन:– परिषद् स्तर पर वर्णित कार्यवाही हेतु आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में व्यवस्था विद्यमान है तथा भूमि की पैमाईश का ऑनलाईन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में उपलब्ध है।

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण:– http://rcms.uk.gov.in प्रदेश की राजस्व न्यायालयों में लागू है। न्यायालय शुल्क ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में विद्यमान है।

जेड0ए0एल0आर0 अधिनियम में हुये अद्यतन संशोधनों को सॉफ्टवेयर में लागू करने के उपरान्त ऑनलाईन व्यवस्था वेब पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से संचालित है।

नॉन जेड0ए0 खतौनियों का वैलीडेशन:– प्रदेश की समस्त नॉन जेड0ए0 खतौनियाँ कम्प्यूटरीकृत कर खतौनियाँ ऑनलाईन की जा चुकी है।

गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र:– प्रदेश के लैण्डयूज सम्बन्धी पोर्टल पर गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है।

राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग http://rcs.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में संचालित है।

भू–अभिलेखों पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभार ऑनलाईन दर्ज/मुक्त किये जाने हेतु वेब पोर्टल http://loanentry.uk.gov.in प्रदेश में संचालित है।

27.1.3 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य:– वर्तमान समय में सर्वेक्षण इकाई, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं देहरादून के अन्तर्गत सर्वेक्षण/बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण–

तालिका 27.1

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रकिया सर्वेक्षण/बन्दोबस्त के अधीन है
1	ऊधमसिंहनगर	12
2	नैनीताल	05
3	हरिद्वार	06
4	देहरादून	13
5	टिहरी	01
	योग	37

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी:– वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में 1–1 चकबन्दी इकाई कार्यरत है। चकबन्दी के अन्तर्गत मैदानी जनपदों के चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या–918 है, जिसके सापेक्ष 451 ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख तहसीलों को भेजे जा चुके हैं तथा 336 ग्राम जन विरोध अथवा स्थगन आदेश के कारण तहसीलों को वापस किये जा चुके हैं, शेष 131 ग्रामों में वर्तमान में चकबन्दी की प्रक्रिया गतिमान है।

तालिका 27.2
उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में चकबन्दी का विवरण

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबंदी समाप्त/ आदि से तहसील को को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
ऊधमसिंह नगर	273	129	109	35
चम्पावत	28	02	26	—
नैनीताल	20	03	15	02
हरिद्वार	597	317	186	94
योग	**918**	**451**	**336**	**131**

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2.1 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी:–:

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली–2020 प्रख्यापित की जा चुकी है।

पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के 07 ग्रामों यथा–लखोली, औणी, खैरासैण, पंचूर, तंगोली, म्वीन मल्ला एवं ढांगल में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 (1) व 4(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। ग्राम लखोली, औणी, खैरासैण एवं पंचूर में चकबन्दी समिति का गठन किया गया है एवं खतौनी सत्यापन/पड़ताल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त 07 ग्रामों में डिजिटल सर्वेक्षण की कार्यवाही मै0जी0आई0एस0 कन्सोटियम, प्रा0लि0 नोयडा द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

27.3– आपदा प्रबन्धन–

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आपदाओं को आने से पूर्व तथा होने वाली क्षति के अनुमान को जन समुदाय में प्रसारित करने तथा आपदाओं से जागरूक तथा रोकथाम, न्यूनीकरण को प्रभावी बनाये जाने का कार्य किया जाता है। आपदा के समय बेहतर रिस्पान्स प्राप्त करने तथा भविष्य में आपदा के परिप्रेक्ष्य में योजना बनाने सहित जनसमुदाय के लिए Incident Response System (IRS) को मजबूत बनाते हुए Real Time Data बनाया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के क्रिया–कलाप

27.3.1–आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण–

1. राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु 02 स्थानों यथा, मुक्तेश्वर नैनीताल एवं सुरकुण्डा, टिहरी में पूर्व से ही डॉप्लर रडार स्थापित है एवं माह दिसम्बर, 2023 में पौढ़ी गढ़वाल के लैंसडॉउन में एक अन्य डॉप्लर रडार की स्थापना की गयी है। उक्त डॉप्लर रडार की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप अब उत्तराखण्ड राज्य में मौसम पूर्वानुमान की और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

2. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य के संवेदनशील 167 स्थानों पर भूकम्प की चेतावनी प्रसारित किये जाने हेतु सायरन स्थापित हैं तथा आम जनमानस को चेतावनी प्रदान करने हेतु भूदेव मोबाइल ऐप्लिकेशन का विकास किया गया है। उक्त ऐप्लिकेशन के माध्यम से राज्य में रिक्टर पैमाने पर 5 से अधिक परिमाण का भूकम्प आने पर उपभोक्ता के मोबाइल पर स्वतः ही सायरन बजता है तथा रिक्टर पैमाने पर 5 से कम परिमाण का भूकम्प आने पर Flash Message के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है। परियोजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु ₹ 1.20 करोड़ स्वीकृत हैं।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य में आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रभावी प्रतिवादन के उद्देश्य से इन कार्यों में समुदाय की प्रमुख भूमिका को समझते हुये समुदाय स्तर पर आपदा उपरान्त खोज एवं बचाव सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आपदा मित्र परियोजना का संचालन किया गया है, जिसमें 11 जनपदों के 1700 स्वयंसेवकों को खोज–बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया गया है। उक्त परियोजना पर ₹ 07 करोड़ का व्यय हुआ है।

4. आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य के आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बढ़ावा देने हेतु संशोधित सामुदायिक रेडियो नीति जारी की गयी है। पूर्व में सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु ₹ 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे बढ़ाकर ₹ 20 लाख कर दिया गया है। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन को 03 वर्षों तक ₹ 04 लाख प्रतिवर्ष परिचालन हेतु उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है।

5. राज्य अन्तर्गत ग्लेशियरों तथा भू–स्खलन आदि की उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग हेतु Satellite based mountain hazard assessment and monitoring परियोजना का संचालन भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के समन्वयन से किया जा रहा है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹ 3.00 करोड़ है, जिसमें से

वर्तमान तक ₹ 1.45 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।

27.3.2–भवन निर्माण तकनीकी–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के पत्थर की चिनाई वाले भवनों को भूकम्प अवरोधी बनाये जाने के उद्देश्य से "Pilot Project to Improve Earthquake Masonry Lifeline Building" परियोजना संचालित है। उक्त परियोजना के सफल सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 3.03 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें से लगभग ₹ 2.00 करोड़ का व्यय कर 06 राजकीय भवनों की रेट्रोफिटिंग की गयी है। उक्त के अतिरिक्त 05 भूकम्प संवेदनशील जनपदों में आम जनमानस को भवन निर्माण तकनीकी पर जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा प्रदर्शन इकाईयों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य के विभिन्न विभागों के 48 सहायक अभियन्ताओं को भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीक पर सी.बी.आर.आई., रूड़की के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में 15 ईंट चिनाई वाले भवनों का Structural Safety Audit ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।

27.3.3–अवसंरचनाओं में आपदा न्यूनीकरण की उपलब्धियाँ–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित भू–स्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (LRMS) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के कैम्प्टी–चडोगी मोटरमार्ग के समीप स्थित चढोगी भू–स्खलन क्षेत्र का स्थिरीकरण कार्य रू. 6.006 करोड़ की लागत से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

2. जनपद पिथौरागढ़ में नाचनी–मुनस्यारी मोटरमार्ग पर स्थित हड़ियानाला भू–स्खलन क्षेत्र का स्थिरीकरण कार्य भी ₹ 8.35 करोड़ का व्यय कर सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यह दोनों ही भू–स्खलन उपचार लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये है।

3. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन के लिये एवं आपदा जोखिम को न्यून करने के लिये ड्रोन एप्लीकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर (आई.टी.डी.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत यू.ए.वी. भारी क्षमता वाला ड्रोन खरीदा गया। जिसकी लागत धनराशि ₹ 1.50 करोड़ है।

4. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का नवनिर्मित भवन भूकम्प सुरक्षित base isolation तकनीक पर आधारित है। यह भवन GRIHA Rating के उच्च पर्यावरणीय मानकों के आधार पर तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त इस भवन में विश्व की उच्च स्तरीय तकनीक पर आधारित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तैयार किया जा रहा है। उक्त भवन की लागत ₹ 87.05 करोड़ है तथा भवन का लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है।

5. उत्तरकाशी में घटित सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे हुये 41 श्रमिकों को मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थाओं/विभागों एवं एजेन्सियों के द्वारा बेहतर समन्वय के साथ सकुशल बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया, जो देश के सुरंग हादसा प्रबन्धन के क्षेत्र में मील का पत्थर है।

6. जनपद चमोली के भू–धंसाव से प्रभावित जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 1080 करोड़ की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है। उक्त

केन्द्रीय सहायता से केदारनाथ पुनर्निर्माण की तर्ज पर जोशीमठ शहर के पुनर्निमार्ण एवं पुनर्विस्थापन हेतु कार्य किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसमें की गयी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

S.No	Description	Non Resident (Sq. Mtr.) Floor heigh 3.60 Mtr.			Residential (Sq.Mtr.) Floor height 3.00 mtr.	
		Offices/Colleges/ Other Commercial Buildings, Shops, Hotels.	Hospitals	School	Hostal	Quarters
1	2	3	4	5	6	7
1	Load bearing	39182.01	43072.56	32030.72	30230.72	31201.83
2	R.C.C Frame Structure	46099.46	50687.65	37344.75	37497.84	35527.47

दुकान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के निर्मित भवन का मुआवजा निम्न प्रकार प्रदान किया जायेगाः-

क्षति स्तर(Slab)(उक्त अंश–क के अनुसार सी0पी0डब्लू0डी0 की प्लिंथ एरिया रेट के अनुसार	प्रदत्त राहत (क्षतिपूर्ति की लागत तथा प्रतिशत)।
₹ 5.0 लाख तक	वास्तविक क्षति या ₹ 5.00 लाख, जो भी कम हो, का शत-प्रतिशत।
₹ 5.00–15.00 लाख तक	प्रथम ₹ 5.00 लाख तक शत-प्रतिशत व उससे ऊपर 40 प्रतिशत।
₹ 15.00–30.00 लाख तक	प्रथम ₹ 15.00 लाख पर ₹ 9.00 लाख व उससे ऊपर 30 प्रतिशत।
₹ 30.00–50.00 लाख तक	प्रथम ₹ 15.00 लाख पर ₹ 13.50 लाख व उससे ऊपर 20 प्रतिशत।
₹ 50.00 लाख से ऊपर	प्रथम ₹ 50.00 लाख पर ₹ 17.50 लाख व उससे ऊपर 10 प्रतिशत।

7. उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत देहरादून में दिनांक 28 नवम्बर, 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 तक 6th World Congress on Disaster Management (6th WCDM) सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 750 संस्थानों के प्रतिनिधियों, 188 वक्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा 570 शोधपत्र प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त सम्मेलन में 75 देशों की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों व महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी जो निश्चित रूप से आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य के लिये उपयोगी

सिद्ध होगा। जिससे निम्नवत् उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने हेतु सहायता होगी:–

1. वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रभावों को कम करने और स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अनुकूल व प्रभावी रणनीतियों के विकास व प्रोत्साहन के लिये जलवायु कार्यवाही और आपदा प्रतिरोध्यता का मजबूतीकरण एक प्रमुख आवश्यकता है और इस लक्ष्य को आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार सहित कई अन्य उपायों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें से समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय अनुकूलन प्रयास, शोध व विकास में निवेश, सामाजिक सुरक्षा तंत्र का मजबूतीकरण, सहभागिता का विकास तथा परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इसके अन्तर्गत जोखिमों का चिन्हांकन व आँकलन, प्रभावी पूर्व तैयारी उपायों का विकास तथा क्रियान्वयन के साथ ही आपदाओं का सामना करने के लिये प्रभावी प्रतिवादन व्यवस्था की स्थापना करना।

2. दूसरे, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत आपदाओं का सामना करने तथा त्वरित प्रतिवादन हेतु की जाने वाली तैयारियों के द्वारा समुदायों की क्षमता बढ़ाने के लिये समुदायों के साथ समन्वय व संवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों से समुदाय को आपदा जोखिमों की समझ एवं जागरूकता बढ़ती है तथा आपदा जोखिम प्रबंधन में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

3. तीसरा, शोध और विकास में निवेश आपदा जोखिमों की हमारी समझ को बढ़ाने के साथ ही आपदा प्रबन्धन में सुधार नई तकनीकों और दृष्टिकोणों का समावेश सुनिश्चित करना है। इसमें आपदा जोखिम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सम्बन्धित शोध और आपदा जोखिम मूल्यांकन के लिए नई तकनीकों का विकास, पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रतिवादन व पुनर्प्राप्ति उपायों में सहयोगी हुआ है।

4. चौथा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और बीमा योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना आपदाओं से प्रायः प्रभावित होने वाले समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इससे प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे तथा पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धित कार्यों को गति मिलेगी।

5. अंततः, साझेदारी के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा आपदा से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारकों और संगठनों के बीच समन्वय हो और इसके अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अनुभवों का आदान–प्रदान सम्मिलित है।

8. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भू–स्खलन पर प्रभावी नियंत्रण एवं भू–स्खलन के न्यूनीकरण हेतु पृथक से उत्तराखण्ड भू–स्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू0एल0एम0एम0सी0) की स्थापना की गयी है, जो भू–स्खलन के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु भारत वर्ष में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा अन्य भू–स्खलन प्रभावित राज्यों को भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

9. वज्रपात की घटनाओं की पूर्व चेतावनी हेतु Climate Resilient Observing Systems Promotion Council (CROPS) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य में वज्रपात से सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा वज्रपात को रोकने के लिये Lightning Arresters की स्थापना भी की जानी है।

10. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना "उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट–

एडिशनल फारनेन्सिंग" जिसकी कुल लागत 120 मिलियन डॉलर थी। परियोजना के अन्तर्गत समस्त कार्य परियोजना समाप्ति तिथि 30 सितम्बर, 2023 तक सफलतापूर्वक पूर्ण किये जा चुके हैं। अब वर्ष 2023 से वर्ष 2029 तक के लिये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना "उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एण्ड रजिलियेन्ट परियोजना (यू–प्रिपेयर)" प्रारम्भ की जा रही है, जिसकी कुल लागत 200 मिलियन डॉलर अर्थात ₹ 1600 करोड़ है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित 05 घटकों पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है:–

1. सेतुओं का निर्माण किया जाना।
2. मल्टिहेजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना किया जाना।
3. स्वास्थ्य केन्द्रों के रेट्रोफिटिंग सम्बन्धी कार्य किया जाना।
4. वनाग्नि प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य एवं सामान्य अग्नि घटना के प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य।
5. एस0डी0आर0एफ0 को उपकरणों से सुसज्जित किये जाने सम्बन्धी कार्य।

11. उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत भू–स्खलन न्यूनीकरण/उपचार के क्षेत्र में प्रदेश के 03 बड़े भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भू–स्खलन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य करवाया जा रहा है, जो निम्न है:–

1. जिला नैनीताल अन्तर्गत बलियानाला भू–स्खलन उपचार सम्बन्धी कार्य–कुल प्रस्तावित लागत ₹ 177.91 करोड़
2. जनपद चमोली अन्तर्गत हल्दापानी भू–स्खलन उपचार सम्बन्धी कार्य–कुल प्रस्तावित लागत ₹ 80.62 करोड़
3. जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत एलधारा भू–स्खलन उपचार सम्बन्धी कार्य–कुल प्रस्तावित लागत ₹ 87.98 करोड़

12. वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में अतिवृष्टि के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्थानों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तहसील लक्सर रहा। जलभराव की उक्त स्थिति को बेहतर प्रबन्धन के साथ कार्य करते हुये जलभराव की स्थिति से निपटने एवं प्रभावित परिवारों को सहायता सम्बन्धी कार्य सफलतापूर्वक किया गया। कुल 111 प्रभावित ग्रामों/कस्बों के 3,894 परिवारों के 15,796 व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने सम्बन्धी कार्य किया गया। इसके लिये 81 परिवारों को राहत केन्द्रों में स्थानान्तरित करने के साथ ही अन्य प्रभावित व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों व किराये के मकानों में शिफ्ट किये जाने के माध्यम से कार्य किये गये। राहत एवं बचाव कार्यों के लिये राजस्व विभाग की 04 टीम, पुलिस की 05 टीम, 12 विभागीय टीम एवं जलपुलिस की 03 टीम, 05 फायर ब्रिगेड, 04 एन0डी0आर0एफ0, 02 एस0डी0आर0एफ0, 03 आर्मी/बी0ई0 रूड़की की तथा 04 स्वैच्छिक संगठनों की टीम द्वारा कार्य किया गया। इस प्रकार कुल 42 टीमों जिनमें टीम के सदस्यों की कुल संख्या 757 है, के द्वारा राहत एवं बचाव सम्बन्धी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किये गये।

परिशिष्ट

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Geographical area (lakh sq.km)	Population (lakh)	Density of population (per sq. km)	Percentage of urban population to total population	Percentage of State population to all India population	Decennial growth rate of population (per cent)	Sex ratio	Child sex ratio (Age group 0-6 years)	Total Household (Lakh)
Reference Year/Date	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hill State									
Uttarakhand	**0.53**	**100.86**	**189**	**30.23**	**0.83**	**18.81**	**963**	**890**	**20.57**
Arunachal Pradesh	0.84	13.84	17	22.94	0.11	26.03	938	972	2.71
Assam	0.78	312.06	398	14.1	2.58	17.07	958	962	64.00
Himanchal Pradesh	0.56	68.65	123	10.03	0.57	12.94	972	909	14.83
Manipur	0.22	28.56	128	29.21	0.24	24.5	985	930	5.58
Meghalaya	0.22	29.67	132	20.07	0.25	27.95	989	970	5.48
Mizoram	0.21	10.97	52	52.11	0.09	23.48	976	970	2.23
Nagaland	0.17	19.79	119	28.86	0.16	-0.58	931	943	3.96
Sikkim	0.07	6.11	86	25.15	0.05	12.89	890	957	1.29
Other State									
Andhra Pradesh	1.63	495.77	304	29.47	4.08	9.21	997	944	127.19
Bihar	0.94	1040.99	1106	11.29	8.6	25.42	918	935	189.14
Chhatisgarh	1.35	255.45	189	23.24	2.11	22.61	991	969	56.51
Delhi	0.01	167.88	11320	97.5	1.39	21.21	868	871	34.36
Goa	0.04	14.59	394	62.17	0.12	8.23	973	942	3.44
Gujrat	1.96	604.4	308	42.6	4.99	19.28	919	890	122.48
Haryana	0.44	253.51	573	34.88	2.09	19.9	879	834	48.58
Jharkhand	0.80	329.88	41	24.05	2.72	22.42	949	948	62.55
Karnataka	1.92	610.95	319	38.67	5.05	15.6	973	948	133.57
Kerala	0.39	334.06	860	47.7	2.76	4.91	1084	964	78.54
Madhya Pradesh	3.08	726.27	236	27.63	6	20.35	931	918	150.93
Maharastra	3.08	1123.74	365	45.22	9.28	16	929	894	244.22
Odisa	1.56	419.74	270	16.69	3.47	14.05	979	941	96.38
Punjab	0.50	277.43	551	37.48	2.29	13.89	895	846	55.13
Rajasthan	3.42	685.48	200	24.87	5.66	21.31	928	888	127.11
Tamil Nadu	1.30	721.47	555	48.4	5.96	15.61	996	943	185.25
Telangana	1.12	350.04	312	38.88	2.89	13.58	988	932	83.04
Tripura	0.10	36.74	350	26.17	0.3	14.84	960	957	8.56
Uttar Pradesh	2.41	1998.12	829	22.27	16.5	20.23	912	902	334.48
West Bengal	0.89	912.73	1028	31.87	7.54	13.84	950	956	203.8
India	32.87	12108.55	382	31.14	100	17.7	943	918	2495.02

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Female headed households (lakh)	Number of cultivators (lakh)	Percent of households having access to safe drinking water	Percentage of scheduled caste population to total population	percentage of scheduled tribe population to total population	Percentage of disabled population to total population	Percentage of slum population (All towns to urban population)	Percentage of main workers to total population	Percentage of agricultural workers to total workers	Female work participation rate
Reference Year/Date	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Hill State										
Uttarakhand	**3.93**	**15.8**	**92.2**	**18.76**	**2.89**	**1.84**	**16**	**28.46**	**51.23**	**26.68**
Arunachal Pradesh	0.35	3.03	78.6	0	68.79	1.93	4.9	34.6	57.67	35.44
Assam	8.53	40.62	69.9	7.15	12.45	1.54	4.48	27.84	49.35	22.46
Himachal Pradesh	3.05	20.62	93.7	25.19	5.71	2.26	8.9	30.05	62.85	44.82
Manipur	0.83	5.74	45.4	3.41	40.88	1.89	NA	33.26	52.81	39.88
Meghalaya	1.27	4.95	44.7	0.58	86.15	1.49	9.64	31.06	58.45	32.67
Mizoram	0.37	2.3	60.4	0.11	94.43	1.38	13.74	37.83	55.76	36.16
Nagaland	0.53	5.38	53.8	0	86.48	1.5	14.42	37.46	61.66	44.74
Sikkim	0.17	1.17	85.3	4.63	33.80	2.98	20.43	37.73	46.53	39.57
Other State										
Andhra Pradesh	19.09	33.4	90.5[*]	17.08	5.53	2.46	38.32	38.36	62.36	34.65
Bihar	19.75	71.96	94	15.91	1.28	2.24	10.53	20.52	73.55	19.07
Chhattisgarh	7.35	40.05	86.3	12.82	30.62	2.45	31.98	32.26	74.68	39.7
Delhi	3.95	0.33	95	16.75	0.00	1.4	10.91	31.61	1.3	10.58
Goa	0.8	0.51	85.7	1.74	10.23	2.26	2.09	32.04	10.07	21.92
Gujrat	12.35	54.48	90.3	6.74	14.75	1.81	6.53	33.7	49.61	23.38
Haryana	5.66	24.81	93.8	20.17	0.00	2.16	18.8	27.67	44.96	17.79
Jharkhand	6.82	38.15	60.1	12.08	26.21	2.33	4.7	20.67	62.99	29.1
Karnataka	22.69	65.81	87.5	17.15	6.95	2.17	13.93	38.3	49.28	31.87
Kerala	19.83	6.7	33.5	9.1	1.45	2.28	1.27	27.93	17.15	18.23
Madhya Pradesh	15.04	98.44	78	15.62	21.09	2.14	28.35	31.26	69.79	32.64
Maharastra	31.36	125.69	83.4	11.81	9.35	2.64	23.32	38.94	52.71	31.06
Odisa	12.02	41.04	75.3	17.13	22.85	2.96	22.28	25.51	61.82	27.16
Punjab	7.96	19.35	97.6	31.94	0.00	2.36	14.04	30.46	35.59	13.91
Rajasthan	11.77	136.19	78.1	17.83	13.48	2.28	12.13	30.72	62.1	35.12
Tamil Nadu	29.65	42.48	92.5	20.01	1.10	1.64	16.61	38.73	42.13	31.8
Telangana	12.18	31.51	0	15.45	9.08	2.99	33.72	39.2	36.2	NA
Tripura	1.21	2.96	67.5	17.83	31.76	1.75	14.54	28.32	44.2	23.57
Uttar Pradesh	40.07	190.58	95.1	20.7	0.57	2.08	14.02	22.34	59.25	16.75
West Bengal	26.15	51.17	92.2	23.51	5.80	2.21	22.06	28.14	44.04	18.08
India	127.83	1188.09	85.5	16.63	8.63	2.21	17.37	29.94	54.61	25.51

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Financial Indicators							
	Per capita revenue receipts of the State (Rs)	Share of State's own Tax Revenue in Total revenue receipt (per cent)	Per capita share in central taxes (Rs)	Per capita grants from centre (rs)	Share of development expenditure in total expenditure (per cent)	Percentage of revenue deficit (+)/surplus(-) to GSDP	Percentage of fiscal deficit (+)/surplus(-) to GSDP	Percentage of outstanding liabilities to GSDP
Reference Year/Date	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)
(1)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
Hill State								
Uttarakhand	**38,107**	**32.3**	**8630**	**14868**	**55.3**	**-0.9**	**1.9**	**31.6**
Arunachal Pradesh	157,838	9.3	82498	55159	70.7	-18.9	2.2	41.4
Assam	27,255	22.9	7144	12340	65.5	1.9	9.5	26.9
Himanchal Pradesh	58,320	26.2	8312	25293	60.9	-0.2	4.0	41.3
Manipur	66,678	9.0	16754	43480	58.2	-10.8	10.0	38.4
Meghalaya	46,115	16.9	15455	20750	67.4	-3.4	4.2	41.7
Mizoram	84,347	7.6	30483	40355	67.2	0.9	8.4	55.7
Nagaland	58,101	10.4	19652	31186	52.3	-1.4	6.1	43.5
Sikkim	120,930	14.5	44446	50901	61.3	-2.1	4.7	31.1
Other State								
Andhra Pradesh	29,166	47.7	5966	8249	72.3	1.6	3.2	32.8
Bihar	13,623	20.7	6024	4331	72.7	5.5	11.4	38.5
Chhatisgarh	28,283	32.7	8531	5607	71.5	0.3	3.8	26.9
Delhi	22,991	80.2	NA	4170	77.8	0.3	1.6	1.8
Goa	111,440	32.8	21065	21736	68.2	0.0	8.6	36.5
Gujrat	23,193	64.6	3948	2406	66.4	0.0	1.5	20.3
Haryana	31,182	70.2	2924	3265	61.5	1.4	3.0	29.3
Jharkhand	19,056	28.0	6367	4312	69.6	-0.1	3.2	34.0
Karnataka	28,257	58.8	4046	6251	62.5	0.3	2.4	23.1
Kerala	33,140	49.9	4872	8897	45.4	3.5	5.1	39.1
Madhya Pradesh	20,172	37.4	6858	4335	66.0	0.5	3.7	28.0
Maharastra	28,969	62.7	3861	5546	61.2	1.0	2.8	18.7
Odisa	30,829	29.3	7347	4720	70.3	-3.0	0.4	20.1
Punjab	26,749	46.7	4707	7604	49.1	3.6	5.6	48.4
Rajasthan	23,741	43.7	5614	5425	69.7	3.0	5.2	38.3
Tamil Nadu	26,638	59.8	4388	4783	59.8	2.7	4.4	31.8
Telangana	41,286	59.5	3700	7381	74.5	-0.4	3.9	27.4
Tripura	48,068	11.5	15282	26424	58.7	1.1	5.2	35.3
Uttar Pradesh	16,303	42.3	4946	3787	56.3	-1.2	4.0	34.5
West Bengal	17,889	42.0	5685	4400	63.8	2.1	3.5	35.8
India	24,468	45.4	NA	NA	63.6	0.9	3.7	28.7

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State		Scheduled Commercial Banks					Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna	
	Per capita income at current prices* (Rs)	Number of Banking offices per lakh population(s)	Per capita deposits(Rs)	Per capita credit(Rs)	Credit-Deposit Ratio (Percent)	Share of Priority sector advances in total credit of scheduled commercial banks (percent)	Total account holders ('000)	Total Rupay cards holders ('000)
Reference Year/Date	(2021-22)	As on 31st March, 2022					As on 1st February, 2023	
(1)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Hill State								
Uttarakhand	**196,282**	**18.4**	**156,904**	**55,858**	**35.6**	**55.3**	**3,182**	**2,154**
Arunachal Pradesh	198,618	11.7	155,885	38,133	24.5	21.9	402	312
Assam	100,761	8.4	53,573	26,046	48.6	44.7	21,904	11,711
Himanchal Pradesh	201,854	22.1	166,297	53,320	32.1	55.8	1,710	1,186
Manipur	NA	7.0	43,438	26,036	59.9	27.3	1,056	672
Meghalaya	90,638	11.1	88,767	28,369	32	24.2	662	445
Mizoram	190,646	28.3	106,813	48,452	45.4	20.9	319	128
Nagaland	130,221	8.5	65,956	28,296	43	21.2	361	297
Sikkim	472,543	24.3	181,508	71,435	39.4	12.2	87	60
Other State								
Andhra Pradesh	207,771	13.8	72,898	101,170	138.8	49.2	12,924	8,779
Bihar	49,470	6.0	35,483	15,075	42.5	47.7	54,072	39,635
Chhattisgarh	118,401	9.6	65,955	43,586	66.1	43.1	16,583	10,466
Delhi	401,982	16.9	710,208	661,837	93.2	14.6	5,743	4,214
Goa	NA	41.2	592,853	144,314	24.3	39.2	189	118
Gujrat	150,326	11.9	131,405	91,884	69.9	56.8	17,494	13,071
Haryana	274,635	16.9	205,365	112,427	54.7	43.8	9,050	6,067
Jharkhand	78,660	8.1	72,650	22,431	30.9	51.1	17,213	11,541
Karnataka	278,786	15.6	205,546	124,621	60.6	30.5	17,370	10,045
Kerala	230,601	18.5	188,034	115,985	61.7	50.1	5,443	2,997
Madhya Pradesh	124,685	8.5	59,666	40,230	67.4	55.6	39,360	29,734
Maharastra	215,233	10.5	279,160	253,798	90.9	38.3	32,524	22,150
Odisa	124,669	11.5	91,611	37,380	40.8	44.4	19,735	14,307
Punjab	162,112	20.9	167,075	90,322	54.1	56.3	8,357	5,855
Rajasthan	135,218	9.8	66,199	52,108	78.7	54.4	32,973	24,535
Tamil Nadu	241,131	15.4	145,094	147,300	101.6	45.1	13,567	9,403
Telangana	275,443	14.6	168,543	163,424	97	30.8	10,869	8,364
Tripura	140,803	14.0	75,846	32,156	42.4	39.2	948	343
Uttar Pradesh	68,810	7.6	60,000	26,132	43.6	48.3	85,708	55,632
West Bengal	NA	9.5	99,184	46,113	46.5	39.1	47,416	29,266
India	150,007	11.0	123,700	88,902	71.9	39.8	480,645	325,918

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Annual Credit Plan* (Rs crore)	Annual Rainfall (mm)	Average size of operational Holdings (ha.)	Yield per hectare (kg)					
				Cereals	Pulses	Foodgrains	Oilseeds	Cotton (lint)	Sugarcane (Tonne)
Reference Year/Date	(2022-23)	(2021)	(2015-16)	Triennial average (2018-19 to 2020-21)					
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)
Hill State									
Uttarakhand	**12,551.0**	**1,664.5**	**0.85**	**2,468**	**953**	**2,355**	**957**	**0**	**75**
Arunachal Pradesh	127.0	2,093.8	3.35	1,664	1010	1,626	1,043	0	22
Assam	10,461.0	1,622.5	1.09	2,191	752	2,109	636	0	37
Himanchal Pradesh	13,879.0	1,037.6	0.95	2,124	1083	2,114	643	0	18
Manipur	493.0	913.6	1.14	2,203	937	2,056	855	0	38
Meghalaya	724.0	3,171.9	1.29	2,381	1428	2,322	1,061	0	3
Mizoram	682.0	1,653.1	1.25	1,727	1437	1,701	1,162	0	31
Nagaland	238.0	1,153.1	4.87	1,720	1185	1,663	1,052	0	44
Sikkim	236.0	3,043.3	1.27	1,745	962	1,672	925	0	0
Other State									
Andhra Pradesh	164,740.0	1,148.9	0.94	3,765	790	2,830	879	502	78
Bihar	70,000.0	1,512.7	0.39	2,495	839	2,374	1,141	0	68
Chhatisgarh	20,721.0	1,309.6	1.24	1,828	577	1,638	631	0	50
Delhi	15,243.0	904.4	1.39	3,634	2000	3,634	1,261	0	0
Goa	1,080.0	3,947.2	1.1	2,665	957	2,458	2,359	0	57
Gujrat	104,183.0	793.2	1.88	2,479	1165	2,142	1,874	498	74
Haryana	93,708.0	679.8	2.22	4,003	965	3,952	1,945	405	82
Jharkhand	13,274.0	1,444.8	1.1	2,012	1029	1,724	752	0	0
Karnataka	140,873.0	1,450.9	1.36	2,291	627	1,616	961	432	92
Kerala	85,313.0	3,606.3	0.18	3,016	950	2,993	613	0	116
Madhya Pradesh	164,761.0	1,092.7	1.57	2,734	956	2,119	961	487	55
Maharastra	126,060.0	1,410.7	1.34	1,455	839	1,208	1,221	298	84
Odisa	52,467.0	1,420.8	0.95	2,084	569	1,850	771	340	58
Punjab	139,990.0	534.4	3.62	4,614	927	4,597	1,506	764	82
Rajasthan	131,341.0	587.0	2.73	2,025	679	1,489	1,456	615	79
Tamil Nadu	289,488.0	1,376.7	0.75	3,623	657	2,953	2,427	377	105
Telangana	103,238.0	1,208.5	1	3,614	973	3,198	1,811	440	79
Tripura	2,321.0	1,761.1	0.49	2,913	755	2,737	840	0	55
Uttar Pradesh	188,571.0	946.1	0.73	3,087	1041	2,845	1,018	0	81
West Bengal	97,261.0	2,202.7	0.76	3,121	849	2,950	1,168	0	80
India	2,069,298.0	1,236.4	1.08	2,783	822	2,341	1,247	428	81

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Per capita foodgrains Production (kg)	Consumption of fertiliser per hectare cropped area (kg)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area	Net area sown per cultivator (Ha)	Percentage of net area sown to total geographical area	Cropping intensity	Percentage of forest cover to total geographical area	Percentage of tree cover to total geographical area
Reference Year/Date	(2020-21)	(2019-20)	(2019-20)	(2019-20)	(2019-20)	(2019-20)	(2021)	(2021)
(1)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
Hill State								
Uttarakhand	**176.4**	**159.6**	**52.6**	**0.4**	**11.9**	**160.5**	**45.4**	**1.9**
Arunachal Pradesh	247.1	0.0	17.5	0.8	2.8	136.6	79.3	1.2
Assam	157.3	70.0	13.7	0.7	34.4	147.2	36.1	2.1
Himanchal Pradesh	208.2	65.7	22.9	0.3	9.5	168.2	27.7	1.2
Manipur	221.4	52.9	16.3	0.6	14.8	100.0	74.3	0.8
Meghalaya	108.0	0.0	43.1	0.5	11.4	122.7	76.0	3.1
Mizoram	66.7	20.9	14.9	0.6	6.9	134.0	84.5	2.1
Nagaland	261.3	0.0	24.2	0.7	23.2	137.9	73.9	2.2
Sikkim	136.3	0.0	9.6	0.7	10.9	210.0	47.1	0.5
Other State								
Andhra Pradesh	214.5	231.0	52.3	1.8	36.1	123.9	18.3	2.9
Bihar	125.7	249.5	74.5	0.7	53.9	145.7	7.8	2.5
Chhatisgarh	280.4	128.6	35.3	1.2	34.3	123.7	41.2	4
Delhi	5.5	252.4	63.8	0.7	14.8	263.6	13.1	9.9
Goa	58.6	21.9	21.8	4.1	34.3	115.7	60.6	6.6
Gujrat	129.3	129.7	61.0	1.8	49.9	141.2	7.6	2.8
Haryana	634.6	213.2	94.9	1.4	80.3	186.3	3.6	3.2
Jharkhand	127.4	103.2	15.3	0.3	16.2	136.3	29.8	3.6
Karnataka	218.4	134.5	36.4	1.6	56.3	128.0	20.2	3.9
Kerala	18.0	67.6	20.0	3.0	52.1	127.7	54.7	7.3
Madhya Pradesh	390.8	94.9	52.0	1.6	50.3	182.3	25.1	2.6
Maharastra	127.2	124.8	NA	1.3	54.3	141.0	16.5	3.9
Odisa	209.1	123.0	29.2	1.0	26.3	113.8	33.5	3.2
Punjab	1005.9	243.2	98.5	2.1	81.9	189.9	3.7	2.3
Rajasthan	307.9	62.4	42.8	1.3	52.7	152.6	4.9	2.6
Tamil Nadu	141.9	366.1	57.4	1.1	36.4	125.4	20.3	3.4
Telangana	339.0	397.8	61.3	1.7	49.1	136.0	18.9	2.5
Tripura	214.2	40.3	24.2	0.9	24.5	190.7	73.6	2.2
Uttar Pradesh	253.0	190.9	84.8	0.9	67.9	165.6	6.2	3.1
West Bengal	204.4	158.3	65.7	1.0	59.2	192.4	19.0	2.6
India	229.0	139.0	53.1	1.2	42.6	151.1	21.7	2.8

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Annual Survey of Industries				Percentage of employed persons#		Unemployment Rate#		Labour force participation Rate#	
	Factories (no.)	Workers ('000)	Gross output Per worker ('000)	Net value added per worker ('000)	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban
Reference Year/Date	(2019-20)				(2020-21)					
(1)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)
Hill State										
Uttarakhand	**2,969**	**343**	**7089**	**1417**	**39.1**	**33.1**	**5.5**	**10.5**	**41.4**	**37**
Arunachal Pradesh	116	2	3024	414	36.5	30.3	4.8	10.6	38.3	33.9
Assam	5,196	219	3535	694	38.4	35.8	3.6	7.8	39.8	38.8
Himanchal Pradesh	2,687	167	7019	1701	56.8	41.6	3	6.9	58.6	44.7
Manipur	204	6	878	155	30.2	31.4	3.5	9.98	31.4	34.9
Meghalaya	158	11	6962	1169	39.6	34.3	0.7	7.1	39.9	36.9
Mizoram	215	1	445	178	47	39.7	2.7	4.4	48.3	41.5
Nagaland	190	5	1130	242	42.2	29.7	17.8	24	51.4	39.1
Sikkim	84	17	11253	5404	64.8	49.3	0.5	3	65.2	50.8
Other State										
Andhra Pradesh	16,924	542	7391	701	49.9	39.4	3.3	6	51.6	41.9
Bihar	3,429	108	7027	556	26.7	24.8	4.2	9.6	27.9	27.5
Chhattisgarh	3,892	186	8914	1039	51.2	36.6	1.8	6.3	52.2	39
Delhi	3,259	71	6546	809	32.4	33.8	5.8	6.3	34.4	36
Goa	711	52	8826	2522	36.8	34.6	10	10.9	40.9	38.8
Gujrat	28,479	1590	10250	1197	46.9	38.2	0.8	4.6	47.3	40
Haryana	11,252	806	7397	817	33.6	32.2	5.4	8.1	35.5	35.1
Jharkhand	2,875	169	8117	1304	44.8	32.2	1.8	9.5	45.7	35.5
Karnataka	14,169	840	6632	1047	46.2	38.9	2.2	3.8	47.3	40.4
Kerala	7,796	261	8218	713	39.9	34.9	8.9	11.6	43.8	39.5
Madhya Pradesh	4,771	316	9167	1045	47.7	37.2	1.1	4.7	48.3	39.1
Maharastra	25,610	1455	8522	1223	46.5	36.7	2.2	6.5	47.5	39.2
Odisa	3,079	233	11853	1168	42.4	37.9	5	7.8	44.6	41.2
Punjab	13,092	529	4038	549	36.8	37.3	6.2	6.1	39.2	39.7
Rajasthan	9,694	475	6930	1079	42.8	31.5	3.6	10.2	44.4	35.1
Tamil Nadu	38,837	2209	4198	599	49.8	41.5	4.8	5.8	52.3	44
Telangana	15,271	656	3884	750	51.8	37.6	3.4	7.7	53.6	40.7
Tripura	657	20	48	142	43.2	36.8	2.9	4.6	44.5	38.6
Uttar Pradesh	16,184	887	6344	817	35.3	31.2	3.2	8	36.5	33.9
West Bengal	9,650	580	6166	642	43.1	40.9	3.2	4.4	44.5	42.7
India	246,504	13058	6879	929	41.3	36.3	3.3	6.7	42.7	38.9

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Economic Census				Installed capacity of electricity per lakh population * (MW)	Per capita generation of electricity*	Aggregate Technical and Commercial Losses (Percent)
	No. of establishment per lakh population	Employment in establishment per lakh population	No. of establishment per lakh population	Employment in establishment per lakh population			
Reference Year/Date	6th Economic Census (2013)		5th Economic Census (2005)		(31-03-2022)	(2021-22)	(2021-22)
(1)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
Hill State							
Uttarakhand	**3,908**	**10,416**	**3,534**	**8,020**	**31.06**	**958.51**	**15.39**
Arunachal Pradesh	2,632	7,873	2,395	9,199	9.24	1.38	44.87
Assam	6,505	12,669	3,416	7,667	1.58	59.78	18.73
Himanchal Pradesh	6,093	14,233	4,184	10,304	51.34	1601.79	14.02
Manipur	8,942	15,936	4,189	9,443	1.69	2.11	20.53
Meghalaya	3,558	9,755	3,328	9,694	11.28	268.38	30.88
Mizoram	5,239	11,140	5,303	11,856	3.63	23.01	36.53
Nagaland	3,080	8,179	1,604	8,341	1.53	28.81	60.39
Sikkim	6,096	14,950	3,227	11,413	136.39	5993.91	29.37
Other State							
Andhra Pradesh	8,558	17,329	5,413	12,592	43.37	1182.03	27.25
Bihar	1,640	3,116	1,358	2,516	0.31	1.93	35.33
Chhatisgarh	3,029	7,286	2,808	6,675	57.24	2891.71	20.4
Delhi	5,214	17,908	4,766	22,367	12.62	406.48	8.87
Goa	6,622	19,792	4,901	15,209	4.27	10.76	12.94
Gujrat	6,573	15,897	4,443	11,171	53.13	1093.1	11.35
Haryana	4,595	12,767	3,641	9,803	21.08	770.15	17.05
Jharkhand	1,936	4,406	1,694	3,974	6.39	383.09	41.36
Karnataka	4,715	11,090	4,542	11,352	39.71	980.75	13.36
Kerala	10,043	20,711	8,395	17,164	7.9	304.83	7.76
Madhya Pradesh	2,964	6,262	2,617	6,001	21.93	829.35	41.47
Maharastra	5,462	12,914	4,055	10,853	29.88@	1053.41$	25.54
Odisa	4,977	10,287	4,705	9,526	16.62	756.66	29.32
Punjab	5,454	13,145	4,154	10,475	32.62	1255.76	18.03
Rajasthan	4,223	9,136	3,164	6,938	36.04	975.16	26.23
Tamil Nadu	6,971	16,210	6,821	15,481	35.45	745.07	13.81
Telangana	5,964	15,818	3,786	13,145	39.38	1253.39	13.33
Tripura	6,445	10,997	5,571	11,344	3.98	138.77	37.36
Uttar Pradesh	3,345	7,066	2,204	4,466	8.01	327.39	27.12
West Bengal	6,470	13,041	4,929	11,761	8.66	480.02	19.54
India	4,832	10,846	3,776	9,109	29.15	1083.23	22.32

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Annual per capita ultimate consumption of electricity* (kWh.)				Motor vehicle per lakh population* (no.)	Total road length per hundred sq. km of area (km)	Railway route length per hundred sq. km of area (km)	Teledensity	
	Total	Domestic	Industrial	Agriculture				Wireline	Wireless
Reference Year/Date	(2021-22)				(31-03-2020)	(31-03-2019)	(31-03-2022)	(30-09-2022)	
(1)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)
Hill State									
Uttarakhand	**1091.63**	**292.72**	**571.5**	**37.50**	**25,551**	**129**	**0.65**	**2.05**	**112.57**
Arunachal Pradesh	336.53	134.92	137.47	0.04	15,082	66	0.01	1.17	85.75
Assam	241.78	132.99	33.85	1.54	12,493	309	3.28	0.71	68.7
Himanchal Pradesh	1399.01	369.36	909.44	0.00	23,216	132	0.56	1.8	131.5
Manipur	230.17	154.1	10.1	2.26	11,495	145	0.06	1.31	72.83
Meghalaya	274.5	140.79	90.91	0.04	11,180	179	0.04	1.29	73.81
Mizoram	541.29	391.29	16.69	0.00	22,093	77	0.01	2.47	111.18
Nagaland	296.97	177.88	18.53	0.00	23,845	228	0.15	0.92	70.8
Sikkim	647.94	171.57	375.08	0.00	8,040	172	0.00	0.87	137.87
Other State									
Andhra Pradesh	1183.34	343.86	355.01	266.83	24,888	108	2.44	4.14	80.59
Bihar	209.42	136.64	25.86	9.19	8,095	317	4.06	0.24	53.66
Chhattisgarh	847.38	216.8	317.47	190.81	23,817	78	0.87	0.88	66.49
Delhi	1328.65	792.6	150.33	1.59	58,258	1090	12.38	17.39	183.86
Goa	2631.85	818.57	1419.38	19.92	93,746	505	1.87	4.19	140.43
Gujrat	1510.22	237.9	958.47	196.21	38,669	127	2.53	1.54	92.31
Haryana	1550.29	448.79	555.05	397.24	29,336	114	3.87	1.8	108.79
Jharkhand	387.51	152.76	377.17	4.59	13,242	102	3.25	0.67	59.38
Karnataka	922.33	234.34	153.02	342.62	39,200	187	1.88	4.35	97.36
Kerala	672.74	259.35	132.94	10.81	40,054	609	2.70	3.73	119.32
Madhya Pradesh	671.42	197.49	115.93	232.57	21,328	118	1.69	1.04	65.97
Maharastra	1010.2	245.6	427	289.90	30,482	207	1.90	3.61	97.94
Odisa	488.81	188.84	163.84	17.72	20,012	196	1.75	0.81	74.76
Punjab	1751.99	485.68	645.75	412.85	37,489	294	4.50	2.74	111.44
Rajasthan	872.34	176.37	220.84	361.16	24,392	92	1.77	0.95	78.52
Tamil Nadu	1332.16	443.91	498.68	175.55	42,089	208	3.10	3.15	100.12
Telangana	1643.59	352.35	401.37	585.97	34,327	125	1.71	2.76	104.75
Tripura	256.98	156.95	11.63	9.57	13,600	430	2.53	0.89	74.54
Uttar Pradesh	418.95	191.48	69.17	81.60	15,206	184	3.65	0.54	68.21
West Bengal	390.4	189.57	206.07	12.44	11,153	320	4.74	1.22	80.45
India	824.64	248.41	272.95	163.56	24,046	165	2.07	1.92	82.94

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Total Internet Subscribers per 100 population	Literacy percentage**			Enrolment in primary and secondary schools per thousand population	Gross Enrollment Ratio			
		Male	Female	Total		Elementary Level (Std I-VIII)	Secondary Level (Std IX-XII)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)
Reference Year/Date	(30-09-2022)	(2011)	(2011)	(2011)	(2021-22)		(2021-22)		(2020-21)
(1)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)
Hill State									
Uttarakhand	**75.5**	**87.4**	**70.01**	**78.82**	**176**	**113.15**	**89.85**	**78.77**	**45.70**
Arunachal Pradesh	50.65	72.55	57.7	65.38	191	109.87	66.51	53.71	33.70
Assam	46.39	77.85	60.27	72.19	196	109.86	74.48	40.04	17.50
Himanchal Pradesh	82.51	89.5	75.93	82.8	150	106.14	94.1	94.08	38.70
Manipur	65.22	88.38	70.06	76.94	174	117.58	75.99	69.85	37.80
Meghalaya	55.64	83.58	72.89	74.43	270	135.65	85.12	45.96	25.80
Mizoram	89.93	75.95	89.27	91.33	204	137.52	93.36	61.30	26.80
Nagaland	68.05	93.35	76.11	79.53	151	87.33	62.22	35.83	17.30
Sikkim	107.09	79.19	75.61	81.42	145	92.89	89.07	64.20	39.90
Other State									
Andhra Pradesh	61.12	74.77	59.96	67.35	137	100.13	85.38	56.70	37.20
Bihar	36.12	71.2	51.5	61.8	202	96.23	64.94	35.88	15.90
Chhatisgarh	51.08	80.27	60.24	70.28	169	95.85	78.3	68.11	19.60
Delhi	202.19	90.94	80.76	86.21	176	121.15	111.24	95.01	47.60
Goa	127.43	92.65	84.66	88.7	154	91.1	82.96	73.66	33.80
Gujrat	72.05	85.75	69.68	78.03	146	92.36	75.16	48.19	22.20
Haryana	71.09	84.06	65.94	75.55	169	103.19	94.74	75.54	31.10
Jharkhand	43.73	76.8	55.42	66.41	179	97.04	68.41	46.44	17.00
Karnataka	78.96	84.0	68.08	75.36	158	107.09	94.73	56.60	36.00
Kerala	87.33	82.47	92.07	94	140	101.02	97.85	85.04	43.20
Madhya Pradesh	50.28	96.11	59.24	69.32	162	88.66	69.95	51.33	27.10
Maharastra	79.81	78.73	75.87	82.34	153	104.31	93.65	71.48	34.90
Odisa	48.89	82.75	64.01	72.87	149	95.36	80.36	43.58	20.70
Punjab	83.22	81.59	70.73	75.84	150	109.61	95.06	82.02	26.30
Rajasthan	55.82	80.44	52.12	66.11	188	101.78	78.23	70.33	26.10
Tamil Nadu	72.88	86.77	73.44	80.09	135	98.75	95.59	81.45	46.90
Telangana	82.49	75.04	57.99	66.34	158	110.21	94.06	64.84	39.10
Tripura	46.74	91.53	82.73	87.22	147	109.11	81.25	56.28	19.20
Uttar Pradesh	45.51	77.28	57.18	67.68	181	98.87	69.26	50.65	23.20
West Bengal	58.43	81.69	70.54	76.26	154	108.45	88.25	62.00	21.30
India	61.62	80.88	64.63	72.98	166	100.13	79.56	79.56	27.30

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Gender Parity Index				Drop-Out Rates					
	Elementary Level (Std I-VIII)	Secondary Level (Std IX-XII)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)	Primary Level (Std I-V)		Upper Primary Level (Std VI-VIII)		Secondary Level (Std IX-X)	
					Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
Reference Year/Date	(2021-22)			(2020-21)	(2021-22)					
(1)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)
Hill State										
Uttarakhand	**1.04**	**1.02**	**1.04**	**1.14**	**0.97**	**0.51**	**2.99**	**2.36**	**5.37**	**4.63**
Arunachal Pradesh	1.03	1.05	1.09	0.94	9.26	9.24	4.82	8.44	11.20	12.25
Assam	1.07	1.20	1.11	1.09	6.84	5.17	10.10	7.61	19.78	20.66
Himanchal Pradesh	1.02	1.01	1.03	1.33	0.00	0.00	0.62	0.53	1.96	0.90
Manipur	1.04	1.04	1	1.05	13.54	12.96	5.93	5.21	1.35	1.21
Meghalaya	1.07	1.24	1.34	1.28	11.08	8.58	12.04	9.40	23.28	20.77
Mizoram	1.01	1.10	1.15	1.05	7.08	5.58	3.78	1.64	13.06	10.83
Nagaland	1.07	1.16	1.18	1.26	5.57	4.49	4.64	3.36	18.92	16.19
Sikkim	0.96	1.07	1.27	1.21	2.90	0.48	0.00	0.00	14.53	9.48
Other State										
Andhra Pradesh	0.98	0.98	1.06	0.94	0.00	0.00	1.72	1.50	17.52	14.97
Bihar	1.02	1.06	1.02	0.91	0.00	0.00	4.03	5.21	19.48	21.42
Chhatisgarh	1.00	1.08	1.17	1.18	0.96	0.58	4.84	3.33	11.50	8.05
Delhi	1.05	1.02	1.09	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	3.71
Goa	1.04	1.06	1.07	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	5.45
Gujrat	1.04	0.94	0.98	0.87	0.00	0.00	4.23	5.76	19.39	15.89
Haryana	1.00	0.97	1.01	1.16	0.00	0.00	0.25	0.19	6.68	4.94
Jharkhand	1.01	1.06	1.07	1.06	2.36	1.14	3.70	4.00	9.68	8.94
Karnataka	1.00	1.00	1.08	1.07	0.00	0.00	1.10	1.06	16.16	13.02
Kerala	0.99	0.99	1.08	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	4.06
Madhya Pradesh	0.99	0.96	0.98	0.98	3.24	2.91	0.30	9.01	10.55	9.67
Maharastra	1.02	0.98	0.98	0.92	0.04	0.00	1.47	1.60	10.81	10.61
Odisa	1.00	1.01	1.09	0.94	0.00	0.00	8.04	6.53	29.22	25.24
Punjab	1.00	1.01	1.02	1.22	1.60	0.95	8.67	7.13	18.27	15.96
Rajasthan	1.00	0.92	0.9	1.00	3.80	3.30	4.43	4.20	7.78	7.40
Tamil Nadu	1.01	1.00	1.11	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	2.52
Telangana	1.08	1.01	1.06	1.09	0.00	0.00	3.40	2.87	14.49	12.94
Tripura	1.04	1.08	1.15	0.92	1.16	0.95	4.75	4.26	8.53	8.15
Uttar Pradesh	1.04	0.92	0.92	1.09	2.40	2.98	1.25	4.65	9.45	10.01
West Bengal	1.01	1.12	1.31	1.10	9.07	8.15	0.00	0.00	18.37	17.66
India	1.02	1.00	1.02	1.05	1.55	1.35	2.74	3.31	12.96	12.25

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Pupil-Teacher Ratio				Average number of Teachers per school	Percentage of Female Teacher	Life expectancy at birth (years)	
	Primary Level (Std I-V)	Upper Primary Level (Std VI-VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)			Male	Female
Reference Year/Date	(2021-22)				(2021-22)	(2021-22)	(2016-20)	
(1)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)
Hill State								
Uttarakhand	**18**	**16**	**11**	**16**	**5.4**	**55.00**	**67.5**	**73.9**
Arunachal Pradesh	11	8	10	19	6.6	48.52	NA	NA
Assam	21	14	11	20	5.8	41.01	67.3	68.6
Himanchal Pradesh	15	8	6	10	5.6	51.88	70.3	77.5
Manipur	13	10	9	15	9.2	54.31	NA	NA
Meghalaya	20	13	11	19	3.8	58.42	NA	NA
Mizoram	15	7	9	14	6.0	47.12	NA	NA
Nagaland	11	7	10	17	11.6	55.56	NA	NA
Sikkim	6	8	8	11	10.8	60.02	NA	NA
Other State								
Andhra Pradesh	25	15	10	31	5.2	50.53	69.1	72.2
Bihar	53	23	54	62	6.3	40.27	69.7	69.2
Chhatisgarh	20	18	14	16	4.6	47.90	63.5	66.8
Delhi	33	32	27	21	27.0	73.51	74.1	77.7
Goa	26	15	9	18	9.2	80.51	NA	NA
Gujrat	30	24	29	28	7.0	53.88	68.1	73.2
Haryana	25	19	12	14	10.0	62.52	67.3	73
Jharkhand	29	25	34	57	4.7	39.50	70.5	68.9
Karnataka	22	17	17	28	5.6	58.23	67.9	71.9
Kerala	27	21	14	21	16.5	79.44	71.9	78
Madhya Pradesh	24	17	22	30	4.8	47.11	65.5	69.5
Maharastra	25	26	20	38	6.8	48.41	71.6	74.3
Odisa	17	15	18	35	5.3	46.45	69.1	71.4
Punjab	25	19	10	17	9.3	75.23	70.8	74.5
Rajasthan	25	13	10	18	6.8	39.66	67.1	71.7
Tamil Nadu	19	14	12	21	9.7	75.03	71	75.5
Telangana	20	13	9	28	7.4	60.59	68.7	71.4
Tripura	18	19	13	15	7.4	34.95	NA	NA
Uttar Pradesh	28	25	26	38	5.8	45.68	65.3	66.7
West Bengal	26	28	16	27	6.1	43.62	71.1	73.6
India	26	19	17	27	6.4	51.30	68.6	71.4

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Birth rate	Death rate	Infant Mortality Rate	Under five Mortality Rate	Neo-natal Mortality Rate	Total Fertility Rate	Maternal Mortality Ratio
Reference Year/Date	(2020)	(2020)	(2020)	(2020)	(2020)	(2020)	(2018-20)
(1)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)
Hill State							
Uttarakhand	**16.6**	**6.3**	**24**	**26**	**17**	**1.8**	**103**
Arunachal Pradesh	17.3	5.7	21	NA	NA	NA	NA
Assam	20.8	6.2	36	40	19	2.1	195
Himanchal Pradesh	15.3	6.8	17	24	13	1.5	NA
Manipur	13.3	4.3	6	NA	NA	NA	NA
Meghalaya	22.9	5.3	29	NA	NA	NA	NA
Mizoram	14.4	4.2	3	NA	NA	NA	NA
Nagaland	12.5	3.7	4	NA	NA	NA	NA
Sikkim	15.6	4.1	5	NA	NA	NA	NA
Other State							
Andhra Pradesh	15.7	6.3	24	27	17	1.5	45
Bihar	25.5	5.4	27	30	21	3	118
Chhatisgarh	22	7.9	38	41	26	2.2	137
Delhi	14.2	3.6	12	14	9	1.4	NA
Goa	12.1	5.9	5	NA	NA	NA	NA
Gujrat	19.3	5.6	23	24	16	2	57
Haryana	19.9	6.1	28	33	19	2	110
Jharkhand	22	5.2	25	27	17	2.4	56
Karnataka	16.5	6.2	19	21	14	1.6	69
Kerala	13.2	7	6	8	4	1.5	19
Madhya Pradesh	24.1	6.5	43	51	31	2.6	173
Maharastra	15	5.5	16	18	11	1.5	33
Odisa	17.7	7.3	36	39	28	1.8	119
Panjab	14.3	7.2	18	22	12	1.5	105
Rajasthan	23.5	5.6	32	40	23	2.4	113
Tamil Nadu	13.8	6.1	13	13	9	1.4	54
Telangana	16.4	6	21	23	15	1.5	43
Tripura	12.6	5.7	18	NA	NA	NA	NA
Uttar Pradesh	25.1	6.5	38	43	28	2.7	167
West Bengal	14.6	5.5	19	22	14	1.4	103
India	19.5	6	28	32	20	2	97

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Mean age at effective marriage (females)	Percentage of children fully immunized (0-5 years)	Crimes against women (no.)	Crimes against children (no.)	Number of fair price/ration shops per lakh population#	Percentage of population Below Poverty Line	Percentage of households having access to latrine facility	Human development Index (HDI)	Multi-dimensional Poverty Index (MDPI)
Reference Year/Date	(2020)	(2017-18)	(2021)	(2021)	(2022-23)	(2011-12)	(2011)	(2019)	(2021)
(1)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)
Hill State									
Uttarakhand	**23.4**	**70.5**	**3,431**	**1,245**	**78**	**11.3**	**66.9**	**0.684**	**0.079**
Arunachal Pradesh	NA	41.3	366	162	127	34.7	65.2	0.677	0.115
Assam	22.9	46.1	29,046	5,282	95	32.0	66.8	0.609	0.156
Himachal Pradesh	24.1	72	1,599	740	70	8.1	70.3	717	0.03
Manipur	NA	75.1	302	143	87	36.9	89.3	0.691	0.08
Meghalaya	NA	32	685	461	142	11.9	65.7	0.654	0.157
Mizoram	NA	73.4	176	122	182	20.4	93.4	0.701	0.046
Nagaland	NA	12.8	54	51	80	18.9	83.5	0.683	0.117
Sikkim	NA	65.1	130	149	191	8.2	88.7	0.715	0.016
Other State									
Andhra Pradesh	22.5	73.6	17,752	2,669	56	9.20[1]	52.0[1]	0.642	0.053
Bihar	22.2	48.1	17,950	6,894	40	33.7	24.2	0.581	0.265
Chhattisgarh	21.6	65.2	7,344	6,001	46	39.9	26.0	0.617	0.134
Delhi	24.4	47.8	14,277	7,118	10	9.9	96.7	0.744	0.021
Goa	NA	59.7	224	151	31	5.1	83.6	0.765	0.015
Gujrat	23.6	59.6	7,348	4,515	22	16.6	59.6	0.65	0.084
Haryana	23.3	72.1	16,658	5,700	34	11.2	70.2	0.704	0.055
Jharkhand	21	61.7	8,110	1,867	62	37.0	23.0	0.6	0.202
Karnataka	22.8	72.8	14,469	7,261	30	20.9	55.0	0.679	0.036
Kerala	23.45	62.8	13,539	4,536	39	7.1	96.2	0.766	0.003
Madhya Pradesh	21.8	58.4	30,673	19,173	29	31.7	30.0	0.607	0.173
Maharastra	23.7	58.6	39,526	17,261	43	17.4	66.0	0.705	0.065
Odisa	22	66.8	31,352	7,899	26	32.6	23.4	0.608	0.136
Punjab	24.4	61.8	5,662	2,556	59	8.3	80.5	0.707	0.024
Rajasthan	22.9	57.3	40,738	7,653	34	14.7	35.7	0.65	0.14
Tamil Nadu	23.5	37.5	8,501	6,064	46	11.3	54.5	0.699	0.02
Telangana	23	70.1	20,865	5,667	45	0.0	0.0	0.658	0.039
Tripura	NA	39.6	807	236	50	14.1	88.5	0.64	0.075
Uttar Pradesh	22.5	54.6	56,083	16,838	34	29.4	37.0	0.603	0.18
West Bengal	21	66.2	35,884	9,523	21	20.0	61.4	0.636	0.097
India	22.7	59.2	428,278	149,404	39	21.9	50.2	0.645	0.110

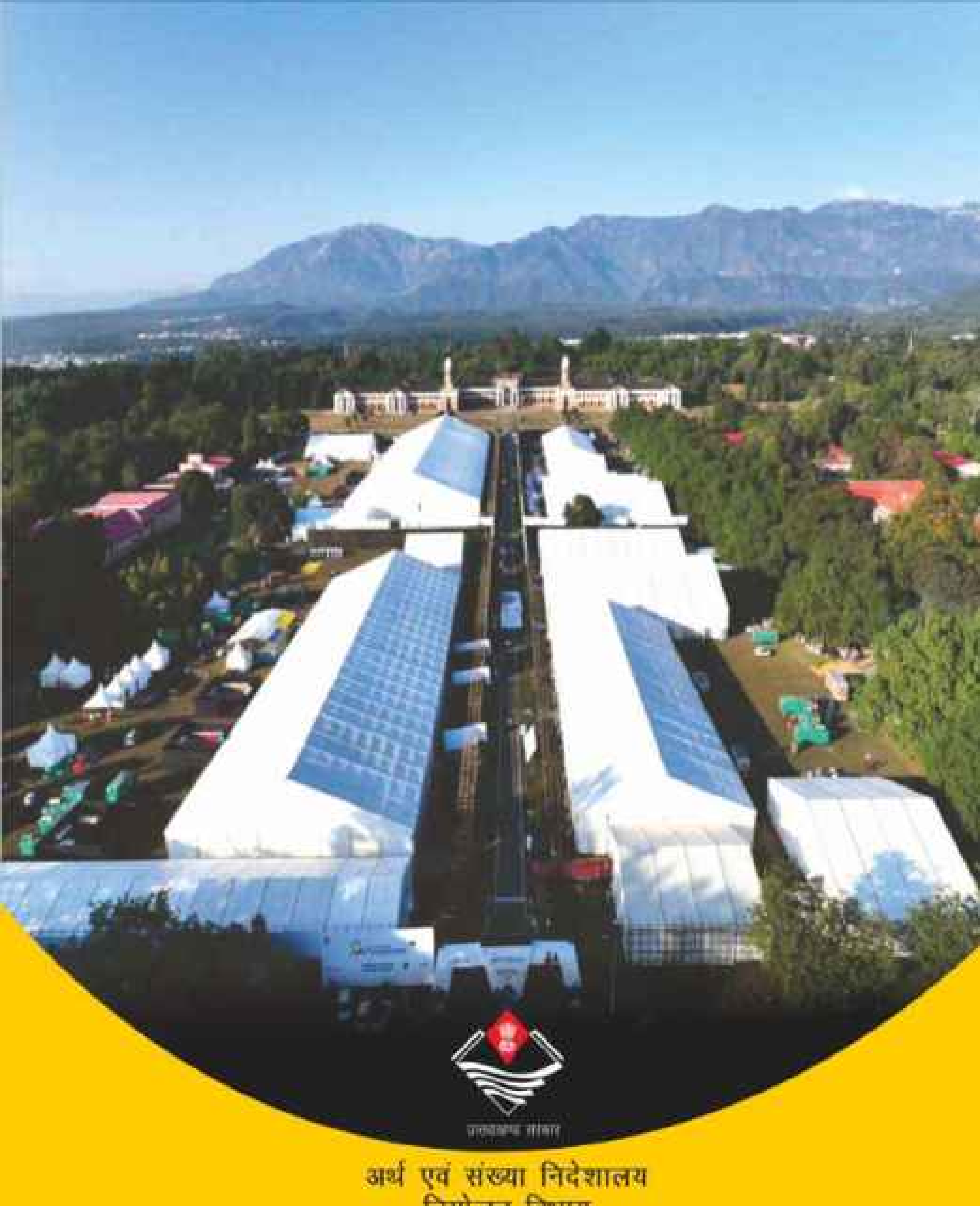

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग

उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्स: 0135-2712604
ई-मेल: dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in